निदेशक
सहकारी समितियाँ एवं पंचायत
लेखा परीक्षा निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।

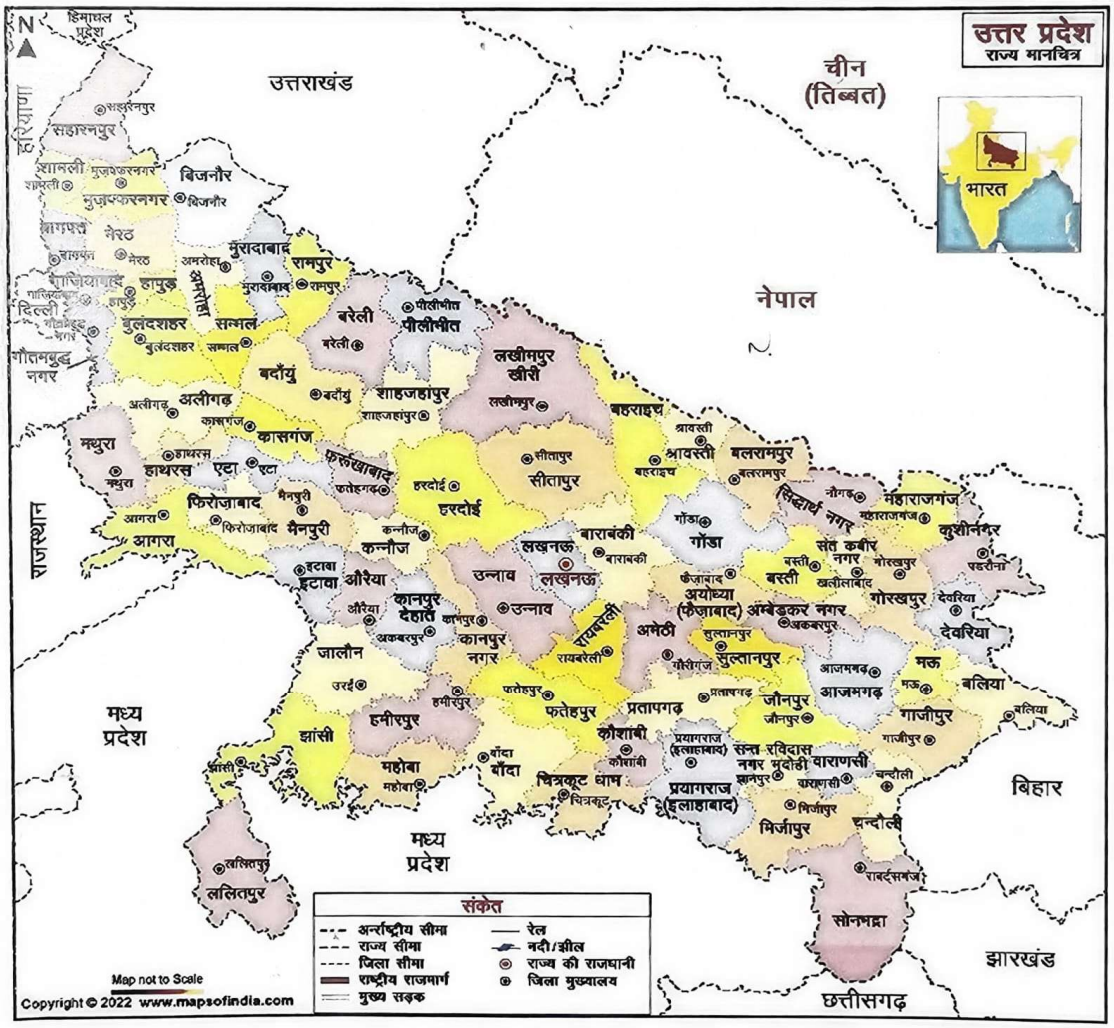

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
वार्षिक प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022
भाग-10

<u>अध्याय-4</u>

अधिभार प्रतिवेदन एवं उनमें उद्घाटित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा आपत्तियॉ

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत	4.3	पृष्ठसंख्या
1	लखनऊ मण्डल		**4345-4856(10)**

जनपद-हरदोई **मण्डल-लखनऊ**

प्रारूप –04

त्रिस्तरीय पंचायती राज वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित प्रस्तर

प्रस्तर -1- ग्राम पंचायत-ज्ञानपुर,वि०ख०-कछौना धनराशि रु० 1667820-00

ग्राम पंचायत -ज्ञानपुर , विकास खंड –कछौना , हरदोई की प्रियासॉफ्ट/ई-ग्राम स्वराज कैशबुक वित्तीय वर्ष 2021-22 अनुसार, वर्ष 2021-22 में कुल रु० 1667820-00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1-राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय –व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- ऍम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचलसंपत्ति पंजिका 14- चल सम्पति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 1667820-00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रीता वाजपेयी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द कुमार तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित हैं ।

प्रस्तर -2-ग्राम पंचा० -गौसगंज, वि०खण्ड –कछौना, धनराशि रु० 9080540-00

ग्राम पंचायत -गौसगंज , विकास खंड –कछौना , हरदोई की प्रियासॉफ्ट कैशबुक वित्तीय वर्ष 2021-22 अनुसार, वर्ष 2021-22 में कुल रु० 9080540-00 विभिन्न माहों की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये हैं । ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा में उक्त से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे -

1- राजकीय ऋण पंजिका 2- कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय –व्यय अभिलेख 4- सार्वजनिक कार्यों की मानचित्र पंजिका 5- भंडार सूची पंजिका 6- एजेंडा रजिस्टर 7- ऍम०बी०बुक 8- स्टॉक रजिस्टर 9- आन्तरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10- समकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचलसंपत्ति पंजिका 14- चल सम्पति पंजिका 15- मांग समाहरण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय-8 के बिंदु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता हैं तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा-409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में आहरित की गयी कुल धनराशि रु० 9080540-00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती हसमतुन निशा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कुलदीप तथा अन्य संबंधित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा अवधि में रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं । जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित हैं ।

प्रस्तर-3-ग्राम पंचायत- कुरारी(वि०ख० - भरखनी) - धनराशि - रु०11,75,011=00

वर्ष 2021-22 में विकास खंड भरखनी की ग्राम पंचायत कुरारी में प्रियासाफ्ट के अनुसार रु.11,75,011=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है।ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बंधित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये ,जो कि महत्वपूर्ण थे –

1.राजकीय ऋण पंजिका 2.कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3.आय-व्यय अभिलेख 4.सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5.भंडार सूची पंजिका 6.एजेंडा रजिस्टर 7.एम.बी.बुक 8.स्टॉक रजिस्टर 9.आंतरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11.समाशोधन विवरण पत्र 12.प्राप्त एवं देय पंजिका 13.अचल सम्पति पंजिका 14.चल सम्पत्ति पंजिका 15.मांग समाहरण पंजिका 16.मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र -22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ.प्र.द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 के अनुसार रु.11,75,011=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं,जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुशील कुमार व ग्रा.पं.अधि./ग्रा.वि.अधि.श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बंधित कार्मिक, जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों,संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं ,जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-4-ग्राम पंचायत बरुआरा वि०ख० - भरखनी -धनराशि - रु०12,80,324=00

वर्ष 2021-22 में विकास खंड भरखनी की ग्राम पंचायत बरुआरा में प्रियासाफ्ट के अनुसार रु.12,80,324=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है।ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बंधित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये ,जो कि महत्वपूर्ण थे –

1.राजकीय ऋण पंजिका 2.कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3.आय-व्यय अभिलेख 4.सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5.भंडार सूची पंजिका 6.एजेंडा रजिस्टर 7.एम.बी.बुक 8.स्टॉक रजिस्टर 9.आंतरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11.समाशोधन विवरण पत्र 12.प्राप्त एवं देय पंजिका 13.अचल सम्पत्ति पंजिका 14.चल सम्पत्ति पंजिका 15.मांग समाहरण पंजिका 16.मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र -22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ.प्र.द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 के अनुसार रु. 12,80,324=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं,जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती खजीना /रामवीर सिंह व ग्रा.पं.अधि./ग्रा.वि.अधि.श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बंधित कार्मिक, जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों,संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं ,जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर-5-ग्राम पंचायत मैकपुर, वि०ख० - भरखनी -धनराशि -रु०21,75,199=00

वर्ष 2021-22 में विकास खंड भरखनी की ग्राम पंचायत मैकपुर में प्रियासाफ्ट के अनुसार रु.21,75,199=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है।ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बंधित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये ,जो कि महत्वपूर्ण थे –

1.राजकीय ऋण पंजिका 2.कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3.आय-व्यय अभिलेख 4.सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5.भंडार सूची पंजिका 6.एजेंडा रजिस्टर 7.एम.बी.बुक 8.स्टॉक रजिस्टर 9.आंतरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11.समाशोधन विवरण पत्र 12.प्राप्त एवं देय पंजिका 13.अचल सम्पत्ति पंजिका 14.चल सम्पत्ति पंजिका 15.मांग समाहरण पंजिका 16.मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र -22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ.प्र.द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 के अनुसार रु. 21,75,199=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं,जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू देवी व ग्रा.पं.अधि./ग्रा.वि.अधि.श्री सत्येन्द्र

प्रताप सिंह व अन्य सम्बंधित कार्मिक, जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों,संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं ,जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर -6-ग्राम पंचायत हुल्लापुर पत्योरा **वि०ख०** - भरखनी **-धनराशि -रु०11,03,311=00**

वर्ष 2021-22 में विकास खंड भरखनी की ग्राम पंचायत हुल्लापुर पत्योरा में प्रियासाफ्ट के अनुसार रु.11,03,311=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है।ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बंधित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये ,जो कि महत्वपूर्ण थे –

1.राजकीय ऋण पंजिका 2.कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3.आय-व्यय अभिलेख 4.सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5.भंडार सूची पंजिका 6.एजेंडा रजिस्टर 7.एम.बी.बुक 8.स्टॉक रजिस्टर 9.आंतरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11.समाशोधन विवरण पत्र 12.प्राप्त एवं देय पंजिका 13.अचल सम्पत्ति पंजिका 14.चल सम्पत्ति पंजिका 15.मांग समाहरण पंजिका 16.मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र -22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ.प्र.द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 के अनुसार रु.11,03,311=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं,जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती भुम्मी व ग्रा.पं.अधि./ग्रा.वि.अधि.श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बंधित कार्मिक, जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों,संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं ,जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर -7-ग्राम पंचायत भाबर केशवपुर **वि०ख०** - भरखनी **-धनराशि -रु०12,50,238=00**

वर्ष 2021-22 में विकास खंड भरखनी की ग्राम पंचायत भाबर केशवपुर में प्रियासाफ्ट के अनुसार रु.12,50,238=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है।ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बंधित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये ,जो कि महत्वपूर्ण थे –

1.राजकीय ऋण पंजिका 2.कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3.आय-व्यय अभिलेख 4.सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5.भंडार सूची पंजिका 6.एजेंडा रजिस्टर 7.एम.बी.बुक 8.स्टॉक रजिस्टर 9.आंतरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11.समाशोधन विवरण पत्र 12.प्राप्त एवं देय पंजिका 13.अचल सम्पत्ति पंजिका 14.चल सम्पत्ति पंजिका 15.मांग समाहरण पंजिका 16.मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र -22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ.प्र.द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 के अनुसार रु. 12,50,238=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं,जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संतोषी देवी व ग्रा.पं.अधि./ग्रा.वि.अधि.श्री सत्येन्द्र प्रताप सिंह व अन्य सम्बंधित कार्मिक, जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों,संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं ,जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर -8-ग्राम पंचायत खितौली दुगावा, **वि०ख०** - भरखनी **-धनराशि - रु०10,47,583=00**

वर्ष 2021-22 में विकास खंड भरखनी की ग्राम पंचायत खितौली दुगावा में प्रियासाफ्ट के अनुसार रु.10,47,583=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है।ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बंधित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये ,जो कि महत्वपूर्ण थे –

1.राजकीय ऋण पंजिका 2.कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3.आय-व्यय अभिलेख 4.सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5.भंडार सूची पंजिका 6.एजेंडा रजिस्टर 7.एम.बी.बुक 8.स्टॉक रजिस्टर 9.आंतरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11.समाशोधन विवरण पत्र 12.प्राप्त एवं देय पंजिका 13.अचल सम्पत्ति पंजिका 14.चल सम्पत्ति पंजिका 15.मांग समाहरण पंजिका 16.मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र -22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ.प्र.द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 के अनुसार रु.10,47,583=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं,जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिओम व ग्रा.पं.अधि./ग्रा.वि.अधि.श्री ओमशिव पाण्डेय /राम चरन व अन्य सम्बंधित कार्मिक, जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों,संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं ,जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर -9-ग्राम पंचायत-अहिरी (वि०ख० -अहिरोरी) -धनराशि -रु०1851911=00

वर्ष 2021-22 में विकास खंड अहिरोरी की ग्राम पंचायत अहिरी में प्रियासाफ्ट के अनुसार रु.1851911=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है।ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बंधित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये ,जो कि महत्वपूर्ण थे –

1.राजकीय ऋण पंजिका 2.कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3.आय-व्यय अभिलेख 4.सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5.भंडार सूची पंजिका 6.एजेंडा रजिस्टर 7.एम.बी.बुक 8.स्टॉक रजिस्टर 9.आंतरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11.समाशोधन विवरण पत्र 12.प्राप्त एवं देय पंजिका 13.अचल सम्पत्ति पंजिका 14.चल सम्पत्ति पंजिका 15.मांग समाहरण पंजिका 16.मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र -22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ.प्र.द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 के अनुसार रु. 1851911=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं,जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रामरानी व ग्रा.पं.अधि./ग्रा.वि.अधि.श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा व अन्य सम्बंधित कार्मिक, जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों,संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं ,जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर -10-ग्राम पंचायत-बरखेरवा (वि०ख० -अहिरोरी) -धनराशि -रु०1819024=00

वर्ष 2021-22 में विकास खंड अहिरोरी की ग्राम पंचायत बरखेरवा में प्रियासाफ्ट के अनुसार रु.1819024=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है।ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बंधित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये ,जो कि महत्वपूर्ण थे –

1.राजकीय ऋण पंजिका 2.कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3.आय-व्यय अभिलेख 4.सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5.भंडार सूची पंजिका 6.एजेंडा रजिस्टर 7.एम.बी.बुक 8.स्टॉक रजिस्टर 9.आंतरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11.समाशोधन विवरण पत्र 12.प्राप्त एवं देय पंजिका 13.अचल सम्पत्ति पंजिका 14.चल सम्पत्ति पंजिका 15.मांग समाहरण पंजिका 16.मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र -22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ.प्र.द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 के अनुसार रु. 1819024=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं,जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विजेता व ग्रा.पं.अधि./ग्रा.वि.अधि.श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा व अन्य सम्बंधित कार्मिक, जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों,संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं ,जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर -11-ग्राम पंचायत-गोडाधार (वि०ख० -अहिरोरी) -धनराशि -रु०538899.00

ग्राम पंचायत गोडाधार की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में दिनांक 05.07.2021 को रुपया 27000.00 केयर टेकर मानदेय सीता महिला स्वयं सहायता समूह को दिया गया है| जबकि दिनांक 10.12.21 सामुदायिक शौचालय निर्माण के नाम पर – आकृति ट्रेडर्स को रू० 155399.00, बालाजी ट्रेडर्स को रू० 177821.00 एवं श्रध्दा ट्रेडर्स को रू० 49209.00 दिया गया| प्रेम आर्ट को पेंटिंग के लिए रू० 26938.00 तथा मजदूरी के लिए सुभाष को रू० 16932.00, सर्वेश पाल राज को रू० 44000.00,अवधेश राज को रू० 22000.00,जसवंत को रू० 19600.00 इस प्रकार कुल रुपया 511899.00 का भुगतान एक

ही दिनांक 10.12.21 को किया गया है जो प्रथम दृष्टया गबन इंगित करता है| क्योंकि शौचालय का निर्माण पूर्व में किया गया होता तो भुगतान भी पहले कर दिया गया होता क्योंकि खाते में रुपया पहले से पर्याप्त चला आ रहा है| इससे स्पष्ट होता है कि ग्राम प्रधान श्री योगेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश कुमार गुप्ता कुल रुपया 538899.00 का अपहरण किया है| जिसकी वसूली दोनों लोगो से बराबर – बराबर किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर -12-ग्राम पंचायत-अहिरोरी **(वि०ख० -अहिरोरी) -धनराशि -रु०62,89,907=00**

वर्ष 2021-22 में विकास खण्ड अहिरोरी के ग्राम पंचायत अहिरोरी में ई-ग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्टके अनुसार रु० 62,89,907=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धितव्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीकिये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे। यथा -

1.राजकीय ऋण पंजिका 2.कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पंत्र 3. आय व्यय अभिलेख व कोषबही 4. सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिकसम्प्रेक्षणरिर्पोट10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एंव देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉगसमाहरण पंजिका 16. मस्टररोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय-8 के खण्ड-7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय- 8 के खण्ड-8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से समान रूप से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशिरु० 62,89,907=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरितकिये गये है,जिसका बिना व्यय प्रमानको के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री यादवेन्द्र सिंह, ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री वीरेंद्र कुमार वर्मा व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से मय ब्याज के किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -13-ग्राम पंचायत-अल्लीगढ़ (वि०ख० - बिलग्राम) -धनराशि -रु०614531.00

ग्राम पंचायत अल्लीगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम (4,5 राज्य वित्त) से ई-ग्रामस्वराज के ऑनलाइन पेमेंट स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार रुपये 614531.00 का व्यय किया गया है | वित्तीय नियमों के अनुरूप उक्त दर्शित व्यय के व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल-बाउचर/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- प्रमाणित कैश बुक व बैंक पासबुक, स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना,संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख,

स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय (कार्य प्रारंभ से पूर्व ,कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने का)फोटोग्राफ ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी |

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है| उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध व्यय की धनराशि रुपये 614531.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 307265.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नन्हेंलाल से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 307265.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जितेन्द्र गुप्ता एवं श्री सुशील कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय, साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए ग्राम प्रधान श्री नन्हेंलाल एवं ग्राम पंचायत\विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र गुप्ता एवं श्री सुशील कुमार के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए|

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा | ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाए |

प्रस्तर -14-ग्राम पंचायत-अल्लीगढ़ **(वि०ख० -बिलग्राम) -धनराशि -रु०713909.00**

2-ग्राम पंचायत अल्लीगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14, 15, (केंद्रीय) वित्त मद से ई-ग्रामस्वराज के ऑनलाइन पेमेंट स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार रुपये 713909.00 का व्यय किया गया है | वित्तीय नियमों के अनुरूप उक्त दर्शित व्यय के व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल-बाउचर/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- प्रमाणित कैश बुक व बैंक पासबुक ,स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना,संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय (कार्य प्रारंभ से पूर्व ,कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने का) फोटोग्राफ ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी | बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा| इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है| उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 713909.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 356954.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नन्हेंलाल से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 356954.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जितेन्द्र गुप्ता एवं श्री सुशील कुमार से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय| साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए ग्राम प्रधान श्री नन्हेंलाल एवं ग्राम पंचायत\विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र गुप्ता एवं श्री सुशील कुमार के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए|

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा | ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाए |

प्रस्तर -15-ग्राम पंचायत-अल्लीगढ़ (वि०ख० -बिलग्राम) -धनराशि -रु०484908.00

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी| जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी | ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नही बनाया गया हैं | यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ०रि०/ 09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमे मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं | मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर - 7 के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 484908.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान एवं दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्यय की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरुप समस्त व्यय प्रमाणक विहीन रहा| पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराये जाते है, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी|" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रू. 484908.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु- 484908.00 की सुसंगत ब्याज सहित उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की अपेक्षा की जाती है |

प्रस्तर -16-ग्राम पंचायत-नूरपुर हथौड़ा (वि०ख० -बिलग्राम) -धनराशि -रु०1801993.00

1-ग्राम पंचायत नूरपुर हथौड़ा द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम (4,5 राज्य वित्त) से ई-ग्रामस्वराज के ऑनलाइन पेमेंट स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार रुपये 1801993.00 का व्यय किया गया है | वित्तीय नियमों के अनुरूप उक्त दर्शित व्यय के व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल-बाउचर/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- प्रमाणित कैश बुक व बैंक पासबुक, स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना,संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र/ आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय (कार्य प्रारंभ से पूर्व ,कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने का)फोटोग्राफ ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी |

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा| इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी|" के अंतर्गत अधिभार योग्य है| उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध व्यय की धनराशि रुपये 1801993.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 900996.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कामिनी सिंह से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 900996.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जितेन्द्र गुप्ता से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय, साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कामिनी सिंह एवं ग्राम पंचायत\विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र गुप्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए|

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा| ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाए|

प्रस्तर -17-ग्राम पंचायत-नूरपुर हथौड़ा (वि०ख०-बिलग्राम)-धनराशि-रु०2136701.00

2-ग्राम पंचायत नूरपुर हथौड़ा द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14, 15, (केंद्रीय) वित्त मद से ई-ग्रामस्वराज के ऑनलाइन पेमेंट स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार रुपये 2136701.00 का व्यय किया गया है | वित्तीय नियमों के अनुरूप उक्त दर्शित व्यय के व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल-बाउचर/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- प्रमाणित कैश बुक व बैंक पासबुक ,स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना,संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र/ आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन,

सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय (कार्य प्रारंभ से पूर्व ,कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने का) फोटोग्राफ ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी| बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी|

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा| इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है| उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 2136701.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1068350.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कामिनी सिंह से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 1068350.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जितेन्द्र गुप्ता से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय| साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती कामिनी सिंह एवं ग्राम पंचायत\विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र गुप्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए|

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा | ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाए |

प्रस्तर -18-ग्राम पंचायत-नूरपुर हथौड़ा (वि०ख०-बिलग्राम)-धनराशि-रु०5446816.00

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी| जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी | ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नही बनाया गया हैं | यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ०रि०/ 09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमे मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं | मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर - 7 के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 5446816.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान एवं दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्यय की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरुप समस्त व्यय प्रमाणक विहीन रहा| पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराये जाते है, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी |" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित

अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रू. 5446816.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु- 5446816.00 की सुसंगत ब्याज सहित उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की अपेक्षा की जाती है |

प्रस्तर -19-ग्राम पंचायत-चौधरियापुर हुसेपुर (वि०ख०-बिलग्राम**)-धनराशि-रु०936289.00**

1-ग्राम पंचायत चौधरियापुर हुसेपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम (4,5 राज्य वित्त) से ई-ग्रामस्वराज के ऑनलाइन पेमेंट स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार रुपये 936289.00 का व्यय किया गया है| वित्तीय नियमों के अनुरूप उक्त दर्शित व्यय के व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल-बाउचर/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- प्रमाणित कैश बुक व बैंक पासबुक, स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना,संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र/ आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन/ टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय (कार्य प्रारंभ से पूर्व ,कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने का)फोटोग्राफ ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी |

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा| इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है| उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध व्यय की धनराशि रुपये 936289.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 468144.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम यादव से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 468144.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आर्यन राज एवं सुश्री ममता राजपूत से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय, साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम यादव एवं ग्राम पंचायत\विकास अधिकारी श्री आर्यन राज एवं सुश्री ममता राजपूत के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए|

बैंक पासबुक तथा मूल कैशबुक अनुपलब्ध रहने से ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया वास्तविक आहरण अज्ञात रहा| ग्राम निधि प्रथम खाता से किया गया आहरण यदि ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट मे दर्शित व्यय से भिन्न है तो उक्त समस्त कार्यवाही ग्राम निधि से किए गए 'वास्तविक आहरण की धनराशि के अनुसार' ही की जाए |

प्रस्तर -20-ग्राम पंचायत-चौधरियापुर हुसेपुर (वि०ख०-बिलग्राम)-धनराशि-रु०1203116.00

ग्राम पंचायत चौधरियापुर हुसेपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14, 15, (केंद्रीय) वित्त मद से ई-ग्रामस्वराज के ऑनलाइन पेमेंट स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार रुपये 1203116.00 का व्यय किया गया है| वित्तीय नियमों के अनुरूप उक्त दर्शित व्यय के व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल-बाउचर/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे-प्रमाणित कैश बुक व बैंक पासबुक ,स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना,संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय (कार्य प्रारंभ से पूर्व ,कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने का) फोटोग्राफ ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी | बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा| इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है| उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 1203116.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 601558.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम यादव से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 601558.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री आर्यन राज एवं सुश्री ममता राजपूत से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय| साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम यादव एवं ग्राम पंचायत\विकास अधिकारी श्री आर्यन राज एवं सुश्री ममता राजपूत के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए|

प्रस्तर -21-ग्राम पंचायत-चौधरियापुर हुसेपुर (वि०ख०-बिलग्राम)-धनराशि-रु०1133628.00

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी| जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी | ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नही बनाया गया हैं | यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ०रि०/ 09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमे मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं | मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर - 7 के वित्तीय विवरण में दिए गये

व्यय विवरण के अनुसार रु. 1133628.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान एवं दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्यय की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरुप समस्त व्यय प्रमाणक विहीन रहा| पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराये जाते है, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी |" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रू. 1133628.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु- 1133628.00 की सुसंगत ब्याज सहित उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की अपेक्षा की जाती है |

प्रस्तर -22-ग्राम पंचायत-बेरुआ निजामपुर (वि०ख०-बिलग्राम)-धनराशि-रु०156903.00

1-ग्राम पंचायत बेरुआ निजामपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम (4,5 राज्य वित्त) से ई-ग्रामस्वराज के ऑनलाइन पेमेंट स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार रुपये 156903.00 का व्यय किया गया है | वित्तीय नियमों के अनुरूप उक्त दर्शित व्यय के व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल-बाउचर/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- प्रमाणित कैश बुक व बैंक पासबुक, स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना,संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय (कार्य प्रारंभ से पूर्व ,कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने का)फोटोग्राफ ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी |

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है| उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध व्यय की धनराशि रुपये 156903.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 78451.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आयुषी यादव से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 78451.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जितेन्द्र गुप्ता से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय, साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती आयुषी यादव एवं ग्राम पंचायत\विकास

अधिकारी श्री जितेन्द्र गुप्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए|

प्रस्तर -23-ग्राम पंचायत-बेरुआ निजामपुर (वि०ख०-बिलग्राम)-धनराशि-रु०225254.00

ग्राम पंचायत बेरुआ निजामपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14, 15, (केंद्रीय) वित्त मद से ई-ग्रामस्वराज के ऑनलाइन पेमेंट स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार रुपये 225254.00 का व्यय किया गया है | वित्तीय नियमों के अनुरूप उक्त दर्शित व्यय के व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल-बाउचर/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- प्रमाणित कैश बुक व बैंक पासबुक ,स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना,संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय (कार्य प्रारंभ से पूर्व ,कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने का) फोटोग्राफ ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी | बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा| इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है| उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 225254.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 112627.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आयुषी यादव से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 112627.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री जितेन्द्र गुप्ता से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय| साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती आयुषी यादव एवं ग्राम पंचायत\विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र गुप्ता के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए|

प्रस्तर -24-ग्राम पंचायत-बेरुआ निजामपुर (वि०ख०-बिलग्राम)-धनराशि-रु०257040.00

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी| जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी | ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नही बनाया गया हैं | यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक

269/सम्प्रेक्षा/आ०रि०/ 09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमे मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं | मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर - 7 के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु. 257040.00 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान एवं दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्यय की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरुप समस्त व्यय प्रमाणक विहीन रहा| पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराये जाते है, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी |" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रू. 257040.00 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु- 257040.00 की सुसंगत ब्याज सहित उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की अपेक्षा की जाती है |

प्रस्तर -25-ग्राम पंचायत-ढोढपुर (वि०ख०-बिलग्राम)-धनराशि-रु०709577.00

ग्राम पंचायत ढोढपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम (4,5 राज्य वित्त) से ई-ग्रामस्वराज के ऑनलाइन पेमेंट स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार रुपये 709577.00 का व्यय किया गया है | वित्तीय नियमों के अनुरूप उक्त दर्शित व्यय के व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल-बाउचर/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- प्रमाणित कैश बुक व बैंक पासबुक, स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना,संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय (कार्य प्रारंभ से पूर्व ,कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने का)फोटोग्राफ ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी |

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा | इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है| उक्त नियमानुसार प्रमाणकविहीन तथा नियमविरुद्ध व्यय की धनराशि रुपये 709577.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये

354788.50 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 354788.50 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री शिव ओम बाजपेई एवं सुश्री प्रिया त्रिपाठी से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय, साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला एवं ग्राम पंचायत\विकास अधिकारी श्री शिव ओम बाजपेई एवं सुश्री प्रिया त्रिपाठी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए|

प्रस्तर -26-ग्राम पंचायत-ढोढपुर(वि०ख०-बिलग्राम)-धनराशि-रु०515288.00

ग्राम पंचायत ढोढपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14, 15, (केंद्रीय) वित्त मद से ई-ग्रामस्वराज के ऑनलाइन पेमेंट स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार रुपये 515288.00 का व्यय किया गया है | वित्तीय नियमों के अनुरूप उक्त दर्शित व्यय के व्यय प्रमाणकों की मूल प्रति (बिल-बाउचर/ मस्टर रोल /ट्रांसफर विवरण), मूल पत्रावलियाँ एवं यथावश्यक अन्य अनिवार्य मूल अभिलेख व सूचनाएँ जैसे- प्रमाणित कैश बुक व बैंक पासबुक ,स्वीकृत ग्राम पंचायत विकास योजना/ अनुमोदित कार्य योजना,संबन्धित समितियों व ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर, स्वीकृत योजना मानचित्र / आरेख, स्वीकृत विस्तृत प्राक्कलन, सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य की तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति की पत्रावलियाँ, सामग्री क्रय हेतु यथावश्यक कोटेशन / टेंडर आमंत्रित व स्वीकृत करने की प्रक्रिया पालन की पत्रावलियाँ, कार्य की माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य का त्रिस्तरीय (कार्य प्रारंभ से पूर्व ,कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने का) फोटोग्राफ ,सार्वजनिक निर्माण कार्य पंजिका, परिसंपत्ति पंजिका, स्टॉक रजिस्टर इत्यादि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहने से उक्त दर्शित धनराशि के नियमानुसार उपभोग की पुष्टि नहीं की जा सकी | बैंक पासबुक अनुपलब्ध रहने से वास्तविक आहरित धनराशि ज्ञात न की जा सकी |

मूल अभिलेखों के अभाव मे उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा| इस प्रकार दर्शित व्यय पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी 'ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 यह कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" के विपरीत रहा | उक्त लेखा मैनुअल' के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 'क' के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी |" के अंतर्गत अधिभार योग्य है| उक्त नियमानुसार प्रमाणक विहीन तथा नियमविरुद्ध (ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ़्ट के अनुसार) दर्शित व्यय की धनराशि रुपये 515288.00 में से पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 257644.00 तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला से तथा शेष पचास प्रतिशत (50%) धनराशि रुपये 257644.00 सचिव- ग्राम पंचायत (ग्रा.पं./वि.अधिकारी) श्री शिव ओम बाजपेई एवं सुश्री प्रिया त्रिपाठी से वसूली तिथि तक सुसंगत ब्याज सहित जमा कराया जाय| साथ ही राजकीय धन के अपहरण के लिए ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला एवं ग्राम पंचायत\विकास अधिकारी श्री शिव ओम बाजपेई एवं सुश्री प्रिया त्रिपाठी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जाए|

प्रस्तर -27-ग्राम पंचायत-ढोढपुर (वि०ख०-बिलग्राम)-धनराशि-रु०515288.00

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियां लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी| जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जाँच नहीं की जा सकी | ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल द्वारा भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नही बनाया गया हैं | यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ०प्र० शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ०रि०/ 09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमे मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिए गये हैं | मनरेगा वेबसाइट की वित्तीय प्रगृति रजिस्टर - 7 के वित्तीय विवरण में दिए गये व्यय विवरण के अनुसार रु०352929.29 का भुगतान किया गया है | उक्त भुगतान एवं दर्शित सम्पूर्ण धनराशि के व्यय की पुष्टि अभिलेखों के अभाव में न की जा सकी, जिसके परिणामस्वरुप समस्त व्यय प्रमाणक विहीन रहा| पंचायतीराज विभाग उ.प्र. द्वारा 'ग्राम पंचायतों' के वित्त एवम् लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार "यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराये जाते है, तो दर्शाये गये व्ययों की धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जाएगी |" चूंकि उक्त व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक, कैशबुक एवं निर्माण कार्य पत्रावलियाँ व अन्य सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गए, अतः लेखा मैन्युअल के उक्त अध्याय के आलोक में रू०352929.29 को गबन मानते हुए उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली-1947 के नियम 256 में दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा रु०352929.29 की सुसंगत ब्याज सहित उक्त उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की अपेक्षा की जाती है |

प्रस्तर -28-ग्राम पंचायत-किरला (वि०ख०-भरावन)-धनराशि-रु०10,66,373.00

वर्ष 2021-22 की प्रिया सॉफ्ट/ई –ग्राम स्वराज के अनुसार रू० 10,66,373.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गयेहैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रू० 10,66,373.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पंत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिर्पोट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एंव देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 केखंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क)के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुलधनराशि रू० 10,66,373.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गयेहैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हबीबएवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री सन्तोष कुमारव अन्यसम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -29-ग्राम पंचायत-जगसरा (वि०ख०-भरावन)-धनराशि-रु०5,63,710.00

वर्ष 2021-22 की प्रिया सॉफ्ट/ई –ग्राम स्वराज के अनुसार रू० 5,63,710.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गयेहैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रू० 5,63,710.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पंत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिर्पोट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एंव देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 केखंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क)के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुलधनराशि रू० 5,63,710.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गयेहैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुधीर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री सुशील पाल व अन्यसम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -30-ग्राम पंचायत- किरला(वि०ख०- भरावन)-धनराशि-रु०12,53,185.00

वर्ष 2021-22 की प्रिया सॉफ्ट/ई –ग्राम स्वराज के अनुसार रू० 12,53,185.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गयेहैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रू० 12,53,185.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पंत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिर्पोट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एंव देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 केखंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क)के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुलधनराशि रू० 12,53,185.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गयेहैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमुनीश अली एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री सन्तोष कुमार व अन्यसम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-31-ग्राम पंचायत-बिलरिया (वि०ख०- भरावन)-धनराशि-रु०7,11,235.00

वर्ष 2021-22 की प्रिया सॉफ्ट/ई –ग्राम स्वराज के अनुसार रू० 7,11,235.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गयेहैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रू० 7,11,235.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पंत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिर्पोट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एंव देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 केखंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क)के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुलधनराशि रू० 7,11,235.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गयेहैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीविपिन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्री सन्तोष कुमार व अन्यसम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -32-ग्राम पंचायत-अब्दुल्लानगर(वि०ख०-पिहानी)-धनराशि-रु०25,81,373.00

वर्ष 2021-22 की प्रिया सॉफ्ट/ई –ग्राम स्वराज के अनुसार रू० 25,81,373.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गयेहैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रू० 25,81,373.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पंत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिर्पोट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एंव देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 केखंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क)के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुलधनराशि रू० 25,81,373.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गयेहैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शबीना एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्रीलाल बहादुर व अन्य सम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -33-ग्राम पंचायत-बहेरमा (वि०ख०-पिहानी)-धनराशि-रु०7,77,807.00

वर्ष 2021-22 की प्रिया सॉफ्ट/ई –ग्राम स्वराज के अनुसार रू० 7,77,807.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गयेहैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रू० 7,77,807.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पंत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिर्पोट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एंव देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 केखंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क)के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुलधनराशि रू० 7,77,807.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गयेहैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विजय वर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्रीलाल बहादुरव अन्यसम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -34-ग्राम पंचायत-हरिहरपुर प्रथम (वि०ख०-पिहानी)-धनराशि-रु०16,73,677.00

वर्ष 2021-22 की प्रिया सॉफ्ट/ई –ग्राम स्वराज के अनुसार रू० 16,73,677.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गयेहैं। परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय रू० 16,73,677.00 धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो की महत्वपूर्ण थे।

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पंत्र 3. आय व्यय अभिलेख 4. सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिर्पोट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एंव देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय - 8 केखंड -7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय - 8 के खंड -8 (क)के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुलधनराशि रू० 16,73,677.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किये गयेहैं, जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवीएवं ग्राम पंचायत अधिकारी/विकास अधिकारी श्रीलाल बहादुरव अन्यसम्बंधित सचिव जो भी इस कार्यकाल में कार्यरत रहे हो, संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी वसूली संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -35-ग्राम पंचायत-तेरापुरसौली (वि०ख०-सांडी)-धनराशि-रु०24,37,672=00

वर्ष 2021-22 मेंग्राम पंचायत-तेरापुरसौलीकी लेखा परीक्षा के दौरान स्थिति प्रकाश में आयी कि वर्ष 2021-22 की ई-ग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्टके अनुसार रु0 24,37,672=00 विभिन्नमाह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायतअधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त सेसम्बन्धितव्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीकिये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे। यथा -

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पंत्र 3. आय व्ययअभिलेख व कोषबही 4. सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूचीपंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिकसम्प्रेक्षण रिर्पोट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एंव देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय- 8 के खण्ड-7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतुसम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्तअभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय- 8 के खण्ड-8 (क) के अनुसार "यदि दर्शायेगये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्रामप्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशिरु0 24,37,672=00 विभिन्न माह के विभिन्न

तिथियों में आहरित किये गये है,जिसका बिना व्यय प्रमानको के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधानसुश्री वैशाली व ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 श्री गौरव जगदीश मिश्रा वअन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूपसे जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज समेत किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-36-ग्रामपंचायत-मिरगांवा चौधरियापुर(वि०ख०- हरपालपुर)-धनराशि-रु०25,63,908=00

वर्ष 2021-22 मेंग्राम पंचायत-मिरगॉवा चौधरियापुरकी लेखा परीक्षा के दौरान स्थिति प्रकाश में आयी कि वर्ष 2021-22 की ई-ग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु0 25,63,908=00विभिन्नमाह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायतअधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त सेसम्बन्धितव्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीकिये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे। यथा - 1.राजकीय ऋण पंजिका 2.कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पंत्र 3. आय व्ययअभिलेख व कोषबही 4. सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूचीपंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिकसम्प्रेक्षण रिर्पोट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एंव देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखाप्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय- 8 के खण्ड-7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतुसम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्तअभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय- 8 के खण्ड-8 (क) के अनुसार "यदि दर्शायेगये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायीगयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्रामप्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशिरु0 25,63,908=00विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये है,जिसकाबिना व्यय प्रमानको के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती निधिद्विवेदी व ग्रा0पं0अधि0/ग्रा0वि0अधि0 व श्री सोमेन्द्र प्रताप अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप सेजिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज समेत किया जानाअपेक्षित है।

प्रस्तर -37-ग्राम पंचायत-साखिन रमुआपुर (वि०ख०-टडियावा)-धनराशि-रु०20,45,539-00

वर्ष 2021-22 की प्रिया साफट
के अनुसार रू० 20,45,53900विभिन्न माहो के विभिन्न तिथियो मे आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी दवारा लेखा परीक्षा मे उक्त से सम्बन्धित नि म्न अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है,जो कि महत्वपूर्ण था ।
राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजानिक सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम० बी० बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिर्पोट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पति पंजिका 14- चल सम्पति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16-मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र 22) आदि।
पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि

की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत के अर्न्तगत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

2-वर्ष 2021-22 की प्रिया साफट के अनुसार रू० 20,45,539-00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियो मे आहरित किये गये है जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आसिया बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री सतेन्द्रसिहं/संजय प्रताप व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि मे रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -38-ग्राम पंचायत-ओदरा तरी (वि०ख०-टडियावा)-धनराशि-रु०12,57,390-70

वर्ष 2021-22 की प्रिया साफट के अनुसार रू0 12,57,390-70 विभिन्न माहों के विभिन्न तिथियो मे अहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी दवारा लेखा परीक्षा मे उक्त से सम्बन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है,जो कि महत्व पूर्ण था ।

राजकीय ऋण पंजिका 2-कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3- आय व्यय अभिलेख 4- सार्वजानिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5- भण्डार सूची पंजिका 6- एजेन्डा रजिस्टर 7- एम० बी० बुक 8- स्टाक रजिस्टर 9-आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिर्पोट 10- सामकेतिक सार रजिस्टर 11- समाशोधन विवरण पत्र समाशोधन विवरण पत्र 12- प्राप्त एवं देय पंजिका 13- अचल सम्पति पंजिका 14- चल सम्पति पंजिका 15- मांग समाहारण पंजिका 16- मस्टर रोल मजदूरी पंजिका(रूप पत्र) आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता धारा -409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा।

2-वर्ष 2021-22 की प्रिया साफट के अनुसार रू0 12,57,390-70 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियो मे आहरित किये गये है जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरिओम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित पाण्डेय व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी लेखा परीक्षा के कार्य अवधि मे रहे हो संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर -39-ग्राम पंचायत-गौरी कोथावाँ **(वि०ख०-** कोथावाँ**)-धनराशि-रु०50,31,271.00**

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आॅफ वक्र्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाॅफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति

पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाॅफ्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में रु0 50,31,271.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री कृपाल सिंह व प्रधान श्री रविन्द्र कुमार सिंह से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर -40-ग्राम पंचायत-नगवाँ (वि०ख०-कोथावाँ)-धनराशि-रु०30,02,457.00

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी आॅफ वक्र्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाॅफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टाॅक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाॅफ्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में रु0 30,02,457.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री कृपाल सिंह व प्रधान श्रीमती जगरानी से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर -41-ग्राम पंचायत-उगपुर(वि०ख०-कोथावाँ)धनराशि-रु०28,28,778.00

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफवर्क्स , विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान

योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में रु0 28,28,778.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री कृपाल सिंह व प्रधान श्रीमती पार्वती से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर -42-ग्राम पंचायत-ऐमा(वि०ख०-कोथावाँ)धनराशि-रु० 6,20,325.00

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/बाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वक्र्स, विभिन्न समितियों जैसे -नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क (में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासॉफ्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में रु०**6,20,325.00** व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव **श्री कामता प्रसाद** व प्रधान **श्रीमती राम देवी** से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर -43-ग्राम पंचायत-मऊचैना(वि०ख०-संडीला)-धनराशि-रु०-5,05,915.00

1 .अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की

वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।
उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत मेंतत्कालीन सचिव द्वारा प्रस्तुत मूल रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष 2021-22राज्य वित्त आयोग में (रू०- 53.10 बैंक ब्याज घटाकर)रु० 1,91,580.00 वकेंद्रीय वित्त आयोग में(रू०- 53.10 बैंक ब्याज घटाकर)रु० 3,14,335.00 , (रू०1,91,580.00 + रू03,14,335.00) **कुलरू०- 5,05,915.00** व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव **श्री इकलाख सिद्दीकीव प्रधान श्रीमती कामनी मिश्रा**से किया जाना अपेक्षित है ।विवरण निम्नवत् है:-

(खाता प्रथम राज्य वित्त खाता नंबर 4102000100008316-पी0एन0बी0 सण्डीला)

क्र.सं.	दिनांक	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि
01.	02.06.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स प्रशासनिक	16340.00
02.	02.06.2021	अनुज ट्रेडर्स इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	35200.00
03.	19.07.2021	भगौती ट्रेडर्स डोगल बनवायी	2500.00
04.	07.09.2021	माधव इण्डस्ट्रीज आर0सी0सी0 पाइप क्रय	18900.00
05.	08.09.2021	कमलेश आर्ट्स	2000.00
06.	13.09.2021	मारूती नन्दन ट्रेडर्स एवं सप्लायर्स	10500.00
07.	27.11.2021	बसन्त साईकिल स्टोर ठेलिया क्रय	15000.00
08.	27.11.2021	बालाजी स्टूडियो एण्ड फोटोकापी	6790.00
09.	04.12.2021	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स हैण्डपम्प मरम्मत	24950.00
10.	04.12.2021	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स हैण्डपम्प मरम्मत	24900.00
11.	30.12.2021	जय बालाजी स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स	7500.00
12.	30.12.2021	कामिनी मिश्रा ग्राम प्रधान मानदेय जून 021 से नवम्बर 021 तक	21000.00
13.	12.01.2022	पंचायत सहायक मानदेय माह दिसम्बर 2021	6000.00
		योग	**1,91,580.00**
(केंद्रीय वित्तखाता नंबर 4102000100013058 - पी0एन0बी0 सण्डीला			
14.	05.07.2021	श्री सांई आजीविका महिला स्वयं सहायता समूह को शौचालय केयर टेकर भुगतान	27000.00
15.	19.07.2021	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स राम खेलावन के घर के पास	26530.00
16.	19.07.2021	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स	26375.00
17.	19.07.2021	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स सुरेश के घर के पास	26630.00
18.	19.07.2021	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स नहर पुलिया तक	26530.00
19.	21.10.2021	माताजी ट्रेडर्स	25150.00
20.	21.10.2021	माताजी ट्रेडर्स	25470.00
21.	21.10.2021	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स	5000.00
22.	04.11.2021	माताजी ट्रेडर्स हैण्डपम्प मरम्मत	22600.00

23.	11.02.2022	दवा घर मेडिकल स्टोर थर्मामीटर, पल्स आॅक्सीमीटर	1500.00
24.	11.02.2022	ऊमा ब्रिक सप्लायर्स एण्ड कान्टेक्टर डस्टबिन क्रय	2800.00
25.	11.02.2022	अनिल अलमारी एण्ड फर्नीचर पंचायत भवन हेतु	50400.00
26.	19.03.2022	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स सामुदायिक शौचालय में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवायी	48350.00
		योग	**3,14,335.00**

प्रस्तर -44-ग्राम पंचायत-टिकरा बरार(वि०ख०- संडीला **)-धनराशि-रु०9,62,646.00**

1. अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत **टिकरा बरार** में तत्कालीन सचिव द्वारा प्रस्तुत मूल रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष 2021-22राज्य वित्त आयोग में (रू0- 53.10 बैंक ब्याज घटाकर)रु0 3,95,275.00 वकेंद्रीय वित्त आयोग में(रू0- 53.10 बैंक ब्याज घटाकर)रु0 5,75,261.00 , (रू0 3,87,385.00 + रू0 5,75,261.00) **कुलरू0 9,62,646.00**व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री इकलाख सिद्दीकीव प्रधान श्रीमती सबरीना से किया जाना अपेक्षित है ।विवरण निम्नवत् है:-

(खाता प्रथम राज्य वित्त खाता नंबर 410200010008501- पी0एन0बी0 सण्डीला

क्र.सं.	- दिनांक	कार्य का विवरण -व्यय धनराशि
1	05.07.2021	सीमेन्ट पाइप सेन्टर हैण्डपम्प सामग्री भुगतान- 23540.00
2	15.07.2021	सीमेन्टपाईप स्टोर को भुगतान -14000.00
3	15.07.2021	सीमेन्ट पाइप सेन्टर हैण्डपम्प सामग्री भुगतान - 10900.00
4	30.07.2021	सीमेन्ट पाइप सेन्टर हैण्डपम्प सामग्री भुगतान- 20030.00
5	30.07.2021	सीमेन्ट पाइप सेन्टर हैण्डपम्प सामग्री भुगतान- 10270.00
6	30.07.2021	सीमेन्ट पाइप सेन्टर हैण्डपम्प सामग्री भुगतान- 17280.00
7	30.07.2021	हैण्डपम्प बनवायी भुगतान - 12000.00
8	23.0.2021	सीमेन्ट पाईप स्टोर को भुगतान हैण्डपम्प सामग्री -8700.00
9	23.08.2021	सीमेन्ट पाईप स्टोर को भुगतान हैण्डपम्प सामग्री -5300.00
10	23.08.2021	हैण्डपम्प मिस्त्री भुगतान हैण्डपम्प बनवायी -2800.00
11	06.09.2021	कमलेश आटर्स बूथ वाल पेन्टिंग -3000.00
12	07.09.2021	मारूती नन्दन ट्रेडर्स एवं सप्लायर्स -10500.00
13	26.10.2021	मेसर्स अनुज ट्रेडर्स हैण्डपम्प मरम्मत - 49900.00
14	26.10.2021	सीमेन्ट पाईप स्टोर हैण्डपम्प रिबोर -26680.00
15	26.10.2021	सीमेन्ट पाईप स्टोर हैण्डपम्प मरम्मत - 49800.00

16	26.10.2021	मेसर्स अनुज ट्रेडर्स हैण्डपम्प रिबोर -26685.00
17	27.11.2021	श्री बालाजी स्टूडियो एण्ड फोटोकापी - 7890.00
18	30.12.2021	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स - 24960.00
19	31.12.2021	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स - 7500.00
20	12.01.2022	मो0 आशिक पंचायत सहायक मानदेय माह दिसम्बर 2021 - 6000.00
21	04.02.2022	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स- 49650.00
योग	**3,87,385.00**	

(केंद्रीय वित्त खाता नंबर 4102000100131021 - पी0एन0बी0 सण्डीला

क्र.सं.	दिनांक	कार्य का विवरण व्यय धनराशि
1	05.07.2021	स्वयं सहायता समूह को भुगतान शौचालय केयरटेकर हेतु - 27000.00
2	06.10.2021	सीमेन्ट पाईप स्टोर को सामग्री भुगतान शौचालय सामुदायिक-42000.00
3	06.10.2021	सागर इलेक्ट्रानिक को भुगतान - 9915.00
4	06.10.2021	कमल टिम्बर हाऊस - 23318.00
5	06.10.2021	मो0 कमाल राजगीर - 12450.00
6	06.10.2021	कमल टिम्बर हाऊस सामग्री भुगतान - 101506.00
7	06.10.2021	कमल टिम्बर हाऊस शौचालय सामग्री भुगतान- 74902.00
8	18.10.2021	मो0 नसीम राजगीर भुगतान शौचालय निर्माण- 12450.00
9	18.10.2021	मो0 फरहाज राजगीर को भुगतान -12865.00
10	09.11.2021	वसीम ब्रिक फील्ड भन्नन के घर से रामसिंह के घर तक आर0सी0सी0एवं नाली मरम्मत कार्य - 14605.00
11	09.11.2021	कमल टिम्बर हाऊस को भुगतान आर0सी0सी0 एवं नाली मरम्मत कार्य- 138158.00
12	04.02.2021	आर0सी0सी0 पाईप क्रय -28000.00
13	04.02.2021	आर0सी0सी0 पाईप क्रय -27000.00
14	14.02.2022	उमा ब्रिक सप्लायर्स एण्ड कान्ट्रेक्टर पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर-1500.00
15	14.02.2022	दवाघर मेडिकल स्टोर डस्टबिन क्रय - 2800.00
16	15.02.2022	मस्टर रोल भन्नन के घर से रामसिंह के घर तक सी0सी0 नाली मरम्मतकार्य - 46792.00
योग	**5,75,261.00**	

प्रस्तर -45-ग्राम पंचायत-अटवा डांडा(वि०ख०- संडीला **)-धनराशि-**रु०**12,42,727.00**

1. अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की

सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत **अटवा डाँडा**मेंतत्कालीन सचिव द्वारा प्रस्तुत मूल रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष 2021-22राज्य वित्त आयोग में (रू०-53.10 बैंक ब्याज घटाकर)रु० 5,83,212.00 वकेंद्रीय वित्त आयोग में(रू०- 53.10 बैंक ब्याज घटाकर)रु० 6,59,515.00 , (रू०5,83,212.00 + रू०6,59,515.00) **कुलरू० 12,42,727.00** व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री इकलाख सिद्दीकीव प्रधान श्रीमती सबरीना से किया जाना अपेक्षित है ।विवरण निम्नवत् है:-

(खाता प्रथम राज्य वित्त खाता नंबर 4102000100008246- पी0एन0बी0 सण्डीला)

क्र.सं.	दिनांक	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि
01.	02.06.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स को भुगतान प्रशासनिक 2020-21 का अवशेष भुगतान	14680.00
02.	02.06.2021	अनुज ट्रेडर्स इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत मय मजदूरी	49620.00
03.	21.07.2021	भगौती ट्रेडर्स ग्राम प्रधान डोगल बनवायी भुगतान	2500.00
04.	21.07.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स है0प0 सामग्री मजदूरी भुगतान	49100.00
05.	05.08.2021	रूचि इण्टरप्राइजेज हेतु विद्युत सामग्री भुगतान सामुदायिक शौचालय	11960.00
06.	07.08.2021	माताजी ट्रेडर्स सी0मौ0बालू नाली खड़न्जा डामर रोड से जगन्नाथ के गोडा तक	29790.00
07.	24.08.2021	कनौजिया ब्रिक फील्ड	26460.00
08.	24.08.2021	शिवनन्दल काटेज माली खेड़ा	4605.00
09.	24.08.2021	मस्टर रोल भुगतान नाली खड़न्जा डामर रोड से जगन्नाथ के घर तक	45972.00
10.	04.09.2021	कमलेश आर्टस प्रशासनिक	5000.00
11.	04.09.2021	मारूती नन्दन कोविड 19 जागरूकता अभियान वाल पेंटिंग	10500.00
12.	06.09.2021	मारूति नन्दन एण्ड ट्रेडर्स सफाई ठेलिया क्रय	22000.00
13.	13.09.2021	कमलेश आर्ट्स	5000.00
14.	22.10.2021	माधव इण्डस्ट्रीज आर0सी0 सी0 पाइप क्रय	31500.00
15.	03.12.2021	श्री सुरेश कुमार ग्राम मानदेय भुगतान जुलाई 2021 से नवम्बर 2021	17500.00
16.	03.12.2021	श्री बालाजी स्टूडियो एण्ड फोटोग्राफी	5560.00
17.	12.01.2022	पंचायत सहायक मानदेय माह दिसम्बर 2021 विकाश कुमार	6000.00

18.	29.01.2022	अनिल अलमारी एण्ड फर्नीचर को भुगतान	50400.00
19.	10.02.2021	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स है0प0 सामग्री	24600.00
20.	19.02.2021	राज किशोर पंचायत भवन राजगीर भुगतान	20300.00
21.	19.02.2021	सुरेश कुमार राजगीर भुगतान पंचायत भवन	29600.00
22.	17.03.2022	अनुज ट्रेडर्स है0प0 रिबोर	26785.00
23.	17.03.2022	अनुज ट्रेडर्स है0प0 रिबोर	26860.00
24.	17.03.2022	मस्टर रोल खड़न्जा नाली निर्माण जमुना के घर से सन्तोष के घर तक	66920.00
		योग	**5,83,212.00**
(केंद्रीय वित्त खाता नंबर 4102000100131030 - पी0एन0बी0 सण्डीला)			
25.	05.07.2021	माँ चन्दन देवी स्वयं सहायता समूह को केयर टेकर शौचालय भुगतान	27000.00
26.	26.07.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स हैण्डपम्प रिबोर लक्षिमन के घर के पास	26880.00
27.	26.07.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स हैण्डपम्प रिबोर मूलचन्द्र के घर के पास	26880.00
28.	26.07.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स कमलेश कुमार के घर के पास	26880.00
29.	26.07.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स चन्दोपाल के घर के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिबोर	26860.00
30.	26.07.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स	26860.00
31.	05.08.2021	राजकिशोर पाण्डेय राजगीर मजदूरी भुगतान सामुदायिक शौचालय का अवशेष भुगतान	38500.00
32.	07.08.2021	कन्नौजिया ब्रिक फील्ड नाली खड़न्जा डामर रोड से जगन्नाथ के घर तक	135707.00
33.	01.10.2021	कनौजिया ब्रिक फील्ड खड़न्जा कार्य राजू के घर से तालाब तक	47760.00
34.	01.10.2021	मस्टर रोल भुगतान राजू के घर से तालाब तक	13942.00
35.	02.10.2021	शिवनन्दन कार्टेज राजू के घर से तालाब	4056.00
36.	02.10.2021	मस्टर रोल नाली निर्माण कन्हैया के घर से तालाब तक	12310.00
37.	02.10.2021	पाईप नाली कन्हैया के घर से तालाब तक	3150.00
38.	02.10.2021	कनौजिया ब्रिक फील्ड कन्हैया के घर से तालाब तक	24346.00
39.	06.10.2021	राजपूत ट्रेडर्स नाली कन्हैया के घर से तालाब तक सी0मौ0बालू	15471.00
40.	25.10.2021	अनुज ट्रेडर्स	37500.00
41.	25.10.2021	अनुज ट्रेडर्स	24830.00
41.	25.10.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स	36475.00

42.	26.10.2021	उमा ब्रिक सप्लायर्स एण्ड कांन्ट्रैक्टर डस्टबिन क्रय	1500.00
43.	14.02.2021	दवाघर मेडिकल स्टोर पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर	2800.00
44.	15.02.2022	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स पंचायत भवन टायल क्रय	99808.00
		योग	**6,59,515.00**

प्रस्तर -46-ग्राम पंचायत-उत्तरकोध(वि०ख०- संडीला **)-धनराशि-**रु०11,68,959.00

1. अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत मूल रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 राज्य वित्त आयोग में रु० 4,96,924.00 वकेंद्रीय वित्त आयोग में रु० 6,72,035.00 कुल रू० 11,68,959.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान **सचिव श्री इकलाख सिद्दीकीव प्रधान श्रीमती आरती**से किया जाना अपेक्षित है ।विवरण निम्नवत् है:-

(खाता प्रथम राज्य वित्त खाता नंबर 31577683692 - एस0बी0आई0 सण्डीला)

क्र.सं.	दिनांक	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि
01.	02.06.2021	मेसर्स अनुज ट्रेडर्स को भुगतान बाबत हैण्डपम्प मरम्मत	48450.00
02.	02.06.2021	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स प्रशासनिक	18500.00
03.	08.07.2021	मेसर्स अनुज ट्रेडर्स को भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत	49425.00
04.	27.07.2021	भगौती ट्रेडर्स डोगल बनवायी	2500.00
05.	24.0.2021	माधव इण्डस्ट्रीज आर0सी0सी0 पाईप क्रय	31500.00
06.	07.09.2021	मारूतीनन्दन ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स सफाई ठेलिया क्रय	22000.00
07.	07.09.2021	प्रा0पा0 में बूथ वाल पेन्टिंग भुगतान कमलेश आर्ट्स	5000.00
08.	07.09.2021	मारूतीनन्दन ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स वाल पेन्टिंग कोविड 19 महामारी बचाव सम्बन्धी	10500.00
09.	11.09.2021	कनौजिया ब्रिक फील्ड खड़न्जा कार्य गंगा के घर से रामेश्वर के घर तक	98232.00
10.	11.09.2021	मस्टर रोल भुगतान खड़न्जा गंगा के घर से रामेश्वर	31366.00
11.	11.09.2021	मिट्टी ढुलाई राजेन्द्र सिंह को भुगतान खड़न्जा गंगा के घर से रामेश्वर के घर तक	12540.00
12.	24.09.2021	इण्टरलांकिंग कार्य तोता के घर से बालक के घर तक	27694.00
13.	25.10.2021	मेसर्स अनुज ट्रेडर्स हैण्डपम्प रिबोर	26970.00
ग्राम पंचायत का नाम -उत्तरकोध			
14.	07.12.2021	राजेन्द्र सिंह काटेज तोता के घर सेवालक के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य	3042.00

15.	07.12.2021	हरिशचंद्र ट्रेडर्स	32396.00
16.	08.12.2021	कनौजिया ब्रीक फील्ड	39279.00
17.	20.12.2021	जय बालाजी स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स	6780.00
18.	12.01.2022	पंचायत सहायक मानदेय माह दिसम्बर	6000.00
19.	03.02.2022	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स प्रशासनिक	24750.00
		योग	**4,96,924.00**
(केंद्रीय वित्त खाता नंबर 39466606536 - एस0बी0आई0 सण्डीला)			
20.	23.07.2021	मेसर्स अनुज ट्रेडर्स हैण्डपम्प रिबोर मुन्ना एवं बैजनाथ के दरवाजे पर	26490.00
21.	23.07.2021	मेसर्स अनुज ट्रेडर्स हैण्डपम्प रिबोर जिन्दबाबा स्थान पर घूमना खेड़ा	26530.00
22.	23.07.2021	मेसर्स अनुज ट्रेडर्स हैण्डपम्प रिबोर गुड्डू शुक्ला के घर के पास	26490.00
23.	27.07.2021	एवन ट्रेडर्स नाली निर्माण तोता के घर से तालाब तक	19659.00
24.	27.07.2021	बरम बाबा स्वयं सहायता समूह केयर टेकर भुगतान	27000.00
25.	27.07.2021	मस्टर रोल भुगतान तोता के घर से तालाब तक	10535.00
26.	27.07.2021	मस्टर रोल भुगतान तोता के घर से तालाब तक पार्ट-2	8577.00
27.	28.07.2021	वसीम ब्रिक फील्ड नाली तोता के घर से तालाब तक पार्ट-1	32256.00
28.	28.07.2021	वसीम ब्रिक फील्ड नाली तोता के घर से तालाब तक पार्ट-2	25651.00
29.	28.07.2021	मेसर्स एवन ट्रेडर्स तोता के घर से तालाब तक	16103.00
30.	07.08.2021	साहिल सिंह काट्रेज इण्टरलाॅकिंग तोता के घर से मोहनलाल के घर तक	3948.00
31.	07.08.2021	वसीम ब्रिक फील्ड को भुगतान	32587.00
32.	07.08.2021	हरिश्चन्द्र ट्रेडर्स को भुगतान	14276.00
33.	07.08.2021	पाण्डे ट्रेडर्स को भुगतान	142500.00
34.	16.09.2021	हरिश्चन्द्र ट्रेडर्स तोता के घर से तालाब तक, मोहनलाल के घर तक	17215.00
35.	19.06.2021	मस्टर रोल भुगतान इण्टरलाॅकिंग तोता के घर से मोहनलाल के घर तक	28218.00
36.	25.10.2021	अनुज ट्रेडर्स हैण्डपम्प मरम्मत	49500.00
37.	25.10.2021	अनुज ट्रेडर्स हैण्डपम्प मरम्मत	24700.00
38.	24.01.2022	पाण्डे ट्रेडर्स इण्टरलाॅकिंग तोता के घर से बालक के घर तक	135500.00
39.	12.02.2022	दवाघर मेडिकल स्टोर पल्स आॅक्सीमीटर, थर्मामीटर	1500.00
40.	12.02.2022	उमा ब्रिक फील्ड एण्ड कान्टेªक्टर डस्टबिन क्रय	2800.00
		योग	**6,72,035.00**

प्रस्तर -47-ग्राम पंचायत-माँझगाँव(वि०ख०- संडीला **)-धनराशि-रु०17,54,366.00**

1.अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा

प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।
उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत मेंतत्कालीन सचिव द्वारा प्रस्तुत मूल रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष 2021-22राज्य वित्त आयोग में (रू०- 53.10 बैंक ब्याज घटाकर)रु० 8,53,197.00 वकेंद्रीय वित्त आयोग में(रू०- 53.10 बैंक ब्याज घटाकर)रु0 9,01,169.00, (रू०8,53,197.00 + रू०9,01,169.00) **कुलरू० 17,54,366.00** व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव **श्री इकलाख सिद्दीकीव प्रधान श्रीमती बिट्टन**से किया जाना अपेक्षित है ।विवरण निम्नवत् है:-

(खाता प्रथम राज्य वित्त खाता नंबर 410200010008316- पी0एन0बी0 सण्डीला)

क्र.सं.	दिनांक	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि
01.	28.06.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स हे0प0 रिबोर बरम माबा देवस्थान पर माझगांव	26480.00
02.	28.06.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स गुड्डू के घर के पास शिवदीन खेड़ा	26590.00
03.	28.06.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स शिवलाल के दरवाजे पर ग्राम कोपली खेड़ा में	26480.00
04.	28.06.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स रामचन्द्र के घर के पास सैदपुर	26590.00
05.	28.06.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स है0प0 रिबोर विशुन दयाल के घर के पास सैदपुर	26590.00
06.	27.07.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स है0प0 रिबोर जगदम्भा के घर के पास बगवास	26480.00
07.	28.07.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स है0प0 रिबोर सैदापुर राजू के घर के पास	26630.00
08.	28.07.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स है0प0 रिबोर	26480.00
09.	31.07.2021	बैंक सर्विस चार्ज	-
10.	24.08.2021	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स इण्डिया मार्का है0प0 मर0 सामाशी एवं मजदूरी भुगतान	49450.00
11.	03.09.2021	कमलेश आर्टस पंचायत भवन वाल पेण्टिंग एवं मुख्यमंत्री आवास योजना प्रचार प्रसार	7000.00
12.	03.09.2021	मारूती नन्दन ट्रेडर्स एवं सप्लायर्स कोविड 19 स्लोगन प्रचार प्रसार	10500.00
13.	22.10.2021	मेसर्स अनुज ट्रेडर्स है0प0 मरम्मत एवं मजदूरी भुगतान	24750.00
14.	22.10.2021	मेसर्स अनुज ट्रेडर्स है0प0 रिबोर साहबदास के घर के पास नया खेड़ा	26780.00
15.	25.10.2021	वसीम ब्रिक फील्ड बाबत इण्टरलाॅकिंग कार्य मुन्ना के घर से लल्लू के घर तक 14 ग 3ण्30	26733.00

16.	25.10.2021	बद्री विशाल ट्रेडिंग कम्पनी सण्डीला हरदोई	93750.00
17.	25.10.2021	मा0रोल भुगतान इण्टरलाॅकिंग नाली मन्ना के घर से लल्लू के घर तक	29148.00
18.	25.10.2021	अरूण कुमारशेष	2100.00
19.	26.11.2021	हरिश्चन्द्र ट्रेडर्स इण्टर लाॅकिंग नाली मन्ना के घर से लल्लू के घर तक	37655.00
20.	27.11.2021	बालाजी ट्रेडर्स प्रशासनिक	6530.00
21.	30.11.2021	ग्राम प्रधान मानदेय जून 2021 से अक्टूबर 2021 तक 5 माह	17500.00
22.	05.01.2022	बैंक सर्विस चार्ज	-
23.	12.01.2022	रूचि यादव पंचायत सहायक मानदेय माह दिसम्बर 2021	6000.00
24.	19.01.2022	हरिश्चन्द्र टेªडर्स प्रा0पा0 बगवारा नालीकरण	26644.00
25.	19.01.2022	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स प्रा0पा0 बगवारा	74646.00
26.	01.02.2022	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स है0प0 सामग्री	49550.00
27.	21.02.2022	मस्टर रोल भुगतान प्रा0पा0 बगवास टायलीकरण पार्ट-।।	24026.00
28.	17.03.2022	कमलेश आट्र्स	27000.00
29.	17.03.2022	कमलेश आट्र्स	8000.00
30.	17.03.2022	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स	26885.00
31.	19.03.2022	श्री बालाजी एण्ड फोटोकापी	16700.00
32.	21.03.2022	एस0एस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स	49530.00
		योग	**8,53,197.00**
(केंद्रीय वित्त खाता नंबर 4102000100013058 - पी0एन0बी0 सण्डीला)			
01.	05.07.2021	बैंक सर्विस चार्ज	-
02.	12.07.2021	आराध्या महिला स्वयं सहायता समूह शौचालय केयरटेकर हेतु	27000.00
03.	13.09.2021	पाण्डे ट्रेडर्स इण्टरलाॅकिंग नाली सुरेश के घर से डामर रोड तक	135000.00
04.	13.09.2021	माताजी ट्रेडर्स	32550.00
05.	13.09.2021	वसीम ब्रिक फील्ड	36472.00
06.	15.09.2021	म0रो0 भुगतान इण्टरलाॅकिंग नाली सुरेश के घर से डामर रोड तक	27680.00
07.	15.09.2021	माताजी ट्रेडर्स इण्टरलाॅकिंग नाली कल्लू के घर से सुरेश के घर तक	35336.00
08.	15.09.2021	वसीम ब्रिक फील्ड	40972.00
09.	15.09.2021	पाण्डे ट्रेडर्स	130400.00
10.	06.10.2021	मस्टर रोल भुगतान कल्लू के घर से सुरेश के घर तक	27480.00
11.	06.10.2021	बैंक सर्विस चार्ज	-
12.	25.10.2021	अरूण कुमार कार्टेज सियाराम के घर से शिवलाल के घर तक	1050.00

13.	25.10.2021	बद्री विशाल ट्रेडिंग कम्पनी	45000.00
14.	25.10.2021	मस्टर रोल भुगतान इण्टरलाॅकिंग सियाराम के घर से शिवलाल के घर तक	12441.00
15.	25.10.2021	वसीम ब्रिक फील्ड	13219.00
16.	26.10.2021	हरिश्चन्द्र ट्रेडर्स	10818.00
17.	30.10.2021	अरूण कुमार कार्टेज इण्टरलाॅकिंग सुरेश के घर से डामर रोड तक	3718.00
18.	30.10.2021	अरूण कुमार कार्टेज इण्टरलाॅकिंग कल्लू के घर से सुरेश के घर तक	3211.00
19.	30.10.2021	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स	143289.00
20.	05.01.2022	बैंक सर्विस चार्ज	-
21.	19.01.2022	माताजी ट्रेडर्स प्रा0पा0 बगवारा	57686.00
22.	19.01.2022	मस्टर रोल भुगतान प्रा0पा0 बगवारा पार्ट 1 टायलीकरण	46869.00
23.	31.01.2022	अनिल अलमारी एवं फर्नीचर क्रय	50400.00
24.	31.01.2022	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स	14778.00
25.	11.02.2022	उमा ब्रीक फील्ड एंव सप्लायर्स	3000.00
26.	11.02.2022	दवा धर मेडिकल स्टोर थर्मामीटर पल्स आक्सीमीटर	2800.00
		योग	**9,01,169.00**

प्रस्तर -48-ग्राम पंचायत-पहतोईया (वि०ख०-संडीला)धनराशि-रु०6,35,064.00

1. अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों की सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत मूल रोकड़ बही तथा बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार वर्ष 2021-22राज्य वित्त आयोग में रु0 3,83,197.00 वकेंद्रीय वित्त आयोग में रु0 2,51,930.00 कुल रू0 6,35,064.00 व्यय दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अयतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि वर्तमान सचिव श्री इकलाख सिद्दीकीव प्रधान श्रीमती बिट्टनसे किया जाना अपेक्षित है ।विवरण निम्नवत् है:-

(केंद्रीय वित्तखाता नंबर 4102000100130891- पी0एन0बी0 सण्डीला)

क्र.सं.	दिनांक	कार्य का विवरण	व्यय धनराशि
01.	23.08.2021	स्वयं सहायता समूह को भुगतान शौचालय केयर टेकर	27000.00
02.	04.10.2021	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स सामुदायिक शौचालय भुगतान	103010.00

03.	04.10.2021	सागर इलेक्ट्रानिक	10000.00
04.	04.10.2021	राकेश कुमार लोधी राजगीर का भुगतान	47725.00
05.	04.10.2021	अन्सारी ट्रेडर्स	9557.00
06.	29.01.2022	यस0यस0 स्टूडियो एण्ड ट्रेडर्स सामुदायिक प्रा0पा0 पहतोइया टायलीकरण	172260.00
07.	31.01.2022	वसीम ब्रिक फील्ड प्रा0पा0 पहतोइया टायलीकरण	9282.00
08.	14.02.2022	दवा घर मेडिकल स्टोर पल्स, आॅक्सीमीटर, थर्मामीटर	2800.00
09.	14.02.2022	उमा ब्रिक सप्लायर्स एण्ड कान्ट्रैक्टर डस्टबिन क्रय	1500.00
		योग	**383134.00**
(खाता प्रथम राज्य वित्त खाता नंबर 4102000100107158- पी0एन0बी0सण्डीला)			
10.	09.07.2022	मेसर्स अनुज ट्रेडर्स है0प0 सामग्री एवं मजदूरी भुगतान	24650.00
11.	09.07.2022	मारूतीनन्दन ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स सफाई ठेलिया	22000.00
12.	23.08.2021	आराध्या ग्रुप डोगल बनवायी	2500.00
13.	23.08.2021	अनुज ट्रेडर्स हैण्डपम्प सामग्री एवं मजदूरी भुगतान	24840.00
14.	23.08.2021	माधव इण्डस्ट्रीज आर0सी0सी0 पाइप क्रय	32300.00
15.	03.09.2021	मारूती नन्दन ट्रेडर्स कोविड 19 स्लोगन प्रचार प्रसार	10500.00
16.	03.09.2021	कमलेश आर्ट्स प्रा0पा0 बूथ वाल पेन्टिंग	3000.00
18.	27.10.2021	अनुज ट्रेडर्स है0प0 रिबोर	26870.00
19.	27.10.2021	अनुज ट्रेडर्स है0प0 मरम्मत	24940.00
20.	03.12.2021	श्री बालाजी स्टूडियो एण्ड फोटोकापी	6430.00
21.	03.12.2021	राकेश कुमार लोधी मानदेय जून 2021 से अक्टूबर 2021 तक 5 माह /5500 ग्राम प्रधान	17500.00
22.	12.01.2022	पंचायत सहायक मानदेय माह दिसम्बर 2021	6000.00
23.	29.01.2022	अनिल अलमारी एवं फर्नीचर को भुगतान पंचायत भवन हेतु	50400.00
		योग	**251930.00**

प्रस्तर -49- ग्राम पंचायत सुहेड़ी (वि०ख० -बावन) धनराशि - रु० 7,58,824=00

वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत सुहेडी की लेखा परीक्षा के दौरान स्थिति प्रकाश में आयी कि वर्ष 2021-22 की ई-ग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु० 7,58,824=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे। यथा -

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पंत्र 3. आय व्यय अभिलेख व कोषबही 4. सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिर्पोट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एंव देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल

सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय- 8 के खण्ड-7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय- 8 के खण्ड-8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से समान रूप से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 7,58,824=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये है, जिसका बिना व्यय प्रमानको के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मनप्रीत कौर , ग्रा०पं०अधि०/ग्रा०वि०अधि०श्री लक्ष्मी नारायन व अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से मय ब्याज के किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-50-ग्राम पंचायत गंगौली वि०ख० -बावन धनराशि - रु० 23,12,098=00

वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत गंगौली की लेखा परीक्षा के दौरान स्थिति प्रकाश में आयी कि वर्ष 2021-22 की ई-ग्राम स्वराज/ प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रु० 23,12,098=00 विभिन्न माह के विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है जो कि महत्वपूर्ण थे। यथा -

1.राजकीय ऋण पंजिका 2. कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पंत्र 3. आय व्यय अभिलेख व कोषबही 4. सार्वजनिक कार्यो का मानचित्र पंजिका 5. भण्डार सूची पंजिका 6. एजेण्डा रजिस्टर 7. एम0बी0 बुक 8. स्टाक रजिस्टर 9. आन्तरिक सम्प्रेक्षण रिर्पोट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11. समाशोधन विवरण पत्र 12. प्राप्त एंव देय पंजिका 13. अचल सम्पत्ति पंजिका 14. चल सम्पत्ति पंजिका 15. मॉग समाहरण पंजिका 16. मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र, 22) आदि।

पंचायती राज विभाग उ० प्र० द्वारा निर्गत एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मनुअल अध्याय- 8 के खण्ड-7 "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" तथा अध्याय- 8 के खण्ड-8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान तथा तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत से समान रूप से की जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 में व्यय की गयी कुल धनराशि रु० 23,12,098=00 विभिन्न माह

के विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये है , जिसका बिना व्यय प्रमानको के अपहरण हेतु तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राधा सिंह व ग्रा०पं०अधि०/ग्रा०वि०अधि०श्री गणेश शुक्ला अन्य सम्बन्धित कार्मिक जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हो, सयुक्त रूप से जिम्मेदार है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से मय ब्याज के किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-51-ग्राम पंचायत महुराकला वि०ख० -सुरसा धनराशि - रु० 17,40,114=00

वर्ष 2021-22 में विकास खंड सुरसा की ग्राम पंचायत महुराकला में प्रियासाफ्ट के अनुसार रु.17,40,114=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित कर व्यय किये गये है।ग्राम पंचायत अधिकारी /ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बंधित निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये ,जो कि महत्वपूर्ण थे –

1.राजकीय ऋण पंजिका 2.कार्यपूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र 3.आय-व्यय अभिलेख 4.सार्वजनिक कार्यों का मानचित्र पंजिका 5.भंडार सूची पंजिका 6.एजेंडा रजिस्टर 7.एम.बी.बुक 8.स्टॉक रजिस्टर 9.आंतरिक संप्रेक्षण रिपोर्ट 10.सामकेतिक सार रजिस्टर 11.समाशोधन विवरण पत्र 12.प्राप्त एवं देय पंजिका 13.अचल सम्पत्ति पंजिका 14.चल सम्पत्ति पंजिका 15.मांग समाहरण पंजिका 16.मस्टर रोल मजदूरी पंजिका (रूप पत्र -22) आदि ।

पंचायती राज विभाग उ.प्र.द्वारा निर्गत वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खंड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली तत्कालीन सम्बंधित ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी ।

इस प्रकार वर्ष 2021-22 के अनुसार रु. 17,40,114=00 विभिन्न माह की विभिन्न तिथियों में आहरित किये गये हैं,जिसका अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी व ग्रा.पं.अधि./ग्रा.वि.अधि.श्री संजय प्रताप सिंह/सत्येन्द्र सिंह व अन्य सम्बंधित कार्मिक, जो भी उक्त अवधि में कार्यरत रहे हों,संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं ,जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से किया जाना अपेक्षित है ।

जनपद – लखीमपुर–खीरी
ग्राम पंचायत आपत्तियाँ

ग्राम पंचायत – सनिगवां **विकास खण्ड – बेहजम** **जनपद – लखीमपुर–खीरी**

प्र०सं०–01– ग्राम पंचायत **सनिगवां** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	29-07-2021	46500.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2-	29-07-2021	16040.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
3-	29-11-2021	12030.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
4-	06-03-2022	42360.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
5-	06-03-2022	4040.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
6-	27-01-2021	79566.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
7-	27-01-2021	75540.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
8-	27-01-2021	41920.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
	योग –	**317996.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **317996.00** में से 50% रू० **158998.00** ग्राम प्रधान **श्री अम्बिका प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **158998.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री दिलीप गुप्ता** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–02– ग्राम पंचायत **सनिगवां** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	10-10-2021	16382.00	नाली मरम्मत/निर्माण कार्य
2-	10-10-2021	65247.00	नाली मरम्मत/निर्माण कार्य
3-	12-10-2021	28059.00	नाली मरम्मत/निर्माण कार्य

4-	26-01-2022	85705.00	नाली मरम्मत/निर्माण कार्य
5-	26-01-2022	68768.00	नाली मरम्मत/निर्माण कार्य
6-	30-01-2022	67052.00	नाली मरम्मत/निर्माण कार्य
	योग –	**331213.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **331213.00** में से 50% रू० **165606.50** ग्राम प्रधान **श्री अम्बिका प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **165606.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री दिलीप गुप्ता** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -02

प्र०सं०–03– ग्राम पंचायत **सनिगवां** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	20-11-2021	17489.00	ईंट रोड़ा क्रय
2-	20-11-2021	76922.00	डोर, सीमेन्ट, मौरंग क्रय
3-	20-11-2021	28581.00	पेन्टिंग वर्क
4-	20-11-2021	38595.00	टाइल्स व हार्डवेयर
5-	20-11-2021	71716.00	लेबर
6-	23-12-2021	18084.00	मिट्टी पटाई कार्य
7-	26-03-2022	13492.00	लाइट फिटिंग कार्य
	योग –	**264879.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क

युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **264879.00** में से 50% रू० **132439.50** ग्राम प्रधान **श्री अम्बिका प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **132439.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री दिलीप गुप्ता** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–04– ग्राम पंचायत **सनिगवां** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	13-08-2021	8430.00	फोटो कापी
2-	20-11-2021	3257.00	टेण्डर प्रकाशन
3-	21-01-2022	59900.00	कम्प्यूटर, प्रिन्टर
4-	21-01-2022	51000.00	अलमारी, दरा, टेबिल
5-	06-03-2022	9320.00	फोटो कापी
6-	26-03-2022	4000.00	जी०एस०टी० बनवाई
	योग –	**135907.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **135907.00** में से 50% रू० **67953.50** ग्राम प्रधान **श्री अम्बिका प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **67953.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री दिलीप गुप्ता** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्र०सं०–05– ग्राम पंचायत **सनिगवां** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	13-08-2021	34800.00	ठेला क्रय
	योग –	**34800.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **34800.00** में से 50% रू० **17400.00** ग्राम प्रधान **श्री अम्बिका प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **17400.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री दिलीप गुप्ता** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पिपरीकलां विकास खण्ड – बेहजम जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–06– ग्राम पंचायत **पिपरीकलां** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	08-09-2021	34326.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	08-09-2021	12928.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	29-10-2021	3680.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	30-10-2021	38308.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	09-12-2021	36161.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
6-	09-12-2021	13736.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
7-	30-10-2021	19240.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
8-	30-10-2021	38308.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**196687.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–

207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **196687.00** में से 50% रू० **98343.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती उमा देवी** से तथा शेष 50% रू० **98343.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–07– ग्राम पंचायत **पिपरीकलां** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	29-10-2021	21122.00	मुन्ना के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य
2-	29-10-2021	15200.00	मुन्ना के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य
3-	29-10-2021	27798.00	मुन्ना के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य
4-	12-03-2022	11803.00	अनिल के घर से रामगोपाल के घर तक नाली निर्माण कार्य
5-	12-03-2022	14694.00	अनिल के घर से रामगोपाल के घर तक नाली निर्माण कार्य
6-	12-03-2022	7294.00	अनिल के घर से रामगोपाल के घर तक नाली निर्माण कार्य
	योग –	**97911.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं

कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **97911.00** में से 50% रू० **48955.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती उमा देवी** से तथा शेष 50% रू० **48955.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–08– ग्राम पंचायत **पिपरीकलां** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सफाई कार्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	14-12-2021	19152.00	सफाई हेतु सैनिटाइजर क्रय
	योग –	**19152.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सफाई कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **19152.00** में से 50% रू० **9576.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती उमा देवी** से तथा शेष 50% रू० **9576.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–09– ग्राम पंचायत **पिपरीकलां** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	08-09-2021	7960.00	फोटोकापी
2-	08-09-2021	5450.00	फोटो कापी
3-	09-09-2021	1520.00	टेण्डर भुगतान
4-	28-12-2021	2540.00	कम्प्यूटर कार्य
5-	12-03-2022	2574.00	कार्य योजना फीडिंग
	योग –	**20044.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **20044.00** में से 50% रू० **10022.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती उमा देवी** से तथा शेष 50% रू० **10022.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

ग्राम पंचायत – पिपराछींट विकास खण्ड – बेहजम जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–10– ग्राम पंचायत **पिपराछींट** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	29-06-2021	49340.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	08-07-2021	12832.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	20-08-2021	25488.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	20-08-2021	8020.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	20-10-2021	12537.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
6-	30-12-2021	36669.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
7-	16-01-2022	12120.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
8-	18-02-2022	44674.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
9-	18-02-2022	13642.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
10-	18-02-2022	34275.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
11-	11-03-2022	92300.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
12-	11-03-2022	25102.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
13-	11-03-2022	74940.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**441939.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की

एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **441939.00** में से 50% रू० **220969.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती अंजनी वर्मा** से तथा शेष 50% रू० **220969.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिल कुमार सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–11– ग्राम पंचायत **पिपराछींट** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	06-08-2021	89562.00	हयूम पाइप क्रय
	योग –	**89562.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **89562.00** में से 50% रू० **44781.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अंजनी वर्मा** से तथा शेष 50% रू० **44781.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिल कुमार सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–12– ग्राम पंचायत **पिपराछींट** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	10-10-2021	2412.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
2-	11-10-2021	3819.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
3-	11-10-2021	2814.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
	योग –	**9045.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **9045.00** में से 50% रू० **4522.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती अंजनी वर्मा** से तथा शेष 50% रू० **4522.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिल कुमार सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–13– ग्राम पंचायत **पिपराछींट** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	15-07-2022	25548.00	राजकिशोर के घर से विकास के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
2-	15-07-2022	20553.00	राजकिशोर के घर से विकास के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
3-	15-07-2022	37423.00	राजकिशोर के घर से विकास के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
4-	15-07-2022	122661.00	राजकिशोर के घर से विकास के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
5-	15-07-2022	38028.00	राजकिशोर के घर से विकास के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
6-	15-07-2022	129280.00	डामर रोड से राजकिशोर के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
7-	15-07-2022	45493.00	डामर रोड से राजकिशोर के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
8-	15-07-2022	37311.00	डामर रोड से राजकिशोर के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
9-	15-07-2022	37212.00	डामर रोड से राजकिशोर के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
	योग –	**493509.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **493509.00** में से 50% रू० **246754.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती अंजनी वर्मा** से तथा शेष 50% रू० **246754.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिल कुमार सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–14– ग्राम पंचायत **पिपराछींट** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	29-06-2021	9961.00	स्टेशनरी व फोटो कापी
2-	17-01-2022	13001.00	स्टेशनरी व फोटो कापी
	योग –	**22962.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत

सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **22962.00** में से 50% रू० **11481.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अंजनी वर्मा** से तथा शेष 50% रू० **11481.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिल कुमार सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–15– ग्राम पंचायत **पिपराछींट** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	17-07-2021	19936.00	ठेला क्रय
	योग –	**19936.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **19936.00** में से 50% रू० **9968.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अंजनी वर्मा** से तथा शेष 50% रू० **9968.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिल कुमार सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

ग्राम पंचायत – बिल्लाई विकास खण्ड – बेहजम जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–16– ग्राम पंचायत **बिल्लाई** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	25-05-2021	16040.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	06-07-2021	15222.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	06-07-2021	15645.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	06-07-2021	12864.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	20-10-2021	20867.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
6-	20-10-2021	8080.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
7-	31-12-2021	48953.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
8-	22-03-2022	48953.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
9-	25-05-2021	41952.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
10-	25-05-2021	12549.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
11-	25-05-2021	32499.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य

12-	17-11-2021	61534.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
13-	17-11-2021	15414.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
14-	17-11-2021	49884.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
15-	17-01-2022	15836.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
16-	17-01-2022	4183.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
17-	17-01-2022	12468.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**432943.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **432943.00** में से 50% रू० **216471.50** ग्राम प्रधान **श्री इन्द्र पाल सिंह** से तथा शेष 50% रू० **216471.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिल कुमार सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–17– ग्राम पंचायत **बिल्लाई** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	12-07-2021	73150.00	हयूम पाइप क्रय
2-	01-10-2021	24799.00	हयूम पाइप क्रय
	योग –	**97949.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र

(नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **97949.00** में से 50% रू० **48974.50** ग्राम प्रधान **श्री इन्द्र पाल सिंह** से तथा शेष 50% रू० **48974.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिल कुमार सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -02

प्र०सं०–18– ग्राम पंचायत **बिल्लाई** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	30-12-2021	21719.00	रामसागर के घर से बाग तक नाली निर्माण कार्य
2-	30-12-2021	16019.00	रामसागर के घर से बाग तक नाली निर्माण कार्य
3-	30-12-2021	11392.00	रामसागर के घर से बाग तक नाली निर्माण कार्य
4-	11-02-2022	18149.00	शिवकुमार के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य
5-	11-02-2022	14174.00	शिवकुमार के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य
6-	11-02-2022	9820.00	शिवकुमार के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य
7-	11-02-2022	26042.00	कैलाश दीक्षित के घर से पुरानी नाली तक नाली निर्माण कार्य
8-	11-02-2022	23216.00	कैलाश दीक्षित के घर से पुरानी नाली तक नाली निर्माण कार्य
9-	11-02-2022	14320.00	कैलाश दीक्षित के घर से पुरानी नाली तक नाली निर्माण कार्य
	योग –	**154851.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा

ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **154851.00** में से 50% रू० **77425.50** ग्राम प्रधान **श्री इन्द्र पाल सिंह** से तथा शेष 50% रू० **77425.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिल कुमार सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–19– ग्राम पंचायत **बिल्लाई** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	03-07-2021	61204.00	खडन्जा निर्माण कार्य
2-	03-07-2021	4130.00	खडन्जा निर्माण कार्य
3-	03-07-2021	22492.00	खडन्जा निर्माण कार्य
4-	03-07-2021	141480.00	खडन्जा निर्माण कार्य
5-	03-07-2021	9440.00	खडन्जा निर्माण कार्य
6-	03-07-2021	52711.00	खडन्जा निर्माण कार्य
	योग –	**291457.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **291457.00** में से 50% रू० **145728.50** ग्राम प्रधान **श्री इन्द्र पाल सिंह** से तथा शेष 50% रू० **145728.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिल कुमार सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–20– ग्राम पंचायत **बिल्लाई** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	15-06-2021	5990.00	स्टेशनरी व फोटो कापी

2-	17-06-2021	10994.00	स्टेशनरी व फोटो कापी
3-	25-07-2021	3150.00	टेण्डर प्रकाशन
4-	20-10-2021	5310.00	स्टेशनरी व फोटो कापी
5-	08-02-2022	19950.00	फर्नीचर क्रय
	योग –	**45394.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **45394.00** में से 50% रू० **22697.00** ग्राम प्रधान **श्री इन्द्र पाल सिंह** से तथा शेष 50% रू० **22697.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिल कुमार सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–21– ग्राम पंचायत **बिल्लाई** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	22-03-2022	23010.00	ठेला क्रय
	योग –	**23010.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया

प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **23010.00** में से 50% रू० **11505.00** ग्राम प्रधान **श्री इन्द्र पाल सिंह** से तथा शेष 50% रू० **11505.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अनिल कुमार सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

ग्राम पंचायत – भूलनपुर **विकास खण्ड – बेहजम** **जनपद – लखीमपुर–खीरी**

प्र०सं०–22– ग्राम पंचायत **भूलनपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	24-05-2021	48489.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	24-05-2021	20852.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	30-08-2021	38944.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	30-08-2021	46767.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	10-09-2021	12750.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
6-	10-09-2021	14250.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग –	**182052.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **182052.00** में से 50% रू० **91026.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती नूर बानो** से तथा शेष 50% रू० **91026.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–23– ग्राम पंचायत **भूलनपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	31-10-2021	113574.00	ओयल रोड से नासिर अली के कोल्हू तक इण्टर लॉकिंग

			कार्य
2-	09-11-2021	25410.00	ओयल रोड से नासिर अली के कोल्हू तक इण्टर लॉकिंग कार्य
3-	09-11-2021	16729.00	ओयल रोड से नासिर अली के कोल्हू तक इण्टर लॉकिंग कार्य
4-	09-11-2021	20840.00	ओयल रोड से नासिर अली के कोल्हू तक इण्टर लॉकिंग कार्य
5-	09-11-2021	23456.00	नासिर अली के घर से यासीन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
6-	09-11-2021	15296.00	नासिर अली के घर से यासीन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
7-	09-11-2021	10223.00	नासिर अली के घर से यासीन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
8-	09-11-2021	18756.00	नासिर अली के घर से यासीन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
	योग –	**244284.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **244284.00** में से 50% रू० **122142.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती नूर बानो** से तथा शेष 50% रू० **122142.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–24– ग्राम पंचायत **भूलनपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सफाई कार्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	30-09-2021	28560.00	साफ सफाई कार्य पर व्यय
2-	30-09-2021	26520.00	साफ सफाई कार्य पर व्यय
	योग –	**55080.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सफाई कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **55080.00** में से 50% रू० **27540.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती नूर बानो** से तथा शेष 50% रू० **27540.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–25– ग्राम पंचायत **भूलनपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **कोविड–19** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	17-09-2021	14986.00	कोविड–19 पर व्यय
2-	19-09-2021	16992.00	कोविड–19 पर व्यय
	योग –	**31978.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **कोविड–19** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **31978.00** में से 50% रू० **15989.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती नूर बानो** से तथा शेष 50% रू० **15989.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–26– ग्राम पंचायत **भूलनपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार

प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	08-09-2021	10086.00	फोटो कापी व प्रिटिंग पर व्यय
2-	08-09-2021	3444.00	फीडिंग कार्य पर व्यय
3-	30-09-2021	5962.00	टेण्डर प्रकाशन पर व्यय
	योग –	**19492.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **19492.00** में से 50% रू० **9746.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती नूर बानो** से तथा शेष 50% रू० **9746.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–27– ग्राम पंचायत **भूलनपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	30-09-2021	34800.00	ठेला क्रय पर व्यय
2-	30-09-2021	17400.00	ठेला क्रय पर व्यय
	योग –	**52200.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा

ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **52200.00** में से 50% रू० **26100.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती नूर बानो** से तथा शेष 50% रू० **26100.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

ग्राम पंचायत – जाम मुबारकपुर विकास खण्ड – बेहजम जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–28– ग्राम पंचायत **जाम मुबारकपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	18-07-2021	32802.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	18-07-2021	10454.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	18-07-2021	12832.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग –	**56088.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **56088.00** में से 50% रू० **28044.00** ग्राम प्रधान **श्री अनिल कुमार राठौर** से तथा शेष 50% रू० **28044.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्रीमती सुमन यादव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–29– ग्राम पंचायत **जाम मुबारकपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	18-07-2021	16128.00	विमलेश के मकान से बालक के मकान तक नाली निर्माण

2-	18-07-2021	13792.00	विमलेश के मकान से बालक के मकान तक नाली निर्माण
3-	18-07-2021	2492.00	विमलेश के मकान से बालक के मकान तक नाली निर्माण
	योग –	**32412.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **32412.00** में से 50% रू० **16206.00** ग्राम प्रधान **श्री अनिल कुमार राठौर** से तथा शेष 50% रू० **16206.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्रीमती सुमन यादव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -02

प्र०सं०–30– ग्राम पंचायत **जाम मुबारकपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	18-07-2021	81606.00	किशोरी के मकान से विश्राम के मकान तक खडन्जा निर्माण
2-	18-07-2021	45024.00	राजेश के मकान से शंकर जी मन्दिर तक खडन्जा निर्माण
3-	26-07-2021	39635.00	वीर बाबा स्थान के चारों तरफ खडन्जा निर्माण
4-	26-07-2021	40451.00	कनकू के मकान से मिथलेश के मकान तक खडन्जा निर्माण
	योग –	**206716.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग

प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **206716.00** में से 50% रू० **103358.00** ग्राम प्रधान **श्री अनिल कुमार राठौर** से तथा शेष 50% रू० **103358.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्रीमती सुमन यादव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–31– ग्राम पंचायत **जाम मुबारकपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सोकपिट निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	26-07-2021	22459.00	सोकपिट निर्माण
2-	26-07-2021	4659.00	सोकपिट निर्माण
3-	26-07-2021	6723.00	सोकपिट निर्माण
4-	26-07-2021	2322.00	सोकपिट निर्माण
5-	26-07-2021	3780.00	सोकपिट निर्माण
	योग –	**39943.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सोकपिट निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **39943.00** में से 50% रू० **19971.50** ग्राम प्रधान **श्री अनिल कुमार राठौर** से तथा शेष 50% रू० **19971.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्रीमती**

सुमन यादव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

ग्राम पंचायत – खागीओयल विकास खण्ड – बेहजम जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–32– ग्राम पंचायत **खागीओयल** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	07-05-2021	31519.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	07-05-2021	14034.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	07-05-2021	11228.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	07-05-2021	8020.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	07-05-2021	11228.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
6-	23-05-2021	47750.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
7-	23-05-2021	13075.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
8-	19-07-2021	36460.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
9-	19-07-2021	12500.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
10-	27-07-2021	11950.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग –	**197764.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **197764.00** में से 50% रू० **98882.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती पम्मी राज** से तथा शेष 50% रू० **98882.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–33– ग्राम पंचायत **खागीओयल** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	17-07-2021	48816.00	रामअधार के घर से दुलारे के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण

2-	17-07-2021	35550.00	रामअधार के घर से दुलारे के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण
3-	17-07-2021	2167.00	रामअधार के घर से दुलारे के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण
4-	17-07-2021	124893.00	रामअधार के घर से दुलारे के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण
5-	23-07-2021	14400.00	रामअधार के घर से दुलारे के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण
6-	23-07-2021	21624.00	रामअधार के घर से दुलारे के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण
7-	23-07-2021	3100.00	रामअधार के घर से दुलारे के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण
	योग –	**250550.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **250550.00** में से 50% रू० **125275.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती पम्मी राज** से तथा शेष 50% रू० **125275.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

ग्राम पंचायत – खजुहा विकास खण्ड – बेहजम जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–34– ग्राम पंचायत **खजुहा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	14-05-2021	28083.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	14-05-2021	30620.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	14-05-2021	11228.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	14-05-2021	11228.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	23-05-2021	46600.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
6-	23-05-2021	13075.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य

7-	25-07-2021	28590.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
8-	25-07-2021	28590.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
9-	25-07-2021	13500.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
10-	25-07-2021	11500.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
11-	01-06-2021	28740.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
12-	01-06-2021	29430.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
13-	01-06-2021	22254.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**303438.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **303438.00** में से 50% रू० **151719.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती रानी देवी** से तथा शेष 50% रू० **151719.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–35– ग्राम पंचायत **खजुहा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	08-05-2021	16010.00	चन्द्रमणि के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य
2-	08-05-2021	21375.00	चन्द्रमणि के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य
3-	08-05-2021	11634.00	चन्द्रमणि के घर से तालाब तक नाली निर्माण कार्य
	योग –	**49019.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या

निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **49019.00** में से 50% रू० **24509.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती रानी देवी** से तथा शेष 50% रू० **24509.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -02

प्र०सं०–36– ग्राम पंचायत **खजुहा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	08-05-2021	52692.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
2-	08-05-2021	64041.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
3-	08-05-2021	30968.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
4-	08-05-2021	16341.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
5-	08-05-2021	45777.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य
	योग –	**209819.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **209819.00** में से 50% रू० **104909.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती रानी देवी** से तथा शेष 50% रू० **104909.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

ग्राम पंचायत – बाछेपारा विकास खण्ड – बेहजम जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–37– ग्राम पंचायत **बाछेपारा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	09-06-2021	9624.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	09-06-2021	27820.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	19-01-2022	27791.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	19-01-2022	34720.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	05-02-2022	13736.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग –	**113691.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **113691.00** में से 50% रू० **56845.50** ग्राम प्रधान **श्री जानकी प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **56845.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–38– ग्राम पंचायत **बाछेपारा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	09-06-2021	54868.00	रमेश के घर से भुइयनताली तालाब तक नाली निर्माण
2-	09-06-2021	9187.00	रमेश के घर से भुइयनताली तालाब तक नाली निर्माण
3-	09-06-2021	24729.00	रमेश के घर से भुइयनताली तालाब तक नाली निर्माण
4-	09-06-2021	19406.00	रमेश के घर से भुइयनताली तालाब तक नाली निर्माण

5-	09-06-2021	1359.00	रमेश के घर से भुइयनताली तालाब तक नाली निर्माण
6-	09-06-2021	32084.00	रमेश के घर से भुइयनताली तालाब तक नाली निर्माण
	योग –	**141633.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **141633.00** में से 50% रू० **70816.50** ग्राम प्रधान **श्री जानकी प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **70816.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -02

प्र०सं०39– ग्राम पंचायत **बाछेपारा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	08-01-2022	76293.00	पंचायत भवन निर्माण
2-	08-01-2022	8977.00	पंचायत भवन निर्माण
	योग –	**85270.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी

लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **85270.00** में से 50% रू० **42635.00** ग्राम प्रधान **श्री जानकी प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **42635.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

ग्राम पंचायत – अकबरपुर विकास खण्ड – बेहजम जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–40– ग्राम पंचायत **अकबरपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	24-05-2021	48512.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2-	24-05-2021	12832.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
3-	15-09-2021	35394.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
4-	17-09-2021	20200.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
5-	18-12-2021	37682.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
6-	18-12-2021	11732.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
7-	10-03-2022	38614.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
8-	10-03-2022	14544.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
	योग –	**219510.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **219510.00** में से 50% रू० **109755.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती रामदेवी** से तथा शेष 50% रू० **109755.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर**

सिंह राना से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–41– ग्राम पंचायत **अकबरपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **वॉल पेन्टिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	05-01-2022	19700.00	वॉल पेन्टिंग कार्य
	योग –	**19700.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **19700.00** में से 50% रू० **9850.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती रामदेवी** से तथा शेष 50% रू० **9850.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–42– ग्राम पंचायत **अकबरपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	30-09-2021	124965.00	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत कार्य
	योग –	**124965.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **124965.00** में से 50% रू० **62482.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती रामदेवी** से तथा शेष 50% रू० **62482.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–43– ग्राम पंचायत **अकबरपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	20-01-2022	18660.00	प्रधान मानदेय पर व्यय
2-	15-03-2022	13623.00	प्रधान मानदेय पर व्यय
	योग –	**32283.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **32283.00** में से 50% रू० **16141.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती रामदेवी** से तथा शेष 50% रू० **16141.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–44– ग्राम पंचायत **अकबरपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सफाई कार्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	17-10-2021	20400.00	साफ सफाई कार्य
2-	23-10-2021	17324.00	साफ सफाई कार्य
	योग –	**37724.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सफाई कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **37724.00** में से 50% रू० **18862.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती रामदेवी** से तथा शेष 50% रू० **18862.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -05

प्र०सं०–45– ग्राम पंचायत **अकबरपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	17-09-2021	7430.00	फोटो कापी
2-	17-09-2021	2564.00	कार्य योजना फीडिंग
3-	28-11-2021	5527.00	टेण्डर भुगतान
4-	19-01-2022	59900.00	कम्प्यूटर क्रय
5-	26-03-2022	4464.00	फोटो कापी
	योग –	**79885.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत

सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **79885.00** में से 50% रू० **39942.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती रामदेवी** से तथा शेष 50% रू० **39942.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

प्र०सं०–46– ग्राम पंचायत **अकबरपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	30-09-2021	34800.00	ठेला क्रय
2-	30-09-2021	17400.00	ठेला क्रय
	योग –	**52200.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **52200.00** में से 50% रू० **26100.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती रामदेवी** से तथा शेष 50% रू० **26100.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**07**

ग्राम पंचायत – गुलचौरा विकास खण्ड – बेहजम जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–47– ग्राम पंचायत **गुलचौरा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	24-05-2021	46097.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	24-05-2021	15238.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	27-10-2021	37120.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	28-10-2021	16160.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	11-12-2021	66192.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
6-	11-12-2021	72000.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
7-	11-12-2021	43300.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**296107.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण

आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **296107.00** में से 50% रू० **148053.50** ग्राम प्रधान **श्री इस्तियाक खाँ** से तथा शेष 50% रू० **148053.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–48– ग्राम पंचायत **गुलचौरा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	02-10-2021	21342.00	रामआधार के घर से इश्तियाक के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
2-	02-10-2021	26186.00	रामआधार के घर से इश्तियाक के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
3-	02-10-2021	77231.00	रामआधार के घर से इश्तियाक के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
4-	02-10-2021	20410.00	रामआधार के घर से इश्तियाक के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
5-	28-10-2021	6450.00	रामआधार के घर से इश्तियाक के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
6-	18-11-2021	34364.00	मतीन के घर से मुस्ताक के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
7-	18-11-2021	47356.00	मतीन के घर से मुस्ताक के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
8-	18-11-2021	93040.00	मतीन के घर से मुस्ताक के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
9-	18-11-2021	43926.00	मतीन के घर से मुस्ताक के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
10-	19-12-2021	47058.00	विशम्भर के घर से डामर रोड तक इण्टर लॉकिंग कार्य
11-	19-12-2021	45732.00	विशम्भर के घर से डामर रोड तक इण्टर लॉकिंग कार्य
12-	19-12-2021	108798.00	विशम्भर के घर से डामर रोड तक इण्टर लॉकिंग कार्य
13-	19-12-2021	41636.00	विशम्भर के घर से डामर रोड तक इण्टर लॉकिंग कार्य
	योग –	**613529.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे

गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **613529.00** में से 50% रू० **306764.50** ग्राम प्रधान **श्री इस्तियाक खाँ** से तथा शेष 50% रू० **306764.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–49– ग्राम पंचायत **गुलचौरा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	26-03-2022	13500.00	प्रधान मानदेय पर व्यय
	योग –	**13500.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **13500.00** में से 50% रू० **6750.00** ग्राम प्रधान **श्री इस्तियाक खाँ** से तथा शेष 50% रू० **6750.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–50– ग्राम पंचायत **गुलचौरा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	19-09-2021	6426.00	फोटो कापी आदि
2-	19-09-2021	2564.00	कार्य योजना फीडिंग
3-	28-11-2021	5527.00	टेण्डर भुगतान
4-	26-03-2022	2574.00	कार्य योजना फीडिंग
	योग –	**17091.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **17091.00** में से 50% रू० **8545.50** ग्राम प्रधान **श्री इस्तियाक खाँ** से तथा शेष 50% रू० **8545.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–51– ग्राम पंचायत **गुलचौरा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	30-09-2021	17400.00	ठेला क्रय
2-	30-09-2021	34800.00	ठेला क्रय
	योग –	**52200.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **52200.00** में से 50% रू० **26100.00** ग्राम प्रधान **श्री इस्तियाक खाँ** से तथा शेष 50% रू० **26100.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

ग्राम पंचायत – रतसिया विकास खण्ड – बेहजम जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–52– ग्राम पंचायत **रतसिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	15-10-2021	8500.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	30-03-2021	19560.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	30-03-2021	10240.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	02-08-2021	114700.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
5-	02-08-2021	57125.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
6-	31-01-2022	53491.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**263616.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **263616.00** में से 50% रू० **131808.00** ग्राम प्रधान **श्री रमेश चौरसिया** से तथा शेष 50% रू० **131808.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री दीपिका कुमारी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–53– ग्राम पंचायत **रतसिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **वॉल पेन्टिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	26-09-2022	18700.00	वॉल पेन्टिंग कार्य
	योग –	**18700.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **18700.00** में से 50% रू० **9350.00** ग्राम प्रधान **श्री रमेश चौरसिया** से तथा शेष 50% रू० **9350.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री दीपिका कुमारी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -02

प्र०सं०–54– ग्राम पंचायत **रतसिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	16-10-2021	35309.00	अशर्फी के घर से निर्मल सिंह के घर तक नाली निर्माण कार्य
2-	16-10-2021	18981.00	अशर्फी के घर से निर्मल सिंह के घर तक नाली निर्माण कार्य
3-	16-10-2021	19894.00	अशर्फी के घर से निर्मल सिंह के घर तक नाली निर्माण कार्य
4-	16-10-2021	29036.00	अशर्फी के घर से निर्मल सिंह के घर तक नाली निर्माण कार्य
	योग –	**103220.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–

207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **103220.00** में से 50% रू० **51610.00** ग्राम प्रधान **श्री रमेश चौरसिया** से तथा शेष 50% रू० **51610.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री दीपिका कुमारी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -03

प्र०सं०–55– ग्राम पंचायत **रतसिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	16-09-2021	37468.00	खडन्जा निर्माण कार्य
2-	16-09-2021	1380.00	खडन्जा निर्माण कार्य
3-	16-10-2021	11446.00	खडन्जा निर्माण कार्य
	योग –	**50294.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **50294.00** में से 50% रू०

25147.00 ग्राम प्रधान **श्री रमेश चौरसिया** से तथा शेष 50% रू० **25147.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री दीपिका कुमारी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–56– ग्राम पंचायत **रतसिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	20-09-2021	9030.00	अशर्फी के घर से निर्मल सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
2-	20-09-2021	31700.00	अशर्फी के घर से निर्मल सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
3-	20-09-2021	17586.00	अशर्फी के घर से निर्मल सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
4-	01-10-2021	143195.00	अशर्फी के घर से निर्मल सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
5-	01-10-2021	34542.00	अशर्फी के घर से निर्मल सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
	योग –	**236053.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **236053.00** में से 50% रू० **118026.50** ग्राम प्रधान **श्री रमेश चौरसिया** से तथा शेष 50% रू० **118026.50** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री दीपिका कुमारी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–57– ग्राम पंचायत **रतसिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	30-11-2020	42000.00	प्रधान मानदेय
	योग –	**42000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **42000.00** में से 50% रू० **21000.00** ग्राम प्रधान **श्री रमेश चौरसिया** से तथा शेष 50% रू० **21000.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री दीपिका कुमारी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

प्र०सं०–58– ग्राम पंचायत **रतसिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	27-10-2021	4000.00	टेण्डर भुगतान
2-	27-10-2021	5500.00	फोटो कापी पर व्यय
3-	28-10-2021	5600.00	प्रशासनिक व्यय
4-	26-03-2022	7650.00	प्रशासनिक व्यय
5-	28-03-2022	48800.00	फर्नीचर क्रय
6-	29-03-2022	60000.00	कम्प्यूटर क्रय
7-	29-03-2022	9800.00	अलमारी क्रय
	योग –	**141350.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत

सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **141350.00** में से 50% रू० **70675.00** ग्राम प्रधान **श्री रमेश चौरसिया** से तथा शेष 50% रू० **70675.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री दीपिका कुमारी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**07**

प्र०सं०–59– ग्राम पंचायत **रतसिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	10-11-2021	19000.00	ठेला क्रय
	योग –	**19000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **19000.00** में से 50% रू० **9500.00** ग्राम प्रधान **श्री रमेश चौरसिया** से तथा शेष 50% रू० **9500.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री दीपिका कुमारी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**08**

ग्राम पंचायत – बनिका विकास खण्ड – बेहजम जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–60– ग्राम पंचायत **बनिका** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	27-01-2021	48700.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2-	27-10-2021	37840.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
3-	27-03-2022	18998.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
4-	17-09-2021	163404.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
	योग –	**268942.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त

कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **268942.00** में से 50% रू० **134471.00** ग्राम प्रधान **श्री मनोज कुमार** से तथा शेष 50% रू० **134471.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री जमालुद्दीन** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–61– ग्राम पंचायत **बनिका** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **स्ट्रीट लाईट** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	14-03-2022	190000.00	स्ट्रीट लाईट पर व्यय
	योग –	**190000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **स्ट्रीट लाईट** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **190000.00** में से 50% रू० **95000.00** ग्राम प्रधान **श्री मनोज कुमार** से तथा शेष 50% रू० **95000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री जमालुद्दीन** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–62– ग्राम पंचायत **बनिका** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सफाई**

कार्य मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	19-09-2021	3600.00	साफ सफाई कार्य पर व्यय
2-	21-09-2021	5304.00	साफ सफाई कार्य पर व्यय
	योग –	**8904.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सफाई कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **8904.00** में से 50% रू० **4452.00** ग्राम प्रधान **श्री मनोज कुमार** से तथा शेष 50% रू० **4452.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री जमालुद्दीन** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -02

प्र०सं०–63– ग्राम पंचायत **बनिका** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	31-10-2021	151723.00	शम्भू के मकान से पंचायत भवन तक खडन्जा निर्माण कार्य
2-	31-10-2021	24876.00	शम्भू के मकान से पंचायत भवन तक खडन्जा निर्माण कार्य
3-	04-11-2021	10872.00	शम्भू के मकान से पंचायत भवन तक खडन्जा निर्माण कार्य
4-	04-11-2021	6010.00	शम्भू के मकान से पंचायत भवन तक खडन्जा निर्माण कार्य
5-	16-11-2021	6936.00	शम्भू के मकान से पंचायत भवन तक खडन्जा निर्माण कार्य
6-	18-01-2022	4500.00	शम्भू के मकान से पंचायत भवन तक खडन्जा निर्माण कार्य
	योग –	**204917.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–

207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **204917.00** में से 50% रू० **102458.50** ग्राम प्रधान **श्री मनोज कुमार** से तथा शेष 50% रू० **102458.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री जमालुद्दीन** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–64– ग्राम पंचायत **बनिका** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	24-04-2021	120775.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
2-	24-04-2021	86940.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
3-	24-04-2021	41700.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
4-	27-04-2021	32500.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
5-	12-05-2021	51680.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
6-	23-07-2021	11667.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
7-	25-10-2021	73598.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
8-	16-01-2022	14000.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
9-	21-01-2022	17000.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
10-	06-02-2022	50681.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
11-	19-02-2022	138887.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
	योग –	**639428.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं

कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **639428.00** में से 50% रू० **319714.00** ग्राम प्रधान **श्री मनोज कुमार** से तथा शेष 50% रू० **319714.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री जमालुद्दीन** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–65– ग्राम पंचायत **बनिका** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	26-07-2021	120773.00	हयूम पाइप क्रय
	योग –	**120773.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **120773.00** में से 50% रू० **60386.50** ग्राम प्रधान **श्री मनोज कुमार** से तथा शेष 50% रू० **60386.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री जमालुद्दीन** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

प्र०सं०–66– ग्राम पंचायत **बनिका** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	27-04-2021	12400.00	फोटो कापी पर व्यय
2-	04-11-2021	9329.00	फोटो कापी पर व्यय
	योग –	**21729.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की

आई०डी० का पत्र, बिल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **21729.00** में से 50% रू० **10864.50** ग्राम प्रधान **श्री मनोज कुमार** से तथा शेष 50% रू० **10864.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री जमालुद्दीन** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**07**

ग्राम पंचायत – शंकरपुर विकास खण्ड – बेहजम जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–67– ग्राम पंचायत **शंकरपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	12-05-2021	27600.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय
2-	14-05-2021	10400.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय
3-	28-08-2021	7852.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय
4-	29-08-2021	28567.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय
5-	04-01-2022	32200.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय
6-	15-03-2022	23685.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय
	योग –	**130304.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम

पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **130304.00** में से 50% रू० **65152.00** ग्राम प्रधान **श्री परमेश्वरदीन** से तथा शेष 50% रू० **65152.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री जमालुद्दीन** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–68– ग्राम पंचायत **शंकरपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **स्ट्रीट लाईट** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	14-03-2022	190000.00	स्ट्रीट लाईट पर व्यय
	योग –	**190000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **स्ट्रीट लाईट** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **190000.00** में से 50% रू० **95000.00** ग्राम प्रधान **श्री परमेश्वरदीन** से तथा शेष 50% रू० **95000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री जमालुद्दीन** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–69– ग्राम पंचायत **शंकरपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	17-11-2021	126671.00	राकेश के मकान से राजेश के मकान तक नाली निर्माण कार्य
2-	17-11-2021	37405.00	परशुराम के मकान से राजेन्द्र के मकान तक नाली निर्माण कार्य
3-	26-11-2021	46824.00	राकेश के मकान से राजेश के मकान तक नाली निर्माण कार्य
	योग –	**210900.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं

टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **210900.00** में से 50% रू० **105450.00** ग्राम प्रधान **श्री परमेश्वरदीन** से तथा शेष 50% रू० **105450.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री जमालुद्दीन** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–70– ग्राम पंचायत **शंकरपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	08-05-2021	26590.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
2-	10-05-2021	83750.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
3-	16-09-2021	37760.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
4-	24-10-2021	5600.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
5-	16-01-2022	34000.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
6-	21-01-2022	17000.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
7-	06-02-2022	31500.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
8-	25-03-2022	96870.00	पंचायत भवन निर्माण पर व्यय
	योग –	**333070.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा

ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **333070.00** में से 50% रू० **166535.00** ग्राम प्रधान **श्री परमेश्वरदीन** से तथा शेष 50% रू० **166535.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री जमालुद्दीन** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–71– ग्राम पंचायत **शंकरपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	14-05-2021	4640.00	फोटो कापी पर व्यय
2-	14-08-2021	7927.00	फोटो कापी पर व्यय
	योग –	**12567.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **12567.00** में से 50% रू० **6283.50** ग्राम प्रधान **श्री परमेश्वरदीन** से तथा शेष 50% रू० **6283.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री जमालुद्दीन** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–72– ग्राम पंचायत **शंकरपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	31-07-2021	39000.00	ठेला क्रय
	योग –	**39000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय

के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **39000.00** में से 50% रू० **19500.00** ग्राम प्रधान **श्री परमेश्वरदीन** से तथा शेष 50% रू० **19500.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री जमालुद्दीन** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

ग्राम पंचायत – मड़राही विकास खण्ड – बेहजम जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–73– ग्राम पंचायत **मड़राही** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	24-05-2021	43657.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	24-05-2021	8020.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	09-09-2021	34783.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	09-09-2021	6240.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	17-09-2021	8080.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
6-	14-03-2022	35420.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
7-	24-03-2022	9664.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग –	**145864.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **145864.00** में से 50% रू० **72932.00** ग्राम प्रधान **श्री जगमोहन** से तथा शेष 50% रू० **72932.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह**

राना से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -01

प्र०सं०–74– ग्राम पंचायत **मड़राही** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	28-09-2021	19980.00	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत कार्य
2-	28-09-2021	59590.00	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत कार्य
3-	11-10-2021	59590.00	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत कार्य
4-	22-11-2021	15050.00	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत कार्य
5-	24-12-2021	19665.00	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत कार्य
6-	24-12-2021	10750.00	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत कार्य
7-	25-12-2021	13326.00	पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत कार्य
	योग –	**197951.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **197951.00** में से 50% रू० **98975.50** ग्राम प्रधान **श्री जगमोहन** से तथा शेष 50% रू० **98975.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -02

प्र०सं०–75– ग्राम पंचायत **मड़राही** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	24-05-2021	4580.00	माँ पाटेश्वरी की फोटो कापी
2-	09-09-2021	2844.00	माँ पाटेश्वरी की फोटो कापी
3-	19-09-2021	7616.00	बालाजी इलेक्ट्रानिक्स फोटो कापी
4-	28-11-2021	5527.00	टेण्डर भुगतान
5-	14-03-2022	2574.00	कार्य योजना फीडिंग
	योग –	**23141.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण

आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **23141.00** में से 50% रू० **11570.50** ग्राम प्रधान **श्री जगमोहन** से तथा शेष 50% रू० **11570.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–76– ग्राम पंचायत **मड़राही** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	09-09-2021	34800.00	ठेला क्रय
	योग –	**34800.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **34800.00** में से 50% रू० **17400.00** ग्राम प्रधान **श्री जगमोहन** से तथा शेष 50% रू० **17400.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

ग्राम पंचायत – पैला **विकास खण्ड – बेहजम** **जनपद – लखीमपुर–खीरी**

प्र०सं०–77– ग्राम पंचायत **पैला** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	05-06-2021	14436.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	13-10-2021	49688.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	13-10-2021	11312.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	15-03-2022	38920.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	13-11-2021	37655.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
6-	13-11-2021	19150.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
7-	13-11-2021	33120.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
8-	13-11-2021	35766.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
9-	13-11-2021	18965.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
10-	13-11-2021	33120.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
11-	30-03-2022	12864.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
12-	30-03-2022	17485.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**322481.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **322481.00** में से 50% रू० **161240.50** ग्राम प्रधान **श्री श्रीपाल** से तथा शेष 50% रू० **161240.50** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–78– ग्राम पंचायत **पैला** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **वॉल पेन्टिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	29-11-2021	18500.00	वॉल पेन्टिंग कार्य
	योग –	**18500.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण

आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **18500.00** में से 50% रू० **9250.00** ग्राम प्रधान **श्री श्रीपाल** से तथा शेष 50% रू० **9250.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -02

प्र०सं०–79– ग्राम पंचायत **पैला** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	31-10-2021	73150.00	हयूम पाइम क्रय
	योग –	**73150.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **73150.00** में से 50% रू० **36575.00** ग्राम प्रधान **श्री श्रीपाल** से तथा शेष 50% रू० **36575.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–80– ग्राम पंचायत **पैला** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	14-07-2021	18472.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
2-	14-07-2021	6913.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
3-	14-07-2021	8521.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
4-	07-09-2021	8414.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य
	योग –	**42320.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **42320.00** में से 50% रू० **21160.00** ग्राम प्रधान **श्री श्रीपाल** से तथा शेष 50% रू० **21160.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–81– ग्राम पंचायत **पैला** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	07-09-2021	8414.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
2-	07-09-2021	12621.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
	योग –	**21035.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–

207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **21035.00** में से 50% रू० **10517.50** ग्राम प्रधान **श्री श्रीपाल** से तथा शेष 50% रू० **10517.50** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–82– ग्राम पंचायत **पैला** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	07-01-2022	36804.00	दुलारे के मकान से बहादुर के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य
2-	08-01-2022	30364.00	दुलारे के मकान से बहादुर के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य
3-	08-01-2022	130890.00	दुलारे के मकान से बहादुर के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य
4-	08-01-2022	39197.00	दुलारे के मकान से बहादुर के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य
5-	08-01-2022	82942.00	इतवारी के मकान से मुन्ना के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य
6-	08-01-2022	39446.00	इतवारी के मकान से मुन्ना के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य
7-	08-01-2022	36600.00	इतवारी के मकान से मुन्ना के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य
8-	08-01-2022	30364.00	इतवारी के मकान से मुन्ना के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य
9-	08-01-2022	46728.00	इतवारी के मकान से मुन्ना के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य
10-	13-03-2021	22922.00	मुन्ना के मकान से राजकुमार के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य
11-	13-03-2021	29039.00	मुन्ना के मकान से राजकुमार के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य
12-	13-03-2021	87952.00	मुन्ना के मकान से राजकुमार के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य
13-	13-03-2021	25760.00	मुन्ना के मकान से राजकुमार के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य
14-	13-03-2021	16129.00	प्रभू सिंह के मकान से कल्लू सिंह के मकान तक इण्टर लॉकिंग
15-	13-03-2021	18026.00	प्रभू सिंह के मकान से कल्लू सिंह के मकान तक इण्टर

			लॉकिंग
16-	13-03-2021	76997.00	प्रभू सिंह के मकान से कल्लू सिंह के मकान तक इण्टर लॉकिंग
17-	13-03-2021	19018.00	प्रभू सिंह के मकान से कल्लू सिंह के मकान तक इण्टर लॉकिंग
	योग –	**769178.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **769178.00** में से 50% रू० **384589.00** ग्राम प्रधान **श्री श्रीपाल** से तथा शेष 50% रू० **384589.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

प्र०सं०–83– ग्राम पंचायत **पैला** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	27-07-2021	3685.00	फोटोकापी
2-	08-08-2021	5615.00	फोटोकापी व स्टेशनरी
3-	31-10-2021	4000.00	टैन रजिस्ट्रेशन
4-	11-01-2022	60000.00	कम्प्यूटर प्रिन्टर
5-	22-01-2022	47750.00	फर्नीचर क्रय
6-	22-01-2022	22420.00	फर्नीचर क्रय
	योग –	**143470.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **143470.00** में से 50% रू० **71735.00** ग्राम प्रधान **श्री श्रीपाल** से तथा शेष 50% रू० **71735.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**07**

प्र०सं०–84– ग्राम पंचायत **पैला** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	24-09-2021	46020.00	ठेला क्रय
	योग –	**46020.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **46020.00** में से 50% रू० **23010.00** ग्राम प्रधान **श्री श्रीपाल** से तथा शेष 50% रू० **23010.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**08**

ग्राम पंचायत – लोहटी विकास खण्ड – बेहजम जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–85– ग्राम पंचायत **लोहटी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	16-06-2021	46930.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य

2-	16-06-2021	11228.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	17-06-2021	7218.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	12-10-2021	37509.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	20-11-2021	10504.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
6-	20-03-2022	38630.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग –	**152019.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **152019.00** में से 50% रू० **76009.50** ग्राम प्रधान **श्री रघुनन्दन सिंह** से तथा शेष 50% रू० **76009.50** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–86– ग्राम पंचायत **लोहटी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **वॉल पेन्टिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	30-11-2021	18500.00	वॉल पेन्टिंग कार्य
	योग –	**18500.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम

प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **18500.00** में से 50% रू० **9250.00** ग्राम प्रधान **श्री रघुनन्दन सिंह** से तथा शेष 50% रू० **9250.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–87– ग्राम पंचायत **लोहटी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	16-06-2021	27683.00	मदारबक्स से इण्टर लॉकिंग रोड तक नाली निर्माण
2-	16-06-2021	2713.00	मदारबक्स से इण्टर लॉकिंग रोड तक नाली निर्माण
3-	16-06-2021	26833.00	मदारबक्स से इण्टर लॉकिंग रोड तक नाली निर्माण
4-	16-06-2021	13439.00	मदारबक्स से इण्टर लॉकिंग रोड तक नाली निर्माण
5-	16-06-2021	22076.00	मालकिन से पचमहिया तालाब तक नाली निर्माण
6-	16-06-2021	21990.00	मालकिन से पचमहिया तालाब तक नाली निर्माण
7-	16-06-2021	15839.00	मालकिन से पचमहिया तालाब तक नाली निर्माण
	योग –	**130573.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **130573.00** में से 50% रू० **65286.50** ग्राम प्रधान **श्री रघुनन्दन सिंह** से तथा शेष 50% रू० **65286.50** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।सा आ सं -**03**

प्र०सं०–88– ग्राम पंचायत **लोहटी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत**

भवन मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	10-10-2021	10393.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
2-	10-10-2021	12600.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
3-	10-10-2021	38847.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
4-	10-10-2021	40906.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
5-	10-10-2021	41726.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
6-	25-10-2021	11532.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
7-	25-10-2021	15769.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
8-	25-10-2021	13387.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
9-	25-10-2021	102950.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
10-	25-10-2021	28616.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
11-	25-10-2021	22486.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
12-	26-10-2021	30935.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
13-	10-11-2021	40000.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
	योग –	**410147.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **410147.00** में से 50% रू० **205073.50** ग्राम प्रधान **श्री रघुनन्दन सिंह** से तथा शेष 50% रू० **205073.50** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–89– ग्राम पंचायत **लोहटी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	14-09-2021	5555.00	सियाराम के घर तक खडन्जा तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	14-09-2021	5030.00	सियाराम के घर तक खडन्जा तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
3-	14-09-2021	6886.00	सियाराम के घर तक खडन्जा तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य

4-	14-09-2021	36344.00	सियाराम के घर तक खडन्जा तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य

योग – 53815.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **53815.00** में से 50% रू० **26907.50** ग्राम प्रधान **श्री रघुनन्दन सिंह** से तथा शेष 50% रू० **26907.50** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–90– ग्राम पंचायत **लोहटी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	11-10-2021	10500.00	प्रधान मानदेय
2-	10-11-2021	3500.00	प्रधान मानदेय
3-	11-03-2022	17000.00	प्रधान मानदेय

योग – 31000.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **31000.00** में से 50% रू० **15500.00** ग्राम प्रधान **श्री रघुनन्दन सिंह** से तथा शेष 50% रू० **15500.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

प्र०सं०–91– ग्राम पंचायत **लोहटी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	16-06-2021	10830.00	स्टेशनरी व फोटो कापी
2-	20-08-2021	3150.00	टेण्डर प्रकाशन
3-	21-10-2021	5714.00	स्टेशनरी व फोटो कापी
4-	21-10-2021	4000.00	टैन रजिस्ट्रेशन
5-	12-01-2022	60000.00	कम्प्यूटर, प्रिन्टर आदि
6-	23-01-2022	6150.00	टेण्डर प्रकाशन
7-	16-02-2022	22420.00	फर्नीचर
	योग –	**112264.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **112264.00** में से 50% रू० **56132.00** ग्राम प्रधान **श्री रघुनन्दन सिंह** से तथा शेष 50% रू० **56132.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**07**

प्र०सं०–92– ग्राम पंचायत **लोहटी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	08-07-2021	22000.00	ठेला क्रय
2-	09-12-2021	15930.00	ठेला क्रय
	योग –	**37930.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण

आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **37930.00** में से 50% रू० **18965.00** ग्राम प्रधान **श्री रघुनन्दन सिंह** से तथा शेष 50% रू० **18965.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**08**

ग्राम पंचायत – अटवा विकास खण्ड – बेहजम जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–93– ग्राम पंचायत **अटवा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	17-06-2021	14280.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2-	17-06-2021	14175.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
3-	17-06-2021	15835.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
4-	19-06-2021	12832.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
5-	19-09-2021	33943.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
6-	19-09-2021	10426.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
7-	15-03-2022	39390.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
	योग –	**140881.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं

कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **140881.00** में से 50% रू० **70440.50** ग्राम प्रधान **श्री पृथ्वीपाल** से तथा शेष 50% रू० **70440.50** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–94– ग्राम पंचायत **अटवा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **वॉल पेन्टिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	16-09-2021	16350.00	वॉल पेन्टिंग कार्य पर व्यय
	योग –	**16350.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **16350.00** में से 50% रू० **8175.00** ग्राम प्रधान **श्री पृथ्वीपाल** से तथा शेष 50% रू० **8175.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–95– ग्राम पंचायत **अटवा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	12-08-2021	156683.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य पर व्यय
2-	12-08-2021	6788.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य पर व्यय
3-	15-08-2021	46212.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य पर व्यय
4-	15-10-2021	10538.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य पर व्यय
5-	15-10-2021	4500.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य पर व्यय
6-	15-10-2021	33104.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य पर व्यय
7-	15-10-2021	8878.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य पर व्यय

8-	15-10-2021	3250.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य पर व्यय
9-	15-10-2021	22892.00	खडन्जा निर्माण/मरम्मत कार्य पर व्यय
	योग –	**292845.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **292845.00** में से 50% रू० **146422.50** ग्राम प्रधान **श्री पृथ्वीपाल** से तथा शेष 50% रू० **146422.50** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–96– ग्राम पंचायत **अटवा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	16-01-2022	21746.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय
2-	16-01-2022	169700.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय
3-	20-01-2022	30666.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय
4-	16-01-2022	30672.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय
5-	16-01-2022	23971.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय
6-	16-01-2022	165858.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय
7-	04-02-2022	21414.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय
8-	04-02-2022	20384.00	इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर व्यय
	योग –	**484411.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग

प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **484411.00** में से 50% रू० **242205.50** ग्राम प्रधान **श्री पृथ्वीपाल** से तथा शेष 50% रू० **242205.50** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–97– ग्राम पंचायत **अटवा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	08-11-2021	14000.00	प्रधान मानदेय पर व्यय
2-	12-03-2022	17000.00	प्रधान मानदेय पर व्यय
	योग –	**31000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **31000.00** में से 50% रू० **15500.00** ग्राम प्रधान **श्री पृथ्वीपाल** से तथा शेष 50% रू० **15500.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–98– ग्राम पंचायत **अटवा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	17-06-2021	7580.00	फोटो कापी
2-	17-08-2021	1950.00	फोटो कापी
3-	20-08-2021	3150.00	टेण्डर प्रकाशन

4-	08-11-2021	5630.00	स्टेशनरी, फोटो कापी
5-	08-11-2021	4000.00	टेन रजिस्ट्रेशन
6-	12-01-2022	60000.00	कम्प्यूटर, प्रिन्टर
7-	16-01-2022	3950.00	फोटो कापी
8-	22-01-2022	47750.00	फर्नीचर
9-	23-01-2022	3000.00	टेण्डर प्रकाशन
10-	20-03-2022	22420.00	फर्नीचर
	योग –	**159430.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **159430.00** में से 50% रू० **79715.00** ग्राम प्रधान **श्री पृथ्वीपाल** से तथा शेष 50% रू० **79715.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

प्र०सं०–99– ग्राम पंचायत **अटवा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	16-09-2021	43000.00	ठेला क्रय
	योग –	**43000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित

किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **43000.00** में से 50% रू० **21500.00** ग्राम प्रधान **श्री पृथ्वीपाल** से तथा शेष 50% रू० **21500.00** ग्राम पंचायत सचिव **सुश्री शोभिता श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

ग्राम पंचायत – भरेहटा विकास खण्ड – बेहजम जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–100– ग्राम पंचायत **भरेहटा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	24-05-2021	51809.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	24-05-2021	12030.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	30-09-2021	45223.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	18-10-2021	18584.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	10-03-2022	18184.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
6-	10-03-2022	16968.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग –	**162798.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **162798.00** में से 50% रू० **81399.00** ग्राम प्रधान **श्री राज किशोर** से तथा शेष 50% रू० **81399.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–101– ग्राम पंचायत **भरेहटा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **वॉल पेन्टिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

सा आ सं -**02**

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	19-01-2022	6000.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
	योग –	**6000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **6000.00** में से 50% रू० **3000.00** ग्राम प्रधान **श्री राज किशोर** से तथा शेष 50% रू० **3000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–102– ग्राम पंचायत **भरेहटा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	10-03-2022	52426.00	पी .एस.वी. भरेहटा में माडल शौचालय निर्माण
2-	10-03-2022	80189.00	पी .एस.वी. भरेहटा में माडल शौचालय निर्माण
3-	10-03-2022	38586.00	पी .एस.वी. भरेहटा में माडल शौचालय निर्माण
4-	10-03-2022	44172.00	पी .एस.वी. भरेहटा में माडल शौचालय निर्माण
5-	10-03-2022	6952.00	पी .एस.वी. भरेहटा में माडल शौचालय निर्माण
	योग –	**222325.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **222325.00** में से 50% रू० **111162.50** ग्राम प्रधान **श्री राज किशोर** से तथा शेष 50% रू० **111162.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–103– ग्राम पंचायत **भरेहटा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	12-08-2021	9900.00	प्रशिक्षण पर व्यय
2-	08-09-2021	8240.00	फोटो कापी
3-	08-09-2021	2564.00	कार्य योजना फीडिंग
4-	28-11-2021	5527.00	टेण्डर भुगतान
5-	19-01-2022	59900.00	कम्प्यूटर क्रय
6-	26-03-2022	9884.00	फोटो कापी
7-	26-03-2022	48935.00	फर्नीचर क्रय
	योग –	**144950.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **144950.00** में से 50% रू० **72475.00** ग्राम प्रधान **श्री राज किशोर** से तथा शेष 50% रू० **72475.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–104– ग्राम पंचायत **भरेहटा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	30-09-2021	17400.00	ठेला क्रय
	योग –	**17400.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **17400.00** में से 50% रू० **8700.00** ग्राम प्रधान **श्री राज किशोर** से तथा शेष 50% रू० **8700.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतवीर सिंह राना** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

ग्राम पंचायत – जसवन्तनगर विकास खण्ड – ईसानगर जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–105– ग्राम पंचायत **जसवन्तनगर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	03-08-2021	129462.00	इण्टर लॉकिंग कार्य पर व्यय
	योग –	**129462.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **129462.00** में से 50% रू० **64731.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती पुष्पा देवी** से तथा शेष 50% रू० **64731.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद व श्री अंकित श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–106– ग्राम पंचायत **जसवन्तनगर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	14-07-2021	18950.00	शौचालय मानदेय एवं फर्नीचर
	योग –	**18950.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **18950.00** में से 50% रू० **9475.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती पुष्पा देवी** से तथा शेष 50% रू० **9475.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद व श्री अंकित श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

ग्राम पंचायत – लखपेड़ा विकास खण्ड – ईसानगर जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–107– ग्राम पंचायत **लखपेड़ा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	12-12-2021	29488.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2-	31-10-2021	106508.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
	योग –	**135996.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की

जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **135996.00** में से 50% रू० **67998.00** ग्राम प्रधान **श्री सरस्वती प्रताप** से तथा शेष 50% रू० **67998.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–108– ग्राम पंचायत **लखपेड़ा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **स्ट्रीट लाईट** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	07-12-2021	129600.00	स्ट्रीट लाईट क्रय
	योग –	**129600.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **स्ट्रीट लाईट** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **129600.00** में से 50% रू० **64800.00** ग्राम प्रधान **श्री सरस्वती प्रताप** से तथा शेष 50% रू० **64800.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–109– ग्राम पंचायत **लखपेड़ा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	07-12-2021	50000.00	पंचायत भवन मरम्मत पर व्यय

2-	24-12-2021	121336.00	पंचायत भवन मरम्मत पर व्यय
3-	15-03-2022	62032.00	पंचायत भवन मरम्मत पर व्यय
4-	20-03-2022	11016.00	पंचायत भवन मरम्मत पर व्यय
	योग –	**244384.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **244384.00** में से 50% रू० **122192.00** ग्राम प्रधान **श्री सरस्वती प्रताप** से तथा शेष 50% रू० **122192.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–110– ग्राम पंचायत **लखपेड़ा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	19-03-2022	7000.00	प्रधान मानदेय पर व्यय
2-	02-01-2022	25739.00	प्रधान मानदेय पर व्यय
	योग –	**32739.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **32739.00** में से 50% रू० **16369.50** ग्राम प्रधान **श्री सरस्वती प्रताप** से तथा शेष 50% रू० **16369.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–111– ग्राम पंचायत **लखपेड़ा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **कोविड–19** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	30-09-2021	36750.00	फागिंग पर व्यय
	योग –	**36750.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **कोविड–19** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **36750.00** में से 50% रू० **18375.00** ग्राम प्रधान **श्री सरस्वती प्रताप** से तथा शेष 50% रू० **18375.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–112– ग्राम पंचायत **लखपेड़ा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	29-09-2021	57150.00	फर्नीचर क्रय
2-	01-11-2021	88500.00	प्रशासनिक व्यय
	योग –	**145650.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा

परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **145650.00** में से 50% रू० **72825.00** ग्राम प्रधान **श्री सरस्वती प्रताप** से तथा शेष 50% रू० **72825.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

प्र०सं०–113– ग्राम पंचायत **लखपेड़ा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	29-10-2021	48000.00	आपदा राहत पर व्यय
	योग –	**48000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **48000.00** में से 50% रू० **24000.00** ग्राम प्रधान **श्री सरस्वती प्रताप** से तथा शेष 50% रू० **24000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**07**

ग्राम पंचायत – ईसानगर विकास खण्ड – ईसानगर जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–114– ग्राम पंचायत **ईसानगर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	16-07-2021	24500.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2-	16-07-2021	5000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
3-	16-07-2021	24900.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय

4-	16-07-2021	5000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
5-	24-07-2021	26400.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
6-	24-07-2021	25300.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
7-	24-07-2021	25100.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
8-	24-07-2021	26200.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
9-	24-07-2021	26100.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
	योग –	**188500.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **188500.00** में से 50% रू० **94250.00** ग्राम प्रधान **श्री रामपाल** से तथा शेष 50% रू० **94250.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–115– ग्राम पंचायत **ईसानगर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **वॉल पेन्टिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	01-06-2021	19620.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
2-	19-07-2021	54930.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
3-	19-07-2021	23455.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
	योग –	**98005.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209),

कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **98005.00** में से 50% रू० **49002.50** ग्राम प्रधान **श्री रामपाल** से तथा शेष 50% रू० **49002.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–116– ग्राम पंचायत **ईसानगर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	18-07-2021	75000.00	कनौजी पाण्डे से तालाब तक नाली निर्माण
2-	18-07-2021	55047.00	कनौजी पाण्डे से तालाब तक नाली निर्माण
3-	18-07-2021	41554.00	कनौजी पाण्डे से तालाब तक नाली निर्माण
	योग –	**171601.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **171601.00** में से 50% रू० **85800.50** ग्राम प्रधान **श्री रामपाल** से तथा शेष 50% रू० **85800.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–117– ग्राम पंचायत **ईसानगर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार

विद्यालय में शौचालय मरम्मत मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	19-06-2021	19900.00	शौचालय मरम्मत कार्य
	योग –	**19900.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **विद्यालय में शौचालय मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **19900.00** में से 50% रू० **9950.00** ग्राम प्रधान **श्री रामपाल** से तथा शेष 50% रू० **9950.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–118– ग्राम पंचायत **ईसानगर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सफाई कार्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	06-07-2021	58344.00	सफाई कार्य पर व्यय
2-	09-07-2021	68544.00	सफाई कार्य पर व्यय
3-	15-07-2021	17310.00	सफाई कार्य पर व्यय
	योग –	**144198.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सफाई कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **144198.00** में से 50% रू० **72099.00** ग्राम प्रधान **श्री रामपाल** से तथा शेष 50% रू० **72099.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–119– ग्राम पंचायत **ईसानगर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	17-07-2021	3000.00	प्रशासनिक व्यय
2-	17-07-2021	3150.00	प्रशासनिक व्यय
3-	17-07-2021	3150.00	प्रशासनिक व्यय
4-	19-07-2021	4200.00	प्रशासनिक व्यय
	योग –	**13500.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **13500.00** में से 50% रू० **6750.00** ग्राम प्रधान **श्री रामपाल** से तथा शेष 50% रू० **6750.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।सा आ सं -**06**

ग्राम पंचायत – दिलावलपुर विकास खण्ड – ईसानगर जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–120– ग्राम पंचायत **दिलावलपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	25-07-2021	27200.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2-	31-10-2021	108529.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
3-	22-12-2021	60200.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
4-	12-02-2022	47643.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
	योग –	**243572.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **243572.00** में से 50% रू० **121786.00** ग्राम प्रधान **श्री रंगीला** से तथा शेष 50% रू० **121786.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–121– ग्राम पंचायत **दिलावलपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **स्ट्रीट लाईट** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	05-01-2022	54000.00	स्ट्रीट लाईट क्रय
	योग –	**54000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **स्ट्रीट लाईट** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः

उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **54000.00** में से 50% रू० **27000.00** ग्राम प्रधान **श्री रंगीला** से तथा शेष 50% रू० **27000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–122– ग्राम पंचायत **दिलावलपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	02-01-2022	22374.00	प्रधान मानदेय
2-	05-03-2022	7000.00	प्रधान मानदेय
	योग –	**29374.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **29374.00** में से 50% रू० **14687.00** ग्राम प्रधान **श्री रंगीला** से तथा शेष 50% रू० **14687.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–123– ग्राम पंचायत **दिलावलपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सफाई कार्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	26-09-2021	41360.00	सफाई कार्य पर व्यय
	योग –		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय

के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सफाई कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **41360.00** में से 50% रू० **20680.00** ग्राम प्रधान **श्री रंगीला** से तथा शेष 50% रू० **20680.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–124– ग्राम पंचायत **दिलावलपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **कोविड–19** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	26-09-2021	32320.00	फागिंग
	योग –	**32320.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **कोविड–19** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **32320.00** में से 50% रू० **16160.00** ग्राम प्रधान **श्री रंगीला** से तथा शेष 50% रू० **16160.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–125– ग्राम पंचायत **दिलावलपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	23-08-2021	20141.00	फर्नीचर क्रय
2-	21-09-2021	19490.00	प्रशासनिक व्यय
3-	23-09-2021	20000.00	प्रशासनिक व्यय
4-	17-10-2021	12327.00	टेण्डर प्रकाशन पर व्यय
	योग –	**71958.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **71958.00** में से 50% रू० **35979.00** ग्राम प्रधान **श्री रंगीला** से तथा शेष 50% रू० **35979.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

प्र०सं०–126– ग्राम पंचायत **दिलावलपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	01-11-2021	98900.00	आपदा राहत पर व्यय
	योग –	**98900.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **98900.00** में से 50% रू० **49450.00** ग्राम प्रधान **श्री रंगीला** से तथा शेष 50% रू० **49450.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**07**

ग्राम पंचायत – बसढ़िया विकास खण्ड – ईसानगर जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–127– ग्राम पंचायत **बसढ़िया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	15-11-2021	46200.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2-	28-11-2021	242468.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
3-	17-02-2022	106200.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
	योग –	**394868.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **394868.00** में से 50% रू० **197434.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती लक्ष्मी देवी** से तथा शेष 50% रू० **197434.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतीश चन्द्र** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–128– ग्राम पंचायत **बसढ़िया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **वॉल पेन्टिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	10-01-2022	35000.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
	योग –	**35000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209),

कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **35000.00** में से 50% रू० **17500.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती लक्ष्मी देवी** से तथा शेष 50% रू० **17500.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतीश चन्द्र** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–129– ग्राम पंचायत **बसढ़िया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **ह्यूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	12-03-2022	117311.00	ह्यूम पाइप क्रय
	योग –	**117311.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **ह्यूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **117311.00** में से 50% रू० **58655.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती लक्ष्मी देवी** से तथा शेष 50% रू० **58655.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतीश चन्द्र** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–130– ग्राम पंचायत **बसढ़िया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**

1- 28-12-2021 105564.00 पंचायत भवन मरम्मत पर व्यय

योग – 105564.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **105564.00** में से 50% रू० **52782.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती लक्ष्मी देवी** से तथा शेष 50% रू० **52782.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतीश चन्द्र** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–131– ग्राम पंचायत **बसढ़िया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सफाई कार्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	20-11-2021	23256.00	सफाई कार्य पर व्यय
	योग –	**23256.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सफाई कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के

अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **23256.00** में से 50% रू० **11628.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती लक्ष्मी देवी** से तथा शेष 50% रू० **11628.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतीश चन्द्र** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–132– ग्राम पंचायत **बसढ़िया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **कोविड–19** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	20-11-2021	77940.00	कोविड–19 पर व्यय
2-	29-12-2021	38250.00	कोविड–19 पर व्यय
	योग –	**116190.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **कोविड–19** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **116190.00** में से 50% रू० **58095.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती लक्ष्मी देवी** से तथा शेष 50% रू० **58095.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतीश चन्द्र** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

प्र०सं०–133– ग्राम पंचायत **बसढ़िया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	25-03-2022	59989.00	प्रशासनिक व्यय
2-	26-03-2022	76386.00	प्रशासनिक व्यय
	योग –	**136375.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **136375.00** में से 50% रू० **68187.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती लक्ष्मी देवी** से तथा शेष 50% रू० **68187.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अभिषेक वर्मा, श्री राघवेन्द्र प्रताप वर्मा व श्री सतीश चन्द्र** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**07**

प्र०सं०–134– ग्राम पंचायत **बसढ़िया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	17-02-2022	19768.00	ठेला क्रय
	योग –	**19768.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **19768.00** में से 50% रू० **9884.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती लक्ष्मी देवी** से तथा शेष 50% रू० **9884.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सतीश चन्द्र** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**08**

ग्राम पंचायत – दरिगापुर विकास खण्ड – ईसानगर जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–135– ग्राम पंचायत **दरिगापुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	25-08-2021	71050.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2-	26-08-2021	52500.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
3-	23-09-2021	36600.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
4-	03-10-2021	37800.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय

5-	04-09-2021	54157.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
6-	04-09-2021	54032.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
7-	04-09-2021	53874.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
8-	24-09-2021	106700.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
9-	03-10-2021	79200.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
	योग –	**545913.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **545913.00** में से 50% रू० **272956.50** ग्राम प्रधान **श्री अनुराग मौर्य** से तथा शेष 50% रू० **272956.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–136– ग्राम पंचायत **दरिगापुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण/मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	17-12-2021	13079.00	रामेश्वर के घर से प्राथमिक विद्यालय तक खडन्जा मरम्मत कार्य
2-	17-12-2021	71405.00	रामेश्वर के घर से प्राथमिक विद्यालय तक खडन्जा मरम्मत कार्य
3-	18-12-2021	69885.00	श्याम मनोहर के घर से डिट्टी तक खडन्जा मरम्मत कार्य
4-	18-12-2021	152657.00	श्याम मनोहर के घर से डिट्टी तक खडन्जा मरम्मत कार्य
	योग –	**307026.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या

निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **307026.00** में से 50% रू० **153513.00** ग्राम प्रधान **श्री अनुराग मौर्य** से तथा शेष 50% रू० **153513.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–137– ग्राम पंचायत **दरिगापुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	13-09-2021	40709.00	पेन्टेड रोड से रामेश्वरम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
2-	15-09-2021	139299.00	पेन्टेड रोड से रामेश्वरम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
3-	15-09-2021	33391.00	पेन्टेड रोड से रामेश्वरम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
4-	17-09-2021	34910.00	पेन्टेड रोड से रामेश्वरम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
5-	15-09-2021	140882.00	रामप्रवेश के घर से पाचू के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
6-	15-09-2021	32934.00	रामप्रवेश के घर से पाचू के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
7-	15-09-2021	40381.00	रामप्रवेश के घर से पाचू के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
8-	17-09-2021	34888.00	रामप्रवेश के घर से पाचू के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
	योग –	**497394.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो

उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **497394.00** में से 50% रू० **248697.00** ग्राम प्रधान **श्री अनुराग मौर्य** से तथा शेष 50% रू० **248697.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–138– ग्राम पंचायत **दरिगापुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	01-11-2021	21000.00	प्रधान मानदेय पर व्यय
	योग –	**21000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **21000.00** में से 50% रू० **10500.00** ग्राम प्रधान **श्री अनुराग मौर्य** से तथा शेष 50% रू० **10500.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–139– ग्राम पंचायत **दरिगापुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सफाई कार्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	25-08-2021	35700.00	सफाई कार्य पर व्यय
	योग –	**35700.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सफाई कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **35700.00** में से 50% रू० **17850.00** ग्राम प्रधान **श्री अनुराग मौर्य** से तथा शेष 50% रू० **17850.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–140– ग्राम पंचायत **दरिगापुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **कोविड–19** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	25-08-2021	19685.00	कोविड–19 पर व्यय
2-	26-08-2021	38510.00	कोविड–19 पर व्यय
	योग –	**58195.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **कोविड–19** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **58195.00** में से 50% रू० **29097.50** ग्राम प्रधान **श्री अनुराग मौर्य** से तथा शेष 50% रू० **29097.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

प्र०सं०–141– ग्राम पंचायत **दरिगापुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	21-12-2021	19500.00	प्रशासनिक व्यय
2-	21-12-2021	19500.00	प्रशासनिक व्यय
	योग –	**39000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं

टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **39000.00** में से 50% रू० **19500.00** ग्राम प्रधान **श्री अनुराग मौर्य** से तथा शेष 50% रू० **19500.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–142– ग्राम पंचायत **दरिगापुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	01-11-2021	39000.00	मोबाइल क्रय
	योग –		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **39000.00** में से 50% रू० **19500.00** ग्राम प्रधान **श्री अनुराग मौर्य** से तथा शेष 50% रू० **19500.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**08**

ग्राम पंचायत – चपकहा विकास खण्ड – ईसानगर जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–143– ग्राम पंचायत **चपकहा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	09-06-2021	25172.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
2-	09-06-2021	26200.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
3-	10-07-2021	25995.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
4-	10-07-2021	25172.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
5-	10-07-2021	25588.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
6-	10-07-2021	26200.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
7-	17-07-2021	25172.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
8-	17-07-2021	26300.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
9-	17-07-2021	26100.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
10-	17-07-2021	26200.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**258099.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **258099.00** में से 50% रू० **129049.50** ग्राम प्रधान **श्री कयाम अली** से तथा शेष 50% रू० **129049.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार व** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–144– ग्राम पंचायत **चपकहा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	16-07-2021	62280.00	राजेश के घर से संतोष के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
2-	18-07-2021	10250.00	राजेश के घर से संतोष के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
3-	18-07-2021	15218.00	राजेश के घर से संतोष के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
4-	18-07-2021	12664.00	राजेश के घर से संतोष के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
5-	16-07-2021	111034.00	रामू के घर से रामनरेश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
6-	16-07-2021	20309.00	रामू के घर से रामनरेश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
7-	16-07-2021	22383.00	रामू के घर से रामनरेश के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
8-	16-07-2021	124611.00	सादिक के घर से राजेन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
9-	16-07-2021	19422.00	सादिक के घर से राजेन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य

10-	16-07-2021	21288.00	सादिक के घर से राजेन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
11-	19-07-2021	37900.00	सादिक के घर से राजेन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
12-	20-07-2021	29496.00	सादिक के घर से राजेन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
	योग –	**486855.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **486855.00** में से 50% रू० **243427.50** ग्राम प्रधान **श्री कयाम अली** से तथा शेष 50% रू० **243427.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -02

प्र०सं०–145– ग्राम पंचायत **चपकहा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	09-06-2021	112849.00	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स कार्य
2-	09-06-2021	165933.00	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स कार्य
3-	09-06-2021	122550.00	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स कार्य
	योग –	**401332.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय

के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **401332.00** में से 50% रू० **200666.00** ग्राम प्रधान **श्री कयाम अली** से तथा शेष 50% रू० **200666.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–146– ग्राम पंचायत **चपकहा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सफाई कार्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	10-07-2021	19584.00	सफाई कार्य पर व्यय
2-	15-07-2021	18735.00	सफाई कार्य पर व्यय
	योग –	**38319.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सफाई कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **38319.00** में से 50% रू० **19159.50** ग्राम प्रधान **श्री कयाम अली** से तथा शेष 50% रू० **19159.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–147– ग्राम पंचायत **चपकहा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	06-07-2021	19900.00	प्रशासनिक व्यय
2-	17-07-2021	3150.00	प्रशासनिक व्यय
3-	17-07-2021	3150.00	प्रशासनिक व्यय
4-	21-07-2021	1980.00	प्रशासनिक व्यय
5-	26-07-2021	5000.00	प्रशासनिक व्यय
	योग –	**33180.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **33180.00** में से 50% रू० **16590.00** ग्राम प्रधान **श्री कयाम अली** से तथा शेष 50% रू० **16590.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

ग्राम पंचायत – वीरसिंहपुर विकास खण्ड – ईसानगर जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–148– ग्राम पंचायत **वीरसिंहपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	10-07-2021	26020.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
2-	10-07-2021	26020.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
3-	10-07-2021	26128.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
4-	10-07-2021	25172.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
5-	16-07-2021	25172.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
6-	16-07-2021	25172.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
7-	16-07-2021	25172.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
8-	25-07-2021	24700.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
9-	25-07-2021	5000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
	योग –	**208556.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम

प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **208556.00** में से 50% रू० **104278.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती प्रतिमा देवी** से तथा शेष 50% रू० **104278.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–149– ग्राम पंचायत **वीरसिंहपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	24-06-2021	77850.00	केशवराम कुरील से पूरनमल वर्मा तक इण्टर लॉकिंग
2-	24-06-2021	58698.00	केशवराम कुरील से पूरनमल वर्मा तक इण्टर लॉकिंग
3-	24-06-2021	43366.00	केशवराम कुरील से पूरनमल वर्मा तक इण्टर लॉकिंग
4-	24-06-2021	35728.00	केशवराम कुरील से पूरनमल वर्मा तक इण्टर लॉकिंग
5-	24-06-2021	33893.00	केशवराम कुरील से पूरनमल वर्मा तक इण्टर लॉकिंग
6-	25-06-2021	77850.00	पूरनमल वर्मा से सुन्दर लाल वर्मा तक इण्टर लॉकिंग
7-	25-06-2021	61994.00	पूरनमल वर्मा से सुन्दर लाल वर्मा तक इण्टर लॉकिंग
8-	25-06-2021	41266.00	पूरनमल वर्मा से सुन्दर लाल वर्मा तक इण्टर लॉकिंग
9-	25-06-2021	33349.00	पूरनमल वर्मा से सुन्दर लाल वर्मा तक इण्टर लॉकिंग
10-	25-06-2021	35043.00	पूरनमल वर्मा से सुन्दर लाल वर्मा तक इण्टर लॉकिंग
11-	07-07-2021	26919.00	सुरेन्द्र लेखपाल से ओमप्रकाश की चक्की तक इण्टर लॉकिंग
12-	07-07-2021	35428.00	सुरेन्द्र लेखपाल से ओमप्रकाश की चक्की तक इण्टर लॉकिंग
13-	07-07-2021	77850.00	सुरेन्द्र लेखपाल से ओमप्रकाश की चक्की तक इण्टर लॉकिंग
14-	07-07-2021	61293.00	सुरेन्द्र लेखपाल से ओमप्रकाश की चक्की तक इण्टर लॉकिंग
15-	07-07-2021	31570.00	जगदीश नाई से सुरेन्द्र लेखपाल तक इण्टर लॉकिंग
16-	07-07-2021	26655.00	जगदीश नाई से सुरेन्द्र लेखपाल तक इण्टर लॉकिंग
17-	07-07-2021	35479.00	जगदीश नाई से सुरेन्द्र लेखपाल तक इण्टर लॉकिंग
18-	07-07-2021	77850.00	जगदीश नाई से सुरेन्द्र लेखपाल तक इण्टर लॉकिंग
19-	07-07-2021	61293.00	जगदीश नाई से सुरेन्द्र लेखपाल तक इण्टर लॉकिंग
20-	07-07-2021	30850.00	जगदीश नाई से सुरेन्द्र लेखपाल तक इण्टर लॉकिंग
21-	10-07-2021	4920.00	सुन्दर लाल से हैण्डपम्प तक इण्टर लॉकिंग
22-	10-07-2021	6616.00	सुन्दर लाल से हैण्डपम्प तक इण्टर लॉकिंग
23-	10-07-2021	23069.00	सुन्दर लाल से हैण्डपम्प तक इण्टर लॉकिंग
24-	10-07-2021	5768.00	सुन्दर लाल से हैण्डपम्प तक इण्टर लॉकिंग
	योग –	**1004597.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **1004597.00** में से 50% रू० **502298.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती प्रतिमा देवी** से तथा शेष 50% रू० **502298.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -02

प्र०सं०–150– ग्राम पंचायत **वीरसिंहपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सफाई कार्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	06-07-2021	17136.00	सफाई कार्य पर व्यय
2-	16-07-2021	19210.00	सफाई कार्य पर व्यय
3-	24-07-2021	19788.00	सफाई कार्य पर व्यय
4-	26-07-2021	5000.00	सफाई कार्य पर व्यय
	योग –	**61134.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सफाई कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **61134.00** में से 50% रू० **30567.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती प्रतिमा देवी** से तथा शेष 50% रू० **30567.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–151– ग्राम पंचायत **वीरसिंहपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	24-06-2021	2000.00	प्रशासनिक व्यय
2-	21-07-2021	4050.00	प्रशासनिक व्यय
	योग –	**6050.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **6050.00** में से 50% रू० **3025.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती प्रतिमा देवी** से तथा शेष 50% रू० **3025.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

ग्राम पंचायत – दुर्गापुरपड़री विकास खण्ड – ईसानगर जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–152– ग्राम पंचायत **दुर्गापुरपड़री** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	11-09-2021	68200.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2-	11-09-2021	35000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
3-	28-10-2021	39400.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
4-	11-09-2021	53581.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
5-	11-09-2021	53719.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
6-	11-09-2021	53900.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
	योग –	**303800.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त

कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **303800.00** में से 50% रू० **151900.00** ग्राम प्रधान **श्री तारा सिंह चौहान** से तथा शेष 50% रू० **151900.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–153– ग्राम पंचायत **दुर्गापुरपड़री** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	28-12-2021	173525.00	प्रेम के घर से रपटा तक नाली निर्माण कार्य
2-	28-12-2021	57316.00	प्रेम के घर से रपटा तक नाली निर्माण कार्य
	योग –	**230841.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **230841.00** में से 50% रू० **115420.50** ग्राम प्रधान **श्री तारा सिंह चौहान** से तथा शेष 50% रू० **115420.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–154– ग्राम पंचायत **दुर्गापुरपड़री** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार

प्रधान मानदेय मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	31-10-2021	21000.00	प्रधान मानदेय
	योग –	**21000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **21000.00** में से 50% रू० **10500.00** ग्राम प्रधान **श्री तारा सिंह चौहान** से तथा शेष 50% रू० **10500.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–155– ग्राम पंचायत **दुर्गापुरपड़री** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सफाई कार्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	28-09-2021	29988.00	सफाई कार्य पर व्यय
2-	28-10-2021	33456.00	सफाई कार्य पर व्यय
	योग –	**63444.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सफाई कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से

बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **63444.00** में से 50% रू० **31722.00** ग्राम प्रधान **श्री तारा सिंह चौहान** से तथा शेष 50% रू० **31722.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–156– ग्राम पंचायत **दुर्गापुरपड़री** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	27-09-2021	26200.00	प्रशासनिक व्यय
2-	02-10-2021	28320.00	प्रशासनिक व्यय
	योग –	**54520.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **54520.00** में से 50% रू० **27260.00** ग्राम प्रधान **श्री तारा सिंह चौहान** से तथा शेष 50% रू० **27260.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–157– ग्राम पंचायत **दुर्गापुरपड़री** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	27-09-2021	26000.00	नाव क्रय
	योग –	**26000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय

के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **26000.00** में से 50% रू० **13000.00** ग्राम प्रधान **श्री तारा सिंह चौहान** से तथा शेष 50% रू० **13000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कमाल अहमद** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

ग्राम पंचायत – सिंगावर विकास खण्ड – ईसानगर जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–158– ग्राम पंचायत **सिंगावर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/ रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	24-07-2021	76345.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर व्यय
2-	27-07-2021	50344.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर व्यय
	योग –	**126689.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **126689.00** में से 50% रू० **63344.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती रागिनी सिंह** से तथा शेष 50% रू० **63344.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अरूण ध्वज मिश्रा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–159– ग्राम पंचायत **सिंगावर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	12-08-2021	92547.00	ह्यूम पाइप क्रय

योग – 92547.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **ह्यूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **92547.00** में से 50% रू० **46273.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती रागिनी सिंह** से तथा शेष 50% रू० **46273.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अरूण ध्वज मिश्रा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -02

प्र०सं०–160– ग्राम पंचायत **सिंगावर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	18-08-2021	75324.00	खडन्जा से बुद्धिलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
2-	28-08-2021	11757.00	खडन्जा से बुद्धिलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
3-	18-08-2021	123906.00	रमेश से मेवालाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
4-	28-08-2021	9057.00	रमेश से मेवालाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
5-	18-08-2021	152680.00	डामर रोड से हसनू के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
6-	28-08-2021	20501.00	डामर रोड से हसनू के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य

योग – 393225.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय

के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **393225.00** में से 50% रू० **196612.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती रागिनी सिंह** से तथा शेष 50% रू० **196612.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अरूण ध्वज मिश्रा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–161– ग्राम पंचायत **सिंगावर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स स्थापना** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	04-08-2021	160518.00	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स स्थापना
2-	12-08-2021	145559.00	प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स स्थापना
	योग –	**306077.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स स्थापना** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **306077.00** में से 50% रू० **153038.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती रागिनी सिंह** से तथा शेष 50% रू० **153038.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अरूण ध्वज मिश्रा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–162– ग्राम पंचायत **एिलगावर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	24-07-2021	19300.00	ठेला क्रय
	योग –	**19300.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **19300.00** में से 50% रू० **9650.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती रागिनी सिंह** से तथा शेष 50% रू० **9650.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री अरूण ध्वज मिश्रा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

ग्राम पंचायत – लौकाही मल्लापुर विकास खण्ड – ईसानगर जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–163– ग्राम पंचायत **लौकाही मल्लापुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	17-07-2021	16590.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2-	18-07-2021	4400.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
3-	22-07-2021	19125.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
4-	22-07-2021	4800.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
5	20-07-2021	25804.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
	योग –	**70719.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं

कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **70719.00** में से 50% रू० **35359.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती सावित्री देवी** से तथा शेष 50% रू० **35359.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–164– ग्राम पंचायत **लौकाही मल्लापुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **वॉल पेन्टिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	01-06-2021	19620.00	वॉल पेन्टिंग पर व्यय
	योग –	**19620.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **19620.00** में से 50% रू० **9810.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती सावित्री देवी** से तथा शेष 50% रू० **9810.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–165– ग्राम पंचायत **लौकाही मल्लापुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **डस्टबिन** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	18-07-2021	36000.00	डस्टबिन क्रय
	योग –	**36000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं

टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **डस्टबिन** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **36000.00** में से 50% रू० **18000.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती सावित्री देवी** से तथा शेष 50% रू० **18000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–166– ग्राम पंचायत **लौकाही मल्लापुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **विद्यालय में टाइल्स स्थापना** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	24-06-2021	98040.00	यू०पी०एस० लौकाहीमल्लापुर में टाइल्स स्थापना
2-	24-06-2021	98040.00	यू०पी०एस० लौकाहीमल्लापुर में टाइल्स स्थापना
3-	17-07-2021	127155.00	यू०पी०एस० लौकाहीमल्लापुर में टाइल्स स्थापना
	योग –	**323235.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **विद्यालय में टाइल्स स्थापना** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **323235.00** में से 50% रू० **161617.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती सावित्री देवी** से तथा शेष 50% रू० **161617.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–167– ग्राम पंचायत **लौकाही मल्लापुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सफाई कार्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	09-07-2021	17136.00	सफाई कार्य पर व्यय
2-	15-07-2021	19210.00	सफाई कार्य पर व्यय
	योग –	**36346.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सफाई कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **36346.00** में से 50% रू० **18173.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती सावित्री देवी** से तथा शेष 50% रू० **18173.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–168– ग्राम पंचायत **लौकाही मल्लापुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	25-05-2021	4130.00	प्रशासनिक कार्यों पर व्यय
2-	25-05-2021	4130.00	प्रशासनिक कार्यों पर व्यय
3-	24-06-2021	2000.00	प्रशासनिक कार्यों पर व्यय
4-	17-07-2021	3000.00	प्रशासनिक कार्यों पर व्यय
5-	17-07-2021	3150.00	प्रशासनिक कार्यों पर व्यय
6-	17-07-2021	3154.00	प्रशासनिक कार्यों पर व्यय
7-	21-07-2021	2700.00	प्रशासनिक कार्यों पर व्यय
8-	26-07-2021	5000.00	प्रशासनिक कार्यों पर व्यय
	योग –	**27264.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **27264.00** में से 50% रू० **13632.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती सावित्री देवी** से तथा शेष 50% रू० **13632.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रमोद कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

ग्राम पंचायत – हरदासपुर विकास खण्ड – लखीमपुर जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–169– ग्राम पंचायत **हरदासपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	05-09-2021	19976.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	07-09-2021	4000.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	30-10-2021	65400.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	03-11-2021	31000.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	20-12-2021	5200.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
6-	13-03-2022	26721.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
7-	31-10-2021	92554.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**244851.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो

उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **244851.00** में से 50% रू० **122425.50** ग्राम प्रधान **श्री महेश प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **122425.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–170– ग्राम पंचायत **हरदासपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	05-09-2021	59708.00	हयूम पाइप क्रय
2-	21-01-2022	74635.00	हयूम पाइप क्रय
3-	13-03-2022	29854.00	हयूम पाइप क्रय
	योग –	**164197.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **164197.00** में से 50% रू० **82098.50** ग्राम प्रधान **श्री महेश प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **82098.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–171– ग्राम पंचायत **हरदासपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	23-09-2021	121534.00	पैकरमा के घर से सूरजपाल के घर तक नाली निर्माण
2-	28-09-2021	47112.00	पैकरमा के घर से सूरजपाल के घर तक नाली निर्माण
	योग –	**168646.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **168646.00** में से 50% रू० **84323.00** ग्राम प्रधान **श्री महेश प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **84323.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–172– ग्राम पंचायत **हरदासपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	23-09-2021	198718.00	श्रवण के घर से प्राथमिक विद्यालय तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	28-09-2021	25914.00	श्रवण के घर से प्राथमिक विद्यालय तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
3-	24-09-2021	164212.00	मस्जिदपुरवा में पक्की रोड से प्यारे के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
4-	28-09-2021	37200.00	मस्जिदपुरवा में पक्की रोड से प्यारे के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
5-	17-12-2021	143195.00	प्राथमिक विद्यालय से खुदाई के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
6-	05-01-2022	36440.00	प्राथमिक विद्यालय से खुदाई के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
7-	13-03-2022	66801.00	प्राथमिक विद्यालय से खुदाई के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
	योग –	**672480.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम

प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **672480.00** में से 50% रू० **336240.00** ग्राम प्रधान **श्री महेश प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **336240.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–173– ग्राम पंचायत **हरदासपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	13-03-2022	58609.00	पंचायत भवन निर्माण कार्य
	योग –	**58609.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **58609.00** में से 50% रू० **29304.50** ग्राम प्रधान **श्री महेश प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **29304.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–174– ग्राम पंचायत **हरदासपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	21-01-2022	21000.00	प्रधान मानदेय
2-	12-03-2022	18500.00	प्रधान मानदेय
	योग –	**39500.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **39500.00** में से 50% रू० **19750.00** ग्राम प्रधान **श्री महेश प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **19750.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

प्र०सं०–175– ग्राम पंचायत **हरदासपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	05-07-2021	27000.00	सामुदायिक शौचालय मानदेय
2-	15-03-2022	9000.00	सामुदायिक शौचालय मानदेय
	योग –	**36000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **36000.00** में से 50% रू० **18000.00** ग्राम प्रधान **श्री महेश प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **18000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**07**

प्र०सं०–176– ग्राम पंचायत **हरदासपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	24-09-2021	2500.00	अन्य व्यय
2-	26-09-2021	1000.00	अन्य व्यय
3-	21-11-2021	5000.00	स्टेशनरी क्रय
4-	10-03-2022	3000.00	फीडिंग कार्य पर व्यय
	योग –	**11500.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **11500.00** में से 50% रू० **5750.00** ग्राम प्रधान **श्री महेश प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **5750.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**08**

प्र०सं०–177– ग्राम पंचायत **हरदासपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	13-03-2022	17700.00	ठेला क्रय
	योग –	**17700.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा

ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **17700.00** में से 50% रू० **8850.00** ग्राम प्रधान **श्री महेश प्रसाद** से तथा शेष 50% रू० **8850.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**09**

ग्राम पंचायत – लखीमपुर देहात विकास खण्ड – लखीमपुर जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–178– ग्राम पंचायत **लखीमपुर देहात** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	05-08-2021	23184.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	07-08-2021	12628.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	07-01-2022	23532.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	13-03-2022	30200.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
5-	20-11-2021	131700.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**221244.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **221244.00** में से 50% रू० **110622.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनीता** से तथा शेष 50% रू० **110622.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–179– ग्राम पंचायत **लखीमपुर देहात** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	16-12-2021	74635.00	हयूम पाइप क्रय
	योग –	**74635.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **74635.00** में से 50% रू० **37317.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनीता** से तथा शेष 50% रू० **37317.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -02

प्र०सं०–180– ग्राम पंचायत **लखीमपुर देहात** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	12-08-2021	205185.00	रामेन्द्र के घर से राजेश वर्मा के घर तक इण्टर लॉकिंग नाली निर्माण
2-	20-08-2021	33436.00	रामेन्द्र के घर से राजेश वर्मा के घर तक इण्टर लॉकिंग नाली निर्माण
3-	15-08-2021	212587.00	रामस्वरूप के घर से अलीगंज मार्ग तक इण्टर लॉकिंग नाली निर्माण
4-	15-09-2021	2500.00	रामेन्द्र के घर से राजेश वर्मा के घर तक इण्टर लॉकिंग नाली निर्माण
5-	28-09-2021	33080.00	अनुराग के घर से लखपति के घर तक इण्टर लॉकिंग नाली निर्माण
6-	30-10-2021	119795.00	राधेश्याम के घर से घोंचू के घर तक इण्टर लॉकिंग नाली निर्माण
7-	14-10-2021	160210.00	रामऔतार के घर से रामचन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिंग नाली निर्माण
8-	14-10-2021	63144.00	रामऔतार के घर से रामचन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिंग नाली निर्माण
9-	22-11-2021	123152.00	घोंचू के घर से आशाराम के घर तक इण्टर लॉकिंग नाली निर्माण
10-	21-12-2021	114570.00	गिरि के घर से लल्लूराम के घर तक इण्टर लॉकिंग नाली निर्माण
11-	22-12-2021	3876.00	गिरि के घर से लल्लूराम के घर तक इण्टर लॉकिंग नाली निर्माण

12-	04-02-2022	229608.00	राजाराम के घर से मोती कारखाना तक इण्टर लॉकिंग नाली निर्माण

योग – 1301143.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **1301143.00** में से 50% रू० **650571.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनीता** से तथा शेष 50% रू० **650571.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–181– ग्राम पंचायत **लखीमपुर देहात** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	14-10-2021	122753.00	रामऔतार के घर से रामचन्द्र के घर तक खडन्जा निर्माण
2-	14-10-2021	66688.00	रामऔतार के घर से रामचन्द्र के घर तक खडन्जा निर्माण
3-	30-10-2021	5916.00	रामऔतार के घर से रामचन्द्र के घर तक खडन्जा निर्माण
4-	25-03-2022	208990.00	दरोगा के घर से नाला तक खडन्जा निर्माण कार्य
5-	25-03-2022	44472.00	दरोगा के घर से नाला तक खडन्जा निर्माण कार्य
6-	25-03-2022	29670.00	दरोगा के घर से नाला तक खडन्जा निर्माण कार्य
	योग –	**478489.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **478489.00** में से 50% रू० **239244.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनीता** से तथा शेष 50% रू० **239244.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–182– ग्राम पंचायत **लखीमपुर देहात** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	07-08-2021	163366.00	लाल बहादुर के घर से अलीगंज मार्ग तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
2-	10-08-2021	69572.00	लाल बहादुर के घर से अलीगंज मार्ग तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
3-	12-08-2021	9792.00	लाल बहादुर के घर से अलीगंज मार्ग तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
4-	14-09-2021	247414.00	मन्दिर से रामलड़ैते के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
5-	15-09-2021	165160.00	मन्दिर से रामलड़ैते के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
6-	16-09-2021	2500.00	लाल बहादुर के घर से अलीगंज मार्ग तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
7-	25-09-2021	170891.00	अशोक गिरि के घर से दिनेश वर्मा के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
8-	29-10-2021	209634.00	राधेश्याम के घर से घोंचू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
9-	22-11-2021	162294.00	घोंचू के घर से आशाराम के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
10-	21-12-2021	124579.00	गिरि के घर से लल्लूराम के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
11-	21-12-2021	56124.00	गिरि के घर से लल्लूराम के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
12-	22-12-2021	4488.00	गिरि के घर से लल्लूराम के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
13-	21-12-2021	146030.00	शिवपूजन के घर से ओमप्रकाश के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
14-	22-12-2021	4692.00	शिवपूजन के घर से ओमप्रकाश के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
	योग –	**1536536.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **1536536.00** में से 50% रू० **768268.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनीता** से तथा शेष 50% रू० **768268.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–183– ग्राम पंचायत **लखीमपुर देहात** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	12-11-2021	17500.00	प्रधान मानदेय पर व्यय
2-	12-03-2022	22000.00	प्रधान मानदेय पर व्यय
	योग –	**39500.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **39500.00** में से 50% रू० **19750.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनीता** से तथा शेष 50% रू० **19750.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

प्र०सं०–184– ग्राम पंचायत **लखीमपुर देहात** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	18-07-2021	27000.00	सामुदायिक शौचालय मानदेय
2-	03-02-2022	9000.00	सामुदायिक शौचालय मानदेय
3-	15-03-2022	9000.00	सामुदायिक शौचालय मानदेय
	योग –	**45000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **45000.00** में से 50% रू० **22500.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनीता** से तथा शेष 50% रू० **22500.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**07**

प्र०सं०–185– ग्राम पंचायत **लखीमपुर देहात** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सफाई कार्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	25-03-2022	21730.00	सफाई कार्य पर व्यय
	योग –	**21730.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सफाई कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **21730.00** में से 50% रू० **10865.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनीता** से तथा शेष 50% रू० **10865.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**08**

प्र०सं०–186– ग्राम पंचायत **लखीमपुर देहात** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **कोविड–19** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	31-07-2021	22000.00	कोविड–19 पर व्यय
2-	20-12-2021	11328.00	कोविड–19 पर व्यय
	योग –	**33328.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **कोविड–19** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **33328.00** में से 50% रू० **16664.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनीता** से तथा शेष 50% रू० **16664.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**09**

प्र०सं०–187– ग्राम पंचायत **लखीमपुर देहात** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	24-09-2021	2500.00	अन्य व्यय
2-	26-09-2021	1000.00	अन्य व्यय
3-	21-11-2021	30000.00	फर्नीचर क्रय
4-	27-11-2021	2240.0	टोनर क्रय
5-	24-01-2022	59950.00	कम्प्यूटर क्रय
6-	10-03-2022	3000.00	फीडिंग कार्य पर व्यय
7-	25-03-2022	19900.00	फर्नीचर क्रय
	योग –	**118590.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं

कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **118590.00** में से 50% रू० **59295.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनीता** से तथा शेष 50% रू० **59295.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**10**

प्र०सं०–188– ग्राम पंचायत **लखीमपुर देहात** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	24-09-2021	17700.00	ठेला क्रय
2-	05-01-2022	17700.00	**ठेला क्रय**
	योग –	**35400.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **35400.00** में से 50% रू० **17700.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनीता** से तथा शेष 50% रू० **17700.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**11**

ग्राम पंचायत – मिदनियागढ़ी विकास खण्ड – लखीमपुर जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–189– ग्राम पंचायत **मिदनियागढ़ी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	18-08-2021	44649.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	21-12-2021	45910.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	13-03-2022	25290.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
4-	30-09-2021	95660.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
5-	30-09-2021	92713.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**304222.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **304222.00** में से 50% रू० **152111.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनुश्री जायसवाल** से तथा शेष 50% रू० **152111.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–190– ग्राम पंचायत **मिदनियागढ़ी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	24-09-2021	74635.00	हयूम पाइप क्रय
2-	28-10-2021	76912.00	हयूम पाइप क्रय
3-	16-12-2021	89562.00	हयूम पाइप क्रय
4-	04-01-2022	17952.00	हयूम पाइप क्रय
	योग –	**259061.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा

ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **259061.00** में से 50% रू० **129530.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनुश्री जायसवाल** से तथा शेष 50% रू० **129530.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–191– ग्राम पंचायत **मिदनियागढ़ी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	20-08-2021	200649.00	महेवा गढ़ी में सालिकराम के मकान से गुड्डू के मकान तक नाली निर्माण
2-	31-08-2021	205275.00	दिनेश भूरिया के मकान से कुआं तक नाली निर्माण
3-	31-08-2021	45360.00	महेवा गढ़ी में सालिकराम के मकान से गुड्डू के मकान तक नाली निर्माण
4-	15-09-2021	2500.00	दिनेश धुरिया के मकान से कुआं तक नाली निर्माण
5-	15-09-2021	2500.00	सालिकराम के मकान से गुड्डू टेलर के मकान तक नाली निर्माण
6-	13-10-2021	96546.00	नवाब के घर से रामविलास के घर तक नाली निर्माण
7-	24-01-2022	120258.00	हाईवे से शिवकुमार के घर तक नाली निर्माण
8-	24-01-2022	66730.00	डामर रोड से रामस्वरूप तक घर तक नाली निर्माण
	योग –	**739818.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **739818.00** में से 50% रू० **369909.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनुश्री जायसवाल** से तथा शेष 50% रू० **369909.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–192– ग्राम पंचायत **मिदनियागढ़ी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार

इण्टर लॉकिंग निर्माण मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	12-08-2021	133434.00	हनीफ की दुकान से लतीफ के घर तक इण्टर लॉकिंग
2-	12-08-2021	69913.00	हनीफ की दुकान से लतीफ के घर तक इण्टर लॉकिंग
3-	31-08-2021	2562.00	हनीफ की दुकान से लतीफ के घर तक इण्टर लॉकिंग
4-	15-09-2021	41280.00	हनीफ की दुकान से लतीफ के घर तक इण्टर लॉकिंग
5-	13-10-2021	2500.00	हनीफ की दुकान से लतीफ के घर तक इण्टर लॉकिंग
6-	13-10-2021	161902.00	नवाब के घर से मुंगली के घर तक इण्टर लॉकिंग
7-	13-10-2021	166890.00	मंशाराम के घर से राममिलन के घर तक इण्टर लॉकिंग
8-	05-01-2022	242208.00	डामर रोड से रामसेवक के घर तक इण्टर लॉकिंग
9-	05-01-2022	202541.00	घनश्याम के घर से शिवकुमार के घर तक इण्टर लॉकिंग
10-	05-01-2022	247001.00	हाईवे से किशनलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग
	योग –	**1270231.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **1270231.00** में से 50% रू० **635115.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनुश्री जायसवाल** से तथा शेष 50% रू० **635115.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–193– ग्राम पंचायत **मिदनियागढ़ी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	23-01-2022	21000.00	प्रधान मानदेय
2-	12-03-2022	18500.00	प्रधान मानदेय
	योग –	**39500.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की

आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **39500.00** में से 50% रू० **19750.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनुश्री जायसवाल** से तथा शेष 50% रू० **19750.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–194– ग्राम पंचायत **मिदनियागढ़ी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	08-07-2021	27000.00	सामुदायिक शौचालय मानदेय
2-	03-02-2022	9000.00	सामुदायिक शौचालय मानदेय
3-	15-03-2022	9000.00	सामुदायिक शौचालय मानदेय
	योग –	**45000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **45000.00** में से 50% रू० **22500.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनुश्री जायसवाल** से तथा शेष 50% रू० **22500.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

प्र०सं०–195– ग्राम पंचायत **मिदनियागढ़ी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **कोविड–19** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	19-08-2021	19824.00	कोविड–19 पर व्यय
	योग –	**19824.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **कोविड–19** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **19824.00** में से 50% रू० **9912.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनुश्री जायसवाल** से तथा शेष 50% रू० **9912.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**07**

प्र०सं०–196– ग्राम पंचायत **मिदनियागढ़ी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	24-09-2021	2500.00	अन्य व्यय
2-	26-09-2021	1000.00	अन्य व्यय
3-	23-11-2021	19990.00	प्रिन्टर पर व्यय
4-	27-01-2022	59950.00	कम्प्यूटर पर व्यय
5-	10-03-2022	3000.00	फीडिंग कार्य पर व्यय
	योग –	**86440.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **86440.00** में से 50% रू० **43220.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनुश्री जायसवाल** से तथा शेष 50% रू० **43220.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**08**

प्र०सं०–197– ग्राम पंचायत **मिदनियागढ़ी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	24-09-2021	17700.0	**ठेला क्रय**
	योग –	**17700.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **17700.00** में से 50% रू० **8850.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अनुश्री जायसवाल** से तथा शेष 50% रू० **8850.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**09**

ग्राम पंचायत – सिंगनिया विकास खण्ड – लखीमपुर जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–198– ग्राम पंचायत **सिंगनिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	13-03-2022	45622.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग –	**45622.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **45622.00** में से 50% रू० **22811.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती कमरूनिशां** से तथा शेष 50% रू० **22811.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–199– ग्राम पंचायत **सिंगनिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **वॉल पेन्टिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	14-02-2022	1000.00	ग्राम पंचायत में वॉल पेन्टिंग कार्य
	योग –	**1000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **1000.00** में से 50% रू० **500.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती कमरूनिशां** से तथा शेष 50% रू० **500.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–200– ग्राम पंचायत **सिंगनिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	17-01-2022	74635.00	हयूम पाइप क्रय
2-	09-03-2022	9792.00	हयूम पाइप क्रय
	योग –	**84427.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप क्रय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **84427.00** में से 50% रू० **42213.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती कमरूनिशां** से तथा शेष 50% रू० **42213.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–201– ग्राम पंचायत **सिंगनिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	09-03-2022	40412.00	इरशाद के घर से बड़ी चौक तक नाली निर्माण कार्य
	योग –	**40412.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त

प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **40412.00** में से 50% रू० **20206.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती कमरूनिशां** से तथा शेष 50% रू० **20206.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–202– ग्राम पंचायत **सिंगनिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	09-03-2022	52720.00	इरशाद के घर से बड़ी चौक तक खडन्जा निर्माण कार्य
2-	09-03-2022	43945.00	निसार के घर से इमामुद्दीन के घर तक खडन्जा निर्माण
	योग –	**96665.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **96665.00** में से 50% रू० **48332.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती कमरूनिशां** से तथा शेष 50% रू० **48332.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–203– ग्राम पंचायत **सिंगनिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	21-01-2022	178158.00	नुसरत के घर से मस्जिद तक इण्टर लॉकिंग कार्य
2-	22-01-2022	34608.00	नुसरत के घर से मस्जिद तक इण्टर लॉकिंग कार्य
3-	24-01-2022	36426.00	नुसरत के घर से मस्जिद तक इण्टर लॉकिंग कार्य
4-	17-02-2022	9218.00	नुसरत के घर से मस्जिद तक इण्टर लॉकिंग कार्य
	योग –	**258410.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण

आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **258410.00** में से 50% रू० **129205.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती कमरूनिशां** से तथा शेष 50% रू० **129205.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

प्र०सं०–204– ग्राम पंचायत **सिंगनिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्राथमिक विद्यालय में मिट्टी पटाई** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	21-01-2022	14948.00	प्राथमिक विद्यालय परिसर में मिट्टी पटाई कार्य
2-	24-01-2022	15912.00	प्राथमिक विद्यालय परिसर में मिट्टी पटाई कार्य
3-	17-02-2022	3264.00	प्राथमिक विद्यालय परिसर में मिट्टी पटाई कार्य
	योग –	**34124.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्राथमिक विद्यालय में मिट्टी पटाई** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो

उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **34124.00** में से 50% रू० **17062.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती कमरूनिशां** से तथा शेष 50% रू० **17062.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**07**

प्र०सं०–205– ग्राम पंचायत **सिंगनिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सामुदायिक शौचालय मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	10-07-2021	27000.00	सामुदायिक शौचालय मानदेय
2-	15-03-2022	9000.00	सामुदायिक शौचालय मानदेय
	योग –	**36000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय में मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **36000.00** में से 50% रू० **18000.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती कमरूनिशां** से तथा शेष 50% रू० **18000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**08**

प्र०सं०–206– ग्राम पंचायत **सिंगनिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रधान मानदेय** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	12-03-2022	39500.00	प्रधान मानदेय पर व्यय
	योग –	**39500.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, मानदेय रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी

लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रधान मानदेय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **39500.00** में से 50% रू० **19750.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती कमरूनिशां** से तथा शेष 50% रू० **19750.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**09**

प्र०सं०–207– ग्राम पंचायत **सिंगनिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	24-01-2022	59950.00	कम्पयूटर पर व्यय
2-	17-02-2022	5000.00	स्टेशनरी क्रय
3-	09-03-2022	3000.00	फीडिंग कार्य पर व्यय
4-	28-03-2022	5000.00	स्टेशनरी क्रय
	योग –	**72950.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **72950.00** में से 50% रू० **36475.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती कमरूनिशां** से तथा शेष 50% रू० **36475.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**10**

प्र०सं०–208– ग्राम पंचायत **सिंगनिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	30-12-2021	17700.00	ठेला क्रय
2-	13-03-2022	5320.00	ठेला क्रय
	योग –	**23020.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **23020.00** में से 50% रू० **11510.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती कमरूनिशां** से तथा शेष 50% रू० **11510.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री कौशल किशोर** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**11**

ग्राम पंचायत – अटरिया विकास खण्ड – पलिया जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–209– ग्राम पंचायत **अटरिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	09-02-2022	99092.00	
2-	10-02-2022	107775.00	
	योग –	**206867.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम

पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **206867.00** में से 50% रू० **103433.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती सुशीला देवी** से तथा शेष 50% रू० **103433.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री देवाशीष श्रीवास्तव/ि"ावा"ीश श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–210– ग्राम पंचायत **अटरिया.** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **स्ट्रीट लाईट** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	01-01-2021	249216.00	स्ट्रीट लाईट निर्माण
	योग –	**249216.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **स्ट्रीट लाईट** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **249216.00** में से 50% रू० **124608.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती सुशीला देवी** से तथा शेष 50% रू० **124608.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–211– ग्राम पंचायत **अटरिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	24-12-2021	166281.75	प्रेमचन्द्र के घर से धर्मवीर के घर तक नाली निर्माण
2-	25-12-2021	56092.00	प्रेमचन्द्र के घर से धर्मवीर के घर तक नाली निर्माण
3-	28-12-2021	111342.20	प्रेमचन्द्र के घर से धर्मवीर के घर तक नाली निर्माण
	योग –	**333715.95**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–

207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **333715.95** में से 50% रू० **166857.98** ग्राम प्रधान **श्रीमती सुशीला देवी** से तथा शेष 50% रू० **166857.98** ग्राम पंचायत सचिव **श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

ग्राम पंचायत – बसन्तापुरखुर्द विकास खण्ड – पलिया जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–212– ग्राम पंचायत **बसन्तापुरखुर्द** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	31-03-2022	206867.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**206867.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **206867.00** में से 50% रू० **103433.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती लक्ष्मी देवी** से तथा शेष 50% रू० **103433.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री**

शिवाशीष श्रीवास्तव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–213– ग्राम पंचायत **बसन्तापुरखुर्द** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	18-01-2022	22652.00	सर्वेश के घर से पूरन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
2-	03-02-2022	18464.00	सर्वेश के घर से पूरन के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य
	योग –	**41116.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **41116.00** में से 50% रू० **20558.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती लक्ष्मी देवी** से तथा शेष 50% रू० **20558.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–214– ग्राम पंचायत **बसन्तापुरखुर्द** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	22-10-2021	13260.00	रामगोपाल के घर से प्रा०वि० बसन्तापुर तक इण्टर लॉकिंग
2-	22-10-2021	6871.00	रामगोपाल के घर से प्रा०वि० बसन्तापुर तक इण्टर लॉकिंग
3-	22-10-2021	32639.00	रामगोपाल के घर से प्रा०वि० बसन्तापुर तक इण्टर लॉकिंग
4-	22-10-2021	94624.00	रामगोपाल के घर से प्रा०वि० बसन्तापुर तक इण्टर लॉकिंग
5-	22-10-2021	32956.00	रामगोपाल के घर से प्रा०वि० बसन्तापुर तक इण्टर लॉकिंग
6-	22-10-2021	111106.00	दशरथ के घर से छोटे के घर तक इण्टर लॉकिंग
7-	22-10-2021	24768.00	दशरथ के घर से छोटे के घर तक इण्टर लॉकिंग

योग – 316224.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **316224.00** में से 50% रू० **158112.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती लक्ष्मी देवी** से तथा शेष 50% रू० **158112.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–215– ग्राम पंचायत **बसन्तापुरखुर्द** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	29-09-2021	31800.00	फर्नीचर क्रय
2-	29-09-2021	15000.00	अलमारी क्रय
3-	10-12-2021	3156.00	टेण्डर प्रकाशन

योग – 49956.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है

अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **49956.00** में से 50% रू० **24978.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती लक्ष्मी देवी** से तथा शेष 50% रू० **24978.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

ग्राम पंचायत – बड़ागाँव विकास खण्ड – पलिया जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–216– ग्राम पंचायत **बड़ागाँव** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	05-12-2021	175305.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
2-	12-12-2021	99092.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
3-	14-12-2021	31562.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
4-	14-12-2021	107775.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**413734.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **413734.00** में से 50% रू० **206867.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती जेबा** से तथा शेष 50% रू० **206867.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–217– ग्राम पंचायत **बड़ागाँव** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	08-01-2022	49709.00	इलियास के घर से सियाउद्दीन के घर तक खडन्जा निर्माण
2-	08-01-2022	156967.00	पी०डब्लू०डी० रोड से दौलत के घर तक खडन्जा निर्माण
3-	08-01-2022	31024.00	पी०डब्लू०डी० रोड से दौलत के घर तक खडन्जा निर्माण
4-	15-01-2022	16160.00	पी०डब्लू०डी० रोड से दौलत के घर तक खडन्जा निर्माण

5- 15-01-2022 16336.00 पी०डब्लू०डी० रोड से दौलत के घर तक खडन्जा निर्माण

योग – 270196.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **270196.00** में से 50% रू० **135098.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती जेबा** से तथा शेष 50% रू० **135098.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -02

प्र०सं०–218– ग्राम पंचायत **बड़गाँव** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	29-09-2021	35500.00	अलमारी, कुर्सी, मेज क्रय
2-	08-11-2021	5962.00	टेण्डर विज्ञापन
3-	10-12-2021	4629.00	टेण्डर विज्ञापन

योग – 46091.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **46091.00** में से 50% रू० **23045.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती जेबा** से तथा शेष 50% रू० **23045.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

ग्राम पंचायत – बिजौरिया विकास खण्ड – पलिया जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–219– ग्राम पंचायत **बिजौरिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	11-01-2022	160500.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**160500.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **160500.00** में से 50% रू० **80250.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती आशा देवी** से तथा शेष 50% रू० **80250.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–220– ग्राम पंचायत **बिजौरिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	15-02-2022	231725.00	हयूम पाइप क्रय
	योग –	**231725.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं

टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **231725.00** में से 50% रू० **115862.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती आशा देवी** से तथा शेष 50% रू० **115862.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–221– ग्राम पंचायत **बिजौरिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **स्ट्रीट लाईट** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	09-11-2021	249139.00	स्ट्रीट लाईट पर व्यय
	योग –		

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **स्ट्रीट लाईट** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **249139.00** में से 50% रू० **124569.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती आशा देवी** से तथा शेष 50% रू० **124569.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री**

राजेन्द्र सिंह से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–222– ग्राम पंचायत **बिजौरिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	13-12-2021	26732.00	सोनू के घर से रामनिवास के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
2-	13-12-2021	157280.00	सोनू के घर से रामनिवास के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
3-	13-12-2021	26382.00	सरवन के घर से प्रदीप के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
4-	13-12-2021	154245.00	सरवन के घर से प्रदीप के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
5-	22-12-2021	126991.00	सरवन के घर से प्रदीप के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
	योग –	**491630.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **491630.00** में से 50% रू० **245815.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती आशा देवी** से तथा शेष 50% रू० **245815.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

ग्राम पंचायत – छेदियापूरब विकास खण्ड – पलिया जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–223– ग्राम पंचायत **छेदियापूरब** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	02-11-2021	35245.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	02-11-2021	93236.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**128481.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–

207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **128481.00** में से 50% रू० **64240.50** ग्राम प्रधान **श्री रामनरेश** से तथा शेष 50% रू० **64240.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।सा आ सं -**01**

प्र०सं०–224– ग्राम पंचायत **छेदियापूरब** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	30-12-2021	94889.00	हयूम पाइप
	योग –	**94889.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **94889.00** में से 50% रू० **47444.50** ग्राम प्रधान **श्री रामनरेश** से तथा शेष 50% रू० **47444.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

. सा आ सं -**02**

प्र०सं०–225– ग्राम पंचायत **छेदियापूरब** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **स्ट्रीट लाईट** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	25-11-2021	249139.00	स्ट्रीट लाईट क्रय
	योग –	**249139.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **स्ट्रीट लाईट** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **249139.00** में से 50% रू० **124569.50** ग्राम प्रधान **श्री रामनरेश** से तथा शेष 50% रू० **124569.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–226– ग्राम पंचायत **छेदियापूरब** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	10-03-2022	41871.00	रामनरेश के घर से हरीकिशन के खेत तक नाली निर्माण
2-	12-03-2022	17316.00	रामनरेश के घर से हरीकिशन के खेत तक नाली निर्माण
3-	10-03-2022	109575.00	कन्हैया के घर से पूरन के घर तक नाली निर्माण
4-	12-03-2022	56204.00	कन्हैया के घर से पूरन के घर तक नाली निर्माण
5-	21-03-2022	30464.00	कन्हैया के घर से पूरन के घर तक नाली निर्माण
	योग –	**255430.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके

कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **255430.00** में से 50% रू० **127715.00** ग्राम प्रधान **श्री रामनरेश** से तथा शेष 50% रू० **127715.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–227– ग्राम पंचायत **छेदियापूरब** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	12-12-2021	77830.00	आर०सी०सी० रोड से सालिकराम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
2-	12-12-2021	13818.00	आर०सी०सी० रोड से सालिकराम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
3-	12-12-2021	10028.00	पिच रोड से नन्दलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
4-	12-12-2021	56120.00	पिच रोड से नन्दलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
	योग –	**157796.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **157796.00** में से 50% रू० **78898.00** ग्राम प्रधान **श्री रामनरेश** से तथा शेष 50% रू० **78898.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–228– ग्राम पंचायत **छेदियापूरब** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	14-12-2021	3990.00	टेण्डर प्रकाशन
2-	30-12-2021	48840.00	कुर्सी, मेज, दरा
3-	21-03-2022	7980.00	टेण्डर प्रकाशन
	योग –	**60810.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **60810.00** में से 50% रू० **30405.00** ग्राम प्रधान **श्री रामनरेश** से तथा शेष 50% रू० **30405.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

ग्राम पंचायत – मलिनिया विकास खण्ड – पलिया जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–229– ग्राम पंचायत **मलिनिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **स्ट्रीट लाईट** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	13-12-2021	254440.00	स्ट्रीट लाईट पर व्यय
2-	12-03-2022	239440.00	स्ट्रीट लाईट पर व्यय
	योग –	**493880.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम

प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **स्ट्रीट लाईट** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **493880.00** में से 50% रू० **246940.00** ग्राम प्रधान **श्री राजदीप सिंह** से तथा शेष 50% रू० **246940.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–230– ग्राम पंचायत **मलिनिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **खडन्जा निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	22-09-2021	121572.00	श्री किशन के घर से राधेश्याम के घर तक खडन्जा निर्माण
2-	22-09-2021	67330.00	ए०एन०एम० सेन्टर से विजय शुक्ला के घर तक खडन्जा निर्माण
3-	22-09-2021	28692.00	ए०एन०एम० सेन्टर से विजय शुक्ला के घर तक खडन्जा निर्माण
4-	22-09-2021	15823.00	श्री किशन के घर से राधेश्याम के घर तक खडन्जा निर्माण
5-	19-10-2021	35014.00	श्री किशन के घर से राधेश्याम के घर तक खडन्जा निर्माण
	योग –	**268431.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **खडन्जा निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **268431.00** में से 50% रू०

134215.50 ग्राम प्रधान **श्री राजदीप सिंह** से तथा शेष 50% रू० **134215.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

ग्राम पंचायत – बेलाकलां विकास खण्ड – पलिया जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–231– ग्राम पंचायत **बेलाकलां** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत / रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	30-11-2021	224700.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
2-	30-11-2021	160500.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
3-	19-02-2022	64200.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
4-	12-03-2022	20700.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग –	**470100.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **470100.00** में से 50% रू० **235050.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती नीलम कुमारी** से तथा शेष 50% रू० **235050.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–232– ग्राम पंचायत **बेलाकलां** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **स्ट्रीट लाईट** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	30-11-2021	249139.00	स्ट्रीट लाईट क्रय
2-	28-03-2022	81287.00	स्ट्रीट लाईट क्रय
	योग –	**330426.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **स्ट्रीट लाईट** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **330426.00** में से 50% रू० **165213.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती नीलम कुमारी** से तथा शेष 50% रू० **165213.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -02

प्र०सं०–233– वर्ष 2020-21 मे ह्यूम पाइप क्रय पर रुपए-328785=00 व्यय किया गया है। जिसकी मूल पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण के समान है जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती नीलम कुमारी एवं तत्कालीन सचिव श्री राजेन्द्र सिंह उत्तरदाई हैं। अतः प्रधान एवं सचिव से रुपए की वसूली बराबर- बराबर की जानी अपेक्षित है।

1-उत्तर प्रदेश पंचायत नि०-1947 के नियम -204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -5 (12) के अंतर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा -194 सी के अंतर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गए टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा -51 के अंतर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जांच नहीं की जा सकी।

2- ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्ययोजना, कार्य का स्टीमेट (नियम -207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य की आई०डी०, कोटेशन/ निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, ह्यूम पाइप के स्थापित स्थलों की सूची, लैंडमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टाक बुक,कार्यपूर्ति/ उपभोग प्रमाण पत्र (नियम 209), कार्य की एम०बी०आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जांच नहीं की जा सकी।

3- ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खण्ड -7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें"। परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

अध्याय -8 खण्ड -8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी।

चूंकि ग्राम पंचायत में उक्त कार्य पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणक विहीन है, अतः उपरोक्त आधार पर व्यय की समस्त धनराशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों अंतर्गत अधिभार योग्य है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि- 328785=00 में से 50% रुपया-164392=50 ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम कुमारी से तथा शेष 50% रुपया-164392=00 ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेन्द्र सिंह से वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–234– ग्राम पंचायत **बेलाकलां** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	23-01-2022	236146.00	सफीकुल रहमान से मो० याकूब के घर तक इण्टर लॉकिंग
2-	23-01-2022	219690.00	राधेश्याम के घर से मस्जिद तक इण्टर लॉकिंग
3-	22-03-2022	227987.00	मेडाई के बंगले से लालजी के घर तक इण्टर लॉकिंग
4-	22-03-2022	225121.00	डामर रोड से गुरूचरन के घर तक इण्टर लॉकिंग
	योग –	**908944.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **908944.00** में से 50% रू० **454472.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती नीलम कुमारी** से तथा शेष 50% रू० **454472.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–235– ग्राम पंचायत **बेलाकलां** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	14-12-2021	3213.00	टेण्डर प्रकाशन
2-	22-12-2021	48850.00	कुर्सी, मेज, दरा
3-	14-02-2022	41983.00	इनवर्टर + बैटरी
4-	19-02-2022	3213.00	टेण्डर प्रकाशन
5-	14-03-2022	8990.00	स्टेशनरी + फोटोकापी
6-	30-03-2022	3990.00	टेण्डर प्रकाशन
	योग –	**110239**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **110239.00** में से 50% रू० **55119.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती नीलम कुमारी** से तथा शेष 50% रू० **55119.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री राजेन्द्र सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

ग्राम पंचायत – कोठिया विकास खण्ड – पलिया जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–236– ग्राम पंचायत **कोठिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	19-01-2022	160117.00	तेज के घर से बुंदा देवी के घर तक नाली निर्माण
2-	19-01-2022	146387.25	तेज के घर से बुंदा देवी के घर तक नाली निर्माण
3-	09-02-2022	57960.00	तेज के घर से बुंदा देवी के घर तक नाली निर्माण
	योग –	**364464.25**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाली निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त

प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **364464.25** में से 50% रू० **82232.13** ग्राम प्रधान **श्री रमाशंकर** से तथा शेष 50% रू० **82232.12** ग्राम पंचायत सचिव **श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–237– ग्राम पंचायत **कोठिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	13-03-2022	39077.00	तेज के घर से अमर जी के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
2-	13-03-2022	13619.20	तेज के घर से अमर जी के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
3-	13-03-2022	12384.74	तेज के घर से अमर जी के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
4-	13-03-2022	128112.60	तेज के घर से अमर जी के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
	योग –	**193193.54**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **193193.54** में से 50% रू० **96596.77** ग्राम प्रधान **श्री रमाशंकर** से तथा शेष 50% रू० **96596.77** ग्राम पंचायत सचिव **श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–238– ग्राम पंचायत **कोठिया** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	27-10-2021	42650.00	फर्नीचर क्रय
2-	21-01-2022	2946.00	टेण्डर विज्ञापन
3-	13-03-2022	1953.00	टेण्डर विज्ञापन
	योग –	**47549.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये

टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **47549.00** में से 50% रू० **23774.50** ग्राम प्रधान **श्री रमाशंकर** से तथा शेष 50% रू० **23774.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

ग्राम पंचायत – गुलरा विकास खण्ड – पलिया जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–239– ग्राम पंचायत **गुलरा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	10-08-2021	30769.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**30769.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **30769.00** में से 50% रू० **15384.50** ग्राम प्रधान **श्री मो० बाबू** से तथा शेष 50% रू० **15384.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री शिवाशीष**

श्रीवास्तव से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -01

प्र०सं०–240– ग्राम पंचायत **गुलरा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	08-11-2021	101509.00	बाबू के मकान से इस्माइल के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
2-	11-11-2021	15168.00	बाबू के मकान से इस्माइल के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
3-	11-11-2021	14235.00	बाबू के मकान से इस्माइल के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
4-	11-11-2021	137200.00	बाबू के मकान से इस्माइल के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
5-	11-11-2021	20564.00	बाबू के मकान से इस्माइल के मकान तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
6-	15-11-2021	5376.00	मस्जिद से कल्लू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
7-	15-11-2021	19470.00	मस्जिद से कल्लू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण
	योग –	**313522.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **313522.00** में से 50% रू० **156761.00** ग्राम प्रधान **श्री मो० बाबू** से तथा शेष 50% रू० **156761.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -02

प्र०सं०–241– ग्राम पंचायत **गुलरा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	10-08-2021	8840.00	फोटो कापी
2-	11-12-2021	2525.00	टेण्डर प्रकाशन
	योग –	**11365.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **11365.00** में से 50% रू० **5682.50** ग्राम प्रधान **श्री मो० बाबू** से तथा शेष 50% रू० **5682.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री शिवाशीष श्रीवास्तव** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

ग्राम पंचायत – तेन्दुआ कंजा विकास खण्ड – मोहम्मदी जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–242– ग्राम पंचायत **तेन्दुआ कंजा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	15-06-2021	94400.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य
2-	07-07-2021	94398.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य
3-	07-07-2021	19950.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य
4-	16-07-2021	44300.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य
	योग –	**253048.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा

ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **253048.00** में से 50% रू० **126524.00** ग्राम प्रधान **श्री मो० शमीम** से तथा शेष 50% रू० **126524.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री चित्र बहादुर क्षेत्री** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–243– ग्राम पंचायत **तेन्दुआ कंजा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	15-06-2021	34000.00	कुर्सी, मेज, अलमारी क्रय
	योग –	**34000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **34000.00** में से 50% रू० **17000.00** ग्राम प्रधान **श्री मो० शमीम** से तथा शेष 50% रू० **17000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री चित्र बहादुर क्षेत्री** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

ग्राम पंचायत – भूड़ाखान विकास खण्ड – मोहम्मदी जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–244– ग्राम पंचायत **भूड़ाखान** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	05-07-2021	94398.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
2-	28-08-2021	98400.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
3-	28-08-2021	98400.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**291198.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **291198.00** में से 50% रू० **145599.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती मुन्नी देवी** से तथा शेष 50% रू० **145599.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री चित्र बहादुर क्षेत्री** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–245– ग्राम पंचायत **भूड़ाखान** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	21-05-2021	49500.00	हयूम पाइप क्रय
2-	05-07-2021	91200.00	हयूम पाइप क्रय
	योग –	**140700.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **140700.00** में से 50% रू०

70350.00 ग्राम प्रधान **श्रीमती मुन्नी देवी** से तथा शेष 50% रू० **70350.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री चित्र बहादुर क्षेत्री** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–246– ग्राम पंचायत **भूड़ाखान** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	13-07-2021	40000.00	कुर्सी, मेज, अलमारी
	योग –	**40000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **40000.00** में से 50% रू० **20000.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती मुन्नी देवी** से तथा शेष 50% रू० **20000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री चित्र बहादुर क्षेत्री** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

ग्राम पंचायत – अजेहरा विकास खण्ड – मोहम्मदी जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–247– ग्राम पंचायत **अजेहरा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	31-07-2021	66464.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य
2-	07-08-2021	39900.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य
3-	07-08-2021	33000.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य
4-	09-08-2021	19500.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य
	योग –	**158864.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की

एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **158864.00** में से 50% रू० **79432.00** ग्राम प्रधान **श्री अजय पाल सिंह** से तथा शेष 50% रू० **79432.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री उमेश सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–248– ग्राम पंचायत **अजेहरा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	19-07-2021	87360.00	हयूम पाइप क्रय
2-	31-07-2021	86234.00	हयूम पाइप क्रय
3-	04-08-2021	12852.00	हयूम पाइप क्रय
	योग –	**186446.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **186446.00** में से 50% रू० **93223.00** ग्राम प्रधान **श्री अजय पाल सिंह** से तथा शेष 50% रू० **93223.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री उमेश सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–249– ग्राम पंचायत **अजेहरा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार

प्रशासनिक मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	31-07-2021	40000.00	कुर्सी, मेज, अलमारी क्रय
	योग –	**40000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **40000.00** में से 50% रू० **20000.00** ग्राम प्रधान **श्री अजय पाल सिंह** से तथा शेष 50% रू० **20000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री उमेश सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

ग्राम पंचायत – अमरा **विकास खण्ड – मोहम्मदी** **जनपद – लखीमपुर–खीरी**

प्र०सं०–250– ग्राम पंचायत **अमरा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	07-08-2021	39950.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य
2-	07-08-2021	33000.00	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य
	योग –	**72950.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **72950.00** में से 50% रू० **36475.00** ग्राम प्रधान **श्री नीरज कुमार सिंह यादव** से तथा शेष 50% रू० **36475.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री उमेश सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–251– ग्राम पंचायत **अमरा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	06-08-2021	86234.00	हयूम पाइप क्रय
	योग –	**86234.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप क्रय** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **86234.00** में से 50% रू० **43117.00** ग्राम प्रधान **श्री नीरज कुमार सिंह यादव** से तथा शेष 50% रू० **43117.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री उमेश सिंह** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

ग्राम पंचायत – बरखेराकलां विकास खण्ड – मोहम्मदी जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–252– ग्राम पंचायत **बरखेराकलां** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाली निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	20-07-2021	106581.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण/मरम्मत कार्य
	योग –	**106581.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सामुदायिक शौचालय निर्माण/मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **106581.00** में से 50% रू० **53290.50** ग्राम प्रधान **श्री साजिम** से तथा शेष 50% रू० **53290.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री चित्र बहादुर क्षेत्री** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

ग्राम पंचायत – टी०टी० गोकन विकास खण्ड – मोहम्मदी जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–253– ग्राम पंचायत **टी० टी० गोकन** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	21-05-2021	64800.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
2-	12-07-2021	51200.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
3-	17-07-2021	27100.00	चबूतरा निर्माण
4-	17-07-2021	65500.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**208600.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं

कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **208600.00** में से 50% रू० **104300.00** ग्राम प्रधान **श्री रतिपाल** से तथा शेष 50% रू० **104300.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री चित्र बहादुर क्षेत्री** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–254– ग्राम पंचायत **टी० टी० गोकन** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	12-07-2021	34000.00	कुर्सी, मेज, अलमारी क्रय
	योग –	**34000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **34000.00** में से 50% रू० **17000.00** ग्राम प्रधान **श्री रतिपाल** से तथा शेष 50% रू० **17000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री चित्र बहादुर क्षेत्री** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

. सा आ सं -**02**

ग्राम पंचायत – खजुहा विकास खण्ड – मोहम्मदी जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–255– ग्राम पंचायत **खजुहा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	18-07-2021	46465.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	18-07-2021	97640.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
	योग –	**144105.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **144105.00** में से 50% रू० **72052.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती अल्पना देवी** से तथा शेष 50% रू० **72052.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्रीमती कृष्णा देवी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–256– ग्राम पंचायत **खजुहा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	18-07-2021	86234.00	हयूम पाइप क्रय
	योग –	**86234.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **86235.00** में से 50% रू० **43117.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अल्पना देवी** से तथा शेष 50% रू० **43117.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्रीमती**

कृष्णा देवी से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–257– ग्राम पंचायत **खजुहा** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **इण्टर लॉकिंग निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	09-07-2021	97250.00	भगवानदीन के घर से बाबूराम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य
	योग –	**97250.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **इण्टर लॉकिंग निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **97250.00** में से 50% रू० **48625.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अल्पना देवी** से तथा शेष 50% रू० **48625.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्रीमती कृष्णा देवी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

ग्राम पंचायत – भवानीपुर विकास खण्ड – मोहम्मदी जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–258– ग्राम पंचायत **भवानीपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	05-07-2021	94398.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
2-	20-07-2021	32450.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
3-	20-07-2021	28900.00	चबूतरा निर्माण
	योग –	**155748.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र,

कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **155748.00** में से 50% रू० **77874.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अंजली पाल** से तथा शेष 50% रू० **77874.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री चित्र बहादुर क्षेत्री** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–259– ग्राम पंचायत **भवानीपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	05-07-2021	91200.00	हयूम पाइप क्रय
	योग –	**91200.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **91200.00** में से 50% रू० **45600.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अंजली पाल** से तथा शेष 50% रू० **45600.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री चित्र बहादुर क्षेत्री** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

ग्राम पंचायत – बौआ **विकास खण्ड – मोहम्मदी** **जनपद – लखीमपुर–खीरी**

प्र०सं०–260– ग्राम पंचायत **बौआ** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	17-07-2021	26628.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
2-	17-07-2021	21448.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग –	**48076.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **48076.00** में से 50% रू० **24038.00** ग्राम प्रधान **श्री निर्मल सिंह** से तथा शेष 50% रू० **24038.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्रीमती कृष्णा देवी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–261– ग्राम पंचायत **बौआ** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सोलर स्ट्रीट लाईट** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	17-07-2021	91150.00	सोलर स्ट्रीट लाईट पर व्यय
	योग –	**91150.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सोलर स्ट्रीट लाईट** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **91150.00** में से 50% रू० **45575.00** ग्राम प्रधान **श्री निर्मल सिंह** से तथा शेष 50% रू० **45575.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्रीमती कृष्णा देवी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–262– ग्राम पंचायत **बौआ** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	17-07-2021	91125.00	हयूम पाइप क्रय
	योग –	**91125.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **91125.00** में से 50% रू० **45562.50** ग्राम प्रधान **श्री निर्मल सिंह** से तथा शेष 50% रू० **45562.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्रीमती कृष्णा देवी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–263– ग्राम पंचायत **बौआ** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	17-07-2021	65060.00	कुर्सी, मेज, दरा क्रय
	योग –	**65060.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **65060.00** में से 50% रू० **32530.00** ग्राम प्रधान **श्री निर्मल सिंह** से तथा शेष 50% रू० **32530.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्रीमती कृष्णा देवी** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

ग्राम पंचायत – मोहम्मदपुरकामी विकास खण्ड – मोहम्मदी जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–264– ग्राम पंचायत **मोहम्मदपुर कामी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	08-07-2021	97986.00	हैण्डपम्प रिबोर कार्य
2-	08-07-2021	27623.00	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य
	योग –	**125609.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं

विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **125609.00** में से 50% रू० **62804.50** ग्राम प्रधान **श्री मलिखान सिंह यादव** से तथा शेष 50% रू० **62804.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रशान्त वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–265– ग्राम पंचायत **मोहम्मदपुर कामी** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **नाला निर्माण** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	01-07-2021	53557.00	यदुवीर के घर से निर्मल के कोल्हू तक नाला निर्माण
2-	01-07-2021	61600.00	यदुवीर के घर से निर्मल के कोल्हू तक नाला निर्माण
3-	01-07-2021	42551.00	यदुवीर के घर से निर्मल के कोल्हू तक नाला निर्माण
4-	01-07-2021	40307.00	यदुवीर के घर से निर्मल के कोल्हू तक नाला निर्माण
	योग –	**198015.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **नाला निर्माण** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **198015.00** में से 50% रू० **99007.00** ग्राम प्रधान **श्री मलिखान सिंह यादव** से तथा शेष 50% रू० **99007.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री प्रशान्त वर्मा** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।सा आ सं -**02**

ग्राम पंचायत – काशीपुर विकास खण्ड – पसगवां जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–266– ग्राम पंचायत **काशीपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	08-05-2021	29300.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2-	08-05-2021	12000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
3-	12-07-2021	60400.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
4-	12-07-2021	25000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
5-	18-07-2021	26000.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
6-	28-09-2021	56978.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
7-	29-10-2021	16600.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय

8-	29-10-2021	16100.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
9-	01-12-2021	33200.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
10-	04-12-2021	33200.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
11-	12-01-2022	39310.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
12-	12-03-2022	29087.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
13-	16-03-2022	31310.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय

योग – 408485.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **408485.00** में से 50% रू० **204242.50** ग्राम प्रधान **श्री अजय कुमार** से तथा शेष 50% रू० **204242.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–267– ग्राम पंचायत **काशीपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **पंचायत भवन मरम्मत** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1-	18-09-2021	92801.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
2-	18-09-2021	85980.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य
3-	18-09-2021	20697.00	पंचायत भवन मरम्मत कार्य

योग – 199478.00

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा का विज्ञापन, प्राप्त कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, बिल, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति/उपभोग

प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **पंचायत भवन मरम्मत** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **199478.00** में से 50% रू० **99739.00** ग्राम प्रधान **श्री अजय कुमार** से तथा शेष 50% रू० **99739.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–268– ग्राम पंचायत **काशीपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	04-07-2021	10500.00	स्टेशनरी क्रय
2-	02-10-2021	4800.00	स्टेशनरी क्रय
3-	30-01-2022	59900.00	कम्प्यूटर क्रय
4-	28-03-2022	59002.00	फर्नीचर क्रय
	योग –	**134202.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण / गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **134202.00** में से 50% रू० **67101.00** ग्राम प्रधान **श्री अजय कुमार** से तथा शेष 50% रू० **67101.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–269– ग्राम पंचायत **काशीपुर** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**

1-	23-07-2021	45000.00	ठेला क्रय
2-	25-07-2021	19300.00	वृक्षारोपण कार्य
	योग –	**64300.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **64300.00** में से 50% रू० **32150.00** ग्राम प्रधान **श्री अजय कुमार** से तथा शेष 50% रू० **32150.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

ग्राम पंचायत – जमुका विकास खण्ड – पसगवां जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–270– ग्राम पंचायत **जमुका** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	28-12-2021	19020.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
2-	28-12-2021	19040.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
3-	28-12-2021	19010.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
4-	28-12-2021	19340.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
5-	28-12-2021	19140.00	हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय
6-	22-01-2022	29548.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
7-	22-01-2022	29675.00	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय
	योग –	**154773.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, हैण्डपम्प खराब होने की शिकायत, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम की स्वीकृति यदि आवश्यक हो तो, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, हैण्डपम्प स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हैण्डपम्प मरम्मत /रिबोर** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **154773.00** में से 50% रू० **77386.50** ग्राम प्रधान **श्रीमती अर्चना** से तथा शेष 50% रू० **77386.50** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**01**

प्र०सं०–271– ग्राम पंचायत **जमुका** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **वॉल पेन्टिंग** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	07-01-2021	19500.00	वॉल पेन्टिंग कार्य पर व्यय
	योग –	**19500.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **वॉल पेन्टिंग** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **19500.00** में से 50% रू० **9750.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अर्चना** से तथा शेष 50% रू० **9750.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**02**

प्र०सं०–272– ग्राम पंचायत **जमुका** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **हयूम पाइप** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	28-11-2021	89562.00	ह्यूम पाइप क्रय
	योग –	**89562.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट (नियम–207), कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक व तकनीकि स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, कोटेशन या निविदा, तुलनात्मक चार्ट, कार्य आदेश का पत्र, स्थापना स्थलों की सूची, लैण्डमार्क युक्त कार्य की तीनों चरणों की फोटोग्राफी, गवाहों की सूची हस्ताक्षर सहित, स्टॉक बुक, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र (नियम-209), कार्य की एम०बी० आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **हयूम पाइप** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **89562.00** में से 50% रू० **44781.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अर्चना** से तथा शेष 50% रू० **44781.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**03**

प्र०सं०–273– ग्राम पंचायत **जमुका** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **सफाई कार्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	26-07-2021	2856.00	सफाई कार्य पर व्यय
2-	26-07-2021	2856.00	सफाई कार्य पर व्यय
3-	26-07-2021	2856.00	सफाई कार्य पर व्यय
4-	26-07-2021	2856.00	सफाई कार्य पर व्यय
5-	26-07-2021	2856.00	सफाई कार्य पर व्यय
6-	26-07-2021	2856.00	सफाई कार्य पर व्यय
	योग –	**17136.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **सफाई कार्य** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **17136.00** में से 50% रू० **8568.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अर्चना** से तथा शेष 50% रू० **8568.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**04**

प्र०सं०–274– ग्राम पंचायत **जमुका** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **प्रशासनिक** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	07-07-2021	12500.00	स्टेशनरी क्रय
2-	26-11-2021	4870.00	अन्य
3-	30-01-2022	59900.00	कम्प्यूटर क्रय
	योग –	**77270.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **प्रशासनिक कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **77270.00** में से 50% रू० **38635.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अर्चना** से तथा शेष 50% रू० **38635.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**05**

प्र०सं०–275– ग्राम पंचायत **जमुका** में वर्ष **2021-22** में उपलब्ध कराई गई ऑन लाइन कैशबुक के अनुसार **अन्य** मद में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शित किया गया है –

क्र०सं०	**दिनाँक**	**धनराशि**	**विवरण**
1-	25-07-2021	19500.00	ठेला क्रय
2-	25-07-2021	28500.00	वृक्षारोपण कार्य पर व्यय
	योग –	**48000.00**	

उक्त व्यय के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ पाई गईं –

1– उ०प्र० पंचायत नियमावली 1947 के नियम–204 तथा ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-5(12) के अन्तर्गत व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। जिसके कारण आयकरअधिनियम 1961 की धारा–194सी के अन्तर्गत सामग्री का भुगतान करने से पूर्व काटे गये टी०डी०एस० एवं जी०एस०टी० अधिनियम 2017 की धारा–51 के अन्तर्गत जी०एस०टी० एवं टी०डी०एस० की जाँच नहीं की जा सकी।

2– ग्राम पंचायत की बैठक में पारित प्रस्ताव, कार्यवाही, कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्य की

आई०डी० का पत्र, बिल, उपभोग प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहे जिसके कारण उक्त अभिलेखों की एवं व्यय की जाँच नहीं की जा सकी।

3– ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु मांग के बाद भी लेखा परीक्षा के समय उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये।

अध्याय–8 खण्ड–8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।

चूकि ग्राम पंचायत में **उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों** पर किया गया व्यय पूर्णतया प्रमाणकविहीन एवं विवरणहीन है अतः उपरोक्त आधार पर व्यय समस्त राशि को अपहरण/गबन में आकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आकलित अपहरण की कुल धनराशि रू० **48000.00** में से 50% रू० **24000.00** ग्राम प्रधान **श्रीमती अर्चना** से तथा शेष 50% रू० **24000.00** ग्राम पंचायत सचिव **श्री सर्वेश कुमार** से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

सा आ सं -**06**

ग्राम पंचायत – सकेथू **विकास खण्ड – नकहा** **जनपद – लखीमपुर–खीरी**

प्र०सं०–276- वर्ष आलोच्य की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पंद्रहवें वित्त से दिनाँक 28-09-2021 को पी एफ एम एस संख्या आरO92101347303 से रू० 116688.00 एवं दिनाँक 30-09-2021 को पी एफ एम एस संख्या RO921014794566 से रू० 87516 तथा पाँचवें राज्य वित्त से दिनाँक 14-09-2021 को पी एफ एम एस संख्या RO92100500627 से रू० 20500.00 कुल रू० 224704.00 का भुगतान बैंक पासबुक में दर्शित है। उक्त धनराशि का लेखा कैशबुक में नहीं किया गया है और न ही व्यय प्रमाणक उपलब्ध कराया गया हैं जिस कारण व्यय रू० 224704.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार – "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी।" अतः **रू० 224704.00** की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सीमा** से संयुक्त रूप से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बाजूडीह **विकास खण्ड – नकहा** **जनपद – लखीमपुर–खीरी**

प्र०सं०–277- ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" परन्तु वर्ष आलोच्य 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु बार–बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) की बैंक स्टेटमेन्ट एवं कैशबुक ही उपलब्ध कराई गई है। कैशबुक में ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) से रू० 1343084.00 आहरित कर विभिन्न मदों में जैसे – खडन्जा मरम्मत, इण्टर लॉकिंग, नाली निर्माण, हैण्डपम्प मरम्मत, टायलीकरण आदि पर व्यय दर्शित है। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वाँछित अभिलेख जैसे – कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, एस्टिमेट, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, एम०बी०, मस्टरोल, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू० 1343084.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय धनराशि रू० 1343084.00 अधिभार योग्य है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराय जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः **रू० 1343084.00** की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री विकास सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल** से संयुक्त रूप से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

कैशबुक में दर्शित व्यय का विवरण निम्नलिखित है –

क्र०सं०	**मद (कार्य) का नाम जिस हेतु धनराशि व्यय की गई**	**व्यय धनराशि रूपये में**
1-	मुन्ना के घर से गंगाराम के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	161726.00
2-	डामर रोड से राममूर्ति के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	246920.00
3-	डामर रोड से राजा सिंह के मकान तक नाली निर्माण कार्य	245154.00
4-	डामर रोड से लेखराम के मकान तक नाली निर्माण कार्य	152676.00
5-	रामकुमार के मकान से रौनक के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	201376.00

6-	बलट्टर के मकान से राजेश के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य	157066.00
7-	राजा सिंह के मकान से सुरेन्द्र के मकान तक नाली निर्माण कार्य	42228.00
8-	प्राथमिक विद्यालय में टायलीकरण पर व्यय	20152.00
9-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर ह्यूम पाइप डलवाई पर व्यय	40156.00
10-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत पर व्यय	56074.00
11-	प्रशासनिक व्यय एवं ठेलिया क्रय पर व्यय	19556.00
	व्यय धनराशि का योगः–	**1343084.00**

ग्राम पंचायत – अमृतापुर विकास खण्ड – नकहा जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–278- वर्ष आलोच्य की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) से विभिन्न तिथियों में रू० 771063.00 आहरित कर कैशबुक में व्यय दर्शाया गया है। परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण व्यय धनराशि रू० 771063.00 अपुष्ट रही। अतः व्यय धनराशि रू० 771063.00 अधिभार योग्य है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 बिन्दु 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराय जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः **रू० 771063.00** की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री लवी सिंह** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास** से संयुक्त रूप से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में दर्शित व्यय धनराशि का विवरण निम्न है –

क्र० सं०	**दिनाँक**	**मद (कार्य) का नाम जिस हेतु धनराशि व्यय की गई**	**व्यय धनराशि रूपये में**
1-	24-12-2021	सामुदायिक शौचालय में निर्माण हेतु मटेरियल क्रय पर व्यय	81461.00
2-	24-12-2021	प्रा०वि० अमृतापुर में शौचालय मरम्मत कार्य हेतु सामग्री क्रय पर व्यय	13372.00
3-	24-12-2021	उपरोक्त कार्य पर लेबर/मिस्त्री मजदूरी भुगतान	12206.00
4-	24-12-2021	पंचायत भवन निर्माण कार्य पर व्यय धनराशि	315567.00
5-	25-12-2021	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर दरवाजे वेन्टिलेटर क्रय पर व्यय	22423.00
6-	25-12-2021	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान पर व्यय	44120.00
7-	25-12-2021	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान पर व्यय	22848.00
8-	25-12-2021	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान पर व्यय	8568.00
9-	25-12-2021	उपरोक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान पर व्यय	2652.00
10-	19-01-2022	प्रा०वि० अमृतापुर में शौचालय मरम्मत कार्य पर व्यय	60138.00
11-	05-03-2022	सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पर ईंट भुगतान पर व्यय	67038.00
12-	14-03-2022	पंचायत भवन निर्माण कार्य पर सरिय क्रय पर व्यय धनराशि	69670.00
13-	14-03-2022	फर्नीचर क्रय पर व्यय धनराशि	51000.00
		व्यय धनराशि का योगः–	**771063.00**

ग्राम पंचायत – सलहनापुर विकास खण्ड – नकहा जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–279- वर्ष आलोच्य की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) से विभिन्न तिथियों में रू० 731501.00 आहरित कर कैशबुक में विभिन्न मदों जैसे – हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर, इण्टर लॉकिंग कार्य, ह्यूम पाइप आदि पर व्यय दर्शाया गया है। परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित

कार्य योजना, ऐस्टिमेट, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली आदि अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू० 731501.00 अपुष्ट रही। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जाँच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है, पुष्टि नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 बिन्दु 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराय जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः **रू० 731501.00** की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामनिवास** से संयुक्त रूप से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

कैशबुक में दर्शित व्यय का विवरण निम्नलिखित है –

क्र०सं०	मद (कार्य) का नाम जिस हेतु धनराशि व्यय की गई	व्यय धनराशि रूपये में
1-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय (18644.00+6340.00+9510.00+27300.00=61794.00)	61794.00
2-	खडन्जा से सामुदायिक शौचालय तक इण्टरलॉकिंग कार्य एवं मजदूरी भुगतान पर व्यय (31127.00+42760.00+133486.00+13812.00+27336.00=248521.00)	248521.00
3-	ग्रा०पं० में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय (96866.00+53928.00+72898.00=223692.00	223692.00
4-	ग्रा०पं० में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय (6208.00+45885.00+57788.00+57023.00+30590.00=197494.00)	197494.00
	कुल व्यय धनराशिः–	**731501.00**

ग्राम पंचायत – रवही विकास खण्ड – नकहा जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–280- ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" परन्तु वर्ष आलोच्य 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु बार–बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) की बैंक स्टेटमेन्ट एवं कैशबुक ही उपलब्ध कराई गई है। कैशबुक में ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) से रू० 805580.00 आहरित कर विभिन्न मदों में जैसे – खडन्जा मरम्मत, चबूतरा निर्माण, हैण्डपम्प मरम्मत, टायलीकरण, सोकपिट निर्माण, सफाई कार्य आदि पर व्यय दर्शित है। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वाँछित अभिलेख जैसे – कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, एस्टिमेट, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, एम०बी०, मस्टरोल, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू० 805580.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय धनराशि रू० 805580.00 अधिभार योग्य है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराय जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः **रू० 805580.00** की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल** से संयुक्त रूप से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

कैशबुक में दर्शित व्यय का विवरण निम्नलिखित है –

क्र०सं०	मद (कार्य) का नाम जिस हेतु धनराशि व्यय की गई	व्यय धनराशि रूपये में
1-	मदारी के घर से गुरूप्रसाद के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य	239503.00
2-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर चबूतरा निर्माण पर व्यय	97240.00
3-	प्राथमिक विद्यालय रवही एवं हैदरपुर में मिट्टी पटाई कार्य	49688.00
4-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत कार्य	55345.00
5-	प्राथमिक विद्यालय में टायलीकरण पर व्यय	122331.00
6-	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण पर व्यय	193165.00
7-	ग्राम पंचायत में कुर्सी मेज पर व्यय	19546.00
8-	ग्राम पंचायत में सफाई कार्य पर व्यय	28762.00
	व्यय धनराशि का योगः–	**805580.00**

ग्राम पंचायत – मझरा **विकास खण्ड – नकहा** **जनपद – लखीमपुर–खीरी**

प्र०सं०–281- वर्ष आलोच्य की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) से विभिन्न तिथियों में रू० 949808.00 आहरित कर कैशबुक में विभिन्न मदों में व्यय दर्शाया गया है। परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक एवं मजदूरी के मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण व्यय धनराशि रू० 949808.00 अपुष्ट रही। उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 बिन्दु 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराय जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः व्यय धनराशि **रू० 949808.00** अधिभार योग्य है। जिसकी वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुधीर कुमार** से संयुक्त रूप से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

कैशबुक में विभिन्न तिथियों में दर्शित व्यय धनराशि का विवरण निम्न है –

क्र० सं०	दिनाँक	मद (कार्य) का नाम जिस हेतु धनराशि व्यय की गई	व्यय धनराशि रूपये में
1-	27-09-2021	व्यय बाबत सोकपिट लहर ब्रिक फील्ड	64165.00
2-	27-09-2021	व्यय बाबत इण्टर लॉकिंग लहर ब्रिक फील्ड	38736.00
3-	27-09-2021	व्यय बाबत सोकपिट गुरूकृपा ट्रेडर्स	97940.00
4-	27-09-2021	व्यय बाबत ठेलिया क्रय	19550.00
5-	27-09-2021	व्यय बाबत इण्टर लॉकिंग डामर रोड – अच्छेलाल शुक्ला इण्टर प्राइजेज	134810.00
6-	27-09-2021	व्यय बाबत ईंट लहर ब्रिक फील्ड	36977.00
7-	27-09-2021	व्यय बाबत इण्टर लॉकिंग डामर रोड – अच्छेलाल शुक्ला इण्टर प्राइजेज	23316.00
8-	03-10-2021	व्यय बाबत केशव के घर से बाजपेई खडन्जा कार्य ईंट लहर ब्रिक फील्ड	57883.00
9-	03-10-2021	व्यय बाबत मोहन इण्टर लॉकिंग ईंट क्रय लहर ब्रिक फील्ड	40146.00
10-	03-10-2021	व्यय बाबत श्रीराम इण्टर प्राइजेज मोहन इण्टर लॉकिंग	136653.00
11-	20-10-2021	व्यय बाबत हैण्डपम्प रिबोर मिस्त्री	9384.00
12-	20-10-2021	व्यय बाबत हैण्डपम्प रिबोर मिस्त्री	3010.00
13-	20-10-2021	व्यय बाबत हैण्डपम्प राज हैण्डपम्प इण्टर प्राइजेज	188100.00
14-	20-10-2021	व्यय बाबत हैण्डपम्प मरम्मत मिस्त्री	6450.00
15-	20-10-2021	व्यय बाबत हैण्डपम्प रिबोर लेबर	3060.00
16-	20-10-2021	व्यय बाबत हैण्डपम्प रिबोर लेबर	3060.00
17-	20-10-2021	व्यय बाबत हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	23255.00
18-	10-10-2021	व्यय बाबत ईंट क्रय लहर ब्रिक फील्ड	63313.00
		कुल व्यय धनराशिः–	**949808.00**

ग्राम पंचायत – देवरिया बसहिया विकास खण्ड – नकहा जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–282- ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" परन्तु वर्ष आलोच्य 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु बार–बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) की बैंक स्टेटमेन्ट एवं कैशबुक ही उपलब्ध कराई गई है। कैशबुक में ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) से रू० 1780983.00 आहरित कर विभिन्न मदों में जैसे – इण्टर लॉकिंग, हैण्डपम्प मरम्मत, टायलीकरण, सामुदायिक शौचालय आदि पर व्यय दर्शित है। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वाँछित अभिलेख जैसे – कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, एस्टिमेट, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, एम०बी०, मस्टरोल, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू० 1780983.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय धनराशि रू० 1780983.00 अधिभार योग्य है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराय जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः **रू० 1780983.00** में से **रू० 1423496.**00 की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री संत कुमार** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती सीमा** से **एवं रू० 357487.00** की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री संत कुमार** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती आकांक्षा** से संयुक्त रूप से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

कैशबुक में दर्शित व्यय का विवरण निम्नलिखित है –

क्र०सं०	**मद (कार्य) का नाम जिस हेतु धनराशि व्यय की गई**	**व्यय धनराशि रूपये में**
1-	प्राथमिक विद्यालय में टायल निर्माण कार्य एवं लेबर भुगतान पर व्यय	452651.00
2-	सियाराम के मकान से राममूर्ति के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य एवं लेबर भुगतान पर व्यय	201226.00
3-	बाबू के घर से भूखन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	247124.00
4-	रामनिवास के मकान से कूटी तक इण्टर लॉकिंग कार्य एवं मजदूरी भुगतान पर व्यय	245263.00
5-	रामसिंह के मकान से रामनिवास के मकान तक इण्टर लॉकिंग कार्य एवं मजदूरी भुगतान पर व्यय	247055.00
6-	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय	30177.00
7-	हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय	198306.00
8-	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय पर व्यय	159181.00
	व्यय धनराशि का योगः–	**1780983.00**

ग्राम पंचायत – बंजरिया विकास खण्ड – नकहा जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–283- ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" परन्तु वर्ष आलोच्य 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु बार–बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) की बैंक स्टेटमेन्ट एवं कैशबुक ही उपलब्ध कराई गई है। कैशबुक में ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) से रू० 680195.00 आहरित कर विभिन्न मदों में जैसे – इण्टर लॉकिंग, खडन्जा निर्माण कार्य, हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर, टायलीकरण, स्वच्छता कार्य आदि पर व्यय दर्शित है। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वाँछित अभिलेख जैसे – कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, एस्टिमेट, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, एम०बी०, मस्टरोल, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू० 680195.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय धनराशि रू० 680195.00 अधिभार योग्य है। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय धनराशि रू० 680195.00 की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराय जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः **रू० 680195.00** में से **रू० 208382.**00 की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्रीमती चमेली** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल** से तथा **रू० 471813.00** की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्रीमती चमेली** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री**

रामनिवास से संयुक्त रूप से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

कैशबुक में दर्शित व्यय का विवरण निम्नलिखित है –

क्र०सं०	मद (कार्य) का नाम जिस हेतु धनराशि व्यय की गई	व्यय धनराशि रूपये में
1-	ग्रा०पं० में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय (18250.00+12570.00=30820.00)	30820.00
2-	प्राथमिक स्कूल में टायलीकरण कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय (16021.00+90485.00+23608.00+8137.00=138251.00)	138251.00
3-	ग्राम पंचायत में स्वच्छता कार्य पर ठेलिया क्रय पर व्यय	19855.00
4-	ग्राम पंचायत में कुर्सी मेज क्रय पर व्यय	19456.00
5-	डामर रोड से रामलखन के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर ईंट क्रय एवं मजदूरी भुगतान (81915.00+28443.00=110358.00)	110358.00
6-	सामुदायिक शौचालय के रखरखाव कार्य पर व्यय	27000.00
7-	ग्रा०पं० में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर एवं मरम्मत कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय (58265.00+23098.00+9236.00+23306.00+59130.00+23652.00+28200.00+8850.00+6340.00=240077.00)	240077.00
8-	डामर रोड से श्रीकेशन के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य एवं मजदूरी भुगतान पर व्यय (25721.00+42939.00+25718.00=94378.00)	94378.00
	व्यय धनराशि का योगः–	**680195.00**

ग्राम पंचायत – चहमलपुर विकास खण्ड – नकहा जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–284- आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) से विभिन्न तिथियों में रू० 1122701.00 आहरित कर कैशबुक में विभिन्न मदों में जैसे – हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर, सोकपिट निर्माण, खडन्जा मरम्मत, सफाई कार्य, ठेलिया क्रय आदि पर व्यय दर्शाया गया है। परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित अभिलेख जैसे – कार्य योजना, एस्टिमेट, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, मस्टरोल, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू० 1122701.00 अपुष्ट रहीं। अतः व्यय धनराशि रू० 1122701.00 अधिभार योग्य है। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जाँच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। पुष्टि नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराय जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः **रू० 1122701.00** की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्रीमती गोधन्नी** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल** से संयुक्त रूप से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

कैशबुक में दर्शित व्यय का विवरण निम्नलिखित है –

क्र०सं०	मद (कार्य) का नाम जिस हेतु धनराशि व्यय की गई	व्यय धनराशि रूपये में
1-	ग्रा०पं० में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय (23255.00+12570.00+12570.00+19930.00+12570.00+19930.00+12570.00=113395.00)	113395.00
2-	ग्रा०पं० में विभिन्न स्थानों पर सोकपिट निर्माण कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय (84713.00+30422.00+84648.00+84055.00+17748.00+84055.00+12470.00=398111.00)	398111.00
3-	ग्रा०पं० में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय (19985.00+97235.00+58114.00+42432.00+33621.00+24650.00+24906.00=300943.00)	300943.00
4-	रामसागर के घर से जंडेल सिंह के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य पर सामग्री एवं मजदूरी व्यय (104449.00+83986.00+23108.00=211543.00)	211543.00
5-	ग्राम पंचायत में स्वच्छता हेतु सेनिटेशन सामग्री एवं मजदूरी व्यय (15850.00+12240.00+18250.00+13056.00=39313.00)	59396.00
6-	ग्राम पंचायत में ठेलिया क्रय हेतु भुगतान (19563.00 + 19750.00 =	39313.00

39313.00)

व्यय धनराशि का योगः– 1122701.00

ग्राम पंचायत – खानीपुर विकास खण्ड – नकहा जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–285- आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि–1 (पन्द्रहवें वित्त) से विभिन्न तिथियों में रू० 1019216.00 आहरित कर कैशबुक में व्यय दर्शाया गया है। परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक एवं मजदूरी के मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण व्यय धनराशि रू० 1019216.00 अपुष्ट रही। अतः व्यय धनराशि रू० 1019216.00 अधिभार योग्य है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराय जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः **रू० 1019216.00** की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री राजकुमार** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुधीर कुमार** से संयुक्त रूप से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

कैशबुक में दर्शित व्यय का विवरण निम्नलिखित है –

क्र० सं०	दिनाँक	मद (कार्य) का नाम जिस हेतु धनराशि व्यय की गई	व्यय धनराशि रूपये में
1-	28-09-2021	व्यय बाबत लज्जाराम – डोरे के घर इण्टर लॉकिंग	32577.00
2-	28-09-2021	व्यय बाबत डोरे – जगमोहन के घर इण्टर लॉकिंग	32136.00
3-	28-09-2021	व्यय बाबत नेशनल ब्रिक फील्ड	40903.00
4-	28-09-2021	व्यय बाबत देविका इण्टर प्राइजेज	136238.00
5-	28-09-2021	व्यय बाबत लज्जाराम – डोरे देविका इण्टर प्राइजेज	134992.00
6-	15-10-2021	व्यय हैण्डपम्प रिबोर मिस्त्री अतुल	12470.00
7-	15-10-2021	व्यय हैण्डपम्प लेबर	6324.00
8-	15-10-2021	व्यय हैण्डपम्प रिबोर मिस्त्री राजबाबू	11180.00
9-	15-10-2021	व्यय हैण्डपम्प राज हैण्डपम्प इण्टर प्राइजेज	48744.00
10-	17-10-2021	व्यय हैण्डपम्प ओम इण्टर प्राइजेज	62500.00
11-	22-11-2021	व्यय बाबत सोकपिट लेबर अतुल	14178.00
12-	22-11-2021	व्यय बाबत सोकपिट मिस्त्री अमन	12090.00
13-	22-11-2021	व्यय बाबत सोकपिट गुरूकृपा ट्रेडर्स	103901.00
14-	22-11-2021	व्यय बाबत सोकपिट लेबर	14178.00
15-	23-12-2021	व्यय बाबत सोकपिट लहर ब्रिक फील्ड	96137.00
16-	23-12-2021	व्यय बाबत हैण्डपम्प रिबोर ओम इण्टर प्राइजेज	62223.00
17-	23-12-2021	व्यय बाबत हैण्डपम्प रिबोर लेबर	4692.00
18-	23-12-2021	व्यय बाबत हैण्डपम्प रिबोर मिस्त्री	9890.00
19-	23-12-	व्यय बाबत हैण्डपम्प राज हैण्डपम्प इण्टर प्राइजेज	49223.00

	2021		
20-	23-12-2021	व्यय बाबत हैण्डपम्प मिस्त्री	9890.00
21-	23-12-2021	व्यय बाबत हैण्डपम्प रिबोर लेबर	4692.00
22-	27-01-2022	व्यय बाबत कम्प्यूटर सिस्टम	59900.00
23-	26-03-2022	व्यय बाबत जल निकासी ह्यूम पाइप शुक्ला इण्टर प्राइजेज	60158.00
		कुल व्यय धनराशिः–	**1019216.00**

प्र०सं०–286- आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त) से विभिन्न तिथियों में रू० 496233.00 आहरित कर कैशबुक में व्यय दर्शाया गया है। परन्तु उक्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक एवं मजदूरी के मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण व्यय धनराशि रू० 496233.00 अपुष्ट रही। अतः व्यय धनराशि रू० 496233.00 अधिभार योग्य है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराय जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः **रू० 496233.00** की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्री राजकुमार** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुधीर कुमार** से संयुक्त रूप से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

कैशबुक में दर्शित व्यय का विवरण निम्नलिखित है –

क्र० सं०	**दिनाँक**	**मद (कार्य) का नाम जिस हेतु धनराशि व्यय की गई**	**व्यय धनराशि रूपये में**
1-	03-10-2021	व्यय बाबत ठेलिया क्रय (सागर साईकिल)	35800.00
2-	15-10-2021	व्यय बाबत ईंट नेशनल ब्रिक फील्ड	40379.00
3-	27-10-2021	व्यय बाबत सामुदायिक भवन टाईल	163420.00
4-	27-10-2021	व्यय बाबत मिस्त्री इतवारी	14620.00
5-	27-10-2021	व्यय बाबत सामुदायिक भवन सीमेन्ट गुरूकृपा ट्रेडर्स	28434.00
6-	27-10-2021	व्यय बाबत सामुदायिक भवन मिस्त्री पिंकू	14620.00
7-	28-11-2021	व्यय बाबत पंचायत भवन मरम्मत गुरूकृपा ट्रेडर्स	38538.00
8-	28-11-2021	व्यय बाबत पंचायत भवन मरम्मत गुरूकृपा ट्रेडर्स	11767.00
9-	27-01-2022	व्यय बाबत पंचायत भवन मरम्मत गुरूकृपा ट्रेडर्स	53415.00
10-	05-02-2022	व्यय बाबत पंचायत भवन मरम्मत लेबर	5100.00
11-	05-02-2022	व्यय बाबत पंचायत भवन मरम्मत लेबर	5100.00
12-	05-02-2022	व्यय बाबत पंचायत भवन मरम्मत लेबर	5304.00
13-	05-02-2022	व्यय बाबत पंचायत भवन मरम्मत लेबर	5100.00
14-	05-02-2022	व्यय बाबत पंचायत भवन मरम्मत लेबर	5100.00
15-	05-02-2022	व्यय बाबत पंचायत भवन मरम्मत लेबर	5100.00

16-	05-02-2022	व्यय बाबत पंचायत भवन मरम्मत लेबर	5100.00
17-	05-02-2022	व्यय बाबत पंचायत भवन मरम्मत लेबर	5100.00
18-	05-02-2022	व्यय बाबत पंचायत भवन मरम्मत लेबर	5304.00
19-	17-03-2022	व्यय बाबत पंचायत भवन मरम्मत मिस्त्री	10140.00
20-	19-03-2022	व्यय बाबत पंचायत भवन मरम्मत लेबर	9750.00
21-	28-03-2022	व्यय बाबत कुर्सी मेज क्रय इंडियन स्टील	19250.00
22-	28-03-2022	व्यय बाबत सामुदायिक मिस्त्री सरोज	4896.00
23-	28-03-2022	व्यय बाबत सामुदायिक मिस्त्री	4896.00

कुल व्यय धनराशिः– 496233.00

ग्राम पंचायत – अम्बरसोत विकास खण्ड – नकहा जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–287- ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" परन्तु वर्ष आलोच्य 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु बार–बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) की बैंक स्टेटमेन्ट एवं कैशबुक ही उपलब्ध कराई गई है। कैशबुक में ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) से रू० 2400818.00 आहरित कर विभिन्न मदों में व्यय दर्शित है। उक्त रू० 2400818.00 में (बैंक चार्ज रू० 2122.00, पंचायत सहायक मानदेय भुगतान रू० 12000.00 एवं रू० 11886.00, बैंक द्वारा वापसी कुल रू० 26008.00) रू० 26008.00 घटाकर शेष धनराशि रू० 2374810.00 को कैशबुक में विभिन्न मदों में जैसे – इण्टर लॉकिंग, खडन्जा मरम्मत, सामुदायिक शौचालय, प्रशासनिक व्यय, विज्ञापन व्यय, बाउण्ड्री एवं गेट निर्माण आदि पर व्यय दर्शाया गया है, बैंक रीकैंशिलेशन प्रमाण–पत्र अप्राप्त रहने के कारण व्यय रू० 2374810.00 का विवरण नहीं खोला जा सका। लेकिन व्यय रू० 2374810.00 की पुष्टि हेतु वाँछित अभिलेख जैसे – कार्यवाही रजिस्टर, कार्य योजना, एस्टिमेट, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, एम०बी०, मस्टरोल, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू० 2374810.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः व्यय धनराशि रू० 2374810.00 अधिभार योग्य है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराय जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः **रू० 2374810.00** की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्रीमती अफसाना** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास** से संयुक्त रूप से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – नकहा विकास खण्ड – नकहा जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–288- आलोच्य वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट (ऑन लाइन) पर दर्शित आय एवं व्यय के आधार पर सम्पन्न की गई है। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" परन्तु वर्ष आलोच्य 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा हेतु बार–बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है। ई ग्राम स्वराज/प्रियासाफ्ट (ऑन लाइन) पर दर्शित वार्षिक प्राप्तियाँ एवं भुगतान अकाउंट फॉर्मेट–1 के अनुसार ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) की आय रू० 317802.00 एवं व्यय रू० 2810062.00 दर्शित है।

ग्राम निधि–1 (पंचम राज्य वित्त एवं पन्द्रहवें वित्त) से रू० 2810062.00 आहरित कर व्यय किया गया है, लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वाँछित अभिलेख जैस – हस्तलिखित कैशबुक, बैंक पासबुक, कार्यवाही रजिस्टर, कार्य

योजना, ऐस्टिमेट, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति, स्टॉक रजिस्टर, निर्माण रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, मानदेय पंजिका अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू० 2810062.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जाँच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है, पुष्टि नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।" अतः **रू० 2810062.00** में से **रू० 1169112.00** की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ब्रम्हानन्द** तथा **रू० 1640950.00** की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम** एवं **ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विकास** से संयुक्त रूप से बराबर–बराबर की जानी अपेक्षित है।

ई ग्रामस्वराज /प्रियासॉफ्ट (ऑन लाइन) पर दर्शित वार्षिक प्राप्तियां एंवम भुकतान अकाउंट फॉर्मेट -1 पर दर्शित व्यय रुपये 2810062.00 का विवरण निम्न है --

क्र	हेड ऑफ अकाउंट पेमेंट	AMOUNटी Rs
1-	पंचायत राज प्रोग्राम्स	1263997.00
2-	अदर एक्सपेंडीचर	102235.00
3-	ओ एंड एम फॉर कम्युनिटी मैनेज्ड सैनीटेशन कॉम्पलेक्स (सी बी एम - जी)	27000.00
4-	अदर एक्सपेंडिचर	188922.00
5-	अदर एक्सपेंडिचर	3500.00
6-	अदर एक्सपेंडिचर	3500.00
7-	अदर एक्सपेंडिचर	867201.00
8-	अदर एक्सपेंडिचर	353707.00
	योग पेमेंट्स=	**2810062.00**

ग्राम पंचायत – जटपुरा विकास खण्ड – बांकेगंज जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–289- आलोच्य वर्ष 2021-22 में दिनाँक 21/26-07-2021 को पूर्व प्रधान कुलवन्त सिंह का अवशेष मानदेय रू० 38500.00 भुगतान दर्शित है। अवशेष देयता की जाँच हेतु मानदेय रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही गत वर्ष की लेखा परीक्षित कोषबही ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रही है। ई–ग्राम स्वराज/प्रिया साफ्ट पर दर्शित आंकड़ों के अनुसार गत वर्ष दिनाँक 09-09-2020 को रू० 42000.00 का भुगतान किया गया था अर्थात माह अगस्त 2020 तक के मानदेय का भुगतान हो चुका था। पूर्व प्रधान का कार्यकाल दिसम्बर 2020 में ही समाप्त हो गया था अतः अधिकतम 4 माह का मानदेय देना ही अवशेष होता है किन्तु 11 माह के मानदेय का भुगतान किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि 7 माह के मानदेय **रू० 24500.00** का अधिक भुगतान किया गया जिसके लिए तत्कालीन **सचिव श्री बलराम** एवं **प्रधान श्रीमती अनीता देवी** उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली सचिव श्री बलराम से रू 12250.00 एवं प्रधान श्रीमती अनीता देवी से रू 12250.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – काकोरी विकास खण्ड – बांकेगंज जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–290- ग्राम पंचायत **काकोरी** के आलोच्य वर्ष **2021-22** की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कोषबही/ई ग्राम स्वराज में दर्शित निम्नलिखित व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख/प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। विवरण निम्नवत् है –

क्र० सं०	आपत्ति संख्या	कार्य का विवरण	वर्क आई०डी०	अपहरणकर्ता	दिनाँक	धनराशि
01		ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट	53234737	एस०एल० इण्टरप्राइजेज	13-11-2021	95000.00
				एस०एल० इण्टरप्राइजेज	13-11-2021	95000.00
				एस०एल० इण्टरप्राइजेज	13-11-2021	57000.00
				योगः–		**247000.00**

चूँकि ग्राम निधि प्रथम से दर्शित उक्त व्यय सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/प्रमाणक/पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः रू० 247000.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम

पंचायत से की जायेगी।" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय **रू० 247000.00** अधिभार योग्य है जिसके लिए तत्कालीन **प्रधान श्रीमती नीलम देवी** तथा **सचिव ग्राम पंचायत श्रीमती कृष्णा देवी** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली तातारीख दण्डनीय ब्याज सहित बराबर हिस्सों में सचिव श्री कृष्णा देवी से रू 123500.00 एवं प्रधान श्रीमती नीलम देवी से रू 123500.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत – मूड़ापसी विकास खण्ड – कुम्भी(गोला) जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–291- लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किए जाने तथा मौखिक व लिखित रूप से ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग किए जाने के बावजूद वर्ष 2021-22 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत का चार्ज किन ग्राम पंचायत अधिकारी/अधिकारियों [सचिव/सचिवों] के पास रहा, लेखा परीक्षा में चार्ज सम्बन्धी जानकारी/पत्रावली की अपेक्षा किए जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2021-22 में मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से आय–व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि ई–ग्राम स्वराज पर दर्शित वर्षान्तर्गत आय व व्यय कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ही अंकित किया गया है अथवा नहीं।

ई–ग्राम स्वराज पर अपलोडेड कैशबुक के अनुसार केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त के अन्तर्गत 2021-22 की अवधि में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है।

1– पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त के अनुसार व्यय का विवरण –

क्र०सं०	**कार्य विवरण**	**व्यय धनराशि**
1-	हैण्डपम्प रिबोर	175694.00
2-	शुभकरण के मकान से प्रताप सिंह के मकान तक इण्टरलॉक	118914.00
3-	पंचायत भवन मरम्मत	60491.00
	योग–	**355099.00**

2– पंचम राज्य वित्त के अनुसार व्यय –

क्र०सं०	**कार्य विवरण**	**व्यय धनराशि**
1-	कार्यालय व्यवस्था एवं प्रशासनिक व्यय	96660.00
2-	वॉल पेन्टिंग	3000.00
3-	सेनीटाईजेशन एवं फोगिंग	19488.00
4-	वृक्षारोपण	38580.00
5-	स्टेशनरी एवं फोगिंग	11732.00
6-	बूथ पेन्टिंग	500.00
7-	पंचायत भवन मरम्मत	149379.00
	योग–	**319339.00**

3– चतुर्थ राज्य वित्त के अनुसार रू० 21765.00 स्टेशनरी पर व्यय दर्शित है।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' पुनः लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रू० 696203.00** (1+2+3) अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण (मैनुअल कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, बिल–बाउचर, कार्य की फोटो, प्रशासनिक–तकनीकी–वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में **ग्राम प्रधान श्रीमती/सुश्री सूचि सिंह** एवं **सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सरदार सिंह राना** (ई–ग्राम स्वराज के अनुसार) व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी जिनके पास आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत का चार्ज रहा है, से कार्यावधि से किए गए व्यय के अनुसार समान रूप से ब्याज सहित वसूली हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत – कपरहा विकास खण्ड – कुम्भी(गोला) जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–292- लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किए जाने तथा मौखिक व लिखित रूप से ऑफ लाइन अभिलेखों की

मांग किए जाने के बावजूद वर्ष 2021-22 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत का चार्ज किन ग्राम पंचायत अधिकारी/अधिकारियों [सचिव/सचिवों] के पास रहा, लेखा परीक्षा में चार्ज सम्बन्धी जानकारी/पत्रावली की अपेक्षा किए जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2021-22 में मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से आय–व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि ई–ग्राम स्वराज पर दर्शित वर्षान्तर्गत आय व व्यय कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ही अंकित किया गया है अथवा नहीं।

ई–ग्राम स्वराज पर अपलोडेड कैशबुक के अनुसार केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त के अन्तर्गत 2021-22 की अवधि में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है।

1– पंचम राज्य वित्त के अनुसार व्यय का विवरण –

क्र०सं०	**कार्य विवरण**	**व्यय धनराशि**
1-	वृक्षारोपण	77160.00
2-	स्टेशनरी, फोटो कॉपी	29140.00
3-	पंचायम घर मरम्मत	146482.00
4-	बसही में मुकेश के घर से बालकराम के घर तक इण्टरलॉकिंग	237278.00
5-	देवरिया में पेन्टेड रोड से रमाकान्त के घर तक खडन्जा निर्माण	45219.00
6-	गुड्डू के घर से देवरिया गोहनिया तालाब तक नाली निर्माण	66072.00
7-	रामनरेश के घर से फूल सिंह के घर तक इण्टर लॉकिंग	109914.00
8-	गंगाराम के मकान से पारूल के मकान तक खडन्जा निर्माण	27740.00
9-	कुआं मरम्मत	112335.00
10-	ठेलिया क्रय	29260.00
11-	फर्नीचर	25800.00
12-	निविदा	1994.00
13-	स्वामित्य योजना सर्वे पर व्यय	10856.00
14-	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर	174228.00
	योग–	**1093478.00**

2– पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त के अनुसार व्यय का विवरण –

क्र०सं०	**कार्य विवरण**	**व्यय धनराशि**
1-	कपरहा में बड़ेलाल के घर से केशव के घर तक खडन्जा मरम्मत	71051.00
2-	बसही में कैलाश के मकान से मनोज के मकान तक इण्टर लॉकिंग	234259.00
3-	बसही में बालकराम के मकान से चौराहे के मकान तक इण्टर लॉकिंग	175390.00
4-	बसही में मनोज के मकान से मुकेश के मकान तक इण्टर लॉकिंग	187202.00
5-	राजेन्द्र के मकान से सुरेन्द्र के मकान तक इण्टर लॉकिंग	236949.00
6-	सुरेन्द्र के मकान से रामनरेश के मकान तक इण्टर लॉकिंग	217428.00
7-	रामनरेश के मकान से फूल सिंह के मकान तक इण्टर लॉकिंग	94969.00
8-	हैण्डम्प रिबोर	58320.00
	योग–	**1275568.00**

3– चतुर्थ राज्य वित्त के अनुसार व्यय –

क्र०सं०	**कार्य विवरण**	**व्यय धनराशि**
1-	प्रकाश व्यवस्था	39100.00
2-	हैण्डपम्प रिपेयर	9300.00
	योग–	**48400.00**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' पुनः लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रू० 2417446.00** (1+2+3) अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण (मैनुअल कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, बिल–बाउचर, कार्य की फोटो, प्रशासनिक–तकनीकी–

वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में **ग्राम प्रधान श्रीमती/सुश्री मुनीषा देवी** एवं **सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री आलोक कुमार** (ई–ग्राम स्वराज के अनुसार) व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी जिनके पास आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत का चार्ज रहा है, से कार्यावधि से किए गए व्यय के अनुसार समान रूप से ब्याज सहित वसूली हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत – रोशननगर विकास खण्ड – कुम्भी(गोला) जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–293- लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किए जाने तथा मौखिक व लिखित रूप से ऑफ लाइन अभिलेखों की मांग किए जाने के बावजूद वर्ष 2021-22 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत का चार्ज किन ग्राम पंचायत अधिकारी/अधिकारियों [सचिव/सचिवों] के पास रहा, लेखा परीक्षा में चार्ज सम्बन्धी जानकारी/पत्रावली की अपेक्षा किए जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2021-22 में मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से आय–व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि ई–ग्राम स्वराज पर दर्शित वर्षान्तर्गत आय व व्यय कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ही अंकित किया गया है अथवा नहीं।

ई–ग्राम स्वराज पर अपलोडेड कैशबुक के अनुसार केन्द्रीय वित्त/राज्य वित्त के अन्तर्गत 2021-22 की अवधि में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है।

1– पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त के अनुसार व्यय का विवरण –

क्र०सं०	कार्य विवरण	व्यय धनराशि
1-	कोविड–19 बचाव हेतु सेनीटाइजिंग	22550.00
2-	स्टेशनरी पर्चेज, फोटोकॉपी व कम्प्यूटर वर्क	80539.00
3-	अनिल के मकान से शरीफ के मकान तक इण्टर लॉकिंग	248611.00
4-	नौशाद के घर से अकबर के घर तक नाली निर्माण	161233.00
5-	फरूक के घर से सियाराम के घर तक नाली निर्माण	46836.00
6-	इमामुद्दीन के मकान से रामपाल के मकान तक नाली निर्माण	235144.00
7-	पंचायत भवन हेतु कम्प्यूटर व प्रिन्टर	59800.00
8-	पेन्टिंग	8850.00
	योग–	**863563.00**

2– पंचम राज्य वित्त के अनुसार व्यय –

क्र०सं०	कार्य विवरण	व्यय धनराशि
1-	ठेलिया एवं साफ सफाई किट	45000.00
2-	पूर्व प्रधान मानदेय	27400.00
3-	प्रशासनिक व अन्य कार्य	69100.00
4-	मथुरा के मकान से रामकुमार के मकान तक खडन्जा कार्य	69997.00
5-	रमाकान्त के मकान से रामआसरे के मकान तक नाली निर्माण	59012.00
6-	वृक्षारोपण	81160.00
7-	लाइट व एल०ई०डी० बल्ब पर व्यय	48705.00
8-	टेण्डर भुगतान	3000.00
9-	बूथ पेन्टिंग व पेन्टिंग कोविड-19	36700.00
10-	पंचायत भवन में कुर्सी–मेज आदि क्रय	38250.00
	योग–	**478324.00**

3– पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त/पंचम राज्य वित्त के अनुसार व्यय –

क्र०सं०	कार्य विवरण	व्यय धनराशि		
		केन्द्रीय वित्त	राज्य वित्त	योग
1-	हैण्डपम्प मरम्मत	52460.00	67700.00	120160.00
2-	नौशाद के घर से साकिर के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य	123656.00	105553.00	229209.00
3-	हैण्डपम्प रिबोर	266284.00	177588.00	443872.00
4-	**गौशाला में कार्य**			
	गौशाला में चारों ओर पिलर व तार फिनिशिंग	104317.00	0	104317.00
	गौशाला में चारा खिलाने की चन्नी निर्माण	0	148726.00	148726.00

गौशाला में पानी पीने का नांद निर्माण	0	78355.00	78355.00
गौशाला में चारों ओर पिलर व तार फिनिशिंग	0	0	109544.00
गौशाला में समरसेबिल, टंकी, वायरिंग व फिटिंग कार्य	0	30095.00	30095.00
योग–	**546717.00**	**608017.00**	**1264278.00**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' पुनः लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रू-2606165.00** (1+2+3) अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण (मैनुअल कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, बिल–बाउचर, कार्य की फोटो, प्रशासनिक–तकनीकी–वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में **ग्राम प्रधान श्री मो० इलियास** एवं **सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय कुमार राना** (ई–ग्राम स्वराज के अनुसार) व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी जिनके पास आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत का चार्ज रहा है, से कार्यावधि से किए गए व्यय के अनुसार समान रूप से ब्याज सहित वसूली हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत – बग्धून विकास खण्ड – कुम्भी(गोला) जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–294- पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त के अन्तर्गत हैण्डपम्प रिबोर पर किया गया व्यय, जिसका विवरण ई–ग्राम स्वराज पर अपलोडेड कैशबुक में अंकित है, किन्तु मैन्युअल कैशबुक में उल्लिखित नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में बिल–बाउचर, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, रिबोर स्थलों की सूची तथा फोटो, सम्बन्धित टेण्डर/कोटेशन एवं कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। अधोलिखित व्यय किन सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के कार्यकाल दौरान किया गया, इस सम्बन्ध में कोई सूचना/चार्ज सम्बन्धी प्रपत्र वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। विवरण निम्न है –

भुगतान तिथि	**व्यय धनराशि**	**भुगतान प्राप्तकर्ता**
28-07-2021	179700.00	डी० डी० वर्मा ट्रेडर्स
16-08-2021	179700.00	डी० डी० वर्मा ट्रेडर्स
योगः–	**359400.00**	

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।" अतः उपर्युक्त व्यय से सम्बन्धित संगत प्रमाणक समयान्तर्गत उपलब्ध नहीं कराये जाने पर व्यय धनराशि **रू० 359400.00** की ब्याज सहित वसूली **ग्राम प्रधान श्रीमती राजवती** एवं **सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अवनीश कुमार** से कार्यावधि में दर्शाये गये कार्य के अनुसार किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्र०सं०–295- लेखा परीक्षा में पंचम राज्य वित्त के अन्तर्गत किये गये निम्नलिखित व्यय के सम्बन्ध में बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मैन्युअल कैशबुक में उपर्युक्त व्यय से सम्बन्धित कोई विवरण अंकित नहीं किया गया। अधोलिखित व्यय किन सचिव/ग्राम विकास अधिकारी के कार्यकाल दौरान किया गया, इस सम्बन्ध में कोई सूचना/चार्ज सम्बन्धी प्रपत्र वर्तमान सचिव/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। ई–ग्राम स्वराज पर अपलोडेड कैशबुक के अनुसार उपर्युक्त व्यय निम्नानुसार किया गया –

क्र० सं०	**व्यय सम्बन्धित विवरण**	**भुगतान तिथि**	**धनराशि**	**भुगतान प्राप्तकर्ता**	**आपत्ति**
1-	कोविड–19, पेंटिंग, स्वच्छता, स्लोगन,	28-07-2021	172050.00	शुक्ला पुस्तक भण्डार, डी०डी०	बिल–बाउचर एवं स्टॉक पंजिका

	कुर्सी–मेल,अलमारी-दरा क्रय			वर्मा ट्रेडर्स, आयुष कम्प्यूटर्स व आर० एस० ट्रेडर्स	अनुपलब्ध रहने से व्यय अपुष्ट
2-	ग्राम पंचायत में साफ सफाई	29-07-2021	24480.00	अभिषेक सागर	बिल–बाउचर एवं मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किये जाने से व्यय अपुष्ट
3-	हैण्डपम्प मरम्मत	29-07-2021	59630.00	डी०डी० वर्मा ट्रेडर्स	बिल–बाउचर, श्रमांश पर व्यय का विवरण, मरम्मत स्थलों की सूची उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय अपुष्ट
4-	सेनिटाइजिंग	10-08-2021	59800.00	आद्या इण्टर प्राइजेज	बिल–बाउचर प्रस्तुत नहीं किये जाने से व्यय अपुष्ट
5-	हैण्डपम्प मरम्मत	10-08-2021	26330.00	डी०डी० वर्मा ट्रेडर्स	बिल–बाउचर, श्रमांश पर व्यय का विवरण, मरम्मत स्थलों की सूची उपलब्ध नहीं कराये जाने से व्यय अपुष्ट
6-	ठेलिया क्रय	10-08-2021	19500.00	डी०डी० वर्मा ट्रेडर्स	बिल–बाउचर एवं स्टॉक पंजिका अनुपलब्ध रहने से व्यय अपुष्ट

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।" अतः उपर्युक्त व्यय से सम्बन्धित संगत प्रमाणक समयान्तर्गत उपलब्ध नहीं कराये जाने पर व्यय धनराशि **रू० 361790.00** की ब्याज सहित वसूली **ग्राम प्रधान श्रीमती राजवती** एवं **सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अवनीश कुमार** से कार्यावधि में दर्शाये गये कार्य के अनुसार किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत – कफारा विकास खण्ड – रमियाबेहड़ जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–296- आलोच्य वर्ष में 14वें केन्द्र वित्त के अन्तर्गत श्रीराम इण्टर प्राइजेज से 28-07-2021 को एक ठेलिया रू० 25350.00 से क्रय की गई। इस क्रय में आपत्तिजनक है कि –

उक्त क्रय से सम्बन्धित बिल–बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।

विकास खण्ड रमियाबेहड़ में इसी आलोच्य वर्ष में कई ग्राम पंचायत में रू० 19500.00 में ठेलिया क्रय की गई है। इस प्रकार ठेलिया क्रय में रू० 5850.00 अधिक व्यय किया गया।

लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजिका भी प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे भी व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।"

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाने से व्यय दर्शित धनराशि **रू० 25350.00** अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण (बिल–बाउचर, स्टॉक पंजिका, तुलनात्मक रूप से अधिक व्यय का स्पष्टीकरण) प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में **ग्राम प्रधान श्रीमती/सुश्री तीरथ रानी** एवं **सचिव/ग्राम विकास**

अधिकारी श्री राजेश कुमार से किए गए व्यय के अनुसार ब्याज सहित वसूली हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्र०सं०–297- 15वें केन्द्र वित्त आयोग के अन्तर्गत रू० 322831.00 हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय किया जाना निम्न विवरणानुसार दर्शित है–

दिनाँक	व्यय धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
25-07-2021	124072.00	वर्मा लोहा भण्डार
25-07-2021	124071.00	वर्मा लोहा भण्डार
27-07-2021	74688.00	मौर्या मशीनरी स्टोर

उपर्युक्त व्यय से सम्बन्धित बिल–बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। एक लाख से अधिक का भुगतान किए जाने के कारण निविदा अपेक्षित थी। लेखा परीक्षा में निविदा पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गई। सक्षम प्राधिकारी/स्तर की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं रही। हैण्डपम्प रिबोर कार्य कहाँ करवाए गए तथा श्रमांश पर व्यय की स्थिति भी लेखा परीक्षा में ज्ञात नहीं हो सकी।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।" अतः समयान्तर्गत अपेक्षित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में **ग्राम प्रधान श्रीमती तीरथरानी** व **सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश कुमार** से **रू० 322831.00** की समान रूप से ब्याज सहित वसूली हेतु ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत – मूरामूरी विकास खण्ड – रमियाबेहड़ जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–298- लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मैन्युअल कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार 5वें राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत माह मई 2021 में रू० 392848.00 व्यय दर्शित है, किन्तु मैन्युअल कैशबुक में कार्य का विवरण अंकित नहीं किया गया है। ई–ग्राम स्वराज पर अपलोडेड कैशबुक में उक्त धनराशि अप्रैल 2021 में व्यय दर्शित है, जिसे निम्न दो कार्यों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया है –

1– सैनीपुरवा में स्कूल के प्रांगण में इण्टर लॉकिंग निर्माण।

2– पी०एस० बुवानपुरवा #47 खारापुरवा में स्कूल प्रांगण में इण्टर लॉकिंग।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में आपत्तिजनक है कि लेखा परीक्षा में व्यय से सम्बन्धी व्यय प्रमाणक–एम०बी०, इस्टीमेट, कार्य की फोटो, बिल–बाउचर, मस्टररोल, वित्तीय–तकनीकी–प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे व्यय अपुष्ट रहा। यह भी स्पष्ट रहा कि ई–ग्राम स्वराज पर फीडिंग में लापरवाही की जा रही है। ई–ग्राम स्वराज पर फीडिंग वास्तवित आंकड़ों एवं आहरण/व्यय तिथि के अनुसार बैंक स्टेटमेन्ट/मैन्युअल कैशबुक के समरूप की जानी अपेक्षित है। अतः मैन्युअल कैशबुक में कार्य–विवरण उल्लिखित नहीं किये जाने तथा लेखा परीक्षा में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने से व्यय अपुष्ट रहा।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार "ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।" अतः उपर्युक्त व्यय से सम्बन्धित संगत प्रमाणक समयान्तर्गत उपलब्ध नहीं कराये जाने पर व्यय धनराशि रू० 392848.00 की ब्याज सहित समान रूप से वसूली **ग्राम प्रधान श्री भारत प्रसाद** एवं **सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री पंकज कुमार** से किये जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत – मूड़ाखुर्द विकास खण्ड – बिजुआ जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–299- ग्राम पंचायत मूड़ाखुर्द के आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त/14वें वित्त आयोग की प्रस्तुत रोकड़ बही में दिनाँक 01-04-2021 से 30-06-2021 तक बैंक खाते से आहरित धनराशियों की न तो प्रविष्टि की गयी है और न ही व्यय प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए। लेखा परीक्षा में बार–बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी उक्त अवधि की रोकड़ बही और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अवधि में ई ग्राम स्वराज के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	दिनाँक	धनराशि	आहरणकर्ता
1-	जगदीश के घर से मुन्ने के घर तक नाली मरम्मत	06-05-2021	61350.00	राम जानकी ट्रेडर्स

		06-05-2021	45475.00	अग्रसेन ब्रिक फील्ड
		22-05-2021	34402.00	मजदूरी
2-	सामुदायिक शौचालय कार्य	10-05-2021	66500.00	अग्रसेन ब्रिक फील्ड
		10-05-2021	43017.00	राम जानकी ट्रेडर्स
		10-05-2021	41857.00	श्री बालाजी एग्रो ई०प्रा०
		10-05-2021	22980.00	रैन इण्टर प्राइजेज
		10-05-2021	27818.00	मजदूरी
		10-05-2021	17864.00	मजदूरी
		22-05-2021	25088.00	मजदूरी
3-	प्रा०वि० में टाइल्स कार्य	10-05-2021	17405.00	राम जानकी ट्रेडर्स
		10-05-2021	29663.00	श्री बालाजी एग्रो इ०प्रा०
		10-05-2021	95686.00	श्री बालाजी एग्रो इ०प्रा०
		10-05-2021	9975.00	अग्रसेन ब्रिक फील्ड
		10-05-2021	3400.00	बालू आपूर्ति
		10-05-2021	31811.00	मजदूरी
4-	वॉल पेन्टिंग	17-05-2021	12000.00	निखिल चन्द
5-	हैण्डपम्प मरम्मत	17-05-2021	17600.00	जयपाल, बाबूराम
6-	उ०प्रा०वि० में गेट निर्माण	17-05-2021	14910.00	अग्रसेन ब्रिक फील्ड
7-	हैण्डपम्प रिबोर	24-05-2021	61129.00	वर्मा लोहा भण्डार
		24-05-2021	22000.00	तिवारी सीमेन्ट स्टोर
		24-05-2021	39913.00	राजेश कुमार, मूलचन्द्र
8-	प्रताप के घर से गजोधर के घर तक इण्टर लॉकिंग	10-05-2021	31623.00	अग्रसेन ब्रिक फील्ड
		10-05-2021	2200.00	समीर अली बालू
		10-05-2021	7000.00	मकसूद अली मिट्टी
		10-05-2021	32348.00	मजदूरी
		10-05-2021	42509.00	अग्रसेन ब्रिक फील्ड

		10-05-2021	90860.00	राज लक्ष्मी प्रोडक्टस
		22-05-2021	23906.00	मजदूरी अग्रसेन ब्रिक फील्ड
9-	पंचायत भवन मरम्मत व रंगाई पुताई	10-05-2021	44892.00	श्री बालाजी एग्रो इ०प्रा०
		10-05-2021	95263.00	श्री बालाजी एग्रो इ०प्रा०
		10-05-2021	37658.00	मजदूरी
		22-05-2021	24710.00	मजदूरी
10-	महेश के घर से अस्पताल तक इण्टर लॉकिंग रोड निर्माण	10-05-2021	29663.00	अग्रसेन ब्रिक फील्ड
		10-05-2021	90341.00	राज लक्ष्मी प्रोडक्टस
		10-05-2021	1500.00	मिट्टी आपूर्ति
		10-05-2021	18052.00	मजदूरी
		22-05-2021	17650.00	मजदूरी
		योगः–	**1332018.00**	

राज्य वित्त/14वें वित्त आयोग मद में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात रू० 1332018.00 का व्यय प्रमाणकविहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणकविहीन व्यय रू० 1332018.00 अधिभार योग्य है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री शिवाशीष उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें रोकड़ बही, समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ – साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, जियो टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि० अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली प्रचलित दण्ड ब्याज सहित बराबर–बराबर हिस्सों में **ग्राम प्रधान श्रीमती आरती देवी से रु 666009.00** एवं **सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री शिवाशीष से रु 666009.00** करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत – सूरजपुर विकास खण्ड – बिजुआ जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–300- ग्राम पंचायत सूरजपुर के आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में 15वें वित्त आयोग की प्रस्तुत रोकड़ बही में दिनाँक 01-04-2021 से 31-07-2021 तक बैंक खाते से आहरित धनराशियों की न तो प्रविष्टि की गयी है और न ही व्यय प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए। लेखा परीक्षा में बार–बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी उक्त अवधि की रोकड़ बही और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अवधि में ई ग्राम स्वराज के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	**कार्य का नाम**	**दिनाँक**	**धनराशि**	**आहरणकर्ता**
1-	पी डब्ल्यू डी रोड से जयपाल के घर तक इण्टर लॉकिंग	21-05-2021	13336.00	अनूप ट्रेडर्स
		21-05-2021	4031.00	गुलशन बालू हेतु

		21-05-2021	23448.00	वी०के० ईंट उद्योग
		21-05-2021	64121.00	सिंह स्पन पाइप
		21-05-2021	20552.00	मजदूरी
2-	सामुदायिक शौचालय अपग्रेडेसन	21-05-2021	5320.00	संजय, शत्रोहन मिस्त्री
3-	उ०प्रा०वि० प्रथम टाइल्स कार्य	26-07-2021	86970.72	श्री श्याम टाइल्स
		26-07-2021	36934.80	तिवारी सीमेन्ट स्टोर
		26-07-2021	11812.50	वी०के० ईंट उद्योग
4-	उ०प्रा०वि० द्वितीय टाइल्स कार्य	26-07-2021	47938.68	श्री श्याम टाइल्स
		26-07-2021	18994.50	तिवारी सीमेन्ट स्टोर
		26-07-2021	6300.00	वी०के० ईंट उद्योग
5-	हैण्डपम्प रिबोर	12-07-2021	56175.00	राजेन्द्र प्रसाद राडा
		12-07-2021	60925.00	लक्ष्मी इ०प्रा०
		12-07-2021	35695.00	तिवारी सीमेन्ट स्टोर
	योगः–		**492554.20**	

15वें वित्त आयोग मद में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात रू० 492554.20 का व्यय प्रमाणक विहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय **रू० 492554.20** अधिभार योग्य है। जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार** तथा **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार वर्मा** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें रोकड़ बही, समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ–साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, जियो टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि० अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली प्रचलित दण्ड ब्याज सहित बराबर–बराबर हिस्सों में **ग्राम प्रधान श्रीमती दिनेश कुमार से रु 246277.10** एवं **सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार वर्मा से रु 246277.10** करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्र०सं०–301- ग्राम पंचायत सूरजपुर के आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में राज्य वित्त/14वें वित्त आयोग की प्रस्तुत रोकड़ बही में दिनाँक 01-04-2021 से 31-07-2021 तक बैंक खाते से आहरित धनराशियों की न तो प्रविष्टि की गयी है और न ही व्यय प्रमाणक ही लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए। लेखा परीक्षा में बार–बार मौखिक और लिखित रूप से माँगने के उपरान्त भी उक्त अवधि की रोकड़ बही और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त अवधि में ई ग्राम स्वराज के अनुसार निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र०सं०	**कार्य का नाम**	**दिनाँक**	**धनराशि**	**आहरणकर्ता**
1-	ह्यूम पाइप क्रय	12-07-2021	91665.00	सिंह स्पन पाइप

2-	उ०प्रा०वि० मरम्मत	26-07-2021	60093.00	तिवारी सीमेन्ट स्टोर
3-	सामुदायिक शौचालय अपग्रेडेशन	21-05-2021	11737.00	वी०के० ईंट उद्योग
		21-05-2021	31851.00	अनूप ट्रेडर्स
		21-05-2021	31801.00	सिंह स्पन पाइप
		21-05-2021	58101.00	वीरेन्द्र कुमार ट्रेडर्स
		21-05-2021	64573.00	वीरेन्द्र कुमार ट्रेडर्स
		21-05-2021	8542.00	पल्लवी मो० & इलेक्ट्रानिक्स
		21-05-2021	21535.00	मजदूरी
4-	हैण्डपम्प रिबोर	21-05-2021	46550.00	वीरेन्द्र कुमार ट्रेडर्स
		21-05-2021	14277.00	अनूप ट्रेडर्स
		योगः–	**440725.00**	

राज्य वित्त/14वें वित्त आयोग मद में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात रू० 440725.00 का व्यय प्रमाणक विहीन रहा जो ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल अध्याय 8 के खण्ड 7 यह कि "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" के विपरीत खण्ड 8(क) यह कि "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी" के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल प्रमाणक विहीन व्यय **रू० 440725.00** अधिभार योग्य है। जिसके लिए **ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार** तथा **ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार वर्मा** उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण जिसमें रोकड़ बही, समस्त व्यय पत्रावलियों में सभी निर्धारित अभिलेखों यथा इस्टीमेट, एम०बी०, प्रमाणकों के साथ – साथ सम्बन्धित फर्मों से प्रमाणित बिल, टेण्डर/कोटेशन (यथास्थिति) कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, जियो टैगिंग का प्रमाण, उक्त कार्यों में लगे मजदूरों के हस्ताक्षरों/नि० अंगूठों का सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से सत्यापन, कार्य स्थल की तीन स्टेप की फोटोग्राफ, अनुमोदित कार्य योजना, स्टॉक रजिस्टर, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि न प्राप्त होने पर इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों से उक्त धनराशि की वसूली प्रचलित दण्ड ब्याज सहित बराबर–बराबर हिस्सों में **ग्राम प्रधान श्रीमती दिनेश कुमार से रु 220362.50** एवं **सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अनुज कुमार वर्मा से रु 220362.50** करते हुए अपेक्षित प्रशासनिक और विधिक कार्यवाही किए जाने हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ग्राम पंचायत – पिपरागूम विकास खण्ड – फूलबेहड़ जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–302- आलोच्य वर्ष में दिनाँक 31-10-2021 को सागर साईकिल स्टोर को 5वें राज्य वित्त के अन्तर्गत रू० 35000.00 का भुगतान ठेलिया क्रय हेतु किया गया। किन्त कितनी ठेलिया क्रय की गयीं तथा क्रय की गई प्रति ठेलिया की दर क्या थी, लेखा परीक्षा में सम्बन्धित क्रय के बिल–बाउचर प्रस्तुत नहीं किये जाने से स्पष्ट नहीं हो सका। रू० बीस हजार से ऊपर की खरीद होने के कारण कोटेशन अपेक्षित है, जिसे भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। स्टॉक बुक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ठेलिया क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः, लेखा मैन्युअल अध्याय–8 के खण्ड 8(क) के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण (बिल–बाउचर, कोटेशन, क्रय की गयी ठेलिया की संख्या तथा स्टॉक बुक)

प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में **ग्राम प्रधान श्रीमती/सुश्री मीना तिवारी** तथा **सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री अजय प्रकाश** से **रू० 35000.00** की ब्याज सहित वसूली किये जाने की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत – रेहुआ विकास खण्ड – फूलबेहड़ जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–303- वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत रेहुआ में 5वें राज्य वित्त से हैण्डपम्प रिबोर पर निम्ननानुसार व्यय किया जाना दर्शित है–

दिनाँक	मद, जिस पर व्यय हुआ	भुगतान धनराशि	भुगतान प्राप्तकर्ता
04-12-2020	सामग्री क्रय	47978.00	वर्मा लोहा भण्डार
04-12-2020	सामग्री क्रय	33000.00	गोला ट्रेडर्स
04-12-2020	सामान ढुलाई	9480.00	जगदीश प्रसाद वर्मा
04-12-2020	लेबर मिस्त्री	46548.00	–
	योगः–	**137006.00**	

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित बिल–बाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये और न ही मस्टररोल उपलब्ध कराया गया। बस, कैशबुक में विवरण उल्लिखित है। हैण्डपम्प रिबोर कहाँ–कहाँ करवाया गया, सम्बन्धित कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किये जाने से अज्ञात रहा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी अनुश्रवण की स्थिति अज्ञात रही। इस सम्बन्ध में इस्टीमेट, एम०बी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो, ग्राम पंचायत में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/अनुमोदन तथा कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः, लेखा मैन्युअल अध्याय–8 के खण्ड 8(क) के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में **ग्राम प्रधान श्रीमती/सुश्री लक्ष्मी देवी** तथा **सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री सुधीर कुमार** से **रू० 137006.00** की ब्याज सहित वसूली किये जाने की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत – निबौरिया विकास खण्ड – निघासन जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–304- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत निबौरिया में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर हेतु 15वें केन्द्र वित्त से 26-11-2021 को एस० के० इण्टर प्राइजेज को रू० 174230.00 का भुगतान किया गया है।

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित बिल–बाउचर उपलब्ध नहीं कराये गये और न ही मस्टररोल उपलब्ध कराया गया। बस, कैशबुक में विवरण उल्लिखित है। हैण्डपम्प रिबोर कहाँ–कहाँ करवाया गया, सम्बन्धित कार्य पत्रावली प्रस्तुत नहीं किये जाने से अज्ञात रहा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी अनुश्रवण की स्थिति अज्ञात रही। इस सम्बन्ध में इस्टीमेट, एम०बी०, कार्य की त्रिस्तरीय फोटो, ग्राम पंचायत में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/अनुमोदन तथा कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः, लेखा मैन्युअल अध्याय–8 के खण्ड 8(क) के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः संतोषजनक स्पष्टीकरण/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में **ग्राम प्रधान श्री झगड़ू** तथा **सचिव/ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रमोद कुमार** से **रू० 174230.00** की ब्याज सहित वसूली किये जाने की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत – सीगलहा तकिया विकास खण्ड – निघासन जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–305- लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा मौखिक व लिखित रूप से ऑफलाइन अभिलेखों की मांग किए जाने के बावजूद वर्ष 2021-22 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत का चार्ज किन ग्राम पंचायत अधिकारी/अधिकारियों (सचिव/सचिवों) के पास रहा, लेखा परीक्षा में चार्ज सम्बन्धी जानकारी/पत्रावली की अपेक्षा किए जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2021-22 में मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से आय–व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि ई–ग्राम स्वराज पर दर्शित

वर्षान्तर्गत आय व व्यय कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ही अंकित किया गया है अथवा नहीं।

ई–ग्राम स्वराज पर अपलोडेड कैशबुक के अनुसार केन्द्र वित्त/राज्य वित्त के अन्तर्गत 2021-22 की अवधि में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है–

मद	कार्य का नाम	दिनाँक	धनराशि
5वाँ राज्य वित्त	पी एस करदहिया में किचन व अतिरिक्त कक्ष में टायलीकरण कार्य	15-04-2021	223992.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	पी एस बगलहा तकिया में कमरों व किचन का टायलीकरण कार्य हेतु गत वर्ष का अवशेष भुगतान	21-05-2021	131742.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय के रखरखाव हेतु मानदेय व भत्ता पर व्यय	02-07-2021	27000.00
5वाँ राज्य वित्त	ग्राम पंचायत में नालियों की साफ सफाई हेतु व्यय	09-08-2021	28500.00
	ग्राम पंचायत में नालियों की साफ सफाई हेतु व्यय	06-12-2021	17136.00
	फोगिंग हेतु डीजल पेट्रोल पर व्यय	13-12-2021	10700.00
	सेनिटायजिंग का पेमेन्ट	25-03-2022	11594.00
5वाँ राज्य वित्त	राम महेश के घर से बाबू के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु सामग्री व मस्टररोल पर व्यय	10-08-2021	202774.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	ठाकुरपुरवा सम्पर्क मार्ग से सलीम के घर तक खडन्जा मरम्मत हेतु सामग्री व मस्टररोल पर व्यय	10-08-2021	63797.00
5वाँ राज्य वित्त	सुकई के घर से भारत के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर लेबर एवं सामग्री भुगतान	08-10-2021	41009.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	मुस्तफा के घर से अवधराम के घर तक नाली निर्माण कार्य पर लेबर एवं सामग्री भुगतान	08-10-2021	192832.00
5वाँ राज्य वित्त	खडन्जे से पी S करदहिया तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर लेबर एवं सामग्री भुगतान	29-10-2021	173288.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	उत्तम के घर से भगहर तक नाली निर्माण कार्य पर लेबर व सामग्री भुगतान	29-10-2021	95731.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	अवधराम के घर से उत्तम के घर तक नाली निर्माण कार्य पर लेबर व सामग्री भुगतान	29-10-2021	123157.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	ग्राम पंचायत में 06 हैण्डपम्प रिबोर कार्य	29-10-2021	143340.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	खडन्जे से यूपीS करदहिया तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर इण्टर लॉक ईंट का भुगतान	29-10-2021	111599.00
	खडन्ज से यूपीS करदहिया तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य का अवशेष भुगतान	03-02-2022	164398.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	बाढ़ राहत हेतु नाव क्रय पर भुगतान	30-11-2021	37000.00
5वाँ राज्य वित्त	प्रधान मानदेय 01-06-2021 से 30-11-2021 तक	13-12-2021	21000.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	लियाकत के घर से सफी के आगे तालाब के घर तक नाली निर्माण कार्य पर सीमेन्ट, बालू आदि सामग्री एवं लेबर भुगतान	21-12-2021	107004.00
5वाँ राज्य वित्त	पंचायत सहायक को दिसम्बर माह का मानदेय भुगतान	11-01-2022	6000.00
	पंचायत भवन में कम्प्यूटर क्रय	20-01-2022	59900.00
	पंचायत भवन हेतु फर्नीचर क्रय	25-03-2022	62898.00
5वाँ राज्य वित्त	खडन्जे से निजामुद्दीन के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य पर सामग्री एवं लेबर भुगतान	03-02-2022	50531.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	1% ऐडमिन फंड ट्रांसफर	25-03-2022	3984.00
		योगः–	**2110906.00**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः, लेखा मैन्युअल अध्याय–8 के खण्ड 8(क) के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम

प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 2110906.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण (मैनुअल कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, बिल–बाउचर, कार्य की फोटो, प्रशासनिक–तकनीकी–वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में **ग्राम प्रधान श्रीमती शाइमा** एवं **सचिव श्री सरोज वर्मा** (ई–ग्राम स्वराज के अनुसार) व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत का चार्ज रहा है, से कार्यावधि में किए गए व्यय के अनुसार ब्याज सहित वसूली हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत – ढखेरवाखालसा विकास खण्ड – निघासन जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–306- लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा मौखिक व लिखित रूप से ऑफलाइन अभिलेखों की मांग किए जाने के बावजूद वर्ष 2021-22 के उक्त ग्राम पंचायत के सिवाय बैंक स्टेटमेन्ट के कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत का चार्ज किन ग्राम पंचायत अधिकारी/अधिकारियों (सचिव/सचिवों) के पास रहा, लेखा परीक्षा में चार्ज सम्बन्धी जानकारी/पत्रावली की अपेक्षा किए जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2021-22 में मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से आय–व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि ई–ग्राम स्वराज पर दर्शित वर्षान्तर्गत आय व व्यय कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ही अंकित किया गया है अथवा नहीं।

ई–ग्राम स्वराज पर अपलोडेड कैशबुक के अनुसार केन्द्र वित्त/राज्य वित्त के अन्तर्गत 2021-22 की अवधि में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है–

मद	कार्य का नाम	दिनाँक	धनराशि
5वाँ राज्य वित्त	पी०एस० बजरंगगढ़ में टायल्स निर्माण	24-05-2021	216902.00
4था राज्य वित्त	सामुदायिक शौचालय हेतु मानदेय	02-07-2021	27000.00
	ग्राम पंचायत में फीडिंग पर व्यय	09-08-2021	3000.00
	स्टेशनरी	13-12-2021	14619.00
5वाँ राज्य वित्त	ओमप्रकाश के घर से तालाब तक मिट्टी–खडन्जा निर्माण कार्य हेतु सामग्री एवं मस्टररोल पर व्यय	29-07-2021	30684.00
5वाँ राज्य वित्त	घनश्यामपुरवा में संतोष वर्मा के घर से आशाराम के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु सामग्री एवं मस्टररोल पर व्यय	29-07-2021	50277.00
5वाँ राज्य वित्त	घनश्यामपुरवा में रजनीश वर्मा के घर से राजेश के खेत तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु सामग्री एवं मस्टररोल पर व्यय	29-07-2021	219071.00
5वाँ राज्य वित्त	गत वर्ष अवशेष प्रधान मानदेय	01-08-2021	42000.00
		01-02-2022	14000.00
5वाँ राज्य वित्त	हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री क्रय	09-08-2021	95670.00
		10-08-2021	78234.00
5वाँ राज्य वित्त	अजीजुल रहमान के घर से नंदा के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य पर ईंट रोड़ा क्रय	09-08-2021	114942.00
		10-08-2021	52906.00
		10-08-2021	67320.00
15वाँ राज्य वित्त	मनोहर भार्गव के घर से रहीश के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर लेबर मिस्त्री, ईंट इण्टरलॉक आदि पर व्यय	17-11-2021	220480.00
		18-11-2021	26701.00
15वाँ राज्य वित्त	हैण्डपम्प रिबोर	17-11-2021	124450.00
15वाँ राज्य वित्त	जल निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय	17-11-2021	141279.00
		13-12-2021	11424.00
15वाँ राज्य वित्त	पंचायत भवन हेतु फर्नीचर क्रय	25-03-2022	62898.00
	पंचायत सहायक को दिसम्बर का मानदेय	11-01-2022	6000.00
	पंचायत भवन में कम्प्यूटर का क्रय	20-01-2022	59900.00
	पंचायत सहायक मानदेय	02-02-2022	6000.00
5 वाँ राज्य वित्त	नागेन्द्र पाण्डे के घर से प्रसादी गौतम के घर तक	20-01-2022	108313.00

एवं	नाली निर्माण कार्य		
15 वाँ केन्द्र वित्त	नागेन्द्र पाण्डे के घर से प्रसादी गौतम के घर तक	22-01-2022	236193.00
5वाँ राज्य वित्त	पंचायत भवन में सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य	02-02-2022	236280.00
5 वाँ राज्य वित्त एवं	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन मरम्मत कार्य पर लेबर पेमेन्ट	02-02-2022	59568.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	ग्राम पंचायत में पंचायत भवन सामग्री व मिस्त्री का भुगतान	02-02-2022	300533.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	1% एडमिन फंड ट्रांसफर	25-03-2022	5020.00
	योगः–		**2631664.00**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः, लेखा मैन्युअल अध्याय–8 के खण्ड 8(क) के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 2631664.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण (मैनुअल कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, बिल–बाउचर, कार्य की फोटो, प्रशासनिक–तकनीकी–वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में **ग्राम प्रधान श्रीमती अनारकली** एवं **सचिव श्री सरोज वर्मा** (ई–ग्राम स्वराज के अनुसार) व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत का चार्ज रहा है, से कार्यावधि में किए गए व्यय के अनुसार ब्याज सहित वसूली हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्र०सं०–307- आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई–ग्राम स्वराज के अनुसार रू० 2631664.00 व्यय किया जाना दर्शित है, जबकि बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू० 2653924.00 व्यय किया जाना दर्शित है। इस प्रकार बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू० 22260.00 अधिक व्यय किया जाना दर्शित है, जिसमें रू० 1044.00 बैंक कटौती के रूप में दर्शित है। अवशेष रू० 21216.00 के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में बैंक रिकॉन्सीलिएशन प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त अधिक व्यय गत वर्ष से सम्बन्धित है, जिसका भुगतान आलोच्य वर्ष में किया गया है। अतः समुचित प्रमाणकों तथा बैंक रिकॉन्सीलिएशन के अभाव में इस आशंका के बल मिलता है कि व्यय सम्बन्धी उपर्युक्त तथ्य छिपाया गया है। अतः ई–ग्राम स्वराज के सापेक्ष बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शित अधिक व्यय रू० 21216.00 की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्रीमती अनारकली** एवं **सचिव श्री सरोज वर्मा** से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – हरद्वाही विकास खण्ड – निघासन जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–308- लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा मौखिक व लिखित रूप से ऑफलाइन अभिलेखों की मांग किए जाने के बावजूद वर्ष 2021-22 के उक्त ग्राम पंचायत के सिवाय बैंक स्टेटमेन्ट के कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत का चार्ज किन ग्राम पंचायत अधिकारी/अधिकारियों (सचिव/सचिवों) के पास रहा, लेखा परीक्षा में चार्ज सम्बन्धी जानकारी/पत्रावली की अपेक्षा किए जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2021-22 में मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से आय–व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि ई–ग्राम स्वराज पर दर्शित वर्षान्तर्गत व्यय मैन्युअल कैशबुक के अनुसार ही अंकित किया गया है अथवा नहीं। ई–ग्राम स्वराज पर वर्षान्तर्गत व्यय रू० 3292110.00 दर्शित है, जबकि बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू० 32724432.00 दर्शित है, जो ई–ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय से रू० 19678.00 कम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ई–ग्राम स्वराज पर फीडिंग सही आंकड़ों के आधार पर नहीं की जा रही है। लेखा परीक्षा में बैंक रिकॉन्सीलिएशन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि उक्त अधिक व्यय आलोच्य वर्ष से सम्बन्धित है, जिसका भुगतान आगामी वर्ष में किया जाना सम्भावित/लम्बित है।

ई–ग्राम स्वराज पर अपलोडेड कैशबुक के अनुसार केन्द्र वित्त/राज्य वित्त के अन्तर्गत 2021-22 की अवधि में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है–

मद	**कार्य का नाम**	**दिनाँक**	**धनराशि**
5वाँ राज्य वित्त	सामुदायिक शौचालय पर मानदेय पर व्यय	08-07-2021	27000.00
5वाँ राज्य वित्त	पंचायत भवन निर्माण कार्य 1	30-07-2021	78060.00
		05-08-2021	133815.00

5वाँ राज्य वित्त	प्राथमिक विद्यालय हरद्वाही में टायलीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य 21	08-08-2021	234425.00
5वाँ राज्य वित्त	प्राथमिक विद्यालय हरद्वाही में टायलीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य 21	08-08-2021	165387.00
15वाँ केन्द्र वित्त	रामविलास के घर से संपत के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	08-08-2021	204952.00
		08-08-2021	25802.00
	उक्त कार्य पर बालू भुगतान	09-08-2021	5279.00
15वाँ केन्द्र वित्त	मथुरापुरवा में गल्लर के घर से राकेश चौहान के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	08-08-2021	193557.00
		08-08-2021	18972.00
		09-08-2021	3609.00
15वाँ केन्द्र वित्त	जगतराम लोहार के घर से वेदराम के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर सामग्री व मस्टररोल भुगतान	15-09-2021	244274.00
15वाँ केन्द्र वित्त	वेदप्रकाश के घर से भगवानदीन जायसवाल के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर सामग्री व मस्टररोल भुगतान	15-09-2021	235686.00
15वाँ केन्द्र वित्त	बनवारी के घर से पुलिया तक नाली निर्माण कार्य पर सामग्री व लेबर भुगतान	15-09-2021	225878.00
5वाँ राज्य वित्त	प्रमोद वर्मा प्रधान का अवशेष मानदेय भुगतान 01-09-2020 से 25-12-2020 तक	30-11-2021	14000.00
5वाँ राज्य वित्त	प्रा०वि० हरद्वाही में दक्षिण दिशा के प्रांगण में इण्टर लॉकिंग व सौन्दर्यीकरण कार्य पर लेबर व सामग्री भुगतान	05-01-2022	80487.00
		13-01-2022	24335.00
15वाँ केन्द्र वित्त	हामिद के घर से मंगल की पुलिया तक नाली निर्माण कार्य पर लेबर व सामग्री भुगतान	05-01-2022	52148.00
		13-01-2022	140231.00
15वाँ केन्द्र वित्त	स्वामीदयाल के घर से फेरूलाल के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर सामग्री व लेबर भुगतान	05-01-2022	138542.00
		13-01-2022	82632.00
5वाँ राज्य वित्त	पंचायत सहायक को दिसम्बर माह का मानदेय भुगतान	11-01-2022	6000.00
	पंचायत भवन में कम्प्यूटर क्रय कार्य	20-01-2022	59900.00
	पंचायत भवन हेतु फर्नीचर क्रय	24-03-2022	62898.00
4था राज्य वित्त	इंडिया मार्का हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	28-03-2022	19980.00
5वाँ राज्य वित्त	अश्वनी के घर से भगौती के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण पर भुगतान	28-03-2022	159447.00
5वाँ राज्य वित्त	चितिहा में अहमद हुसैन के घर से नीलकमल के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण पर भुगतान	28-03-2022	221702.00
5वाँ राज्य वित्त	हरद्वाही में मेन रोड से पिरथी के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर भुगतान	28-03-2022	191053.00
5वाँ राज्य वित्त	पिरथी के घर से मेलाराम के घर तक इण्टर लॉकिंग कार्य पर भुगतान	28-03-2022	184076.00
15वाँ केन्द्र वित्त	विवरणहीन व्यय	28-03-2022	57983.00
		योगः–	**3292110.00**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः, लेखा मैन्युअल अध्याय–8 के खण्ड 8(क) के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में

व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 3292110.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण (मैनुअल कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, बिल–बाउचर, कार्य की फोटो, प्रशासनिक–तकनीकी–वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में **ग्राम प्रधान श्री सौरभ कुमार** एवं **सचिव श्री सरोज वर्मा** (ई–ग्राम स्वराज के अनुसार) व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत का चार्ज रहा है, से कार्यावधि में किए गए व्यय के अनुसार ब्याज सहित वसूली हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत – बगलहाकुटी विकास खण्ड – निघासन जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–309- लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा मौखिक व लिखित रूप से ऑफलाइन अभिलेखों की मांग किए जाने के बावजूद वर्ष 2021-22 के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत का चार्ज किन ग्राम पंचायत अधिकारी/अधिकारियों (सचिव/सचिवों) के पास रहा, लेखा परीक्षा में चार्ज सम्बन्धी जानकारी/पत्रावली की अपेक्षा किए जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2021-22 में मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से आय–व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि ई–ग्राम स्वराज पर दर्शित वर्षान्तर्गत आय व व्यय कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ही अंकित किया गया है अथवा नहीं।

ई–ग्राम स्वराज पर अपलोडेड कैशबुक के अनुसार केन्द्र वित्त/राज्य वित्त के अन्तर्गत 2021-22 की अवधि में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है–

मद	कार्य का विवरण	दिनाँक	धनराशि
5वाँ राज्य वित्त	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य	24-04-2021	239043.00
5वाँ राज्य वित्त	ग्राम पंचायत में समयानुसार समस्त नालियों की खुदाई सफाई	23-05-2021	18500.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय के रखरखाव हेतु मानदेय भुगतान	05-07-2021	27000.00
5वाँ राज्य वित्त	पंचायत भवन में प्लास्टर, वॉल पुट्टी, रंगाई–पुताई, दरवाजा मरम्मत कार्य पर अवशेष भुगतान	19-07-2021	6961.00
		19-07-2021	157185.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	शत्रोहन की दुकान से श्रीराम के घर तक इण्टर लॉकिंग खडन्जा निर्माण कार्य पर सामग्री एवं मस्टररोल पर व्यय	19-07-2021	145965.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	ग्राम पंचायत में समयानुसार समस्त नालियों की खुदाई सफाई व कूड़ादान ठेलिया मरम्मत पर व्यय	22-07-2021	57668.00
5वाँ राज्य वित्त	कोन्हापुरवा में डा० भीमराव अम्बेडकर के प्रांगण में इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री पर व्यय	21-07-2021	87615.00
		08-08-2021	101937.00
		09-08-2021	22911.00

5वाँ राज्य वित्त	ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य	09-08-2021	19500.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	सामुदायिक शौचालय में टायल्स व इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु सामग्री व मस्टररोल पर व्यय	09-08-2021	218805.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	बगलहाकुटी में दुर्गा मन्दिर से सुन्दर भुर्जी के घर तक नाली निर्माण पर सामग्री पर भुगतान	31-10-2021	76952.00
		01-11-2021	126162.00
5वाँ राज्य वित्त	पंचायत सहायक को दिसम्बर माह का मानदेय भुगतान	11-01-2022	6000.00
	ग्राम पंचायत के पंचायत भवन में कम्प्यूटर क्रय	20-01-2022	59900.00
	पंचायत सहायक को जनवरी माह का मानदेय	19-02-2022	6000.00
	पंचायत भवन हेतु फर्नीचर क्रय	24-03-2022	62898.00
5वाँ राज्य वित्त	Rसीसी रोड से राजकुमार मिस्त्री के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री व मस्टररोल पर व्यय	20-01-2022	227652.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	ग्राम पंचायत में 07 हैण्डपम्प रिबोर कार्य	16-02-2022	174930.00
15 वाँ केन्द्र वित्त	1% ऐडमिन फंड ट्रांसफर	25-03-2022	4444.00
		योगः–	**1848028.00**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः, लेखा मैन्युअल अध्याय–8 के खण्ड 8(क) के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 1848028.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण (मैनुअल कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, बिल–बाउचर, कार्य की फोटो, प्रशासनिक–तकनीकी–वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में **ग्राम प्रधान श्रीमती/सुश्री कविता** एवं **सचिव श्री सरोज वर्मा** (ई–ग्राम स्वराज के अनुसार) व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत का चार्ज रहा है, से कार्यावधि में किए गए व्यय के अनुसार ब्याज सहित वसूली हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत – सहनखेड़ा **विकास खण्ड – निघासन** **जनपद – लखीमपुर–खीरी**

प्र०सं०–310- लेखा परीक्षा हेतु इंटीमेशन प्रेषित किये जाने तथा मौखिक व लिखित रूप से ऑफलाइन अभिलेखों की मांग किए जाने के बावजूद वर्ष 2021-22 के उक्त ग्राम पंचायत के सिवाय बैंक स्टेटमेन्ट के कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत का चार्ज किन ग्राम पंचायत अधिकारी/अधिकारियों (सचिव/सचिवों) के पास रहा, लेखा परीक्षा में चार्ज सम्बन्धी जानकारी/पत्रावली की अपेक्षा किए जाने के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया।

आलोच्य वर्ष 2021-22 में मैनुअल कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट व प्रमाणकों को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए जाने से आय–व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा यह भी ज्ञात नहीं हो सका कि ई–ग्राम स्वराज पर दर्शित वर्षान्तर्गत व्यय मैन्युहल कैशबुक के अनुसार ही अंकित किया गया है अथवा नहीं।

ई–ग्राम स्वराज पर अपलोडेड कैशबुक के अनुसार केन्द्र वित्त/राज्य वित्त के अन्तर्गत 2021-22 की अवधि में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है–

मद	कार्य का विवरण	दिनाँक	धनराशि
15वाँ केन्द्र वित्त	1-ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय के रखरखाव हेतु मानदेय	04-07-2021	27000.00
	ग्राम पंचायत में फीडिंग पर व्यय	09-08-2021	3000.00
5वाँ राज्य वित्त	इजहार के खेत से गुरूमुख के खेत तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु सामग्री व मस्टररोल पर व्यय	25-07-2021	124283.00
		28-07-2021	143975.00
5वाँ राज्य वित्त	महतिया के घर से लायकराम के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री व मस्टररोल पर व्यय	25-07-2021	65235.00
5वाँ राज्य वित्त	रियासत के घर से बब्बन के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु सामग्री एवं मस्टररोल पर व्यय	28-07-2021	119244.00
15वाँ केन्द्र वित्त	करमाली के घर से बब्बन के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु सामग्री एवं मस्टररोल पर व्यय	29-07-2021	132922.00
15वाँ केन्द्र वित्त	रफीक के घर से मोबीन के घर तक खडन्जा मरम्मत कार्य हेतु सामग्री एवं मस्टररोल पर व्यय	29-07-2021	131047.00
15वाँ केन्द्र वित्त	हैण्डपम्प रिबोर कार्य	30-09-2021	149340.00
5वाँ राज्य वित्त	ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत सफाई कार्य	19-10-2021	27132.00
5वाँ राज्य वित्त	सीसी रोड से बाबू के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री एवं मस्टररोल पर व्यय	19-10-2021	173344.00
5वाँ राज्य वित्त	मशकर के घर से डामर रोड तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री एवं मस्टररोल पर व्यय	19-10-2021	49185.00
5वाँ राज्य वित्त	पंचायत भवन में इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री व मस्टररोल पर व्यय	20-10-2021	147066.00
15वाँ केन्द्र वित्त	सी०सी० रोड से तालुका के घरा तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य हेतु सामग्री व मस्टररोल पर व्यय	20-10-2021	225417.00
15वाँ केन्द्र वित्त	मोहम्मद अहमद के घर से रब्बानी के घर तक नाली निर्माण कार्य हेतु सामग्री व मस्टररोल पर व्यय	30-10-2021	187358.00
15वाँ केन्द्र वित्त	ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप क्रय हेतु सामग्री व मस्टररोल पर व्यय	30-10-2021	90176.00
15वाँ केन्द्र वित्त	ग्राम पंचायत में शौचालय मरम्मत कार्य हेतु सामग्री व मस्टररोल पर व्यय	30-10-2021	94226.00
5वाँ राज्य वित्त	प्रधान मानदेय	12-01-2022	24500.00

5वाँ राज्य वित्त	पंचायत भवन की बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य हेतु सामग्री व मस्टररोल पर व्यय	12-01-2022	116014.00
15वाँ केन्द्र वित्त	द्वारिका के खेत से सियाराम के खेत तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु सामग्री व मस्टररोल पर व्यय	23-01-2022	114749.00
15वाँ केन्द्र वित्त	इजहार के खेत से सुन्दर के खेत तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु सामग्री व मस्टररोल पर व्यय	23-01-2022	115728.00
5वाँ राज्य वित्त	प्रकाश के घर से राममूर्ति के खेत तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु सामग्री व मस्टररोल पर व्यय	07-02-2022	92051.00
	योगः–		**2352992.00**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः, लेखा मैन्युअल अध्याय–8 के खण्ड 8(क) के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 2352992.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत संतोषजनक स्पष्टीकरण (मैनुअल कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट, इस्टीमेट, एम०बी०, मस्टररोल, अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र, बिल–बाउचर, कार्य की फोटो, प्रशासनिक–तकनीकी–वित्तीय स्वीकृति, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि) प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में **ग्राम प्रधान श्रीमती अख्तरी बेगम** एवं **सचिव श्री प्रमोद कुमार** (ई–ग्राम स्वराज के अनुसार) व अन्य सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, जिनके पास आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत का चार्ज रहा है, से कार्यावधि में किए गए व्यय के अनुसार ब्याज सहित वसूली हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

प्र०सं०–311- आलोच्य वर्ष 2021-22 में ई–ग्राम स्वराज के अनुसार रू० 2352992.00 व्यय किया जाना दर्शित है, जबकि बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू० 2355981.00 व्यय किया जाना दर्शित है। इस प्रकार बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार रू० 2989.00 अधिक व्यय किया जाना दर्शित है, जिसमें रू० 864.00 बैंक कटौती के रूप में दर्शित है। अवशेष रू० 2125.00 के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में बैंक रिकॉन्सीलिएशन प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उक्त अधिक व्यय गत वर्ष से सम्बन्धित है, जिसका भुगतान आलोच्य वर्ष में किया गया है। अतः समुचित प्रमाणकों तथा बैंक रिकॉन्सीलिएशन के अभाव में इस आशंका के बल मिलता है कि व्यय सम्बन्धी उपर्युक्त तथ्य छिपाया गया है। अतः ई–ग्राम स्वराज के सापेक्ष बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार दर्शित अधिक व्यय रू० 2125.00 की वसूली ब्याज सहित **ग्राम प्रधान श्रीमती अख्तरी बेगम** एवं **सचिव श्री प्रमोद कुमार** से की जानी अपेक्षित है

ग्राम पंचायत – रामलोक विकास खण्ड – धौरहरा जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–312- ई–ग्राम स्वराज पर अपलोडेड कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार केन्द्र वित्त/राज्य वित्त के अन्तर्गत 2021-22 की अवधि में निम्न विवरणानुसार व्यय किया गया है –

ई–ग्राम स्वराज में व्यय दिनाँक	**बैंक स्टेटमेन्ट में व्यय दिनाँक**	**मद**	**कार्य**	**वर्क** आई डी	**धनराशि**	**प्राप्तकर्ता**
25-10-2021	27-10-2021	15वाँ केन्द्र वित्त	प्रशासनिक व्यय (कोई विवरण नहीं)	37347713	3010.00	माँ भगवती ट्रेडर्स

25-10-2021	27-10-2021	15वाँ केन्द्र वित्त	ग्रा०पं० में स्वागत बोर्ड स्थापना कार्य पर व्यय	37347713	6000.00	माँ भगवती ट्रेडर्स
08-07-2021	27-07-2021	5वाँ राज्य वित्त	ग्रा०पं० में फर्नीचर क्रय	44801603	19500.00	अंकित इण्टर प्राइजेज
			योग–		**28510.00**	

उपर्युक्त व्यय से सम्बन्धित कोई बिल–बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किय गया। सम्बन्धित भुगतान प्राप्तकर्ता, जिनका विवरण उल्लिखित किया गया है, ई–ग्राम स्वराज पर अंकित सूचना के अनुसार है, जिसकी पुष्टि हेतु भौतिक/मैन्युअल रूप से बिल–बाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए।

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय–8 के खण्ड–7 के अनुसार, ग्राम प्रधान एवं सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। पुनः, लेखा मैन्युअल अध्याय–8 के खण्ड 8(क) के अनुसार, यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव से की जायेगी। अतः व्यय बाउचर व सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए जाने से व्यय दर्शित धनराशि रू० 28510.00 अधिभार योग्य है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव/ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी हैं। समयान्तर्गत बिल–बाउचर प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में **ग्राम प्रधान श्री मंगालाल** एवं **सचिव श्री योगेन्द्र वर्मा** से ब्याज सहित वसूली हेतु सक्षम विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ग्राम पंचायत – ग्रंट इनायत चीफ विकास खण्ड – मितौली जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–313- ग्राम पंचायत ग्रंट इनायत चीफ के वर्ष 2021-22 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है –

1– वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कैशबुक ही प्रस्तुत की गई, जिनके आधार पर आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं हैं या बार–बार मांग के बावजूद भी जानबूझकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

क– ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (कॉपी संलग्न) पत्राचार किया गया, ऑनलाइन कार्यक्रम की सूचना दी गई, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया, उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ख– सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा सम्बन्धित सचिवों को मात्र पत्र लिख कर दायित्व से बचने का कार्य किया गया, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग– जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्र द्वारा तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को लिखे गए पत्रों की प्रतिलिपि करके सूचना दी गई, जिनके द्वारा भी मात्र एक पत्र जारी करके दायित्व से बचने का कार्य किया गया, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। (कॉपी संलग्न)

इस प्रकार उपरोक्त के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मात्र पंचम राज्य वित्त व पन्द्रहवाँ वित्त के कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर किया गया, तथा ई–ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेन्ट आंकड़ों के

अनुसार पंचम राज्य वित्त से कुल रू० 3102087.00 का आहरण/व्यय सम्बन्धित ग्राम सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा किया गया, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे – मेजरमेंट बुक और स्टीमेट बुक, कार्य योजना, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टररोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जी०एस०टी० भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेण्डर से सम्बन्धित अभिलेख, वर्क रजिस्टर इत्यादि बार–बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियाँ व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) व 8(ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायतसे की जायेगी। वसूली के साथ–साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा, इस प्रकार आहरण की धनराशि **रू० 3102087.00** के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से आधी–आधी धनराशि **ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती देवी** और **ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री अमीर चन्द राना** से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। सा आ स-02

प्र०सं०–314- **वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कैशबुक ही प्रस्तुत की गई, जिनके आधार पर आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं हैं या बार–बार मांग के बावजूद भी जानबूझकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।**

क– ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (कॉपी संलग्न) पत्राचार किया गया, ऑनलाइन कार्यक्रम की सूचना दी गई, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया, उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ख– सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा सम्बन्धित सचिवों को मात्र पत्र लिख कर दायित्व से बचने का कार्य किया गया, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग– जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्र द्वारा तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को लिखे गए पत्रों की प्रतिलिपि करके सूचना दी गई, जिनके द्वारा भी मात्र एक पत्र जारी करके दायित्व से बचने का कार्य किया गया, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। (कॉपी संलग्न)

इस प्रकार उपरोक्त के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मात्र पंचम राज्य वित्त व पन्द्रहवाँ वित्त के कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर किया गया, तथा ई–ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेन्ट आंकड़ों के अनुसार पन्द्रहवाँ वित्त से कुल रू० 3554749.00 का आहरण/व्यय सम्बन्धित ग्राम सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा किया गया, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे – मेजरमेंट बुक और स्टीमेट बुक, कार्य योजना, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टररोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जी०एस०टी० भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेण्डर से सम्बन्धित अभिलेख, वर्क रजिस्टर इत्यादि बार–बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियाँ व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) व 8(ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायतसे की जायेगी। वसूली के साथ–

साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा, इस प्रकार आहरण की धनराशि **रू० 3554749.00** के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से आधी–आधी धनराशि **ग्राम प्रधान श्रीमती फूलमती देवी** और **ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्री अमीर चन्द राना** से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

नोट - पत्राचार का विवरण - 1 . सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सम्बोधित एवं सम्बंधित ग्राम विकास अधिकारी / सचिव तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि - मेमो 1 दिनांक 15 -12 -22 ,मेमो 2 दिनांक 21-12-22,मेमो 3 दिनांक 26-12-22, मेमो 4 दिनांक 30-12-22,मेमो 5 दिनांक 04-01-2023,मेमो 6 दिनांक 11-01-2023,मेमो 7 दिनांक 27-01-2023,मेमो 8 दिनांक 17-03-2023

2 . सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा समस्त ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी को सम्बोधित तथा खंड

विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि - पत्रांक-0514 दिनांक 05 -01 -2023 ,

पत्रांक- 0535 दिनांक 16 -01 -2023 व पत्रांक-0667 दिनांक 24 –03 -2023

3 . जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के पत्रांक 5093 दिनांक 12 -01-2023 द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सम्बोधित सा आ स-03

ग्राम पंचायत – मूड़ाहरदासपुर विकास खण्ड – मितौली जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–315- ग्राम पंचायत मूड़ाहरदासपुर के वर्ष 2021-22 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है –

1– वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कैशबुक ही प्रस्तुत की गई, जिनके आधार पर आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं हैं या बार–बार मांग के बावजूद भी जानबूझकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

क– ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (कॉपी संलग्न) पत्राचार किया गया, ऑनलाइन कार्यक्रम की सूचना दी गई, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया, उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ख– सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा सम्बन्धित सचिवों को मात्र पत्र लिख कर दायित्व से बचने का कार्य किया गया, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग– जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्र द्वारा तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को लिखे गए पत्रों की प्रतिलिपि करके सूचना दी गई, जिनके द्वारा भी मात्र एक पत्र जारी करके दायित्व से बचने का कार्य किया गया, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। (कॉपी संलग्न)

इस प्रकार उपरोक्त के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मात्र पंचम राज्य वित्त व पन्द्रहवाँ वित्त के कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर किया गया, तथा ई–ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के

आधार पर ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेन्ट आंकड़ों के अनुसार पंचम राज्य वित्त से कुल रू० 832914.00 का आहरण/व्यय सम्बन्धित ग्राम सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा किया गया, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे – मेजरमेंट बुक और स्टीमेट बुक, कार्य योजना, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टररोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जी०एस०टी० भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेण्डर से सम्बन्धित अभिलेख, वर्क रजिस्टर इत्यादि बार–बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियाँ व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) व 8(ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायतसे की जायेगी। वसूली के साथ–साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा, इस प्रकार आहरण की धनराशि **रू० 832914.00** के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से आधी–आधी धनराशि **ग्राम प्रधान श्री वीरपाल सिंह यादव** और **ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्रीमती गोल्डी** से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

सा आ स-02

प्र०सं०–316- **वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कैशबुक ही प्रस्तुत की गई, जिनके आधार पर आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं हैं या बार–बार मांग के बावजूद भी जानबूझकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।**

क– ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (कॉपी संलग्न) पत्राचार किया गया, ऑनलाइन कार्यक्रम की सूचना दी गई, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया, उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ख– सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा सम्बन्धित सचिवों को मात्र पत्र लिख कर दायित्व से बचने का कार्य किया गया, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग– जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्र द्वारा तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को लिखे गए पत्रों की प्रतिलिपि करके सूचना दी गई, जिनके द्वारा भी मात्र एक पत्र जारी करके दायित्व से बचने का कार्य किया गया, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। (कॉपी संलग्न)

इस प्रकार उपरोक्त के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मात्र पंचम राज्य वित्त व पन्द्रहवाँ वित्त के कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर किया गया, तथा ई–ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेन्ट आंकड़ों के अनुसार पन्द्रहवाँ वित्त से कुल रू० 584835.00 का आहरण/व्यय सम्बन्धित ग्राम सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा किया गया, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे – मेजरमेंट बुक और स्टीमेट बुक, कार्य योजना, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टररोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जी०एस०टी० भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेण्डर से सम्बन्धित अभिलेख, वर्क रजिस्टर इत्यादि बार–बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियाँ व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) व 8(ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायतसे की जायेगी। वसूली के साथ–साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा, इस प्रकार आहरण की धनराशि **रू० 584835.00** के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से आधी–आधी धनराशि **ग्राम प्रधान श्री वीरपाल सिंह यादव** और **ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्रीमती गोल्डी** से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

नोट - पत्राचार का विवरण - 1 . सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सम्बोधित एवं सम्बंधित ग्राम विकास अधिकारी / सचिव तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि - मेमो 1 दिनांक 15 -12 -22 ,मेमो 2 दिनांक 21-12-22,मेमो 3 दिनांक 26-12-22, मेमो 4 दिनांक 30-12-22,मेमो 5 दिनांक 04-01-2023,मेमो 6 दिनांक 11-01-2023,मेमो 7 दिनांक 27-01-2023,मेमो 8 दिनांक 17-03-2023

2 . सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा समस्त ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी को सम्बोधित तथा खंड

विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि - पत्रांक-0514 दिनांक 05 -01 -2023 , पत्रांक-0535 दिनांक 16 -01 -2023 व पत्रांक-0667 दिनांक 24 –03 -2023

3 . जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के पत्रांक 5093 दिनांक 12 -01-2023 द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सम्बोधित

सा आ स-03

ग्राम पंचायत – कुसुमी विकास खण्ड – मितौली जनपद – लखीमपुर–खीरी

प्र०सं०–317- ग्राम पंचायत कुसुमी के वर्ष 2021-22 तक की लेखा परीक्षा में अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आपत्ति का विवरण निम्नवत है –

1– वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कैशबुक ही प्रस्तुत की गई, जिनके आधार पर आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं हैं या बार–बार मांग के बावजूद भी जानबूझकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

क– ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (कॉपी संलग्न) पत्राचार किया गया, ऑनलाइन कार्यक्रम की सूचना दी गई, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया, उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ख– सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा सम्बन्धित सचिवों को मात्र पत्र लिख कर दायित्व से बचने का कार्य किया गया, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग– जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्र द्वारा तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को लिखे गए पत्रों की प्रतिलिपि करके सूचना दी गई, जिनके द्वारा भी मात्र एक पत्र जारी करके दायित्व से बचने का कार्य किया गया, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। (कॉपी संलग्न)

इस प्रकार उपरोक्त के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मात्र पंचम राज्य वित्त व पन्द्रहवाँ वित्त के कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर किया गया, तथा ई–ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेन्ट आंकड़ों के अनुसार पंचम राज्य वित्त से कुल रू० 201150.00 का आहरण/व्यय सम्बन्धित ग्राम सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा किया गया, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे – मेजरमेंट बुक और स्टीमेट बुक, कार्य योजना, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टररोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जी०एस०टी० भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेण्डर से सम्बन्धित अभिलेख, वर्क रजिस्टर इत्यादि बार–बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियाँ व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) व 8(ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायतसे की जायेगी। वसूली के साथ–साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा, इस प्रकार आहरण की धनराशि **रू० 201150.00** के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से आधी–आधी धनराशि **ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती देवी** और **ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्रीमती रीतू** से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

सा आ स-02

प्र०सं०–318- **वर्ष 2021-22 की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कैशबुक ही प्रस्तुत की गई, जिनके आधार पर आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं हैं या बार–बार मांग के बावजूद भी जानबूझकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।**

क– ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में (कॉपी संलग्न) पत्राचार किया गया, ऑनलाइन कार्यक्रम की सूचना दी गई, लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया, उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैन्युअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ख– सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी, लेकिन आप के द्वारा सम्बन्धित सचिवों को मात्र पत्र लिख कर दायित्व से बचने का कार्य किया गया, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग– जिला पंचायत राज अधिकारी को भी पत्र द्वारा तथा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को लिखे गए पत्रों की प्रतिलिपि करके सूचना दी गई, जिनके द्वारा भी मात्र एक पत्र जारी करके दायित्व से बचने का कार्य किया गया, कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। (कॉपी संलग्न)

इस प्रकार उपरोक्त के आलोक में आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा मात्र पंचम राज्य वित्त व पन्द्रहवाँ वित्त के कैशबुक व बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर किया गया, तथा ई–ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ग्राम पंचायत के आय व व्यय विवरण की जाँच की गई। ग्राम पंचायत की बैंक स्टेटमेन्ट आंकड़ों के अनुसार पन्द्रहवाँ वित्त से कुल रू० 587822.00 का आहरण/व्यय सम्बन्धित ग्राम सचिव व ग्राम प्रधान द्वारा किया गया, किन्तु लेखा परीक्षा में एक भी पत्रावली व रजिस्टर्स जैसे – मेजरमेंट बुक और स्टीमेट बुक, कार्य योजना, समस्त व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, मस्टररोल, वर्क कम्प्लीशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और वित्तीय, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलियाँ, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट इत्यादि के साथ ही लेखा परीक्षा में स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, निरीक्षण पंजिका, जी०एस०टी० भुगतान रजिस्टर, रोजगार रजिस्टर, मांग और वसूली रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर्स, कोटेशन व टेण्डर से सम्बन्धित अभिलेख, वर्क रजिस्टर इत्यादि बार–बार मांग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे स्पष्ट है कि उपर्युक्त

समस्त पत्रावलियाँ व रजिस्टर तैयार नहीं हैं या जानबूझकर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) व 8(ख) के अन्तर्गत यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई पत्रावली व प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय की गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान व सचिव ग्राम पंचायतसे की जायेगी। वसूली के साथ–साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जायेगा, इस प्रकार आहरण की धनराशि **रू० 587822.00** के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं सचिव को उत्तरदायी ठहराते हुए इस धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से आधी–आधी धनराशि **ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती देवी** और **ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव श्रीमती रीतू** से सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

नोट - पत्राचार का विवरण - 1 . सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सम्बोधित एवं सम्बंधित ग्राम विकास अधिकारी / सचिव तथा जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि - मेमो 1 दिनांक 15 -12 -22 ,मेमो 2 दिनांक 21-12-22,मेमो 3 दिनांक 26-12-22, मेमो 4 दिनांक 30-12-22,मेमो 5 दिनांक 04-01-2023,मेमो 6 दिनांक 11-01-2023,मेमो 7 दिनांक 27-01-2023,मेमो 8 दिनांक 17-03-2023

2 . सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा समस्त ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी को सम्बोधित तथा खंड

विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि - पत्रांक-0514 दिनांक 05 -01 -2023 ,पत्रांक-

0535 दिनांक 16 -01 -2023 व पत्रांक-0667 दिनांक 24 –03 -2023

3 . जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय के पत्रांक 5093 दिनांक 12 -01-2023 द्वारा सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सम्बोधित

सा आ स-03

जनपद-लखनऊ **मण्डल-लखनऊ**

प्रारूप-4

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां

ग्राम पंचायत- देवती **विकासखण्ड-मोहनलालगंज** **वर्ष-2021-22**

प्रस्तर संख्या-01

ग्राम पंचायत देवती का वर्ष 2021-22 की मनरेगा की लेखा परीक्षा पाया गया की विभिन्न तिथियों में कुल व्यय रू0 5.82 लाख दर्शित है। जिसका विवरण निम्नवत हैः-

चारागाह गाटा संख्या 390 में वृक्षारोपण				
(3132008034/डीपी/958486255823106170)	699	11.08.21	24.08.2021	5000
नवाज खेड़ा पल से कच्ची रोड तक चक मार्ग				
(3132008034/एल डी/958486255823428808)	697	11.08.21	24.08.2021	5000
राम किशोर के घर से भाईलाल के घर तक चक				
(3132008034/एल डी/958486255823459587)	698	11.08.21	24.08.2021	5000
डामर रोड से राम बहादुर के घर तक सीसी रोड				
(3132008034/आर सी/958486255823117637)	128	11.08.21	24.08.2021	86030

	130	11.08.21	24.08.2021	119455
	1441	11.08.21	24.08.2021	64508
	696	11.08.21	24.08.2021	5000
रामस्वरूप के घर से रामपाल के घर तक सीसी रोड				
(3132008034/आर सी/958486255823117639)	124	25.08.21	03.11.21	125562
	125	25.08.21	03.11.21	85311
	1442	25.08.21	03.11.21	75773
	700	25.08.21	03.11.21	5000
			कुल धनराशि- रुपए 05.82 लाख	

आयुक्त/रोजगार गारंटी आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 502 दिनांक 12.06.2013 के बिन्दु-1 के अनुसार ग्राम पंचायत के लिये फंड ट्रांसफर आडर एफ टी ओ विकास खण्ड स्तर से जारी होंगे जिसके प्रथम हस्ताक्षरकर्ता लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता खण्ड विकास अधिकारी होंगे। जिसके क्रम में उपरोक्त विवरणानुसार फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ विकास खण्ड स्तर से जारी हुए लेकिन मस्टर सर्कुलर 2020-21 के अध्याय 7 के अनुसार सभी खरीद आदेशों को राज्य सरकार के उस सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए जिसके पास इस तरह की शक्तियां है किसी भी सूरत में इस तरह का कार्मिक खण्ड विकास अधिकारी के रैंक से नीचे का नहीं होगा। इस तरह की शक्तियों की आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा। शासनादेश संख्या 30/2019/2648/अड़तीस-7-2019-281 नरेगा/2010 टीसी दिनांक 11.11.2010 के बिन्दु के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर उपभोग में आने वाली समान प्रकृति की सामग्री को विकासखण्ड स्तर पर समेकित कर निविदा जारी की जाएगी व उक्त निविदा की अनुमोदन भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। परन्तु सामग्री खरीद आदेशों को सक्षम अधिकारी/खण्ड अधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दी गयी एवं प्रयुक्त सामग्री विकास खण्ड स्तर पर समेकित कर निविदा जारी किया गया व उक्त निविदा का अनुमोदन भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। फिर भी कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सामग्रियों का भुगतान हेतु फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ जारी कर उपरोक्त प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया।

आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 201 दिनांक 28.12.2021 के अनुसार श्रमांश व सामग्री कर भुगतान किये जाने से पूर्व भुगतान पत्रावलियों का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए तत्क्रम में परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु भुगतान की प्रक्रिया में सहायक लेखाकार व कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है इस व्यवस्था का भी पालन नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन की हानि अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरूपयोग की गयी धनराशि रू0 5.82 लाख (पाच लाख बयासी हजार रूपये) में से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- सल्सामऊहिल्गी विकासखण्ड-मोहनलालगंज वर्ष-2021-22
प्रस्तर संख्या-02

ग्राम पंचायत सल्सामऊहिल्गी का वर्ष 2021-22 की मनरेगा की लेखा परीक्षा पाया गया की विभिन्न तिथियों में कुल व्यय रू0 29.44 लाख दर्शित है। जिसका भुगतान वर्ष 2022-23 में किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	बिल नं0/बिल का दिनांक/भुगतान की दिनांक/धनराशि(रूपये में)
ग्राम पंचायत सल्सामऊहिल्गी में एसएचजी शाखी शेड निर्माण	

(3132008092/ए वी/958486255823035602)	135	02.01.2022	04.07.2022	108579.765
	136	02.01.2022	04.07.2022	36025
	137	02.01.2022	04.07.2022	8438.4519
	143	03.01.2022	04.07.2022	139831.686
	144	03.01.2022	04.07.2022	15086ण्985
	145	03.01.2022	04.07.2022	118391.02
	33	03.01.2022	04.07.2022	176605.5
	63	03.01.2022	04.07.2022	32610
हरिशंकर के खेत से सई नदी तक नाला खुदाई				
(3132008092/एफ पी/958486255823078258)	425	10.01.2022	05.09.2022	4000
जनक दुलारी पत्नी राम आशरे का पशु आश्रय (3132008092/आई एफ/958486255823528309)				
	133	02.11.2021	04.07.2022	40666.5116
	134	02.11.2021	04.07.2022	35336.645
	32	02.11.2021	04.07.2022	55105.5
	776	02.11.2021	04.07.2022	2500
	777	02.11.2021	04.07.2022	1276
चन्द्रकली पत्नी शिव प्रसाद का पशु आश्रय				
(3132008092/आई एफ/958486255823528310)	131	25.10.2021	04.07.2022	39433.5246
	132	25.10.2021	04.07.2022	36300.86
	31	24.10.2021	04.07.2022	45912
	778	20.10.2021	04.07.2022	3528
सुशीला देवी पत्नी महेश प्रसाद का पशु आश्रय (3132008092/आई एफ/958486255823604786)				
	163	16.01.2021	04.07.2022	36703.78
	164	16.01.2021	04.07.2022	39856.0266
	32	08.01.2022	04.07.2022	48046.5
शियाराम पुत्र जगन्नाथ का पशु आश्रय निर्माण (3132008092/आई एफ/958486255823699207)				
180 16.02.2022 04.07.2022 34118.62				
	181	16.02.2022	04.07.2022	37185.2682
	528	06.02.2022	04.07.2022	2500
	59	09.03.2022	04.07.2022	36138
कुवारे पुत्र सुखदिन का पशु आश्रय निर्माण (3132008092/आई एफ/958486255823699209)				
176 10.02.2022 04.07.2022 31344.36				
	177	10.02.2022	04.07.2022	36407.0027
	397	01.02.2022	04.07.2022	2500
	61	09.03.2022	04.07.2022	39043.5
मेदिलाल पुत्र हवलाल पत्नी राम आशरे का पशु आश्रय निर्माण (3132008092/आई एफ/958486255823699212) 174 10.02.2022 04.07.2022 31307.62				
	175	10.02.2022	04.07.2022	37058.5981
	517	06.12.2021	04.07.2022	2500

				62	09.02.2022	04.07.2022	38368.5
श्यामदेवी पत्नी नारायण का पशु आश्रय 3952निर्माण (3132008092/आई एफ/958486255823699214)							
167	10.01.2022	04.07.2022	32857.76				
				168	10.01.2022	04.07.2022	39352.4093
				36	09.01.2022	04.07.2022	34954.5
				398	09.01.2022	04.07.2022	2500
घनदेवी पत्नी चंद्र प्राश बकरी शेड निर्माण (3132008092/आई एफ/958486255823699217)							
182	20.02.2022	04.07.2022	29635.22				
				183	20.02.2022	04.07.2022	36659.0669
				518	06.02.2022	04.07.2022	2500
				60	09.03.2022	04.07.2022	36192
सरोजनी पत्नी बासुदेव बकरी शेड निर्माण (3132008092/आई एफ/958486255823699218)							
171	10.01.2022	04.07.2022	25076.06				
				172	10.01.2022	04.07.2022	37117.2583
				34	08.01.2022	04.07.2022	35037
				400	10.01.2022	04.07.2022	2500
दिनेश पुत्र सीताराम का बकरी शेड निर्माण (3132008092/आई एफ/958486255823699223)							
165	17.01.2022	04.07.2022	37117.1183				
				166	17.01.2022	04.07.2022	24703.76
				33	08.01.2022	04.07.2022	33658.5
				519	06.02.2022	04.07.2022	2500
रामकली पत्नी कल्लू का बकरी शेड निर्माण(3132008092/आई एफ/958486255823701721)							
169	09.01.2022	04.07.2022	31365.64				
				170	09.01.2022	04.07.2022	36290.3842
				37	09.01.2022	04.07.2022	40087.5
				396	09.01.2022	04.07.2022	2500
घसील के दरवाजे से हिली गावं तक चक मार्ग (3132008092/एल डी/958486255823437979)							
				426	10.01.2022	04.07.2022	4000
पंचायत भवन से खलिहान तक इंटलॉकिंग कार्य (3132008092/आर सी/958486255823235001)							
12	29.12.2021	04.07.2022	144000				
				13	29.12.2021	04.07.2022	144000
				14	29.12.2021	04.07.2022	144000
				141	29.12.2021	04.07.2022	90512.5
				142	29.12.2021	04.07.2022	155250.02
				15	29.12.2021	04.07.2022	168000
				314	29.12.2021	04.07.2022	4000
				61	29.12.2021	04.07.2022	111375
				62	29.12.2021	04.07.2022	103275
					योग (लाख रूपये में)		29.44

आयुक्त/रोजगार गारंटी आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 502 दिनांक 12.06.2013 के बिन्दु-1 के अनुसार

ग्राम पंचायत के लिये फंड ट्रांसफर आडर एफ टी ओ विकास खण्ड स्तर से जारी होंगे जिसके प्रथम हस्ताक्षरकर्ता लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता खण्ड विकास अधिकारी होंगे। जिसके क्रम में उपरोक्त विवरणानुसार फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ विकास खण्ड स्तर से जारी हुए लेकिन मस्टर सर्कुलर 2020-21 के अध्याय 7.1.7 के अनुसार सभी खरीद आदेशों को राज्य सरकार के उस सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए जिसके पास इस तरह की शक्तियां है किसी भी सूरत में इस तरह का कार्मिक खण्ड विकास अधिकारी के रैंक से नीचे का नहीं होगा। इस तरह की शक्तियों की आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा। शासनादेश संख्या 30/2019/2648/अड़तीस-7-2019-281 नरेगा/2010 टीसी दिनांक 11.11.2019 के बिन्दु के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर उपभोग में आने वाली समान प्रकृति की सामग्री को विकासखण्ड स्तर पर समेकित कर निविदा जारी की जाएगी व उक्त निविदा की अनुमोदन भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। परन्तु सामग्री खरीद आदेशों को सक्षम अधिकारी/खण्ड अधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दी गयी एवं प्रयुक्त सामग्री विकास खण्ड स्तर पर समेकित कर निविदा जारी नहीं किया गया व उक्त निविदा की अनुमोदन भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। फिर भी कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सामग्रियों का भुगतान हेतु फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ जारी कर उपरोक्त प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया।

आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 201 दिनांक 28.12.2021 के अनुसार श्रमांश व सामग्री कर भुगतान किये जाने से पूर्व भुगतान पत्रावलियों का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए तत्क्रम में परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु भुगतान की प्रक्रिया में सहायक लेखाकार व कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है इस व्यवस्था का भी पालन नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का हानि अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरूपयोग की गयी धनराशि रू0 29.44 लाख (उनतीस लाख चैवालीस हजार रूपये) में से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- डिघारी विकासखण्ड-मोहनलालगंज वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या-03

ग्राम पंचायत डिघारी का वर्ष 2021-22 की मनरेगा की लेखा परीक्षा पाया गया की विभिन्न तिथियों में कुल व्यय रू0 3.16 लाख दर्शित है। जिसका भुगतान वर्ष 2021-22 में किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	बिल नं0/बिल का दिनांक/भुगतान की दिनांक/धनराशि(रूपये में)			
खेल मैदान गाटा संख्या 199 में वृक्षारोपण				
(3132008112/डी पी/958486255823088255)	702	06.08.2021	27.08.2021	5000
पशुचारण भूमि गाटा संख्या 471 में वृक्षारोपण				
(3132008112/डी पी/958486255823088298)	701	06.08.2021	27.08.2021	5000
पशुचारण भूमि गाटा संख्या 333 में वृक्षारोपण				
(3132008112/डी पी/958486255823088317)	703	06.08.2021	27.08.2021	5000
निराला की बोरिंग से नन्द किशोर के खेत तक नाला खुदाई का कार्य				
(3132008112/एफ पी/958486255823180661)	704	06.08.2021	01.09.2021	5000
नन्द किशोर के खेत से पटुआ तालाब तक नाला खुदाई का कार्य (3132008112/एफ पी/958486255823199048)	719	07.08.2021	27.08.2021	5000
विजय सिंह के बोरिंग से भिखम सिंह के बोरिंग तक सिंचाई नाली निर्माण कार्य (3132008112/आई				

सी/958486255823364518)	600	02.06.2021	03.08.2021	5000		
गदरियान खेड़ा चक मार्ग से पतौना बार्डर तक चक मार्ग (3132008112/एल डी/958486255823372313)				555	16.04.2021	03.08.2021
5000						
खाद गढढों का निर्माण कार्य (3132008112/एल डी/958486255823395677)						
597	02.06.2021	03.08.2021	5000			
गडरिया खेड़ा खेल मैदान का समतलीकरण का कार्य (3132008112/एल डी/958486255823413846)						
599	02.06.2021	03.08.2021	5000			
डिघारी खडंजा से शेखान खेड़ा तक चक मार्ग (3132008112/एल डी/958486255823413846)						
598	02.06.2021	03.08.2021	5000			
मेन रोड से संतोष के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य (3132008112/आर सी/958486255823088708)						
129	08.04.2021	03.08.2021	19843			
				556	02.04.2021	03.08.2021	5000
				77	08.04.2021	03.08.2021	46172
				91	08.04.2021	03.08.2021	12000
				92	08.04.2021	03.08.2021	65280
भीम तालाब की खुदाई का कार्य						
(3132008112/डब्ल्यू सी/958486255823118746)				602	03.06.2021	03.08.2021	5000
योग (लाख रूपये में)	3.16					

आयुक्त/रोजगार गारंटी आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 502 दिनांक 12.06.2013 के बिन्दु-1 के अनुसार ग्राम पंचायत के लिये फंड ट्रांसफर आडर एफ टी ओ विकास खण्ड स्तर से जारी होंगे जिसके प्रथम हस्ताक्षरकर्ता लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता खण्ड विकास अधिकारी होंगे। जिसके क्रम में उपरोक्त विवरणानुसार फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ विकास खण्ड स्तर से जारी हुए लेकिन मस्टर सर्कुलर 2020-21 के अध्याय 7.1.7 के अनुसार सभी खरीद आदेशों को राज्य सरकार के उस सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए जिसके पास इस तरह की शक्तियां है किसी भी सूरत में इस तरह का कार्मिक खण्ड विकास अधिकारी के रैंक से नीचे का नहीं होगा। इस तरह की शक्तियों की आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा। परन्तु सामग्री खरीद आदेशों को सक्षम अधिकारी/खण्ड अधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दी गयी फिर भी कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सामग्रियों का भुगतान हेतु फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ जारी कर दिया गया।

आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 201 दिनांक 28.12.2021 के अनुसार श्रमांश व सामग्री का भुगतान किये जाने से पूर्व भुगतान पत्रावलियों का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए तत्क्रम में परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु भुगतान की प्रक्रिया में सहायक लेखाकार व कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है इस व्यवस्था का भी पालन नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन की हानि अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरूपयोग की गयी धनराशि रू0 03.16 लाख (तीन लाख सोलह हजार रूपये) में से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गढ़ा विकासखण्ड-मोहनलालगंज वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या-04

ग्राम पंचायत गढ़ा का वर्ष 2021-22 की मनरेगा की लेखा परीक्षा पाया गया की विभिन्न तिथियों में कुल व्यय रू0 1.44 लाख दर्शित है। जिसका भुगतान वर्ष 2021-22 में किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	बिल नं0/बिल का दिनांक/भुगतान की दिनांक/धनराशि(रूपये में)			
पशुचर भूमि में वृक्षारोपण				
(3132008039/डी पी/958486255823088646)	628	01.08.2021	10.08.2021	5000
श्री केशव के खेत से नाला तक सिंचाई नाली				
(3132008039/आई सी/958486255823392226)	631	01.08.2021	10.08.2021	5000
कमला देवी पत्नी नंदलाल बकरी शेड निर्माण				
(3132008039/आई एफ/958486255823121284)	293	20.05.2021	03.08.2021	21236
	8	25.05.2021	03.08.2021	3000
	802	10.04.2021	03.08.2021	32651.25
रामरती पत्नी छोटेलाल बकरी शेड				
(3132008039/आई एफ/958486255823243282)	158	10.06.2021	03.08.2021	18277.61
	43	10.06.2021	03.08.2021	20131.9
	7	10.06.2021	03.08.2021	3000
	806	10.06.2021	03.08.2021	21159.47
शिवप्रसाद के खेत से वीरेंद के खेत तक चक मार्ग				
(3132008039/एल डी/958486255823391769)	627	01.08.2021	10.08.2021	5000
पक्की रोड से दशादीन के खेत तक चक मार्ग				
(3132008039/एल डी/958486255823510809)	632	01.08.2021	10.08.2021	5000
रामरतन के खेत से हनोमान मंदिर तक चक मार्ग				
(3132008039/एल डी/958486255823510812)	626	01.08.2021	10.08.2021	5000
योग (लाख रूपये में) 1.44				

आयुक्त/रोजगार गारंटी आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 502 दिनांक 12.06.2013 के बिन्दु-1 के अनुसार ग्राम पंचायत के लिये फंड ट्रांसफर आडर एफ टी ओ विकास खण्ड स्तर से जारी होंगे जिसके प्रथम हस्ताक्षरकर्ता लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता खण्ड विकास अधिकारी होंगे। जिसके क्रम में उपरोक्त विवरणानुसार फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ विकास खण्ड स्तर से जारी हुए लेकिन मस्टर सर्कुलर 2020-21 के अध्याय 7.1.7 के अनुसार सभी खरीद आदेशों को राज्य सरकार के उस सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए जिसके पास इस तरह की शक्तियां है किसी भी सूरत में इस तरह का कार्मिक खण्ड विकास अधिकारी के रैंक से नीचे का नहीं होगा। इस तरह की शक्तियों की आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा। शासनादेश संख्या 30/2019/2648/अड़तीस-7-2019-281 नरेगा/2010 टीसी दिनांक 11.11.2019 के बिन्दु के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर उपभोग में आने वाली समान प्रकृति की सामग्री को विकासखण्ड स्तर पर समेकित कर निविदा जारी की जाएगी व उक्त निविदा की अनुमोदन भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। परन्तु सामग्री खरीद आदेशों को सक्षम अधिकारी/खण्ड अधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दी गयी फिर भी कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सामग्रियों का भुगतान हेतु फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ जारी कर दिया गया।

आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 201 दिनांक 28.12.2021 के अनुसार श्रमांश व सामग्री कर भुगतान किये जाने से पूर्व भुगतान पत्रावलियों का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए तत्क्रम में परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु भुगतान की प्रक्रिया में सहायक लेखाकार व कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है इस व्यवस्था का भी पालन नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरूपयोग की गयी धनराशि रू0 01.44 लाख (एक लाख चैवालिस हजार रूपये) में से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- दयालपुर विकासखण्ड-मोहनलालगंज वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या-05

ग्राम पंचायत दयालपुर का वर्ष 2021-22 की मनरेगा की लेखा परीक्षा पाया गया की विभिन्न तिथियों में कुल व्यय रू0 27.11 लाख दर्शित है। जिसका भुगतान वर्ष 2022-23 में किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	बिल नं0/बिल का दिनांक/भुगतान की दिनांक/धनराशि(रूपये में)			
बेसिक विद्यालय भजन मठ की बाउंड्री वाल निर्माण				
(3132008032/ए वी/958486255823020989)	455	15.01.2022	02.03.2023	31164.53
ग्राम भजन में संजय कुमार के घर से निभा तालाब तक नाली निर्माण का कार्य (3132008032/एफ पी/958486255823234105)	24	13.01.2022	04.07.2022	139522.5
	315	14.01.2022	04.07.2022	4800
	522	13.01.2022	04.07.2022	85954.8
देवी शाहू के घर से दिलीप पाल के खड़ंजा तक तक नाली निर्माण का कार्य (3132008032/एफ पी/958486255823234106)	17	27.12.2021	04.07.2022	35460
	303	27.12.2021	04.07.2022	5000
	514	27.12.2021	04.07.2022	22346.2
कल्लू के घर से प्रभु रावत के घर के पास तक नाली निर्माण का कार्य (3132008032/एफ पी/958486255823234108)	301	27.12.2021	04.07.2022	3000
	507	27.12.2021	04.07.2022	16166.8
	70	27.12.2021	04.07.2022	37365
श्री कृष्ण मंदिर के पास डामर रोड से बैंक नाला तक नाली निर्माण का कार्य (3132008032/एफ पी/958486255823234110)	15	27.12.2021	04.07.2022	25560
	304	27.12.2021	04.07.2022	5000
	515	27.12.2021	04.07.2022	14297.5
भारत लाल मिश्रा के घर से छबीले खेड़ा डामर रोड तक नाली निर्माण का कार्य (3132008032/एफ पी/958486255823234113)	25	13.01.2022	04.07.2022	91560
	317	14.01.2022	04.07.2022	4800
	523	13.01.2022	04.07.2022	58929.95
राम नारायण के घर से मैकु दादा के घर तक नाली (3132008032/एफ पी/958486255823234116)				
26	13.01.2022	04.07.2022	93502.5	
	316	14.01.2022	04.07.2022	4800
	524	13.01.2022	04.07.2022	51723.4

पुलिस चैकी के पास से मदन खेड़ा तक डामर रोड की पटरी भराई कार्य (3132008032/आर सी/958486255823209676)	395	08.02.2022	04.07.2022	4800	
चमन चैराहा से अंगेमठ तक डामर रोड की पटरी भराई कार्य (3132008032/आर सी/958486255823209689)	394	18.01.2022	04.07.2022	4800	
राजाराम के घर से भीम नगर तक डामर रोड की पटरी भराई कार्य (3132008032/आर सी/958486255823209692)	392	18.01.2022	04.07.2022	5000	
किशोर ब्रिक फिल्ड से गोडियान खेडा रोड तक डामर रोड की पटरी भराई कार्य (3132008032/आर सी/958486255823209708)	393	18.01.2022	04.07.2022	4800	
डामर रोड से श्रीराम रावत के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य (3132008032/आर सी/958486255823234076)					
13	27.12.2021	04.07.2022	62707.5		
	307	27.12.2021	04.07.2022	5000	
	469	27.12.2021	04.07.2022	64464	
	470	27.12.2021	04.07.2022	120000	
	512	27.12.2021	04.07.2022	41294.8	
सुरेन्द्र रावत के घर से आशुतोष के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य (3132008032/आर सी/958486255823234078)					
	14	27.12.2021	04.07.2022	89692.5	
	306	27.12.2021	04.07.2022	5000	
	453	27.12.2021	04.07.2022	110040	
	474	27.12.2021	04.07.2022	120000	
	501	27.12.2021	04.07.2022	60667	
प्रेम शंकर के घर से दिलीप के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य (3132008032/आर सी/958486255823234083)					
12	27.12.2021	04.07.2022	109935		
	305	27.12.2021	04.07.2022	5000	
	472	27.12.2021	04.07.2022	116160	
	473	27.12.2021	04.07.2022	116160	
	508	27.12.2021	04.07.2022	71008.6	
अजीत के खेत से संत निवास जागेश्वर मंदिर तक इन्टरलॉकिंग कार्य					
(3132008032/आर सी/958486255823234096)	302	27.12.2021	04.07.2022	5000	
	462	25.12.2021	04.07.2022	167424	
	466	25.12.2021	04.07.2022	168000	
	468	25.12.2021	04.07.2022	168000	
	471	25.12.2021	04.07.2022	9600	
	509	25.12.2021	04.07.2022	136935.9	
	72	25.12.2021	04.07.2022	104242.5	
	73	25.12.2021	04.07.2022	104242.5	
योग (लाख रूपये में)	27.11				

आयुक्त/रोजगार गारंटी आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 502 दिनांक 12.06.2013 के बिन्दु-1 के अनुसार ग्राम पंचायत के लिये फंड ट्रांसफर आर्डर एफ टी ओ विकास खण्ड स्तर से जारी होंगे जिसके प्रथम हस्ताक्षरकर्ता लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता खण्ड विकास अधिकारी होंगे। जिसके क्रम में उपरोक्त विवरणानुसार फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ विकास खण्ड स्तर से जारी हुए लेकिन मस्टर सर्कुलर 2020-21 के अध्याय 7.1.7 के अनुसार सभी खरीद आदेशों को राज्य सरकार के उस सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए जिसके पास इस तरह की शक्तियां है किसी भी सूरत में इस तरह का कार्मिक खण्ड विकास अधिकारी के रैंक से नीचे का नहीं होगा। इस तरह की शक्तियों की आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा। शासनादेश संख्या 30/2019/2648/अड़तीस-7-2019-281 नरेगा/2010 टीसी दिनांक 11.11.2019 के बिन्दु के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर उपभोग में आने वाली समान प्रकृति की सामग्री को विकासखण्ड स्तर पर समेकित कर निविदा जारी की जाएगी व उक्त निविदा की अनुमोदन भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। परन्तु सामग्री खरीद आदेशों को सक्षम अधिकारी/खण्ड अधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दी गयी फिर भी कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सामग्रियों का भुगतान हेतु फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ जारी कर दिया गया।

आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 201 दिनांक 28.12.2021 के अनुसार श्रमांश व सामग्री कर भुगतान किये जाने से पूर्व भुगतान पत्रावलियों का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए तत्क्रम में परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु भुगतान की प्रक्रिया में सहायक लेखाकार व कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है इस व्यवस्था का भी पालन नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरूपयोग की गयी धनराशि रू0 27.11 लाख (सताईस लाख ग्यारह हजार रूपये) में से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- परसपुर ठट्टा विकासखण्डदर-मोहनलालगंज वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या-06

ग्राम पंचायत परसपुर ठट्टा का वर्ष 2021-22 की मनरेगा की लेखा परीक्षा पाया गया की विभिन्न तिथियों में कुल व्यय रू0 12.71 लाख दर्शित है। जिसका भुगतान वर्ष 2022-23 में किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	बिल नं /बिल का दिनांक/भुगतान की दिनांक/धनराशि (रूपये में)			
परसपुर ठट्टा में आगनबाड़ी केंन्द्र निर्माण कार्य				
(3132008079/ए वी/958486255823042469)	160	15.01.2022	04.07.2022	149756.2
	93	15.01.2022	04.07.2022	125137.5
परसपुर ठट्टा में खेल मैदान निर्माण कार्य				
(3132008079/एल डी/958486255823593174)	111	22.02.2022	04.07.2022	135946.5
	112	22.02.2022	04.07.2022	32737.5
	113	22.02.2022	04.07.2022	70506.111
	151	15.01.2022	04.07.2022	161923.8
	152	15.01.2022	04.07.2022	108018.37
	153	15.01.2022	04.07.2022	74524

	154	15.01.2022	04.07.2022	32010.8
	187	15.01.2022	04.07.2022	140992
	188	15.01.2022	04.07.2022	54582.66
	321	15.01.2022	04.07.2022	4000
	91	15.01.2022	04.07.2022	30963
जगजीवन के घर से मदन लोध के घर तक सीसी निर्माण कार्य				
(3132008079/आर सी/958486255823136051)	87	04.04.2021	04.07.2022	12040
	90	04.04.2021	04.07.2022	138131.1
योग (लाख रूपये में) 12.71				

आयुक्त/रोजगार गारंटी आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 502 दिनांक 12.06.2013 के बिन्दु-1 के अनुसार ग्राम पंचायत के लिये फंड ट्रांसफर आर्डर एफ टी ओ विकास खण्ड स्तर से जारी होंगे जिसके प्रथम हस्ताक्षरकर्ता लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता खण्ड विकास अधिकारी होंगे। जिसके क्रम में उपरोक्त विवरणानुसार फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ विकास खण्ड स्तर से जारी हुए लेकिन मस्टर सर्कुलर 2020-21 के अध्याय 7.1.7 के अनुसार सभी खरीद आदेशों को राज्य सरकार के उस सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए जिसके पास इस तरह की शक्तियां है किसी भी सूरत में इस तरह का कार्मिक खण्ड विकास अधिकारी के रैंक से नीचे का नहीं होगा। इस तरह की शक्तियों की आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा। शासनादेश संख्या 30/2019/2648/अड़तीस-7-2019-281 नरेगा/2010 टीसी दिनांक 11.11.2019 के बिन्दु के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर उपभोग में आने वाली समान प्रकृति की सामग्री को विकासखण्ड स्तर पर समेकित कर निविदा जारी की जाएगी व उक्त निविदा की अनुमोदन भी खण्ड विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा। परन्तु सामग्री खरीद आदेशों को सक्षम अधिकारी/खण्ड अधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दी गयी फिर भी कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सामग्रियों का भुगतान हेतु फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ जारी कर दिया गया।

आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 201 दिनांक 28.12.2021 के अनुसार श्रमांश व सामग्री कर भुगतान किये जाने से पूर्व भुगतान पत्रावलियों का परीक्षण अनिवार्य रूप् से किया जाए तत्क्रम में परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु भुगतान की प्रक्रिया में सहायक लेखाकार व कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है इस व्यवस्था का भी पालन नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन की हानि अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरूपयोग की गयी धनराशि रू0 12.71 लाख (बारह लाख इकहत्तर हजार रूपये) में से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- धौरहरा विकासखण्ड-गोसाईगंज वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या-07

-----शासनादेश का उल्लंघन कर सोलर लाईट क्रय करना-

ग्राम पंचायत धौरहरा का वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों में सोलर लाईट पर कुल व्यय रू0 240000.00 दर्शित है। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
सोलर लाईट	49006546	राज एण्ड एसोसिएट	23.07.2021	96000
		राज एण्ड एसोसिएट	23.07.2021	96000
		राज एण्ड एसोसिएट	23.07.2021	48000

	योग	240000

33/2017/977/45-वि 2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार सोलर लाईट का क्रय यूपी नेडा से ही किया जाएगा जिससे सोलर लाईट का मानक एवं गुणवत्ता एवं वारंटी सुनिश्चित रहे परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त तालिका में दर्शित फर्मो से कुल रू0 240000.00 भुगतान कर सोलर लाईट का क्रय किया गया जिसमें उक्त शासनादेश का पालन नहीं किया गया इसलिये सोलर लाईट की गुणवत्ता एवं मानक की पुष्टि नहीं की जा सकती है। निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 के पत्रांक 04/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर 3 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रत्येक कार्य हेतु चरणबद्ध फोटो, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि संरक्षित रखेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख न तो बेबसाईट पर उपलब्ध था और न ही ऑफ ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरूपयोग की गयी धनराशि रू0 240000.00 (दो लाख चालीस हजार रूपये) में से ग्राम प्रधान श्री गया प्रसाद से रू0 120000.00 (एक लाख बीस हजार रूपये) और पंचायत सचिव श्री कृष्ण कुमार से रू0 120000.00 (एक लाख बीस हजार रूपये) की वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- पंचसरा विकासखण्ड-गोसाईगंज वर्ष-2021-22

प्रस्तर- 08

ग्राम पंचायत-पंचसरा का वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रू0 1347494.00 जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0सं0	कार्य का नाम	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि	कार्य का योग
1	सफाई कार्य	370909332	अंकिता टेण्डर्स	24.05.21	24500	24500
2	हैण्डपम्प मरम्मत	37007708	पटेल आयरन स्टोर	24.05.21	32000	35000
			बृजेश	24.05.21	3000	
3	सामुदायिक	42881024	हर्ष इंटरप्राईजेज	24.04.21	26465	26465
4	शौचालय	37079908		03.06.21	14830	14830
5	दिव्यांग शौचालय	51975586	कृष्णा टेण्डर्स	03.06.21	37158	98697
			कुसुम इंटर प्राईजेज	03.06.21	31220	
			कुसुम इंटर प्राईजेज	03.06.21	12127	
			रविशंकर	03.06.21	18192	
6	फर्नीचर	4884435	अंकिता टेण्डर्स	14.07.21	46400	46400
7	कम्प्यूटर क्रय	58329178	ब्लू स्काई इंटर प्राईजेज	28.01.22	79440	174040
			विवान टेण्डिंग	09.03.22	37850	
			विद्या इंटर	09.03.22	56750	
8	सफाई कार्य	48843037	बदलू	15.07.21	11700	11700
9	हैण्डपम्प मरम्मत	52744855	पटेल आयरन स्टोर	19.07.21,	48820	57220
			आलोक कुमार	04.08.21	8400	

10	प्रा0वि0में मिट्टी पटाई कार्य53306243 183562	अयाजुदिन	विभिन्न तिथियों में		141136	
		वीरेंन्द्र	28.07.21	34500		
		अंकिता टेण्डर्स	03.10.21	7926		
11	प्रशासनिक कार्य 37079908	रितेश	10.08.21	5000	34650	
		अंकिता टेण्डर्स	25.11.21	24000		
		एवरेडी	04.08.21	3150		
		डोंगल	04.08.21	2500		
12	पंचायत भवन का 53683008	अयाजुदिन	10.08.21	34980	237165	
	अवशेष बाउंड्रीवाल					
		रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	19.08.21	37500		
		बलवन्त टेण्डर्स	19.08.21	33450		
		रजनीश कुमार	31.01.22	34985		
		अयाजुदिन	31.01.22	42250		
		रामेश्वरम ब्रिक फील्ड	10.02.22	54000		
13	48844208	अंकिता टेण्डर्स	15.09.21	96000	192000	
		अंकिता टेण्डर्स	15.09.21	48000		
		अंकिता टेण्डर्स	30.09.21	48000		
14	48842000	पटेल आयरन स्टोर	15.10.21	48050	96450	
		पटेल आयरन स्टोर	27.10.21	48400		
15	डीपीआरओ488443509		08.12.21	3800	22865	
			24.12.21	3065		
			24.12.21	16000		
16	ह्यूम पाईप48842278	बंधु पाईप उद्योग	17.12.21	46950	92450	
			17.12.21	29850		
			24.12.21	15650		
		योग		1347494.00		1347494.00

क्रमांक 02 व 09 पर अंकित हैण्ड पम्प मरम्मत के कार्य से संबंधित शासनादेश संख्या 1138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्राम पंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्राम पंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने से यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपम्प मरम्त का स्थलवार विवरण प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रा0वि0 में मिट्टी पटाई कार्य हेतु अयाजुदीन को रूपया 183562.00 का भुगतान दर्शित है। शासनादेश संख्या 45/2020/1542/86-2020-153 (सा0) दिनांक 18 सितम्बर 2020 के अनुसार साधारण मिट्टी का 100 घन मीटर से अधिक साधारण मिट्टी की मात्रा के खनन/परिवहन के लिये अनुज्ञा पत्र निर्गत होगा जिसके उपरान्त

साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु ई-एम0एम011 जनरेट होगी। परन्तु साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु कोई अनुज्ञा पत्र निर्गत नहीं किया गया और न ही पत्रावली में साधारण मिट्टी के परिवहन हेतु ई-एम0एम0011 संलग्न पाया गया। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार मिट्टी पर किया गया कुल व्यय रूपया 69568.8 वसूली योग्य है। कार्ययोजना, प्राक्कलन, कार्यपूर्ति, मस्टररोल चरणबद्ध फोटो इत्यादि के कार्य कराना बिना प्रमाणक के कार्य दर्शाकर आहरित धन का अपहरण कर लिया गया। ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रू0 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाए आमंत्रित करने में वस्तु का नाम वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिये उनसे इनकम टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं गया है।

क्रमांक 16 पर अंकित ह्यूम पाईप कार्य से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे ह्यूम पाईप कार्य से संबंधित विशिष्टियों का परीक्षण नहीं किया जा सका।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए।

उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः कुल व्यय की गयी धनराशि रू0 1347494.00 (तेरह लाख सैतालीस हजार चार सौ चैरानवे रूपये) में से ग्राम प्रधान भी मिराजुदीन से रू0 673747.00 (छः लाख तिहतर हजार सात सौ सैतालीस रूपये) और ग्राम पंचायत सचिव शमीम बानो से रू0 673747.00 (छः लाख तिहतर हजार सात सौ सैतालीस रूपये) की वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- रतियामऊ विकासखण्ड-मोहनलालगंज जनपद-लखनऊ

प्रस्तर संख्या-09

ग्राम पंचायत रतियामऊ का वर्ष 2021-22 की मनरेगा की लेखा परीक्षा में पाया गया की विभिन्न तिथियों में कुल व्यय रू0 6.92 लाख दर्शित है। जिसका भुगतान वर्ष 2022-23 में किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम बिल नं0/बिल का दिनांक/भुगतान की दिनांक/धनराशि(रूपये में)				
राजकीय हाईस्कूल बाउन्ड्री वाल निर्माण रतियामऊ				
(3132007086/ए वी/958486255823020108)	197	25.05.2021	04.08.2021	187500
रतियामऊ	199	27.05.2021	04.08.2021	172945.5
	296	29.05.2021	04.08.2021	500
	301	25.05.2021	04.08.2021	147470
	302	26.05.2021	04.08.2021	183442.4
योग (लाख रूपये में) 6.92				

आयुक्त/रोजगार गारंटी आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 502 दिनांक 12.06.2013 के बिन्दु-1 के अनुसार ग्राम पंचायत के लिये फंड ट्रांसफर आर्डर एफ टी ओ विकास खण्ड स्तर से जारी होंगे जिसके प्रथम हस्ताक्षरकर्ता लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता खण्ड विकास अधिकारी होंगे। जिसके क्रम में उपरोक्त

विवरणानुसार फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ विकास खण्ड स्तर से जारी हुए लेकिन मस्टर सर्कुलर 2020-21 के अध्याय 7.1.7 के अनुसार सभी खरीद आदेशों को राज्य सरकार के उस सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए जिसके पास इस तरह की शक्तियां है किसी भी सूरत में इस तरह का कार्मिक खण्ड विकास अधिकारी के रैंक से नीचे का नहीं होगा। इस तरह की शक्तियों की आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा। परन्तु सामग्री खरीद आदेशों को सक्षम अधिकारी/खण्ड अधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दी गयी फिर भी कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सामग्रियों का भुगतान हेतु फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ जारी कर दिया गया। आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 201 दिनांक 28.12.2021 के अनुसार श्रमांश व सामग्री कर भुगतान किये जाने से पूर्व भुगतान पत्रावलियों का परीक्षण अनिवार्य रूप् से किया जाए तत्क्रम में परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु भुगतान की प्रक्रिया में सहायक लेखाकार व कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है इस व्यवस्था का भी पालन नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरूपयोग की गयी धनराशि रू0 6.92 लाख (छः लाख बानवे हजार रूपये) में से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से रूपये की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- अस्ती विकासखण्ड-गोसाईगंज वर्ष-2021-22

प्रस्तर- 10

ग्राम पंचायत- अस्ती का वर्ष 2021-222 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल रू0 932282.00 आहरित किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	कार्य आईडी/आहरणकर्ता/	दिनांक/	धनराशि	कार्य का योग
1	पंचायत भवन इंटर लॉकिंग	42878912	सुमन देवी	19.08.21	7350	106437
			कुसुम इंटर प्राईजेज	19.08.21		94872
			वीरेन्द्र कुमार	21.08.21	4215	
2	हैण्डपम्प मरम्मत	42874225	पटेल आयरन स्टोर	27.05.21	32000	32000
3	सामुदायिक शौचालय 80000	4273751	पटेल आयरन स्टोर	24.04.21		72000
			लाला राम	26.07.21		8000
4	स्ट्रीट लाईट 198050	47982113	शाईन एसोसिएट	13.03.22		46452
			शाईन एसोसिएट	13.03.22		46452
			शाईन एसोसिएट	13.03.22		46452
			शाईन एसोसिएट	13.03.22		27097
			शाईन एसोसिएट	16.03.22		31597
5	फर्नीचर	47982549	राज एण्ड एसोसिएट	14.07.21	46400	97045
			पूर्णिमा कम्प्यूटर	06.08.21	2500	
			डी0पी0आर0ओ0	06.08.21		3800
			माधुरी स्टेशनरी	19.08.21		13745
			शाईन एसोसिएट	11.11.21		24050
			डी0पी0आर0ओ0	24.12.21		3800

			डी0पी0आर0ओ0	24.12.21		2750
6	दिव्यांग शौचालय 52970563	बलवंत	टेण्डर्स	14.07.21	37158	98697
			बलवंत टेण्डर्स	14.07.21		31220
			बलवंत टेण्डर्स	14.07.21		12127
			सुमन देवी	14.07.21		18192
7	49035	52665488	पटेल आयरन	25.10.21		49035
8	ह्यूम पाईप 71978	47968832	एसआरइंटर	07.12.21		43820
			बलवंत टेण्डर्स	17.12.21		21950
			सुमन देवी	17.12.21		6208
9	कम्प्यूटर एवं अन्य खरीद57440264 174040		ब्लू स्काई इंटरप्राईजेज	29.01.22		79440
			विराट ट्रेडिंग	29.01.22		37850
			विद्या इंटरप्राईजेज	29.01.22	56750	
10	25000	42873909	अंकिता टेण्डर्स	27.05.21		25000
	932282		योग			

क्रमांक 02 व 07 पर अंकित हैण्ड पम्प मरम्मत के कार्य से संबंधित शासनादेश संख्या 1138/अडतीस-5-56-सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्राम पंचायत को रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्राम पंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपम्प मरम्त का स्थलवार विवरण प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्ययोजना, प्राक्कलन, कार्यपूर्ति,मस्टररोल चरणबद्ध फोटो इत्यादि के कार्य कराना बिना प्रमाणक के कार्य दर्शाकर आहरित धन का अपहरण कर लिया गया।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रू0 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाए आमंत्रित करने में वस्तु का नाम वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिये उनसे इनकम टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं गया है। अधिकांश मजदूरी सुमन देवी को ही क्यों भुगतान किया गया?

क्रमांक 04 पर अंकित ह्यूम पाईप कार्य से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे ह्यूम पाईप कार्य से संबंधित विशिष्टियों एवं शासनादेश के प्राविधानों का पालन किया गया या नहीं का परीक्षण नहीं किया जा सका।

क्रमांक 08 पर अंकित ह्यूम पाईप कार्य से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे ह्यूम पाईप कार्य से संबंधित विशिष्टियों का परीक्षण नहीं किया जा सका।

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरूपयोग की गयी धनराशि रू0 932282.00 (नौ लाख बत्तीस हजार दो सौ बयासी रूपये) में से ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी से रू0 466141.00 (चार लाख छाछठ हजार एक सौ इकतालीस रूपये) और ग्राम पंचायत सचिव शमीम बानो से रू0 466141.00 (चार लाख छाछठ हजार एक सौ इकतालीस रूपये) की वसूली की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत- बहरौली विकासखण्ड-गोसाईगंज वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या- 11

ग्राम पंचायत बहरौली का वर्ष 2021-22 की मनरेगा की लेखा परीक्षा पाया गया की विभिन्न तिथियों में कुल व्यय रू0 3.81 लाख दर्शित है। जिसका भुगतान वर्ष 2022-23 में किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

कार्य का नाम	बिल नं0/बिल का दिनांक/भुगतान की दिनांक/धनराशि(रूपये में)			
देमा के घर से खड़न्जा तक खड़न्जा व नाली निर्माण कार्य				
(3132007008/आर सी9584862558231512 51)	27	26.02.2022	22.07.2022	50050
	374	21.02.2022	22.07.2022	4000
दिनेश के घर से दुजई के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य				
(3132007008/आर सी9584862558231516 73)	26	26.02.2022	22.07.2022	39410
	56	02.01.2022	22.07.2022	3000
मेन डामर रोड से गोवंश आश्रय स्थल तक खडन्जा निर्माण कार्य				
(3132007008/आर सी9584862558232483 77)	70	25.02.2022	22.07.2022	140518
	372	25.02.2022	22.07.2022	4000
	72	16.03.2022	22.07.2022	140000
योग (लाख रूपये में) 3.81				

आयुक्त/रोजगार गारंटी आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 502 दिनांक 12.06.2013 के बिन्दु-1 के अनुसार ग्राम पंचायत के लिये फंड ट्रांसफर आॅर्डर एफ टी ओ विकास खण्ड स्तर से जारी होंगे जिसके प्रथम हस्ताक्षरकर्ता लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता खण्ड विकास अधिकारी होंगे। जिसके क्रम में उपरोक्त विवरणानुसार फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ विकास खण्ड स्तर से जारी हुए लेकिन मस्टर सर्कुलर 2020-21 के अध्याय 7.1.7 के अनुसार सभी खरीद आदेशों को राज्य सरकार के उस सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए जिसके पास इस तरह की शक्तियां है किसी भी सूरत में इस तरह का कार्मिक खण्ड विकास अधिकारी के रैंक से नीचे का नहीं होगा। इस तरह की शक्तियों को आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा। परन्तु सामग्री खरीद आदेशों को सक्षम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दी गयी फिर भी कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सामग्रियों का भुगतान हेतु फंड ट्रांसफर आर्डर एफटीओ जारी कर दिया गया।

आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 201 दिनांक 28.12.2021 के अनुसार श्रमांश व सामग्री कर भुगतान किये जाने से पूर्व भुगतान पत्रावलियों का परीक्षण अनिवार्य रूप् से किया जाए तत्क्रम में परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु भुगतान की प्रक्रिया में सहायक लेखाकार व कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है इस व्यवस्था का

भी पालन नहीं किया गया।

उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन की हानि अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरूपयोग की गयी धनराशि रू0 3.81 लाख (तीन लाख इक्यासी हजार रूपये) में से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी से रूपये की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत-मंझी निकरोजपुर विकासखण्ड-माल वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या- 12

ग्राम पंचायत मंझी निकरोजपुर की वित्तीय वर्ष 2021-22 की ई-ग्राम स्वराज के आनलाइन फीडेड प्रारूप-1 (वार्षिक प्राप्तियॉं एवं भुगतान लेखा) में रूपए 534799.00 व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित कोई भी पंत्रावली (फाइल) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उक्त व्यय धनराशि से संबंधित प्रमुख आपत्तियां निम्नलिखित है-

1. उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-152 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिये व्यय मानचित्र एवं अनुमान तैयार किये जाएंगे। साथ ही नियम संख्या-156 के तहत उक्त अनुमान एवं मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी धनराशि व्यय नहीं की जाएगी। किन्तु लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय उपरोक्त धनराशि रूपये 534799.00 से कराये गये कार्य के अनुमान एवं स्वीकृत मानचित्र अप्राप्त रहे।

2. उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 209 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-11 के अनुसार कार्य का अंतिम रूप से भुगतान करने से पहले कार्य पूरा हो जाने के संबंध में समिति/सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उसके द्वारा कार्य का निरीक्षण कर लिया गया है और समस्त कार्य नियमानुसार, स्वीकृत आंकलन तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उचित रूप से पूरा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 में उपरोक्त व्यय धनरशि रूप्ये 534799.00 से कराये गये कार्य के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे। फलतः कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

3. उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 210 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार जो कार्य ठेकेदारी प्रथा पर न हो रहे हो, उन कार्यो पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति (मस्टररोल) रूप पत्र -22 पर सक्षम अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त करोय गये कार्यो से सम्बन्धित मस्तर रोल अपाप्त रहे जिस कारण इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपरोक्त धनराशि किन श्रमिकों को किन कार्य के लिये प्रदान की गयी।

4. ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-10 के अनुसार ग्राम निधि से धन का आहरण, ग्राम प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा तथा प्रत्येक भुगतान के लिये प्राप्तकर्ता से भुगतान की रसीद प्राप्त की जायेगी। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त बाउचर को क्रमशः गार्ड फाइल में सुरक्षित रखा जायेगा। किन्तु ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान किये गये उपरोक्त व्यय/भुगतान से सम्बन्धित कोई भी रसीद/गार्ड फाइल प्रस्तुत नहीं की गयी। फलतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन सामग्रियों की खरीद के लिये ग्राम निधि-1 से धन का आहरण किया गया था।

5. उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-157 के अनुसार ऐसे समस्त निर्माण कार्य, जिनकी लागत 500.00 रू0 से अधिक होगी, का भुगतान निर्माण कार्य की माप-जोखा के उपरान्त ही होगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त प्रशासनिक कार्य पर रू0 534799.00 का भुगतान करने के उपरान्त भी माप-जोख से सम्बन्धित को प्रपत्र/माप पुस्तिका प्रस्तत नहीं की गयी फलतः कराए गए कार्यो की पुष्टि नहीं हो सकी।

6. ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय रू0 534799.00 से कराए गए कार्यो की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण, प्रमाण पत्र, क्रय की गयी सामग्रियों से सम्बन्धित टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, कार्यो से सम्बन्धित त्रिस्तरीय चरण की फोटों, वार्षिक कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र आदि जो कि नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने थे लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, फलतः कराए गए कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में या स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि ग्राम पंचायत-मंझी निकरोजपुर द्वारा रू0 534799.00 से कोई कार्य न कराकर, व्यय की गयी राशि का अपहरण किया गया है जिसके लिये ग्राम प्रधाान श्री रतिभान सिंह वं सचिव श्री सुधाकर सिंह उत्तरदयी है कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टीसी- प्प्प् दिनंाक 30.07.1999 के प्रस्तर-1 में ''विकेन्द्रीकरण व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायतो में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब बिना किसी कठिनायी के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयंुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947'' में संशोधन किये गये है जिनके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे'' ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संष्ुक्त दायित्व होगा कि वे को सम्प्रेषण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथ नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए''। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधानों तथा ग्राम पचायतों के लिये लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शित व्यय के संदर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली अनुपातिक रूप से बराबर मात्रा मे वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- नरायनपुर विकासखण्ड-सरोजिनीनगर वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या- 13

ग्राम पंचायत नरायनपुर की वित्तीय वर्ष 2021-22 की ई-ग्राम स्वराज के आॅनलाइन फीडेड प्रारूप-1 (वार्षिक प्राप्तिया एवं भुगतान लेखा) में रूपए 1467639.00 व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित कोई भी पंत्रावली (फाइल) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उक्त व्यय धनराशि से संबंधित प्रमुख आपत्तियां निम्नलिखित है-

1. उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-152 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिये व्यय मानचित्र एवं अनुमान तैयार किये जाएंगे। साथ ही नियम संख्या-156 के तहत उक्त मानचित्र एवं इस्टीमेट पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी धनराशि व्यय नहीं की जाएगी। किन्तु लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय उपरोक्त धनराशि रूपये 1467639.00 से कराये गये कार्य के अनुमान एवं स्वीकृत मानचित्र अप्राप्त रहे।

2. उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 209 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-11 के अनुसार कार्य का अंतिम रूप से भुगतान करने से पहले कार्य पूरा हो जाने के संबंध में समिति/सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उसके द्वारा कार्य का निरीक्षण कर लिया गया है और समस्त कार्य नियमानुसार, स्वीकृत आंकलन तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उचित रूप से पूरा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 में उपरोक्त व्यय धनरशि रूप्ये 1467639.00 से कराये गये कार्य के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे। फलतः कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

3. उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 210 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार जो कार्य ठेकेदारी प्रथा पर न हो रहे हो, उन कार्यो पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति (मस्टररोल) रूप पत्र -22 पर सक्षम अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। किन्तु लेखा परीक्षा में

उपरोक्त करोय गये कार्यो से सम्बन्धित मस्तर रोल अपास रहे जिस कारण इस ता की पुष्टि नहीं हो सकी कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपरोक्त धनराशि किन श्रमिकों को किन कार्य के लिये प्रदान की गयी।

4. ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-10 के अनुसार ग्राम निधि से धन का आहरण, ग्राम प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा तथा प्रत्येक भुगतान के लिये प्राप्तकर्ता से भुगतान की रसीद प्राप्त की जायेगी। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त बाउचर को क्रमशः गार्ड फाइल में सुरक्षित रखा जायेगा। किन्तु ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान किये गये उपरोक्त व्यय/भुगतान से सम्बन्धित कोई भी रसीद/गार्ड फाइल प्रस्तुत नहीं की गयी। फलतः यह ज्ञात नहीं हो सका कि किन सामग्रियों की खरीद के लिये एक से ग्राम निधि-1 से धन का आहरण किया गया था।

5. उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-157 के अनुसार ऐसे समस्त निर्माण कार्य, जिनकी लागत 500.00 रू0 से अधिक होगी, का भुगतान निर्माण कार्य की माप-जोखा के उपरान्त ही होगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त प्रशासनिक कार्य पर रू0 1467639.00 का भुगतान करने के उपरान्त भी माप-जोख से सम्बन्धित को प्रपत्र/माप पुस्तिका प्रस्तत नहीं की गयी फलतः कराए गए कार्यो की पुष्टि नहीं हो सकी।

6. ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय रू0 1467639.00 से कराए गए कार्यो की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण, प्रमाण पत्र, क्रय की गयी सामग्रियों से सम्बन्धित टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, कार्यों से सम्बन्धित त्रिस्तरीय चरण की फोटों, वार्षिक कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र आदि जो कि नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने थे लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, फलतः कराए गए कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में या स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि ग्राम पंचायत-मंझी निकरोजपुर द्वारा रू0 1467639.00 से कोई कार्य न कराकर, व्यय की गयी राशि का अपहरण किया गया है जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान वं सचिव उत्तरदयी है कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टीसी- प्प्प् दिनंाक 30.07.1999 के प्रस्तर-1 में ''विकेन्द्रीकरण व्यवस्था ग्राम पंचायतो में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब बिना किसी कठिनायी के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयंुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947'' में संशोधन किये गये है जिनके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे'' ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व को सम्प्रेषण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथ नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए''। इसी क्रम में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधानांे तथा ग्राम पचायतों के लिये लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शित व्यय के संदर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली अनुपातिक रूप से बराबर मात्रा मे वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरूप्योग की गयी कुल धनराशि रू0 1467639.00 में से ग्राम प्रधान श्री मनोहर लाल से रू0 733819.50 और पंचायत सचिव श्री नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव रू0 733819.00 की वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- कुरौनी विकासखण्ड-मोहनलालगंज वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या- 14

ग्राम पंचायत कुरौनी की वित्तीय वर्ष 2021-22 की ई-ग्राम स्वराज के आॅनलाइन फीडेड प्रारूप-1 (वार्षिक प्राप्तिया एवं भुगतान लेखा) में रूपए 2709579.00 व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय धनराशि से सम्बन्धित कोई भी पंत्रावली (फाइल) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

उक्त व्यय धनराशि से संबंधित प्रमुख आपत्तियां निम्नलिखित है-

1. उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-152 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिये व्यय मानचित्र एवं अनुमान तैयार किये जाएंगे। साथ ही नियम संख्या-156 के तहत उक्त अनुमान एवं मानचित्र पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी धनराशि व्यय नहीं की जाएगी। किन्तु लेखा परीक्षा में वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय उपरोक्त धनराशि रूपये 2709579.00 से कराये गये कार्य के अनुमान एवं स्वीकृत मानचित्र अप्राप्त रहे।

2. उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 209 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-11 के अनुसार कार्य का अंतिम रूप से भुगतान करने से पहले कार्य पूरा हो जाने के संबंध में समिति/सक्षम अधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उसके द्वारा कार्य का निरीक्षण कर लिया गया है और समस्त कार्य नियमानुसार, स्वीकृत आंकलन तथा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार उचित रूप से पूरा किया गया है। किन्तु लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 में उपरोक्त व्यय धनरशि रूप्ये 2709579.00 से कराये गये कार्य के कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे। फलतः कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

3. उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 210 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार जो कार्य ठेकेदारी प्रथा पर न हो रहे हो, उन कार्यो पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति (मस्टररोल) रूप पत्र -22 पर सक्षम अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त करोय गये कार्यो से सम्बन्धित मस्तर रोल अपाप्त रहे जिस कारण इस ता की पुष्टि नहीं हो सकी कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपरोक्त धनराशि किन श्रमिकों को किन कार्य के लिये प्रदान की गयी।

4. ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के प्रस्तर-10 के अनुसार ग्राम निधि से धन का आहरण, ग्राम प्रधान एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा तथा प्रत्येक भुगतान के लिये प्राप्तकर्ता से भुगतान की रसीद प्राप्त की जायेगी। ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त बाउचर को क्रमशः गार्ड फाइल में सुरक्षित रखा जायेगा। किन्तु ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान किये गये उपरोक्त व्यय/भुगतान से सम्बन्धित कोई भी रसीद/गार्ड फाइल प्रस्तुत नहीं की गयी। फलतः यह गैप नहीं हो सका कि किन सामग्रियों की खरीद के लिये एक से ग्राम निधि-1 से धन का आहरण किया गया था।

5. उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-157 के अनुसार ऐसे समस्त निर्माण कार्य, जिनकी लागत 500.00 रू0 से अधिक होगी, का भुगतान निर्माण कार्य की माप-जोखा के उपरान्त ही होगा। किन्तु लेखा परीक्षा में उपरोक्त प्रशासनिक कार्य पर रू0 2709579.00 का भुगतान करने के उपरान्त भी माप-जोख से सम्बन्धित को प्रपत्र/माप पुस्तिका प्रस्तत नहीं की गयी फलतः कराए गए कार्यो की पुष्टि नहीं हो सकी।

6. ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में व्यय रू0 2709579.00 से कराए गए कार्यो की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, परिसम्पत्तियों के हस्ताक्षरण, प्रमाण पत्र, क्रय की गयी सामग्रियों से सम्बन्धित टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, कार्यों से सम्बन्धित त्रिस्तरीय चरण की फोटों, वार्षिक कार्य योजना, उपभोग प्रमाण पत्र आदि जो कि नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने थे लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, फलतः कराए गए कार्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपर्युक्त आपत्तियों के आलोक में या स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि ग्राम पंचायत-मंझी निकरोजपुर द्वारा रू0 2709579.00 से कोई कार्य न कराकर, व्यय की गयी राशि का अपहरण किया गया है जिसके लिये ग्राम प्रधाान श्री संतोष यादव वं सचिव श्री मनोज कुमार वर्मा और नरेंन्द्र कुमार श्रीवास्तव उत्तरदयी है कार्यालय ज्ञाप संख्या-4892/33-1-222/99-टीसी- प्प्प् दिनंाक 30.07.1999 के प्रस्तर-1 में ''विकेन्द्रीकरण व्यवस्था ग्राम पंचायतो में अभिलेखों के रख-रखाव तथा अभिलेखों की अविलम्ब बिना किसी कठिनाई के नकल उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने संयंुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947'' में संशोधन किये गये है जिनके तहत ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख सचिव, ग्राम पंचायत की अभिरक्षा में रखे जायेंगे'' ग्राम पंचायत के वित्त एवं

लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार ''ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व को सम्प्रेषण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथ नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए''। इसी क्रम में उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधानांे तथा ग्राम पचायतों के लिये लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार यदि दर्शित व्यय के संदर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए, इस धनराशि की वसूली अनुपातिक रूप से बराबर मात्रा मे ंवसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। अतः नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- शिवरी विकासखण्ड-काकोरी वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या- 15

ग्राम पंचायत शिवरी का वर्ष 2021-22 की मनरेगा की लेखा परीक्षा पाया गया कि विभिन्न तिथियों में कुल व्यय रू0 2167975.10 (इक्कीस लाख सरसठ हजार नौ सौ पचहत्तर रूपये दस पैसे) आहरित किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

क्रम	कराये गए कार्य का विवरण/	कार्य आई डी/	व्यय धनराशि	श्रमांश	सामग्री	योग
1	आंगनबाड़ी केंद्र मरम्मत कार्य 191396.00	48174255	52884.00	138512.00		
2	जानकी के घर से रंजीत के घर 228346.00	48245921	28800.00	199546.00		
	तक इन्ब्रलॉकिंग					
3	हैण्डपम्प मरम्मत	52736539	26500.00	71150.00	97650.00	
4	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों 82647.00	54244229	11352.00	71295.00		
	पर पत्थर डलवाया जाना					
5	डामर रोड से रामचंद्र के घर 172026.00	55056552	40560.00	131466.00		
	तक खडन्जा मरम्मत कार्य					
6	हैण्डपम्प कार्य 136675.00	48153467	34200.00	102675.00		
7	कार्यालय हेतु कम्प्यूटर अलमारी क्रय	56637754.00	-	76800.00	76800.00	
8	कार्यालय हेतु फर्नीचर क्रय	54354246	-	30500.00	30500.00	
9	भइयादीन के घर से कल्लुपल 243618.00	55801055	38796.00	504822.00		
	के घर तक सी0सी0रोड निर्माण					
10	प्रा0वि0 में शौचालय निर्माण 188027.00	48169915	25740.00	162287.00		
11	हैण्डपम्प निर्माण	37562440	34200.00	145800.00	180000.00	
12	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य 37500.00	27506818	8000.00	29500.00		
13	ग्राम प्रधान मानदेय	48145327	34500.00	-	34500.00	
14	पंचायत सहायक मानदेय	5663811	6000.00	-	6000.00	

15	सामुदायिक शौचालय	52736507	36000.00	-	36000.00
	हेतु केयर टैंकर का भुगतान				
16	ग्राम पंचायत में सेनेटाईजेसन छिड़काव 59310.00	37562391	12060.00	47250.00	
17	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य 135300.00	48154201	45000.00	90300.00	
18	ग्राम पंचायत में साफ सफाई कार्य	48157869	32000.00	55000.00	87000.00
19	प्रशासनिक व्यय/कंटीजेंसी/बैंक कटौती 58407.10	48145110	12000.00	46407.10	
	/पंचायत सहायक मानदेय				
20	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों	54244257	-	91020.00	91020.00
	पर ह्यूम पाइप कार्य				
	योग		478592.00	1689383.10	2167675.10

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्यतीत धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं प्रचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरूपयोग की गयी धनराशि रू0 2167975.10 (इक्कीस लाख सरसठ हजार नौ सौ पचहत्तर रूपये दस पैसे मात्र) में से ग्राम प्रधान से रू0 1083987.55 (दस लाख तिरासी हजार नौ सौ सत्तासी रूपये पचपन पैसे मात्र) और ग्राम पंचायत सचिव से रू0 1083987.55 (दस लाख तिरासी हजार नौ सौ सत्तासी रूपये पचपन पैसे मात्र) की वसूली की आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- हबीबपुर विकासखण्ड-मलिहाबाद वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या- 16

लेखा परीक्षा में पाया गया है कि आॅनलाइन ई ग्राम स्वराज बेबसाइट पर अनुरक्षित कैश बुक/आॅल इण्डिया रिपोर्ट स्टेट वाइस सक्सपेनडीचर रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ग्रम निधि प्रथम से निम्नलिखित निर्माण/अनुरक्षण कार्य/मजदूरी/प्रशासनिक/मानदेय तथा अन्य कार्यो पर भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	बाउचर संख्या धनराशि	दिनांक	कार्य	भुगतान प्राप्त कर्ता	
1	15एफसी/21-22/पी/1 18000.00	05.07.2021	स्वयं सहायता समूह भुगतान	मंजू	
2	15एफसी/21-22/पी/2	11.07.2021	पेड फॉर सैनीटेशन कार्य	राहुल कुमार	12800.00
3	15एफसी/21-22/पी/11 19000.00	14.07.2021	ऐजन्सी का भुगतान सामग्री हेतु	यादव	टेण्डर्स
4	15एफसी/21-22/पी/12 14000.00	14.07.2021	ऐजन्सी का भुगतान सामग्री हेतु	यादव	टेण्डर्स
5	15एफसी/21-22/पी/9 44600.00	14.07.2021	ऐजन्सी का भुगतान सामग्री हेतु	यादव	टेण्डर्स
6	15एफसी/21-22/पी/13	15.07.2021	ऐजन्सी का भुगतान सामग्री हेतु		

	13860.00				
			मुलायम सिंह यादव		
7	15एफसी/21-22/पी/14 19680.00	15.07.2021	मजदूरी नीरज		
8	15एफसी/21-22/पी/15 13440.00	15.07.2021	मजदूरी सर्वजीत		
9	15एफसी/21-22/पी/16 5050.00	15.07.2021	मजदूरी अनूप कुमार		
10	15एफसी/21-22/पी/17 3150.00	16.07.2021	एजेन्सी को भुगतान	रमेशटा मीडिया	प्रा0लि0
11	15एफसी/21-22/पी/18 3400.00	16.07.2021	एजेन्सी को भुगतान	स्वतंत्र भारत	
12	15एफसी/21-22/पी/19 10608.00	16.07.2021	मजदूरी श्याम लाल		
13	15एफसी/21-22/पी/20 4200.00	16.07.2021	एजेन्सी को भुगतान	गीत टेण्डिंग	कंपनी
14	15एफसी/21-22/पी/21 16500.00	26.07.2021	हैण्डपम्प मिस्त्री लेवर	बृजेश कुमार	
15	15एफसी/21-22/पी/22 2490.00	12.08.2021	पेड वेंडर टूं सामग्री	गीत टेण्डिंग	कंपनी
16	5एसएफसी/21-22/पी/3 35599.00	22.10.2021	पेड वेंडर टूं सामग्री	अनंत टेण्डर्स	
17	5एसएफसी/21-22/पी/4 55365.00	22.10.2021	पेड वेंडर टूं सामग्री	अनंत टेण्डर्स	
18	5एसएफसी/21-22/पी/5 64464.00	22.10.2021	पेड वेंडर टूं सामग्री	यादव टेण्डर्स	
19	5एसएफसी/21-22/पी/6 26250.00	22.10.2021	पेड वेंडर टूं सामग्री	अनंत टेण्डर्स	
20	5एसएफसी/21-22/पी/7 35000.00	22.10.2021	पेड वेंडर टूं सामग्री	यादव टेण्डर्स	
21	5एसएफसी/21-22/पी/8 12537.00	22.10.2021	पेड वेंडर टूं सामग्री	अनंत टेण्डर्स	
22	4एसएफसी/21-22/पी/1 3800.00	08.12.2021	पेड डी0पी0आर0ओ0	डी0पी0आर0	ओ लखनऊ
23	4एसएफसी/21-22/पी/2	08.12.2021	मानदेय प्रधान	चन्द्रपाल	17500.00
24	5एसएफसी/21-22/पी/9	11.01.2022	पंचायत सहायक मानदेय	लक्ष्मी देवी	6000.00
25	5एसएफसी/21-22/पी/1007.02.2022 10200.00		सफाई पर खर्चा	अजय यादव	
26	5एसएफसी/21-22/पी/ 1107.02.2022 5650.00		दवाई पर खर्चा	मॉ लक्ष्मी	कृषक सेवा केन्द्र
27	15एफसी/21-22/पी/24	07.02.2021	कम्प्यूटर का भुगतान वेंडर		

	59950.00				
			गीत टेण्डिंग कंपनी		
28	15एफसी/21-22/पी/25	07.02.2021	सफाई पर व्यय	पवन कुमार वर्मा	10200.00
29	5एसएफसी/21-22/पी/12	19.02.2022	पेड वेंडर टू सामग्री	सेवा इलैक्ट्रॉनिक	20560.00
30	15एफसी/21-22/पी/26 23250.00	19.02.2022	पेड वेंडर टू सामग्री	जगदीश	
			आइरन प्लॉस्टिक		
31	15एफसी/21-22/पी/27 46850.00	19.02.2022	पेड वेंडर टू सामग्री	यादव टेण्डिंग	
32	15एफसी/21-22/पी/28 36600.00	19.02.2022	पेड वेंडर टू सामग्री	यादव टेण्डिंग	
33	5एसएफसी/21-22/पी/13	20.02.2022	मानदेय प्रधान	चन्द्रपाल	12000.00
34	5एसएफसी/21-22/पी/15 6120.00	12.03.2022	सफाई पर खर्चा	राहुल कुमार	
35	5एसएफसी/21-22/पी/16 29500.00	12.03.2022	पेड वेंडर टू सामग्री	अनंत टेण्डर्स	
36	15एफसी/21-22/पी/29 12000.00	12.03.2022	प्रधान पंचायत सहायक	लक्ष्मी देवी	
37	15एफसी/21-22/पी/30 23212.00	12.03.2022	पेड वंडर टू सामग्री	ज्गरानी	
			लोधी ब्रिक फील्ड		
38	5एसएफसी/21-22/पी/17	15.03.2022	मानदेय प्रधान	चन्द्रपाल	5000.00
39	5एसएफसी/21-22/पी/18	15.03.2022	सेनीटेशन पर खर्चा	आसिफ	12680.00
			अली इन्टरलाकिंग उद्योग		
	771065.00				योग

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा- प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद - 7 में स्पष्ट प्रावधान है ''ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सप्रेक्षण हेतु सप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएंगे परन्तु लेख परीक्षा में उक्त कार्यो से संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई,डी,माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल मानदेय पंजिका आदि) एवं उक्त कार्यो पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। समस्त सुसंगत अभिलेख, पत्रावलियां व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अनुसार-'' यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक स्टाॅक पंजिका, सार्वजनिक निर्माण पंजिका कार्य से संबंधित तीन चरण की फोटो प्रस्तुत न किये जाने के कारण दर्शित व्यय धनराशि रूपये 771065.00 की नियमानुसार आधी आधी वसूली अर्थात् रूपये 385532.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री चन्द्रपाल तथा रूपये की नियमानुसार आधी आधी वसूली अर्थात् रूपए 385532.50 की वसूली ग्राम

प्रधान श्री चन्द्रपाल तथा रूपए 385532.50 की वसूली पंचायत सचिव श्री अनुज यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 17

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डाॅगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ0/रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये है। ग्राम पंचायत में सचालित मनरेगा योजना की बेबसाइट पर दर्शित व्यय रू0 1119151.89 से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेख/प्रमाणक यथा कैशबुक, डेबुक, भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका जाॅब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका, एफटीओ पंजिका, सामग्री क्रय भुगतान सम्बन्धी बिल वाउचर, श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल, प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, स्टाॅक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना भी धन की भारी हेराफेरी की गयी है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रंबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रू0 1119151.89 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अनुज यादव तथा ग्राम प्रधान श्री चन्द्रपाल उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- फिरोजपुर विकासखण्ड-मलिहाबाद वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या- 18

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डॉगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ0/रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये है। ग्राम पंचायत में सचालित मनरेगा योजना की बेबसाइट पर दर्शित व्यय रू0 853627.65 से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेख/प्रमाणक यथा कैशबुक, डेबुक, भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका जाॅब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका, एफटीओ पंजिका, सामग्री क्रय भुगतान सम्बन्धी बिल वाउचर, श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल, प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, स्टॉक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना भी धन की भारी हेराफेरी की गयी है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रंबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रू0 853627.65 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री तेज कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती परवीन उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- मोहम्मदनगर रहमतनगर विकासखण्ड-मलिहाबाद वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या- 19

लेखा परीक्षा मे पाया गया कि आनलाईन ई ग्राम स्वराज बेबसाइट पर अनुरक्षित कैश बुक/आल इण्डिया रिपोर्ट स्टेट वाइस एक्सपेनडीचर रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 में ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित निर्माण/अनुरक्षण कार्यो/मजदूरी/प्रशासनिक/मानदेय तथा अन्य कार्यो पर भुगतान किया गया है जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	बाउचर संख्या धनराशि	दिनांक	कार्यभुगतान प्राप्त कर्ता
1	5एसएफसी/21-22/पी/2 19908.00	14.07.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु
			अजय बिक्र फील्ड
2	5एसएफसी/21-22/पी/3 33984.00	14.07.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु एश्या टेण्डर्स
3	5एसएफसी/21-22/पी/4 41687.00	14.07.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु एश्या टेण्डर्स
4	5एसएफसी/21-22/पी/5 4570.00	14.07.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु एश्या टेण्डर्स
5	15एफसी/21-22/पी/10 3150.00	16.07.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु रमेशटा
			मीडिया प्रा0लि0
6	15एफसी/21-22/पी/3 5304.00	16.07.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु महेश कुमार
7	15एफसी/21-22/पी/4 4896.00	16.07.2021	पेड टू एम्प्लोयी फॉर मजदूरी करण
8	15एफसी/21-22/पी/5	16.07.2021	पेड टू एम्प्लोयी फॉर मजदूरी राधेश्याम4896.00
9	15एफसी/21-22/पी/6 4896.00	16.07.2021	पेड टू एम्प्लोयी फॉर मजदूरी रईस
10	15एफसी/21-22/पी/7 18300.00	16.07.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु
			जगदीश आइरन प्लॉस्टिक एजेन्सीस
11	15एफसी/21-22/पी/8 2490.00	16.07.2021	डॉगल बनवाई भुगतान गीत टेण्डिंग कम्पनी
12	15एफसी/21-22/पी/9 8400.00	16.07.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु पेड
			वेंडर टू सामग्री
13	15एफसी/21-22/पी/11 15840.00	26.07.2021	पैंटर लेबर पेड संजय कुमार
14	15एफसी/21-22/पी/12 8500.00	26.07.2021	प्लम्बर पेड मनीष
15	5एसएफसी/21-22/पी/6 21350.00	27.07.2021	प्लम्बर पेड आसिफ अली इन्टरलॉकिग

16	15एफसी/21-22/पी/13 8150.00	27.07.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु		
			जगदीश आइरन प्लॉस्टिक एजेन्सीस		
17	15एफसी/21-22/पी/14 8160.00	03.08.2021	मिस्त्री भुगतान रोशन लाल		
18	15एफसी/21-22/पी/15 3468.00	03.08.2021	लेबर भुगतान करण		
19	15एफसी/21-22/पी/16 3468.00	03.08.2021	लेबर भुगतान महेश कुमार		
20	15एफसी/21-22/पी/17 3468.00	03.08.2021	लेबर भुगतान रईस		
21	15एफसी/21-22/पी/18 20528.00	09.08.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	एशिया	टेण्डर्स
22	15एफसी/21-22/पी/19 26041.00	09.08.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	एशिया	टेण्डर्स
23	15एफसी/21-22/पी/20 2040.00	09.08.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	मनीष	
24	15एफसी/21-22/पी/21 48685.00	09.08.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	यादव	टेण्डर्स
25	15एफसी/21-22/पी/23 20650.00	09.08.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री		
			हेतु शक्ति एसोसिएट्स		
26	15एफसी/21-22/पी/24 24450.00	09.08.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	यादव	टेण्डर्स
27	5एसएफसी/21-22/पी/7 18456.00	10.08.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	एशिया	टेण्डर्स
28	5एसएफसी/21-22/पी/8 19413.00	10.08.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु		
			अजय ब्रिक फिल्ड		
29	5एसएफसी/21-22/पी/9 3301.00	10.08.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	यादव	टेण्डर्स
30	15एफसी/21-22/पी/26 7000.00	17.08.2021	मानदेय श्याम सुंदर पाल		
31	15एफसी/21-22/पी/27 5100.00	17.08.2021	लेबर भुगतान राधे श्याम		
32	5एसएफसी/21-22/पी/10 7200.00	18.08.2021	लेबर भुगतान शरदचंद		
33	5एसएफसी/21-22/पी/11 15271.00	18.08.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु		
			माधव इण्टरप्राइजेस		
34	15एफसी/21-22/पी/28	18.08.2021	हैडपम्प मिस्त्री बिंदा प्रसाद		

	17000.00				
35	5एसएफसी/21-22/पी/12 11073.00	02.09.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	एशिया	टेण्डर्स
36	5एसएफसी/21-22/पी/13 5280.00	02.09.2021	लेबर भुगतान	रोशन लाल	
37	5एसएफसी/21-22/पी/14 2244.00	02.09.2021	लेबर भुगतान	रईस	
38	5एसएफसी/21-22/पी/15 4080.00	02.09.2021	लेबर भुगतान	राधे श्याम	
39	5एसएफसी/21-22/पी/16 5280.00	02.09.2021	पेड मजदूरी	राहुल कुमार	
40	15एफसी/21-22/पी/29 10556.00	02.09.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	एशिया	टेण्डर्स
41	15एफसी/21-22/पी/30 7107.00	02.09.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु		
			अजय ब्रिक फील्ड		
42	15एफसी/21-22/पी/31 17496.00	02.09.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	एशिया	टेण्डर्स
43	15एफसी/21-22/पी/32 17520.00	02.09.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	यादव	टेण्डर्स
44	15एफसी/21-22/पी/33 3672.00	02.09.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु		
			माधव इन्ट्रटरप्राइजेज		
45	5एसएफसी/21-22/पी/15 16560.00	06.09.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु		
			शैलेन्द्र साइकल स्टोर		
46	15एफसी/21-22/पी/34 10951.00	07.09.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	यादव	ट्रेडर्स
47	15एफसी/21-22/पी/35 2423.00	07.09.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	एशिया	टेण्डर्स
48	15एफसी/21-22/पी/36 2500.00	07.09.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	एशिया	टेण्डर्स
49	15एफसी/21-22/पी/37 1425.00	07.09.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	एशिया	टेण्डर्स
50	15एफसी/21-22/पी/38 9257.00	07.09.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु		
			माधव इन्ट्रटरप्राइजेज		
51	15एफसी/21-22/पी/39 25850.00	07.09.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	एशिया	टेण्डर्स
52	15एफसी/21-22/पी/41 12500.00	08.09.2021	पेड वेंडर टू सामग्री	यादव ट्रेडर्स	

53	15एफसी/21-22/पी/42 4350.00	08.09.2021	पेड वेंडर टू सामग्री	यादव ट्रेडर्स	
54	15एफसी/21-22/पी/43 10080.00	15.09.2021	मजदूरी मेराज अहमद		
55	15एफसी/21-22/पी/44 9600.00	15.09.2021	मजदूरी राम कुमार		
56	15एफसी/21-22/पी/45 13000.00	15.09.2021	पेड वेंडर टू सामग्री	शम्भू	इण्टरप्राइजेज
57	15एफसी/21-22/पी/46 1863.00	15.09.2021	पेड वेंडर टू सामग्री	माधव	इन्नटरप्राइजेज
58	15एफसी/21-22/पी/47 8000.00	15.09.2021	मजदूरी बलराम		
59	15एफसी/21-22/पी/48	15.09.2021	पेड वेंडर टू सामग्री	शक्ति एसोसिएट्स	17450.00
60	15एफसी/21-22/पी/49 8650.00	15.09.2021	मजदूरी मुकेश कुमार		
61	15एफसी/21-22/पी/50 14877.00	15.09.2021	पेड वेंडर टू सामग्री	एशिया टेण्डर्स	
62	15एफसी/21-22/पी/51 26275.00	15.09.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु		
			अजय ब्रिक फील्ड		
63	15एफसी/21-22/पी/52 5650.00	15.09.2021	पेड टू स्टेशनरी मो खालिद		
64	5एसएफसी/21-22/पी/18 9600.00	27.09.2021	मजदूरी रोशन लाल		
65	5एसएफसी/21-22/पी/19 4080.00	27.09.2021	लेबर भुगतान करण		
66	5एसएफसी/21-22/पी/20 13504.00	27.09.2021	पेड वेंडर टू सामग्री	एशिया टेण्डर्स	
67	5एसएफसी/21-22/पी/21 22765.00	27.09.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु		
			अजय ब्रिक फील्ड		
़68	15एफसी/21-22/पी/53 10560.00	27.09.2021	मजदूरी बिंद्रा प्रसाद		
69	15एफसी/21-22/पी/54 4488.00	27.09.2021	मजदूरी मेराज अहमद		
70	15एफसी/21-22/पी/55 95325.00	27.09.2021	पेड वेंडर टू सामग्री	विमला उद्योग	
71	15एफसी/21-22/पी/56 22429.00	27.09.2021	पेड वेंडर टू सामग्री	विमला उद्योग	
72	5एसएफसी/21-22/पी/22 20259.00	09.10.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	यादव	ट्रेडर्स

73	5एसएफसी/21-22/पी/23 24073.00	09.10.2021	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	
			अजय ब्रिक फील्ड	
74	5एसएफसी/21-22/पी/24 6315.00	09.10.2021	पेड वेंडर टू सामग्री	विमला उद्योग
75	5एसएफसी/21-22/पी/25 300.00	09.10.2021	पेड वेंडर टू सामग्री	मो खालिद
76	15एफसी/21-22/पी/58 4500.00	12.10.2021	मजदूरी राहुल कुमार	
77	5एसएफसी/21-22/पी/26	13.10.2021	लेबर पेड शम्भू इण्टरप्राइजेज	9300.00
78	15एफसी/21-22/पी/59	13.10.2021	लेबर पेड रोशन लाल	4320.00
79	15एफसी/21-22/पी/60	13.10.2021	लेबर पेड राधे श्याम	3264.00
80	15एफसी/21-22/पी/61 7000.00	27.10.2021	मानदेय श्याम सुंदर पाल	
81	5एसएफसी/21-22/पी/28	28.10.2021	पेड वेंडर टू सामग्री	आसिफ 56790.00
			अली इण्टरलॉकिंग उद्योग	
82	15एफसी/21-22/पी/62	28.10.2021	समूह का मानदेय श्री	18000.00
			गणेश स्वयं सहायता समूह	
83	15एफसी/21-22/पी/63 9000.00	28.10.2021	पेड वेंडर टू सामग्री	ग्रीत टेण्डिंग कम्पनी
84	15एफसी/21-22/पी/64	30.12.2021	पेड ऐजन्सी पेमेन्ट फॉर	3575.00
			सामग्री क्रय राज्य नोडल अधिकारी	
	3800.00		डीपीआरओ लखनऊ	
85	5एसएफसी/21-22/पी/29	11.01.2022	पंचायत सहायक मानदेय	पूनम देवी 6000.00
86	15एफसी/21-22/पी/69 59950.00	13.01.2022	पेड वेंडर टू सामग्री	गीत टेडिंग कम्पनी
87	5एसएफसी/21-22/पी/30 5000.00	07.02.2022	मानदेय श्याम सुंदर पाल	
88	5एसएफसी/21-22/पी/31 84960.00	07.02.2022	पेड वेंडर टू सामग्री	एशिया टेण्डर्स
89	15एफसी/21-22/पी/70 7220.00	07.02.2022	लेबर भुगतान रोशन लाल	
90	15एफसी/21-22/पी/71 3876.00	07.02.2022	लेबर भुगतान करण	
91	15एफसी/21-22/पी/72 3876.00	07.02.2022	लेबर भुगतान मेराज अहमद	
92	15एफसी/21-22/पी/73 3876.00	07.02.2022	लेबर भुगतान रईस	
93	15एफसी/21-22/पी/74	07.02.2022	लेबर भुगतान महेश कुमार	

	3876.00				
94	15एफसी/21-22/पी/75 3876.00	07.02.2022	लेबर भुगतान	राहुल कुमार	
95	15एफसी/21-22/पी/76	07.02.2022	लेबर भुगतान	पवन कुमार वर्मा	3876.00
96	5एसएफसी/21-22/पी/32 4080.00	12.02.2022	प्रशासनिक व्यय	रोशन लाल	
97	5एसएफसी/21-22/पी/33 10000.00	12.02.2022	मानदेय	श्याम सुंदर पाल	
98	15एफसी/21-22/पी/77 12465.00	12.02.2022	लेबर भुगतान	एशिया टेण्डर्स	
99	15एफसी/21-22/पी/78 13136.00	12.02.2022	लेबर भुगतान	एशिया टेण्डर्स	
100	15एफसी/21-22/पी/79 24143.00	12.02.2022	लेबर भुगतान	एशिया टेण्डर्स	
101	15एफसी/21-22/पी/80 20460.00	12.02.2022	सफाई पर खर्चा	ग्रीत टेण्डिंग कम्पनी	
102	15एफसी/21-22/पी/81 4080.00	12.02.2022	सफाई पर खर्चा	राहुल कुमार	
103	5एसएफसी/21-22/पी/34 50976.00	20.02.2022	पेड वेंडर टू सामग्री	विमला उद्योग	
104	15एफसी/21-22/पी/82	20.02.2022	सफाई पर खर्चा	पवन कुमार वर्मा	5304.00
105	5एसएफसी/21-22/पी/35	12.03.2022	पंचायत सहायक मानदेय	पूनम देवी	12000.00
106	5एसएफसी/21-22/पी/36 5000.00	12.03.2022	मानदेय	श्याम सुंदर पाल	
107	15एफसी/21-22/पी/83 12000.00	12.03.2022	केयर टेकर भुगतान	श्री गणेश स्वयं सहायता	
108	15एफसी/21-22/पी/84 6000.00	12.03.2022	हैडपम्प मिस्त्री मजदूरी	बिंदा प्रसाद	
109	15एफसी/21-22/पी/85 58950.00	12.03.2022	एजेन्सी को भुगतान सामग्री हेतु	यादव टेडर्स	
110	15एफसी/21-22/पी/86 7600.00	12.03.2022	सफाई पर व्यय	महेशकुमार	
111	15एफसी/21-22/पी/87	12.03.2022	लेबर पेड	मेराज अहमद	1428.00
112	15एफसी/21-22/पी/88	12.03.2022	लेबर पेड	रईस	1428.00
113	15एफसी/21-22/पी/89	12.03.2022	लेबर पेड	रोशन लाल	2660.00
114	15एफसी/21-22/पी/90	12.03.2022	लेबर पेड	महेश कुमार	1428.00
115	15एफसी/21-22/पी/91	12.03.2022	लेबर पेड	पवन कुमार वर्मा	7220.00
116	5एसएफसी/21-22/पी/37 11328.00	14.03.2022	पेड वेंडर टू सामग्री	विमला उद्योग	
117	5एसएफसी/21-22/पी/38 5794.00	14.03.2022	पेड वेंडर टू सामग्री	एशिया टेण्डर्स	

118	5एसएफसी/21-22/पी/39 14.03.2022	पेड वेंडर टू सामग्री	एशिया टेण्डर्स	14060.00

योग 1576762.00

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा- प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद - 7 में स्पष्ट प्रावधान है ''ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सप्रेक्षण हेतु सप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएंगे परन्तु लेख परीक्षा में उक्त कार्यो से संबंधित पत्रावलियां (प्राक्कलन, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, आई,डी,माप पुस्तिका, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्य योजना, मस्टर रोल मानदेय पंजिका आदि) एवं उक्त कार्यो पर दर्शित व्ययों की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये। समस्त सुसंगत अभिलेख, पत्रावलियां व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्रारम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। लेखा मैनुअल के अध्याय- 8 के अनुच्छेद 8 (क) के अनुसार-'' यदि दर्शाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जाएगी। अभिलेख, कार्य पत्रावलियां, व्यय प्रमाणक स्टाॅक पंजिका, सार्वजनिक निर्माण पंजिका कार्य से संबंधित तीन चरण की फोटो प्रस्तुत न किये जाने के कारण दर्शित व्यय धनराशि रूपये 1576762.00 की नियमानुसार आधी आधी वसूली अर्थात् रूपये 385532.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्री चन्द्रपाल तथा रूपये की नियमानुसार आधी आधी वसूली अर्थात् रूपए 788381.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्याम सुंदर पाल तथा रूपए 788381.00 की वसूली पंचायत सचिव श्री अनुज यादव से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या- 20

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डॉगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ0/रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये है। ग्राम पंचायत में सचालित मनरेगा योजना की बेबसाइट पर दर्शित व्यय रू0 1473493.00 से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेख/प्रमाणक यथा कैशबुक, डेबुक, भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका जाॅब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका, एफटीओ पंजिका, सामग्री क्रय भुगतान सम्बन्धी बिल वाउचर, श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल, प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, स्टाॅक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना भी धन की भारी हेराफेरी की गयी है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रंबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रू0 1473493.00 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अनुज यादव तथा ग्राम प्रधान श्री श्याम सुंदर पाल उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- जौरिया विकासखण्ड-मलिहाबाद वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या- 21

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डाॅगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया है। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ0/रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी

2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये है। ग्राम पंचायत में सचालित मनरेगा योजना की बेबसाइट पर दर्शित व्यय रू0 1077494.00 से सम्बन्धित समस्त सुसंगत अभिलेख/प्रमाणक यथा कैशबुक, डेबुक, भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका जाॅब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका, एफटीओ पंजिका, सामग्री क्रय भुगतान सम्बन्धी बिल वाउचर, श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल, प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति, स्टाॅक पंजिका, परिसम्पत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना भी धन की भारी हेराफेरी की गयी है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रू0 1077494.00 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अनुज यादव तथा ग्राम प्रधान श्रीमती राम देवी उत्तरदायी है। आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- गोहना खुर्द विकासखण्ड-मलिहाबाद वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या- 22

--निम्नलिखित कार्यो पर कुल रू0 1149577.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित हैः-

क्र0	कार्य का नाम धनराशि	कार्य आई0डी0	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक
1	सामग्री 6987	50689905	प्रधान इण्टरप्राइजेज	30.04.21
2	समग्री 58653	50689905	प्रधान इण्टरप्राइजेज	10.07.21
3	लेबर 40525	44728282	सतोश कुमार	30.04.21
4	समगी$लेवर 23200	48533756	शुभम टेण्डर्स	10.07.2021
5	सामग्री 93950	48533756	फारएवर इन्टरप्राइजेज	03.11.21
6	कंटीजेन्सी 10000	48532908	जेपी मैक्स एनर्जी	10.07.21
7	विविध व अन्य 45500	48532908	फारएवर इन्टरप्राइजेज	18.08.21
8	समग्री 35000	48532908	फारएवर इन्टरप्राइजेज	03.11.21
9	सैनिटाइजेशन व अन्य	48533189	जेपी मैक्स एनर्जी	11.07.21 30000
10	जेसीबी	48533189	सहिल सिंह चैहान	31.07.21 12000
11	फर्नीचर व विविध 42500	41687125	कमल टेडर्स	17.08.21
12	स्टेशनरी 5500	41687125	अनुज सिंह यादव	18.03.22
13	समग्री 16400	8167509	फारएवर इन्टरप्राइजेज	21.10.21
14	फोटोकाॅपी	8167508	अंकित सीएससीसेंटर	21.10.21

	2250			
15	हैन्डपम्प मरम्मत 50000	48583804	शुभम टेण्डर्स	14.03.22
16	सामुदायिक शौचालय सामग्री 30211	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	26.08.2021
17	सामुदायिक शौचालय सामग्री 102900	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	26.08.21
18	सामुदायिक शौचालय सामग्री 92032	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	26.08.21
19	सामुदायिक शौचालय सामग्री 58326	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	26.08.21
20	लेबर 22500	41684901	अनुज सिंह यादव	26.08.21
21	सामुदायिक शौचालय सामग्री 1788	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	12.09.21
22	सामुदायिक शौचालय सामग्री 10081	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	12.09.21
23	सामुदायिक शौचालय सामग्री 25005	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	21.09.21
24	सामुदायिक शौचालय सामग्री 58135	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	21.09.21
25	सामुदायिक शौचालय सामग्री 119734	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	21.09.21
26	लेबर	41684901	अनुज सिंह यादव 21.10.21	30400
27	सामुदायिक शौचालय सामग्री 40000	41684901	शुभम इन्टरप्राइजेज	14.03.21
28	सामुदायिक शौचालय सामग्री 70000	41684901	नरायण टेण्डर्स	14.03.21
	1149577			योग

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरूपयोग की गयी धनराशि रू0 1149577.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शीला देवी से रू0 574788.50 और पंचायत सचिव श्री धीरज यादव से रू0 574788.50 की वसूली क्यों न किया जाय।

---मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत गोहना खुर्द के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यो पर मजदूरी हेतु रू0 76100.00 का भुगतान दर्शित है विवरण निम्नवत हैः-

क्रमांक	कार्य आई0डी0	मजदूरी भुगतान	दिनांक	धनराशि
1	44728282	संतोष कुमार	23.04.21	23200
2	41684901	अनुज सिंह यादव	26.08.21	22500
3	41684901	अनुज सिंह यादव	21.10.21	30400
		योग		76100

उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या 210 तथा ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-5 के बिन्दु-13 के अनुसार जो कार्य ठेकेदारी प्रथा पर न हो रहे हो, उन कार्यो पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति (मस्टररोल) रूप पत्र -22 पर सक्षम अधिकारी द्वारा रखा जाएगा। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

ग्राम पंचायत गोहना खुर्द द्वारा वर्ष 2021-22 में रू0 1149577.00 का व्यय कर विभिन्न कार्य करवाया जाना दर्शित है किन्तु उक्त कार्यो से संबंधित लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तो के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

----पत्रावली प्रस्तुत नहीं-

ग्राम पंचायत गोहना खुर्द द्वारा वर्ष 2021-22 में रू0 1149577.00 का व्यय कर विभिन्न कार्य करवाया जाना दर्शित है किन्तु उक्त कार्यो से संबंधित स्थलवार विवरण, मानक शासनदेश, विभागीय परिपत्र, पी0डब्ल्यूडी द्वारा समय पर जारी परिपत्र निर्देशों इत्यादि से लेखा परीक्षक अवगत नहीं हो सका। निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 के पत्रांक 04/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर 3 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रत्येक कार्य हेतु चरणबद्ध फोटो, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि संरक्षित रखेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख न तो बेबसाईट पर उपलब्ध था और न ही आॅलाईन प्रस्तुत किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा अपहरण में वर्गीकृत किया जाता है।

-----सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं

ग्राम पंचायत गोहना खुर्द द्वारा वर्ष 2021-22 में रू0 1149577.00 का व्यय कर विभिन्न कार्य करवाया जाना दर्शित है किन्तु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 2 से 2.5 लाख तक एडीओ पंचायत 2.5 से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 5 लाख से ऊपर जिला अधिकारी से प्राप्त करना है लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से संबंधित सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ली गयी है या नहीं स्पष्ट नहीं हो सका जिसे लेखा परीक्षा द्वारा अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

------माप पुस्तिका एम0बी0 व स्टीमेट न प्रस्तुत किया जाना

उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्राम सभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनादेश संख्या 03-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2 (ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियन्ता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित कार्यो पर कुल रू0 1149577.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित हैः-

क्र0	कार्य का नाम धनराशि	कार्य आई0डी0	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक
1	सामग्री	50689905	प्रधान इण्टरप्राइजेज	30.04.21

	6987				
2	समग्री	50689905	प्रधान इण्टरप्राइजेज	10.07.21	
	58653				
3	लेबर	44728282	सतोश कुमार	30.04.21	
	23200				
4	समगी$लेवर	48533756	शुभम टेण्डर्स	10.07.2021	
	23200				
5	सामग्री	48533756	फारएवर इन्टरप्राइजेज	03.11.21	
	93950				
6	कंटीजेन्सी	48532908	जेपी मैक्स एनर्जी	10.07.21	
	10000				
7	विविध व अन्य	48532908	फारएवर इन्टरप्राइजेज	18.08.21	
	45500				
8	समग्री	48532908	फारएवर इन्टरप्राइजेज	03.11.21	
	35000				
9	सैनिटाइजेशन व अन्य	48533189	जेपी मैक्स एनर्जी	11.07.21	30000
10	जेसीबी	48533189	सहिल सिंह चैहान	31.07.21	12000
11	फर्नीचर व विविध	41687125	कमल टेडर्स	17.08.21	
	42500				
12	स्टेशनरी	41687125	अनुज सिंह यादव	18.03.22	
	5500				
13	समग्री	8167509	फारएवर इन्टरप्राइजेज	21.10.21	
	16400				
14	फोटोकाॅपी	8167508	अंकित सीएससीसेंटर	21.10.21	
	2250				
15	हैन्डपम्प मरम्मत	48583804	शुभम टेण्डर्स	14.03.22	
	50000				
16	सामुदायिक शौचालय सामग्री	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	26.08.2021	
	30211				
17	सामुदायिक शौचालय सामग्री	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	26.08.21	
	102900				
18	सामुदायिक शौचालय सामग्री	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	26.08.21	
	92032				
19	सामुदायिक शौचालय सामग्री	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	26.08.21	
	58326				
20	लेबर	41684901	अनुज सिंह यादव	26.08.21	22500
21	सामुदायिक शौचालय सामग्री	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	12.09.21	
	17781				
22	सामुदायिक शौचालय सामग्री	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	12.09.21	
	10081				
23	सामुदायिक शौचालय सामग्री	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	21.09.21	
	25005				
24	सामुदायिक शौचालय सामग्री	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	21.09.21	
	58135				
25	सामुदायिक शौचालय सामग्री	41684901	फारएवर इन्टरप्राइजेज	21.09.21	

	119734				
26	लेबर	41684901	अनुज सिंह यादव	21.10.21	30400
27	सामुदायिक शौचालय सामग्री 40000	41684901	शुभम इन्टरप्राइजेज	14.03.21	
28	सामुदायिक शौचालय सामग्री 70000	41684901	नरायण टेण्डर्स	14.03.21	
				योग	1149577

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एंव समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों राज के परिपत्रों एवं शासनादेश के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापुपस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

-----सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रू0 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाए आमंत्रित करने में वस्तु का नाम वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिये उनसे इनकम टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं गया है। अथवा नहीं स्पष्ट नहीं रहा। पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल रू0 1073477.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

------हैण्डपम्प मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं किया गया

ग्राम पंचायत गोहनाखुर्द के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में आॅन लाइन फीडेड बाउचर में निम्नलिखित कार्य आई0डी0 के अन्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर दर्शित है। फीडेड बाउचर/आनलाइन कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर रू0 50000.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्नलिखित हैः-

क्र0सं0	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	48533804	शुभम टेण्डर्स	14.03.2022	50000
			योग-	50000

शासनादेश संख्या 1134/अडतीस-5-56सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्राम पंचायत का रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्राम पंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपम्प मरम्मत का स्थलवार विवरण,प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। वसूली की

कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- उनई विकासखण्ड-बक्शी का तालाब वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या- 23

-----शासनादेश का उल्लंघन कर सोलर लाईट क्रय करना-

ग्राम पंचायत उनई वर्ष 2021-22 का निम्नलिखित कार्यो पर कुल रू0 1149577.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित हैः-

क्र0 सं0	कार्य का नाम (अज्ञात)	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	लेबर	54210718	प्रेम कुमार	16.09.21	4005
2	लेबर " "		धर्मेन्द्र कुमार	16.09.21	3115
3	सामग्री " "		कमल टेण्डर्स	16.09.21	169920
4	लेबर " "		मूलचनरा	16.09.21	12648
5	लेबर " "		त्रिलोकी	16.09.21	1608
6	लेबर " "		संतोश	20.09.21	4005
7	लेबर " "		विष्णु	20.09.21	2670
8	लेबर " "		हरिद्वारी	20.09.21	408
9	लेबर " "		ओमप्रकाश	20.09.21	1020
10	लेबर " "		मूलचनरा	20.09.21	5340
11	लेबर " "		शिवकुमार	20.09.21	14240
12	लेबर " "		धर्मेन्द्र कुमार	29.09.21	7565
13	लेबर " "		प्रेम किशोर	29.09.21	3115
14	सामग्री " "		शिवम टेण्डर्स	04.10.21	48801
15	लेबर " "		छबीले	04.10.21	1428
16	लेबर " "		छोटेलाल	04.10.21	3468
17	सामग्री " "		स्ंजीत इलैक्ट्रॉनिक्स	05.10.21	2523
18	लेवर " "		मूलचनरा	06.10.21	14543
19	सामग्री " "		शिवम टेण्डर्स	13.10.21	35400
20	लेबर " "		मूलचनरा	30.10.21	2670
21	सामग्री " "		कमल टेडर्स	15.11.21	128750
22	सामग्री	54210718	कार्तिक इण्टरप्राइजेज	17.01.22	59800
23	फर्नीचर " "		कार्तिक इण्टरप्राइजेज	26.01.22	40200
24	लेबर	54210647	विष्णु	30.09.21	1780
25	लेबर " "		त्रिलोकी	30.09.21	1632
26	लेबर " "		मूलचनरा	30.09.21	1094
27	लेबर " "		दुर्जन	30.09.21	5508
28	लेबर " "		शिवकुमार	30.09.21	1539
29	लेबर " "		सतीश	30.09.21	1539

30	सामग्री	" "		शिव शक्ति टेण्डर्स	04.10.21	36944
31	सामग्री	" "		शिवम टेण्डर्स	04.10.21	24750
32	लेबर	" "		शुभम कुमार	30.10.21	4005
33	लेबर	" "		लवकुश	02.11.21	10236
34	सामग्री	" "		कमल टेण्डर्स	15.11.21	110945
35	लेबर	" "		मनमोहन	04.02.22	17165
36	लेबर		41809210	मूलचनरा	09.09.21	11570
37	लेबर	" "		धर्मेन्द्र कुमार	09.09.21	4005
38	लेबर	" "		प्रेम किशोर	09.09.21	8010
39	लेबर	" "		विष्णु	30.10.21	3041
40	लेबर	" "		लवकुश	30.11.22	4005
41	सफाई कार्य हेतु श्रेनिक		48790927	कार्तिक इण्डस्ट्रीज	29.09.21	19100
42	समग्री	" "		उदय कान्सट्रक्शन	29.09.21	34048
43	लेवर		48790774	विजय गिरी	30.09.21	4400
44	लेबर	" "		विजय गिरी	16.11.21	12000
45	लेबर	" "		धर्मेन्द्र	16.11.21	7200
46	सामग्री	" "		न्यू गुप्ता टेडर्स	30.11.21	2400
47	सामग्री	" "		शिवम टेण्डर्स	06.01.22	38590
48	गवाह है	" "		मूलचनरा	06.01.22	16500
49	सामग्री	" "		संजीत इलैक्ट्रानिक्स	06.01.22	6755
50	लेवर	" "		मनमोहन सिंह	17.01.22	8000
51	लेवर		54210664	मूलचनरा	31.01.22	21140
52	लेवर	" "		मनमोहन सिंह	31.01.22	10570
53	सामग्री	" "		माॅ पीताम्बरा इंफ्राडिवलपर्स	31.01.22	99120
54	लेवर	" "		मनमोहन सिंह	04.02.22	7362
55	इन्टरलाॅकिंग/सीसीरोड	" "		मॉ पीताम्बरा इंफ्राडिवलपर्स	23.03.22	70800
56	इन्टरलाॅकिंग/सीसीरोड	" "		शिवम टेण्डर्स	2303.22	38215
57	इन्टरलाॅकिंग/सीसीरोड	" "		पवन ब्रिक फील्ड	23.03.22	46297
58	सामग्री	48790742		कमला इन्टरप्राइजेज	17.01.2022	94500
59	सामग्री	" "		शिव शक्ति टेडर्स	17.01.2022	31500
60	सामग्री	" "		कमला इन्टरप्राइजेज	17.01.2022	63000
61	सामग्री		56328909	आदित्य हाईटेक	04.02.22	45312
62	सामग्री	" "		आदित्य हाईटेक	23.03.22	16992
63	इन्टरलाॅकिंग/सीसीरोड		56328933	मॉ पीताम्बरा इंफ्राडिवलपर्स	23.03.22	33700
64	इन्टरलाॅकिंग/सीसीरोड	" "		पवन ब्रिक फील्ड	23.03.22	59840

65	लवकुश	3766072	विजय गिरी	07.09.21	10400
66	हैण्डपम्प मरम्मत लेबर	12921249	विष्णु	29.09.21	8900
			वेतन		1621644

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरूपयोग की गयी धनराशि रू0 1621644.00 में से ग्राम प्रधान श्री जिया लाल से रू0 810822.00 और पंचायत सचिव श्री धीरज यादव से रू0 810822.00 की वसूली अपेक्षित है।

-----मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया

क्र0 सं0	कार्य का नाम (अज्ञात)	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1		54210718	प्रेमकुमार	16.09.21	4005
2	“ ”		धर्मेन्द्र कुमार	16.09.21	3115
3	“ ”		मूलचनरा	20.09.21	12648
4	“ ”		त्रिलोकी	20.09.21	1608
5	“ ”		सतीश	20.09.21	4005
6	“ ”		विष्णु	20.09.21	2670
7	“ ”		हरिद्ववारी	20.09.21	408
8	“ ”		ओम प्रकाश	20.09.21	1020
9	“ ”		मूलचनरा	20.09.21	5340
10	“ ”		शिवकुमार	20.09.21	14240
11			धर्मेन्द्र कुमार	29.09.21	7565
12			प्रेम किशोर	29.09.21	3115
13			बीले	04.10.21	1428
14			छोटे लाल	04.10.21	3488
15			मूलचनरा	06.10.21	14538
16			म्ूलचनरा	30.10.21	2670
17	54210647		विष्णु	30.09.21	1780
18			त्रिलोकी	30.09.21	1632
19			मूलचनरा	30.09.21	1094
20			दुर्जन	30.09.21	5508
21			शिवकुमार	30.09.21	1539
22			सतीश	30.09.21	1539
23			शुभम कुमार	30.10.21	4005
24			लवकुश	02.11.21	10236

25		मनमोहन	04.02.22	17165
26	41809210	मूलचनरा09.09.21	11570	
27		धर्मेन्द्र कुमार	09.09.21	4005
28		प्रेम किशोर	09.09.21	8010
29		विष्णु	30.10.21	3041
30		लवकुश	30.11.21	4005
31	48790774	विजय गिरी	30.09.21	4400
32		विजय गिरी	16.11.21	12000
33		धर्मेन्द्र	16.11.21	7200
34		मूलचनरा06.01.22	16500	
35		मनमोहन सिंह	17.01.22	8000
36	54210664	मूलचनरा31.01.22	21140	
37		मनमोहन सिंह	31.01.22	10570
38		मनमोहन सिंह	04.02.22	7362
39	3766072	विजय गिरी	07.09.21	10400
40	12921249	विष्णु	29.09.21	8900
		योग		263444

उपर्युक्त विवरण क्रमांक 1 से 40 पर अंकित कार्यो हेतु मजदूरी को भुगतान किया जाना दर्शित है। मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कितने मजदूरों ने कार्य किया। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हतु एक दैनिक रजिस्टर रूप पत्र-22 पर तैयार किया जाएगा। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

-----पत्रावली प्रस्तुत नहीं-

ग्राम पचायत उनई द्वारा वर्ष 2021-22 में रू0 1621644.00 का व्यय कर विभिन्न कार्य करवाया जाना दर्शित है किन्तु कार्यो से संबंधित स्थलवार विवरण,मानक, शासनादेश विभागीय परिपत्र, पीडब्ल्यूडी द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र, निर्देशों इत्यादि से लेखा परीक्षक अवगत नहीं हो सका निदेशक पंचायती राज लखनऊ उ0प्र0 के पत्रांक 4/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर-3 के अनुसार प्रत्येक कार्य हेतु ग्राम पंचायत चरणबद्ध फोटो अनिवार्य रूप से संरक्षित करेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया इससे स्पष्ट नहीं हो सका कि कार्य वास्तविक है या नहीं। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

-----सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं

ग्राम पंचायत उनई द्वारा वर्ष 2021-22 में रू0 1621644.00 का व्यय कर विभिन्न कार्य करवाया जाना दर्शित है किन्तु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 2 से 2.5 लाख तक एडीओ पंचायत 2.5 से 5 लाख तक डीपीआरओ ऊपर जिला अधिकारी से प्राप्त करना है लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से संबंधित सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ली गयी है यह नहीं हो सका जिसे लेखा परीक्षा द्वारा अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

------माप पुस्तिका एमबी व इस्टीमेट न प्रस्तुत किया जाना

उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्राम सभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनादेश संख्या 03-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2 (ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियन्ता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित कार्यो पर कुल रू0 1621644.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित हैः-

क्र0	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
1	लेबर	54210718	प्रेम कुमार	16.09.21	4005
2	लेबर		धर्मेन्द्र कुमार	16.09.21	3115
3	सामग्री		कमल टेण्डर्स	16.09.21	169920
4	लेबर		मूलचनरा	20.09.21	12648
5	लेबर		त्रिलोकी	20.09.21	1608
6	लेबर		सतीश	20.09.21	4005
7	लेबर		विष्णु	20.09.21	2670
8	लेबर		हरिद्वारी	20.09.21	408
9	लेबर		ओमप्रकाश	20.09.21	1020
10	लेबर		मूलचनरा	20.09.21	5340
11	लेबर		शिवकुमार	20.09.21	14240
12	लेबर		धर्मेन्द्र कुमार	29.09.21	7565
13	लेबर		प्रेम किशोर	29.09.21	3115
14	सामग्री		शिवम टेण्डर्स	04.10.21	48801
15	लेबर		छबीले	04.10.21	1428
16	लेबर		छोटेलाल	04.10.21	3468
17	सामग्री		संजीत इलैक्ट्रानिक्स	05.10.21	2523
18	लेबर		मूलचनरा	06.10.21	14538
19	सामग्री		शिवम टेण्डर्स	13.10.21	35400
20	लेबर		मूलचनरा	30.10.21	2670
21	सामग्री		कमल टेण्डर्स	15.11.21	128750
22	सामग्री	54210781	कार्तिक इन्टरप्राइजेज	17.01.21	59800
23	फर्नीचर		कार्तिक इन्टरप्राइजेज	26.01.21	40200
24	लेबर	54210647	विष्णु	30.09.21	180
25	लेबर		त्रिलोकी	30.09.21	1632
26	लेबर		मूलचनरा	30.09.21	1094
27	लेबर		दुर्जन	30.09.21	5508
28	लेबर		शिवकुमार	30.09.21	1539
29	लेबर		सतीश	30.09.21	1539

30	सामग्री		शिवशक्ति टेण्डर्स	04.10.21	36944
31	सामग्री		शिवम कुमार	04.10.21	24750
32	लेबर		शुभम कुमार	30.10.21	4005
33	लेबर		लवकुश	02.11.21	10236
34	सामग्री		कमल टेण्डर्स	15.11.21	110945
35	लेबर		मनमोहन	04.02.22	17165
36	लेबर	41809210	मूलचनरा	09.09.21	11570
37	लेबर		धर्मेन्द्र कुमार	09.09.21	4005
38	लेबर		पे्रम किशोर	09.09.21	8010
39	लेबर		विष्णु	30.10.21	3041
40	लेबर		लवकुश	30.11.21	4005
41	सफाई कार्य हेतु ठेलिया	48790927	कार्तिक इन्ड्रस	29.09.21	19100
42	सामग्री		उदय कान्सट्रक्शन	29.09.21	34048
43	लेबर	48790774	विजय गिरी	30.09.21	4400
44	लेबर		विजय गिरी	16.11.21	12000
45	लेबर		धर्मेन्द्र	16.11.21	7200
46	सामग्री		न्यू गुप्ता टेण्डर्स	30.11.21	2400
47	सामग्री		शिवम टेण्डर्स	06.01.22	38590
48	लेबर		मूलचनरा	06.01.22	16500
49	सामग्री		संजीत इलेक्ट्रानिक्स	06.01.22	6753
50	लेबर		मनमोहन सिंह	17.01.22	8000
51	लेबर	54210664	मूलचनरा	31.01.22	21140
52	लेबर		मनमोहन सिंह	31.01.22	10570
53	सामग्री		माॅ पीताम्बरा इंफ्राडेवलपर्स	31.01.22	99120
54	लेबर		मनमोहन सिंह	04.02.22	7362
55	इंटरलाकिंग/सीसीरोड		माॅ पीताम्बरा इंफ्राडेवलपर्स	23.03.22	70800
56	इंटरलाकिंग/सीसीरोड		शिवम टेण्डर्स	23.03.22	38215
57	इंटरलाकिंग/सीसीरोड		पवन ब्रिक फील्ड	23.03.22	46297
58	सामग्री	48790742	कमला इन्टरप्राइजेज	17.01.22	94500
59	सामग्री		शिवशक्ति टेण्डर्स	17.01.22	31500
60	सामग्री		कमला इन्टरप्राइजेज	17.01.22	63000
61	सामग्री	56328909	आदित्य हाईटेक कंसर्ट	04.02.22	45312
62	सामग्री		आदित्य हाईटेक कंसर्ट	23.03.22	16992
63	इंटरलाकिंग/सीसीरोड	56328933	माॅ पीताम्बरा इंफ्राडेवलपर्स	23.03.22	33700
64	इंटरलाकिंग/सीसीरोड		पवन ब्रिक फील्ड	23.03.22	59840

65	इंटरलाकिंग/सीसीरोड	3766072	विजय गिरी	07.09.21	10400
66	लेबर	12921249	विष्णु	29.09.21	8900
			योग		1621644

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एंव समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों राज के परिपत्रों एवं शासनादेश के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापुपस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

-----सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रू0 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाए आमंत्रित करने में वस्तु का नाम वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिये उनसे इनकम टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं गया है। अथवा नहीं स्पष्ट नही रहा पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल रू0 1358200.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है

-----हैण्डपम्प मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया

ग्राम पंचायत उनई के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में आॅनलाईन फीडेड बाउचर में निम्नलिखित कार्य आई0डी0 के अन्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर दर्शित है। फीडेड बाउचर/आनलाईन कैशबुक मे हैण्डपम्प/रिबोर पर रू0 14800.00 का व्यय किया जाना दर्शित है उक्त व्यय मिस्त्री/लेवर से संबंधित है। हैण्डपम्प/रिबोर हेतु सामग्री किस आई डी/ टेण्डर्स के क्रय की गयी अज्ञात रहा। फीडेड बाउचर का विवरण निम्नलिखित है।

क्र0	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य आईडी	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
1	48790774	विजयगिरी (लेबर)	30.09.21	4400
2	3766072	विजयगिरी (लेबर)	07.09.21	10400
		योग		14800

शासनादेश संख्या 1134/अडतीस-5-56सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्राम पंचायत का रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्राम पंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपम्प मरम्मत का स्थलवार विवरण,प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। वसूली की

कार्यवाही आवश्यक है।

ग्राम पंचायत- पालपुर विकासखण्ड-बक्शी का तालाब वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या- 24

---शासनादेश का उल्लंघन कर सोलर लाईट क्रय करना-

ग्राम पंचायत पालपुर वर्ष 2021-22 का निम्नलिखित कार्यो पर कुल रू0 584788.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित हैः-

क्र0 सं0	कार्य का नाम (अज्ञात) धनराशि	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	
1	हैण्डपम्प मरम्मत	43126511	प्रकाश टेण्डर्स	23.07.21	37780
2	हैण्डपम्प मरम्मत‘‘ ’’		प्रकाश टेण्डर्स	28.07.21	30620
3	सफाई कार्य ‘‘ ’’ 14964		शीतल इन्टरप्राइजेज	28.07.21	
4	सैनिटाइजेशन लेबर, टैंकर ‘‘ ’’		ममता	29.07.21	4400
5	सामग्री कार्य ‘‘ ’’ 1350		हिन्दुस्तान टेण्डर्स	23.11.21	
6	सैनिटाइजेशन सामग्री क्रय	3861689	शीतल इंटरप्राइजेज	11.07.21	19000
7	सामुदायिक शौचालय निर्माण 18000	9062206	आरती कश्यप	12.07.21	
8	सामग्री क्रय	50136980	जेपी मैक्स एनर्जी	14.09.21	38600
9	हैण्डपम्प मरम्मत (मिस्त्री)	50137138	शिवनाथ	14.09.21	15200
10	हैण्डपम्प सामग्री ‘‘ ’’		हिन्दुस्तान टेण्डर्स	30.11.21	24660
11	हैण्डपम्प सामग्री$लेबर ‘‘ ’’		शिवनाथ	09.12.21	7500
12	इंटरलाकिंग/सीसी रोड मरम्मत सामग्री 44887	55466050	न्यू अवध ब्रिक कलेन	31.01.22	
13	इंटरलाकिंग/सीसी रोड मरम्मत सामग्री 33732	‘‘ ’’	प्रकाश टेण्डर्स	31.01.22	
14	इंटरलाकिंग/सीसी रोड मरम्मत सामग्री 99120	‘‘ ’’	सिया राम इन्टरप्राइजेज	31.01.22	
15	इंटरलाकिंग/सीसी रोड मरम्मत सामग्री 4450	‘‘ ’’	प्रकाश (लेबर)	31.01.22	
16	इंटरलाकिंग/सीसी रोड ‘‘ ’’		राम प्रताप(लेबर)	31.01.22	4450
17	इंटरलाकिंग/सीसी रोड ‘‘ ’’ 2010		मूलचंद्र (लेबर)	31.01.22	
18	इंटरलाकिंग/सीसी रोड ‘‘ ’’ 2010		रंजीत (लेबर)	31.01.22	
19	इंटरलाकिंग/सीसी रोड ‘‘ ’’ 2010		मनीश कुमार (लेबर)	31.01.22	
20	इंटरलाकिंग/सीसी रोड ‘‘ ’’		प्रकाश टेण्डर्स	08.03.22	

	11373				
21	इंटरलाकिंग/सीसी रोड 17297	'' ''	न्यूअवध ब्रिक कलेन	08.03.22	
22	इंटरलाकिंग/सीसी रोड 123503	'' ''	सिया राम इन्टरप्राइजेज	08.03.22	
23	इंटरलाकिंग/सीसी रोड 4450	'' ''	प्रकाश टेण्डर्स	11.03.22	
24	इंटरलाकिंग/सीसी रोड	'' ''	राम प्रताप(लेबर) 11.03.22	4450	
25	इंटरलाकिंग/सीसी रोड 6120	'' ''	राम चंदर(लेबर)	11.03.22	
26	इंटरलाकिंग/सीसी रोड 6120	'' ''	रंजीत(लेबर)	11.03.22	
27	इंटरलाकिंग/सीसी रोड 6732	'' ''	मनीष कुमार (लेबर)	11.03.22	
			योग	584788.00	

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरूपयोग की गयी धनराशि रू0 584788.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती ममता से रू0 292394.00 और पंचायत सचिव श्री समगसे से रू0 292394.00 की वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

----मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया-

ग्राम पंचायत पालपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यो पर मजदूरी हेतु रू0 42802.00 का भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0	कार्य आईडी	मजदूरी भुगतान	दिनांक	धनराशि
1	55466050	प्रकाश (लेवर)	31.01.22	4450
2	'' ''	राम प्रताप (लेबर)	31.01.22	4450
3	'' ''	मूल चंद (लेवर)	31.01.22	2010
4	'' ''	रंजीत(लेवर)	31.01.22	2010
5	'' ''	मनीष कुमार(लेवर)	31.01.22	2010
6	'' ''	प्रकाश(लेवर)	11.03.22	4450
7	'' ''	रामप्रताप(लेवर)	11.03.22	4450
8	'' ''	रामचंदर(लेवर)	11.03.22	6120
9	'' ''	रजीत(लेवर)	11.03.22	6120
10	'' ''	मनीष कुमार(लेवर)	11.03.22	6732
		योग-		42802

उपर्युक्त विवरण क्रमांक 1 से 10 पर अंकित कार्यो हेतु मजदूरी को भुगतान किया जाना दर्शित है। मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कितने मजदूरों ने कार्य किया।

उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हतु एक दैनिक रजिस्टर रूप पत्र-22 पर तैयार किया जाएगा। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

-----कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

ग्राम पंचायत पालपुर द्वारा वर्ष 2021-22 में रू0 584788.00 का व्यय कर विभिन्न कार्य करवाया जाना दर्शित है किन्तु उक्त कार्यो से संबंधित लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तो के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

उक्त कार्यो से संबंधित स्थलवार विवरण, मानक शासनदेश, विभागीय परिपत्र, पी0डब्ल्यूडी द्वारा समय पर जारी परिपत्र निर्देशों इत्यादि से लेखा परीक्षक अवगत नहीं हो सका। निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 के पत्रांक 04/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर 3 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रत्येक कार्य हेतु चरणबद्ध फोटो, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि संरक्षित रखेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख न तो बेबसाईट पर उपलब्ध था और न ही आॅनलाईन प्रस्तुत किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 2 से 2.5 लाख तक एडीओ पंचायत 2.5 से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 5 लाख से ऊपर जिला अधिकारी से प्राप्त करना है लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से संबंधित सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ली गयी है या नहीं स्पष्ट नहीं हो सका जिसे लेखा परीक्षा द्वारा अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

-----माप पुस्तिका एम0बी0 व स्टीमेट न प्रस्तुत किया जाना

उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्राम सभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनादेश संख्या 03-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2 (ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियन्ता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित कार्यो पर कुल रू0 584788.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित हैः-

क्र0 सं0	कार्य का नाम (अज्ञात)	कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	हैण्डपम्प मरम्मत	43126511	प्रकाश टेण्डर्स	23.07.21	37780
2	हैण्डपम्प मरम्मत	" "	प्रकाश टेण्डर्स	28.07.21	30620
3	सफाई कार्य	" "	शीतल इन्टरप्राइजेज	28.07.21	14964
4	सैनिटाइजेशन लेबर, टैंकर	" "	ममता	29.07.21	4400
5	सामग्री कार्य	" "	हिन्दुस्तान टेण्डर्स	23.11.21	1350
6	सैनिटाइजेशन सामग्री क्रय	3861689	शीतल इंटरप्राइजेज	11.07.21	19000
7	सामुदायिक शौचालय निर्माण	9062206	आरती कश्यप	12.07.21	18000
8	सामग्री क्रय	50136980	जेपी मैक्स एनर्जी	14.09.21	38600
9	हैण्डपम्प मरम्मत (मिस्त्री)	50137138	शिवनाथ	14.09.21	15200

10	हैण्डपम्प सामग्री " "	हिन्दुस्तान टेण्डर्स	30.11.21	24660
11	हैण्डपम्प सामग्री$लेबर " "	शिवनाथ	09.12.21	7500
12	इंटरलाकिंग/सीसी रोड मरम्मत सामग्री55466050	न्यू अवध ब्रिक कलेन	31.01.22	44887
13	इंटरलाकिंग/सीसी रोड मरम्मत सामग्री " "	प्रकाश टेण्डर्स	31.01.22	33732
14	इंटरलाकिंग/सीसी रोड मरम्मत सामग्री " "	सिया राम इन्टरप्राइजेज	31.01.22	99120
15	इंटरलाकिंग/सीसी रोड मरम्मत सामग्री " "	प्रकाश (लेबर)	31.01.22	4450
16	इंटरलाकिंग/सीसी रोड " "	राम प्रताप(लेबर)	31.01.22	4450
17	इंटरलाकिंग/सीसी रोड " "	मूलचंद्र (लेबर)	31.01.22	2010
18	इंटरलाकिंग/सीसी रोड " "	रंजीत (लेबर)	31.01.22	2010
19	इंटरलाकिंग/सीसी रोड " "	मनीश कुमार (लेबर)	31.01.22	2010
20	इंटरलाकिंग/सीसी रोड " "	प्रकाश टेण्डर्स	08.03.22	11373
21	इंटरलाकिंग/सीसी रोड " "	न्यूअवध ब्रिक कलेन	08.03.22	17297
22	इंटरलाकिंग/सीसी रोड " "	सिया राम इन्टरप्राइजेज	08.03.22	123503
23	इंटरलाकिंग/सीसी रोड " "	प्रकाश टेण्डर्स	11.03.22	4450
24	इंटरलाकिंग/सीसी रोड " "	राम प्रताप(लेबर)	11.03.22	4450
25	इंटरलाकिंग/सीसी रोड " "	राम चंदर(लेबर)	11.03.22	6120
26	इंटरलाकिंग/सीसी रोड " "	रंजीत(लेबर)	11.03.22	6120
27	इंटरलाकिंग/सीसी रोड " "	मनीष कुमार (लेबर)	11.03.22	6732
28		योग		584788.00

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एंव समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों राज के परिपत्रों एवं शासनादेश के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापुपस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-1586 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रू0 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाए आमंत्रित करने में वस्तु का नाम वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिये उनसे इनकम टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं गया है। अथवा नहीं स्पष्ट नही रहा पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल रू0 541986.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

--------हैण्डपम्प मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं किया गया

ग्राम पंचायत पालपुर के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में आॅन लाइन फीडेड बाउचर में

निम्नलिखित कार्य आई0डी0 के अन्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर दर्शित है। फीडेड बाउचर/आनलाइन कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर रू0 115760.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्नलिखित हैः-

क्र0सं0	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	43126511	प्रकाश टेण्डर्स	23.07.21	37780
2	43126511	प्रकाश टेण्डर्स	28.07.21	30620
3	50137138	शिवनाथ	14.09.21	15200
4	50137138	हिन्दुस्तान टेण्डर्स	30.11.21	24660
5	50137138	शिवनाथ	09.12.21	7500
			योग-115760	

शासनादेश संख्या 1134/अडतीस-5-56सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्राम पंचायत का रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्राम पंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपम्प मरम्मत का स्थलवार विवरण,प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- बरगदी कला विकासखण्ड-बक्शी का तालाब वर्ष-2021-22

प्रस्तर संख्या- 25

ग्राम पंचायत बरगदी कला वर्ष 2021-22 का निम्नलिखित कार्यो पर कुल रू0 1986352.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित हैः-

क्र0	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
1	सामग्री	36876997	पवन इन्टरप्राइजेज	07.06.21	64000
2	सामग्री	“ ”	प्रियान्सी टेण्डर्स	06.07.21	64000
3	सामग्री	“ ”	प्रियान्सी टेण्डर्स	06.07.21	64000
4	सामग्री	36752694	अमन कुमार/मुन्नीलाल	07.06.21	36000
5	सैनिटाइजेशन	“ ”	अमन कुमार/मुन्नीलाल	07.06.21	10000
6	सामग्री	36856455	हिन्दुस्तान टेण्डर्स	26.06.21	26230
7	हैन्डपम्प मरम्मत (मिस्त्री)	43374124	बबलू रावत	26.06.21	17000
8	सामग्री	“ ”	हिन्दुस्तान टेण्डर्स	27.06.21	41910
9	हैन्डपम्प मरम्मत (मिस्त्री)	“ ”	हिन्दुस्तान टेण्डर्स	30.10.21	53000
10	सामग्री	45575777	प्रकाश टेण्डर्स	26.06.21	64860
11	सामग्री	“ ” प्रि	यान्सी टेण्डर्स/ब्रिक फील्ड	10.10.21	465097
12	(मिस्त्री)	“ ”	अमरसेन,परिवेश	10.10.21	61026
13	टाइल्स भुगतान	42412169	दिलीप सेनेट्री	26.06.21	52875

14	सामग्री " " प्रियानशी टेण्डर्स /पवन ब्रिक फील्ड		26.06.21	73832
15	लेबर " "	राजेश कुमार	26.06.21	17652
16	सामग्री " "	प्रियानशी टेण्डर्स	26.06.21	46381
17	सामग्री " "	प्रियानशी टेण्डर्स	14.07.21	11500
18	सामग्री 36876733	राजेश कुमार	27.06.21	19942
19	सैनिटाइजेशन सामग्री " "	जेपी मैक्स एनर्जी	28.06.21	18600
20	सैनिटाइजेशन सामग्री " "	जेपी मैक्स एनर्जी	28.06.21	2450
21	सफाई (लेवर) " "	राजेश कुमार	01.07.21	24888
22	सफाई (लेवर) " "	विनोद कुमार, कमलेश	26.07.21	1250
23	सामुदायिक सफाई 49012888	कुमकुम भाग्य स्वंसहायता समूह	03.07.21	17887
24	अज्ञात " "	कुमकुम भाग्य स्वंसहायता समूह	19.08.21	6000
25	परिसर मानदेय " "	कुमकुम भाग्य स्वंसहायता समूह	02.11.21	18000
26	केयर टेकर " "	कुमकुम भाग्य स्वंसहायता समूह	05.02.22	12000
27	सामग्री 50548155	प्रियानशी टेण्डर्स	06.07.21	28242
28	सामग्री " "	प्रियानशी टेण्डर्स	10.07.21	14622
29	सामग्री " "	प्रियानशी टेण्डर्स	10.07.21	12539
30	सामग्री " "	प्रियानशी टेण्डर्स	10.07.21	10593
31	सामग्री " "	प्रियानशी टेण्डर्स	11.07.21	8354
32	सैनिटाइजेशन वर्क49012816	प्रियानशी टेण्डर्स	02.11.21	34000
33	सफाई वर्क " "	प्रियानशी टेण्डर्स	16.03.22	33000
34	समग्री " "	प्रियानशी टेण्डर्स	28.03.22	34188
35	लेबर " "	मो हाफिज,मिनिहाज,इलियास	29.03.22	5556
36	हैन्डपम्प मरम्मत (मिस्त्री) 49012862	बबलू रावत	02.11.21	20000
37	हैन्डपम्प मरम्मत " "	प्रियानशी टेण्डर्स/ बबलू रावत	16.03.22	76033
38	हैन्डपम्प सामग्री " "	हिन्दुस्तान टेण्डर्स	28.03.22	119610
39	पुताई सामग्री 45575777	प्रियानशी टेण्डर्स	07.12.21	40593
40	पंचायत भवन एलेक्ट्रिक वर्क " "	प्रियानशी टेण्डर्स	21.12.21	71000
41	टेंडर प्रकाशन 49012950	एवरीडे न्यूज	03.01.22	4200
42	टेंडर प्रकाशन " "	एवरीडे न्यूज	07.02.22	4200
43	अज्ञात " "	कुमकुम भाग्य स्वंसहायता समूह	16.03.22	9000
44	हयूम पाइप 49012981	प्रियानशी टेण्डर्स	16.03.22	73730
45	समग्री 61324835	प्रियानशी टेण्डर्स	29.03.22	75920
46	लेबर " "	मो हाफिज,मिनिहाज,इलियास	29.03.22	20592
		योग		1986352

उक्त कार्य के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। जबकि ग्राम पंचायत हेतु वित

एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्ययित धनराशि को गबन मानते हुए उसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से किया जाना चाहिए। उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 (1) के प्राविधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरूपयोग की गयी धनराशि रू0 1986352.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती ममता से रू0 993176.00 और पंचायत सचिव श्री समगसे से रू0 993176.00 की कार्यवाही अपेक्षित है।

-----मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया-

ग्राम पंचायत बरगदी कलां के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न कार्यो पर मजदूरी हेतु रू0 223906.00 का भुगतान दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0	कार्य आईडी	मजदूरी भुगतान	दिनांक	धनराशि
1	36752694	अमन कुमार/मुन्नीलाल	07.6.21	36000
2	43374124	बबलू रावत	26.06.21	17000
3	45575777	अमरसेन परिवेश	10.10.21	61026
4	42412169	राजेश कुमार	26.06.21	17652
5	36876733	राजेश कुमार	27.06.21	19942
6	36876733	राजेश कुमार	01.07.21	24888
7		विनोद कुमार इलियास	26.07.21	1250
8	61324816	मो हकीम मिनहाज	29.03.22	5556
9	49012862	बबलू रावत	02.11.21	20000
10	61324835	मे0हफीज,मिनहाज, इलियास आदि	29.03.22	20592
			योग	223906

उपर्युक्त विवरण क्रमांक 1 से 10 पर अंकित कार्यो हेतु मजदूरी को भुगतान किया जाना दर्शित है। मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि कितने मजदूरों ने कार्य किया। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 210 के अनुसार दैनिक मजदूरी पर कार्यरत मजदूरों की दैनिक उपस्थिति आदि के विवरण हतु एक दैनिक रजिस्टर रूप पत्र-22 पर तैयार किया जाएगा। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

-------कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं

ग्राम पंचायत बरगदी कला द्वारा वर्ष 2021-22 में रू0 1986352.00 का व्यय कर विभिन्न कार्य करवाया जाना दर्शित है किन्तु उक्त कार्यो से संबंधित लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त कार्य प्राक्कलन एवं मानचित्र में तय शर्तो के अनुसार नहीं हुआ है। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

-----पत्रावली प्रस्तुत नहीं-

ग्राम पंचायत बरगदी कला द्वारा वर्ष 2021-22 में रू0 1986352.00 का व्यय कर विभिन्न कार्य करवाया जाना दर्शित है किन्तु उक्त कार्यो से संबंधित स्थलवार विवरण, मानक शासनदेश, विभागीय परिपत्र, पी0डब्ल्यूडी द्वारा समय पर जारी परिपत्र निर्देशों इत्यादि से लेखा परीक्षक अवगत नहीं हो सका। निदेशक पंचायतीराज उ0प्र0 के

पत्रांक 04/175/2015-4/81/2015 दिनांक 20 जून 2016 के प्रस्तर 3 के अनुसार ग्राम पंचायत प्रत्येक कार्य हेतु चरणबद्ध फोटो, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि संरक्षित रखेगा परन्तु लेखा परीक्षा में कोई अभिलेख न तो बेबसाईट पर उपलब्ध था और न ही ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

------सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं

ग्राम पंचायत गोहना खुर्द द्वारा वर्ष 2021-22 में रू0 1986352.00 का व्यय कर विभिन्न कार्य करवाया जाना दर्शित है किन्तु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति 2 से 2.5 लाख तक एडीओ पंचायत 2.5 से 5 लाख तक डी0पी0आर0ओ0 5 लाख से ऊपर जिला अधिकारी से प्राप्त करना है लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से संबंधित सक्षम स्तर से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ली गयी है या नहीं स्पष्ट नहीं हो सका जिसे लेखा परीक्षा द्वारा अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।

-----माप पुस्तिका एम0बी0 व स्टीमेट न प्रस्तुत किया जाना

उत्तरप्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम संख्या-152 एवं 154 के अनुसार सार्वजनिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राक्कलन एवं मानचित्र ग्राम सभा से स्वीकृत होगा। अग्रेतर शासनादेश संख्या 03-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.2016 के प्रस्तर 2 (ब) तकनीकी परीक्षण 2 लाख तक ग्राम पंचायत 2 से 2.5 लाख तक अवर अभियन्ता द्वारा तथा 2.5 लाख से ऊपर अभियंता जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित कार्यो पर कुल रू0 1986352.00 व्यय दर्शित है विवरण निम्नलिखित हैः-

क्र0	कार्य का नाम	कार्य आई0डी0	आहरण कर्ता का नाम	दिनांक	धनराशि
1	सामग्री	36876997	पवन इन्टरप्राइजेज	07.06.21	64000
2	सामग्री	'' ''	प्रियान्सी टेण्डर्स	06.07.21	64000
3	सामग्री	'' ''	प्रियान्सी टेण्डर्स	06.07.21	64000
4	सामग्री	36752694	अमन कुमार/मुन्नीलाल	07.06.21	36000
5	सैनिटाइजेशन	'' ''	अमन कुमार/मुन्नीलाल	07.06.21	10000
6	सामग्री	36856455	हिन्दुस्तान टेण्डर्स	26.06.21	26230
7	हैन्डपम्प मरम्मत (मिस्त्री)	43374124	बबलू रावत	26.06.21	17000
8	सामग्री	'' ''	हिन्दुस्तान टेण्डर्स	27.06.21	41910
9	हैन्डपम्प मरम्मत (मिस्त्री)	'' ''	हिन्दुस्तान टेण्डर्स	30.10.21	53000
10	सामग्री	45575777	प्रकाश टेण्डर्स	26.06.21	64860
11	सामग्री	'' ''	प्रियान्सी टेण्डर्स/ब्रिक फील्ड	10.10.21	465097
12	(मिस्त्री)	'' ''	अमरसेन,परिवेश	10.10.21	61026
13	टाइल्स भुगतान	42412169	दिलीप सेनेट्री	26.06.21	52875
14	सामग्री	'' ''	प्रियानशी टेण्डर्स /पवन ब्रिक फील्ड	26.06.21	73832
15	लेबर	'' ''	राजेश कुमार	26.06.21	17652
16	सामग्री	'' ''	प्रियानशी टेण्डर्स	26.06.21	46381
17	सामग्री	'' ''	प्रियानशी टेण्डर्स	14.07.21	11500
18	सामग्री	36876733	राजेश कुमार	27.06.21	19942
19	सैनिटाइजेशन सामग्री	'' ''	जेपी मैक्स एनर्जी	28.06.21	18600
20	सैनिटाइजेशन सामग्री	'' ''	जेपी मैक्स एनर्जी	28.06.21	2450
21	सफाई (लेवर)	'' ''	राजेश कुमार	01.07.21	24888

22	सफाई (लेवर)	" "	विनोद कुमार,	कमलेश	26.07.21	1250
23	सामुदायिक सफाई	49012888	कुमकुम भाग्य स्वंसहायता समूह		03.07.21	17887
24	अज्ञात	" "	कुमकुम भाग्य स्वंसहायता समूह		19.08.21	6000
25	परिसर मानदेय	" "	कुमकुम भाग्य स्वंसहायता समूह		02.11.21	18000
26	केयर टेकर	" "	कुमकुम भाग्य स्वंसहायता समूह		05.02.22	12000
27	सामग्री	50548155	प्रियानशी टेण्डर्स		06.07.21	28242
28	सामग्री	" "	प्रियानशी टेण्डर्स		10.07.21	14622
29	सामग्री	" "	प्रियानशी टेण्डर्स		10.07.21	12539
30	सामग्री	" "	प्रियानशी टेण्डर्स		10.07.21	10593
31	सामग्री	" "	प्रियानशी टेण्डर्स		11.07.21	8354
32	सैनिटाइजेशन वर्क	49012816	प्रियानशी टेण्डर्स		02.11.21	34000
33	सफाई वर्क	" "	प्रियानशी टेण्डर्स		16.03.22	33000
34	समग्री	" "	प्रियानशी टेण्डर्स		28.03.22	34188
35	लेबर	" "	मो हाफिज,मिनिहाज,इलियास		29.03.22	5556
36	हैन्डपम्प मरम्मत (मिस्त्री)	49012862	बबलू रावत		02.11.21	20000
37	हैन्डपम्प मरम्मत	" "	प्रियानशी टेण्डर्स/ बबलू रावत		16.03.22	76033
38	हैन्डपम्प सामग्री	" "	हिन्दुस्तान टेण्डर्स		28.03.22	119610
39	पुताई सामग्री	45575777	प्रियानशी टेण्डर्स		07.12.21	40593
40	पंचायत भवन एलेक्ट्रिक वर्क	" "	प्रियानशी टेण्डर्स		21.12.21	71000
41	टैंडर प्रकाशन	49012950	एवरीडे न्यूज		03.01.22	4200
42	टैंडर प्रकाशन	" "	एवरीडे न्यूज		07.02.22	4200
43	अज्ञात	" "	कुमकुम भाग्य स्वंसहायता समूह		16.03.22	9000
44	हयूम पाइप	49012981	प्रियानशी टेण्डर्स		16.03.22	73730
45	समग्री	61324835	प्रियानशी टेण्डर्स		29.03.22	75920
46	लेबर	" "	मो हाफिज,मिनिहाज,इलियास		29.03.22	20592
				योग		1986352

लेखा परीक्षा में उक्त कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन एवं मानचित्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया इससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एंव समय-समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों राज के परिपत्रों एवं शासनादेश के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भुगतान नहीं होगा। परन्तु लेखा परीक्षा में कार्य से सम्बन्धित प्राक्कलन व मापुपस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गम्भीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए।

------सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित न करना

ग्राम पंचायत हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के प्रस्तर 5 एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस-08-

1586 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रू0 100000.00 से अधिक की सामग्री क्रय सार्वजनिक निविदा आमन्त्रित करके किया जायेगा, निविदाए आमंत्रित करने में वस्तु का नाम वस्तु की मात्रा, अनुमानित लागत, निविदाएं प्राप्त करने का समय एवं तिथि, निविदाएं खोलने की तिथि एवं समय इत्यादि का उल्लेख किया जाएगा। इच्छुक ठेकेदार को निविदा के साथ धरोहर की धनराशि जमा करना है। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले फर्म सामग्री की अधिकृत विक्रेता/निर्माता होना चाहिये एवं फर्म की वित्तीय स्थिति जानने के लिये उनसे इनकम टैक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट लेना चाहिए। पंचायत द्वारा उपरोक्त किसी प्रक्रिया का पालन नहीं गया है। अथवा नहीं स्पष्ट नहीं रहा। पंचायत द्वारा विभिन्न तिथियों में कुल रू0 1762446.00 सामग्री क्रय किया गया जिसे लेखा परीक्षा द्वारा अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है इस संबंध में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

------हैण्डपम्प मरम्मत का स्थलवार विवरण, प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र नहीं किया गया

ग्राम पंचायत बरगदी कलां के वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षा में आॅन लाइन फीडेड बाउचर में निम्नलिखित कार्य आई0डी0 के अन्तर्गत हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर दर्शित है। फीडेड बाउचर/आनलाइन कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर रू0 327553.00 का व्यय किया जाना दर्शित है। जिसका विवरण निम्नलिखित हैः-

क्र0सं0	हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कार्य आईडी	आहरणकर्ता	दिनांक	धनराशि
1	43374124	बबलू रावत	26.06.21	17000
2	43374124	हिन्दुस्तान टेण्डर्स	30.10.21	53000
3	43374124	हिन्दुस्तान टेण्डर्स	27.06.21	41910
4	49012862	बबलू रावत	02.11.21	20000
5	49012862	प्रियानशी टेण्डर्स बबलू	16.03.22	76033
6	49012862	हिन्दुस्तान टेण्डर्स	28.03.22	119610
		योग		327553

शासनादेश संख्या 1134/अडतीस-5-56सम/2010 दिनांक 29 जून 2011 के प्रस्तर-1 के अनुसार इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थापना के बाद ग्राम पंचायत का रखरखाव हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा प्रस्तर-2 के अनुसार हस्तान्तरित हैण्डपम्प ग्राम पंचायत के खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा परन्तु लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं करने यह स्पष्ट नहीं हो सका कि हैण्डपम्प हस्तान्तरित है या नहीं। हैण्डपम्प मरम्मत का स्थलवार विवरण,प्राक्कलन, चरणबद्ध फोटो, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे लेखा परीक्षा द्वारा गंभीर अनियमितता की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 256 (1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर उत्तदायी व्यक्ति से वसूली होना चाहिए। उत्तरदायी व्यक्तियों से वसूली की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

जनपद-रायबरेली **मण्डल-लखनऊ।**

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

प्रस्तर-1 ग्राम पंचायत- पूरे अचली विकास खण्ड– महराजगंज आपत्ति सं0-01

15 वें वित्त से वर्ष 2021-22 में दिनांक 03-08-2021 को बाबा भावरेश्वर इंटरप्राइजेज से रूपये 169418.0C (एक ही दिनांक में दो बार 94989.00 व 74429.00) ह्यूम पाइप खरीद पर व्यय किये गए है लेकिन इस ह्यूम पाइप की स्थापना के सन्दर्भ में मजदूरी पर शून्य रूपये / कुछ भी व्यय नही कियागया है. मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जासकता है. किन स्थानोंपर या किन किन कार्यों में इस ह्यूम पाइप की स्थापना की गयी यह भी अस्पष्ट रहा दुसरे शब्दों में कार्य के स्पष्ट विवरण को अंकित नहीं किया गया है.स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया.ह्युम पाइप की स्थापना में बालू सीमेंट ईट गिट्टी आदि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है.

ह्यूम पाइप खरीद के सापेक्ष क्रय के बिल बाउचर तथा पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः बाउचर विहीन किया गया कुल भुगतान रुपये 169418.00 पंचायतराज नियमावली के अध्याय 13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम 1 (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी " ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु "लेखा मैन्युअल" के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) , पृष्ठ संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वसूली योग्य है , जिसमे यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि " यदि दर्शाये गए व्यय के सापेक्ष कोई बिल बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशियों को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बंधित ग्राम प्रधान एवं सचिव से बराबर मात्रा में की जाएगी ", के अंतर्गत प्रमाणक विहीन किया गया व्यय धनराशि अधिभार योग्य है जिसकी वसूली ग्रामपंचायत सचिव श्री आदित्य कुमार व प्रधान श्रीमती कलावती से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर- 02 ग्राम पंचायत- अटरा विकास खण्ड- महराजगंज आपत्ति सं0-01

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत अटरा के खाता राज्य वित्त में वर्ष 2021-22 में दिनांक 24.05.21 को किये गए उपर्युक्त सारणी में दर्शित व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका , ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , ,टेंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश, आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत

द्वारा किये गए व्यय रु 129224.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 129224.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी कु० आरती , तथा प्रशासक श्री जीतेंद्र सिंह उत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू 129224.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से , तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी कु० आरती से, रू 64612.00 तत्कालीन प्रशासक श्री जीतेंद्र सिंह से रू 64612.00 अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर- 03 ग्राम पंचायत- चिचौली विकास खण्ड- जगतपुर आपत्ति सं0-01

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं|" ग्राम पंचायत चिचौली के खाता केन्द्रीय वित्त में वर्ष 2021-22 में 21.05.21 से 24.05.21 तक किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका ,चल अचल संपत्ति पंजिक ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार रजिस्टर ,टेंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 125681.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 125681.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री चित्रान्शु सिंह , तथा प्रशासक श्री कमलेश बहादुर सिंह उत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू 125681.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से , तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री चित्रान्शु सिंह से, रू 62840.50 तत्कालीन प्रशासक श्री कमलेश बहादुर सिंह रू 62840.50.50 अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-04 ग्राम पंचायत- खनुवा विकास खण्ड- राही आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत खनुवा की वित्तीय वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्यवित्त और केन्द्रीय वित्त से रू० 1487736.00 का व्यय किया गया हैं.

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत खनुवा के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका ,चल अचल संपत्ति पंजिका ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार रजिस्टर ,टेंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश, मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 1487736.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान/ प्रशासक तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त्त दर्शित धनराशि रू 1487736.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती सुशीला मौर्या**,** तथा प्रधान श्रीमती मंजू देवी , प्रशासक- श्री सईद अहमद उत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू 1487736.00 में 1-4-21 से 31-05-21 तक व्यय रू0 202949.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से, रू 101474.50 तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती सुशीला मौर्या से तथा रू 101474.50 प्रशासक- श्री सईद अहमद से तथा 1-6-21 से 31-03-22 तक व्यय रू0 1284787.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से, रू 642393.50 तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती सुशीला मौर्या से तथा रू 642393.50 प्रधान श्रीमती मंजू देवी से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-05 ग्राम पंचायत- सरायदामू विकास खण्ड- राही आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत सरायदामू की वित्तीय वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्यवित्त और केन्द्रीय वित्त से रू० 151819.00 का व्यय किया गया हैं.

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत सरायदामू के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका ,चल अचल संपत्ति पंजिका ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार रजिस्टर ,टैंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश, मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 151819.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान/ प्रशासक तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त्त दर्शित धनराशि रू 151819.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती सुशीला मौर्या, तथा प्रशासक- श्री सईद अहमद उत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू 151819.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से, रू 75909.50 तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती सुशीला मौर्या से तथा रू 75909.50 प्रशासक- श्री सईद अहमद से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-06 ग्राम पंचायत- राजापुर विकास खण्ड- राही आपत्ति सं0-01

लेखा परीक्षा मे पाया गया कि वर्ष 2021-22 की कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट में ग्राम निधि प्रथम एवं केंद्रीय वित्त से रू 1011244.00 निर्माण /अनुरक्षण ,प्रशासनिक व्यय, /मानदेय तथा अन्य कार्यों पर व्यय किए गए हैं |

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा

नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका ,चल अचल संपत्ति पंजिका ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार रजिस्टर ,टैंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश, मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए , इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 1011244.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 1011244.00 0 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती सुशीला मौर्या तथा ग्रामप्रधान श्रीमती सुनीता देवी उत्तरदायी है | अत: उक्त धनराशि रू 1011244.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 505622.00 ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती सुशीला मौर्या से तथा रू 505622.00 ग्रामप्रधान श्रीमती सुनीता देवी से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-07 ग्राम पंचायत- हरीपुर निहस्था विकास खण्ड- खीरों आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत हरीपुर निहस्था की वित्तीय वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्यवित्त और केन्द्रीय वित्त से रू० 414908.80 का व्यय किया गया हैं.

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत हरीपुर निहस्था के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका ,चल अचल संपत्ति पंजिका ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार रजिस्टर ,टैंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश, मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था|

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 414908.80 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 414908.80 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री आलोक शुक्ला , तथा ग्रामप्रधान श्रीमती कुसमा देवी उत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू 414908.80 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से, रू 207454.40 तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री आलोक शुक्ला से तथा रू 207454.40 ग्रामप्रधान श्रीमती कुसमा देवी से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-08 ग्राम पंचायत- मेरुई विकास खण्ड- खीरों आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत मेरुई की वित्तीय वर्ष 2021-2022 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में राज्यवित्त और केन्द्रीय वित्त से रू० 736027.80 का व्यय किया गया हैं.

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत मेरुई के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका ,चल अचल संपत्ति पंजिका ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार रजिस्टर ,टैंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश, मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 736027.80 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 736027.80 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री आलोक शुक्ला और ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री सतीश चन्द्र, प्रशासक श्री हौसला प्रसाद यादव , तथा ग्रामप्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह उत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू 736027.80 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से

संयुक्त रूप से, रू 182284.00 तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री सतीशचन्द्र से तथा रू 182284.00 तात्कालिक प्रशासक श्री हौसला प्रसाद यादव से और रू० 185729.90 ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री आलोक शुक्ला से और रू० 185729.90 ग्रामप्रधान श्रीमती कुसमा देवी से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-09 ग्राम पंचायत- निगोही विकास खण्ड- डीह आपत्ति सं0-01

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत निगोही के खाता राज्य वित्त में वर्ष 2021-22 में दिनांक 08.12.21 व 31.12.21 को किये गए उपर्युक्त सारणी में दर्शित व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल,,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र, ,टेंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश, आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 296582.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 296582.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री पप्पूलाल निर्मल , तथा ग्राम प्रधान श्री दिग्विजय सिंह उत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू 296582.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से , तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री पप्पूलाल निर्मल से, रू 148291.00 ग्राम प्रधान श्री दिग्विजय सिंह से रू 148291.00 अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-10 ग्राम पंचायत- टेकारी दांदू विकास खण्ड- डीह आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत टेकारी दांदू द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गए उपर्युक्त स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य पर व्यय धनराशि रू० 180000.00 के सापेक्ष प्रमाणक/ विधुत विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, व पत्रावली अनुपलब्ध रही

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम

पंचायत द्वारा उपर्युक्त सारणी में दर्शित स्ट्रीट लाइट पर व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट .,,तीन चरणों की फोटो , डीएम समिति द्वारा निर्धारित क्रय मानक अनुसार, व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , ,टेंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां ,क्रयादेश, आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 180000.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 180000.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री शिशिर कुमार सिंह, तथा ग्राम प्रधान श्रीमती समीक्षा सिंह उत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू 180000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से , तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री शिशिर कुमार सिंह, रू 90000.00 ग्राम प्रधान श्रीमती समीक्षा सिंह से रू 90000.00 अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-11 ग्राम पंचायत- टेकारी दांदू विकास खण्ड- डीह आपत्ति सं0-02

ह्यूम पाइप खरीद पर रू 416787.00 व्यय किये गए है लेकिन इस ह्यूम पाइप की स्थापना के सन्दर्भ में मजदूरी पर शून्य रूपये / कुछ भी व्यय नही किया गया है. मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. किन स्थानों पर या किन किन कार्यों में इस ह्यूम पाइप की स्थापना की यह भी अस्पष्ट रहा दुसरे शब्दों में कार्य के स्पष्ट विवरण को अंकित नहीं किया गया है. स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया. ह्युम पाइप की स्थापना में बालू सीमेंट ईट गिट्टी आदि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है.

ह्यूम पाइप खरीद के सापेक्ष क्रय के बिल बाउचर तथा पत्रावलियां मांगे जाने पर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जा सके, जिसके कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत द्वारा उपर्युक्त सारणी में दर्शित व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट .,,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , ,टेंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश, आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए

व्यय रु 416787.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 416787.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री शिशिर कुमार सिंह, तथा ग्राम प्रधान श्रीमती समीक्षा सिंह उत्तरदायी है | अत: उक्त धनराशि रू 416787.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से , तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री शिशिर कुमार सिंह, रू 208393.50 ग्राम प्रधान श्रीमती समीक्षा सिंह से रू 208393.50 अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-12 ग्राम पंचायत- बरुवा विकास खण्ड- डीह आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत बरुवा द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गए उपर्युक्त स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य पर व्यय धनराशि रू० 338000.00 के सापेक्ष प्रमाणक/ विधुतविभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, व पत्रावली अनुपलब्ध रही

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत द्वारा उपर्युक्त सारणी में दर्शित स्ट्रीट लाइट पर व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट .,,तीन चरणों की फोटो , डीएम समिति द्वारा निर्धारित क्रय मानक अनुसार, व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , ,टेंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां ,क्रयादेश, आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 338000.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 338000.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी मो० जावेद, तथा ग्राम प्रधान श्री राम जी उत्तरदायी है | अत: उक्त धनराशि रू 338000.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से , तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी मो० जावेद से, रू 169000.00 ग्राम प्रधान श्री राम जी से रू 169000.00 अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-13 ग्राम पंचायत- आशारसीदपुर विकास खण्ड- डीह आपत्ति सं0-01

ग्राम पंचायत आशारशीदपुर द्वारा वर्ष 2021-22 में कराये गए उपर्युक्त कार्य मिट्टी भराई पर व्यय धनराशि रू०205450.00 के सापेक्ष प्रमाणक/ मस्टररोल व पत्रावली अनुपलब्ध रही

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत द्वारा उपर्युक्त सारणी में दर्शित व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , पत्र, ,टेंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश, आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 205450.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 205450.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री शिशिर सिंह , तथा ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला उत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू 205450.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से , तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री शिशिर सिंह से, रू 102725.00 ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला से रू 102725.00 अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-14 ग्राम पंचायत- सलीमपुर भैरो विकास खण्ड- ऊंचाहार आपत्ति सं0-01

आलोच्य वर्ष 2021-22 की **मनरेगा योजना** की जांच में इण्टरलाकिंग कार्य कल्लू पासी के दरवाजे से राजाराम पासी के घर तक की पत्रावली लेखा परीक्षा में बार-बार मांग किये जाने के बाद भी नहीं उपलब्ध कराया जा सका जिससे उक्त कार्य पर आन लाइन दर्शित क्रमशः सामग्री पर रू0 576000-00 व मजदूरी पर रू0 57050-00 सहित कुल रू0 633050-00 का ब्यय फर्जी प्रतीत होता है। इस प्रकार इस कार्य का कोई प्रपत्र यथा कार्यवाही पंजिका, कार्ययोजना,प्राक्कलन, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटो स्टाक पंजिका. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि **अभिलेख तैयार ही नहीं किया गया** है। स्पष्ट है कि रू0 633050-00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204

एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रामरती व ग्रा.पं.अधि. श्रीमती/कु0 काजल से रू0 633050-00 के संयुक्त रूप से वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-15 ग्राम पंचायत- अरखा विकास खण्ड- ऊंचाहार आपत्ति सं0-01

लेखा परीक्षा मे मनरेगा योजना के अभिलेख प्रस्तुत न कर पंचायती राज अधिनियम 1947 व ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार <u>लेखा परीक्षा दल को **अभिलेख उपलब्ध कराना ग्राम प्रधान एव सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व होगा,**</u> **का उल्लंघन किया गया है। आलोच्य वर्ष मे मनरेगा बेबसाइट पर रू0 4803000-00 का व्यय दर्शित है।**

उपर्युक्त उपभोग किये गये धनराशि की पुष्टि में मूल अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर,कार्ययोजना, प्राक्कलन. तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कैशबुक बैंक स्टेटमेंट आय व्यय से सम्बंधित पत्रावली, मस्टररोल,एम0बी,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, क्रय सामग्री का बिल-वाउचर, स्टाक पंजिका त्रिस्तरीय फोटोग्राफ अचल संपत्ति पंजिका आदि **अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जा सके जिससे उक्त उपभोग की पुष्टि नहीं हो सकी जो पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत** मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती संगीता देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अहमद से संयुक्त रूप से रू0 4803000-00 के वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत- साडबारा विकास खण्ड- डलमऊ आपत्ति सं0-01

आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में पाया कि केन्द्रीय वित्त की मूल कोषवही के अनुसार प्रा0 अवशेष रू 147540.00 दर्शित रहा जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार प्रारम्भिक अवशेष रू 116178.00 दर्शित रहा। इस प्रकार लेखापरीक्षा मे कुल रू 31362.00 का अंतर पाया गया। अंतर धनराशि रू 31362.00 के सन्दर्भ में सचिव द्वारा बताया गया कि त्रुटिवश सामुदायिक शौचालय में दुहरा भुगतान होने के कारण आलोच्य वर्ष मे केन्द्रीय वित्त की कैशबुक के प्रारंभिक अवशेष में राहुल ब्रिक के खाते में जमा रू 13252.00 तथा विद्या ट्रेडर्स के खाते में जमा रू 18110.00 के रूप में दर्शित किया गया है | आलोच्य वर्ष में राहुल ब्रिक के पास जमा धनराशि रू13252.00 के समायोजन हेतु दिनांक 25.05.21 को रू 26504.00 जमा कराया गया जिसके सन्दर्भ में सचिव द्वारा बताया गया कि त्रुटिवश रू 13252.00 राहुल ब्रिक द्वारा अधिक जमा कर दिया गया जिसे

समायोजित कर लिया गया है किन्तु विद्या ट्रेडर्स के खाते में जमा रू 18110.00 का समायोजन आलोच्य वर्ष में नहीं किया गया जो कि अपहरण तथा अधिभार का द्योतक है , अतः आगामी वर्ष में विद्या ट्रेडर्स के खाते में जमा धनराशि रू 18110.00 केन्द्रीय वित्त के खाते में ब्याज सहित जमा कराया जाना अपेक्षित है अन्यथा कि स्थिति में ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रेमचंद तथा ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार यादव उत्तरदायी है | उक्त धनराशि रू 18110.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 9055.00 तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रेमचंद से तथा रू 9055.00 ग्रामप्रधान श्री अनिल कुमार यादव से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-17 ग्राम पंचायत- बल्लीपुर विकास खण्ड- डलमऊ आपत्ति सं0-01

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका ,चल अचल संपत्ति पंजिका ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार रजिस्टर ,टैंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश, मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों मेंमौखिक वार्ता / पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 1320373.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त्त दर्शित धनराशि रू 1320373.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रेमपाल , श्री अशोक यादव, तत्कालीन प्रशासक श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव तथा ग्रामप्रधान श्री छोटेलाल उत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू 1320373.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 84283.00 तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रेमपाल से, रू 575903.50 तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री अशोक यादव से, रू 84283.00 तत्कालीन प्रशासक श्री श्रवण कुमार

श्रीवास्तव से तथा रू 575903.50 ग्रामप्रधान श्री छोटेलाल से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-18 ग्राम पंचायत- खरगपुर सौताना विकास खण्ड- डलमऊ आपत्ति सं0-01

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत खरगपुर सौताना के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष 2021-22 में किये गए उक्त व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका ,चल अचल संपत्ति पंजिका ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार रजिस्टर ,टेंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां ,क्रयादेश, मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए | इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 1088144.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 1088144.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री अशोक यादव तथा ग्रामप्रधान श्री वीरेन्द्र यादव उत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू 1088144.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 544072.00 तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री अशोक यादव से तथा रू 544072.00 ग्रामप्रधान श्री वीरेन्द्र यादव से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत- केशरुवा विकास खण्ड- डलमऊ आपत्ति सं0-01

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत केशरूवा के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष 2021-22 में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका ,चल अचल संपत्ति पंजिका ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार

रजिस्टर ,टेंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश, मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में मौखिक वार्ता / पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 487891.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 487891.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रेमपाल, ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री अशोक यादव, तत्कालीन प्रशासक श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव तथा ग्रामप्रधान श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह उत्तरदायी है | अत: उक्त धनराशि रू 487891.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 28951.50 तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रेमपाल से. रू 214994.00 तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री अशोक यादव से, रू 28951.50 तत्कालीन प्रशासक श्री श्रवण कुमार श्रीवास्तव से, तथा रू 214994.00 ग्रामप्रधान श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-20 ग्राम पंचायत- बथुवा खास विकास खण्ड- सतांव आपत्ति सं0-01

(i) राज्य वित्त के अंतर्गत हैंडपंप मरम्मत हेतु उक्त विभिन्न तिथियों में सामग्री क्रय एवं मजदूरी हेतु कुल रु 144300.00 का भुगतान किया जाना कैशबुक में दर्शित है, किन्तु उक्त भुगतान से सम्बंधित कार्य पत्रावलियां यथा प्राक्कलन ,तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति ,माप पुस्तिका, फोटो,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र आदि एवं उन पर किये गए व्ययों कि पुष्टि में अपेक्षित वाउचर /व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे |

(ii) लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों के सम्बन्ध में मरम्मत कराये गये स्थलों की सूची,लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना तथा मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में यह जानकारी न हो सकी कि कितने एवं किन-किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे, तथा उनमें से कितने एवं किन-किन की मरम्मत कराई गई। लाभार्थियों के द्वारा प्रस्तुत हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना तथा मरम्मत की मांग सम्बन्धी प्रपत्र/विवरण अनिवार्य रुप से रखा जाना चाहिये जिससे तत्सम्बन्धी जांच की जा सके। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है।

इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय

धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 144300.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री संतसरन तथा ग्रामप्रधान श्रीमती रश्मि देवी उत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू 144300.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 72150.00 ग्राम पंचायत /विकास अधिकारी श्री संतसरन से तथा रू 72150.00 ग्रामप्रधान श्रीमती रश्मि देवी से अद्यावधि ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-21 ग्राम पंचायत- कसना विकास खण्ड- शिवगढ़ आपत्ति सं0-01

लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुतकोषबही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम राज्य वित्त मद से दिनांक 23.08.2021 को जलनिकासी हेतु ह्यूम पाईप खरीद पर गया प्रसाद ट्रेडिंग कंपनी को रुपए 99617.00 का व्यय भुगतान किया गया,परन्तु लेखा परीक्षा में उक्तव्यय से सम्बन्धित केवल खरीद बिल (बिल नंबर 110 दिनांक 2.7.2021) ही प्रस्तुत रहा, कार्य से सम्बन्धितप्राक्कलन एवं माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं रही।साथ ही हूएम्पाइप की स्थापना किस स्थान /कार्यों में की गई,का उल्लेख न तो कैशबुक में किया गया है, न ही कोई सूची ही प्रस्तुत की गईतथा सामग्री -बालू सीमेन्ट,मिट्टी,ईंटआदि का उपयोग भी नहीं किया गया है ,न ही मजदूरों को मजदूरी का भुगतान ही किया गया है |

अ) उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157 मेंनिर्धारित अधिकारी/ विशेषज्ञ द्वारा माप किये जाने के उपरान्त ही भुगतान की व्यवस्था की गई है,किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका प्रस्तुत न होने से स्पष्ट है कि बिना कार्य की माप किये ही काल्पनिक आधार परउक्त भुगतान किया गया है जो नियम 157(ख)केविपरीत रहा।

आ)उ०प्र० पंचायतराज नियमावली 1947 का नियम 209 कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाणपत्र का विवरण -इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोंपरांत समाधान कर लिया जाए कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओ /प्राक्कलन/ मानचित्र के अनुसार किया गया है– के देने का उल्लेख करती है। इस नियम का यथोचित पालन करते हुए रुप पत्र संख्या 41 के मानक पर प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

इ) कार्य के प्रारंभ, प्रगति और समापन की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फ़ोटो लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं रहा जिससे स्थान और कार्य की प्रगति की पुष्टि की जा सके।

स्पष्ट है कि उक्त कार्यको बिना प्राक्कलन तैयार किये तथा माप पुस्तिका के कराया गया है| इस प्रकारकाल्पनिक आधार पर उक्त भुगतान किये गये हैं, जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के नियम 1947156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को आरम्भ करने के पूर्व योजना मानचित्र और अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है एवं नियम157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरान्तभुगतान के लिए

निर्धारित अधिकारी विशेषज्ञ द्वारा कार्य की/नाप-जोख/माप किया जानाआवश्यक है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुये उक्त दर्शित धनराशि रु 99617.00 का ग्राम निधि प्रथम राज्यवित्त मद से भुगतान आहरण कर/व्यय दर्शित किया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के नियम 256 1947(2)(क)केअन्तर्गत अनियमित व्यय है जिसके लिए ग्रा0वि 0अधिकारीअरुण कुमार गौतम तथा ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू शुक्ला उत्तरदायी हैं।अतः उक्त धनराशि रुपये 99617-00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रुपये 49808-50 श्री अरुण कुमार गौतम ग्राम विकास अधिकारी से तथा रुपये 49808-50 श्रीमती रेनू शुक्ला से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है |

प्रस्तर-22 ग्राम पंचायत- हरीपुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-01

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शायागया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	तिवारी आयरन स्टोर	18/03/22	17154.00
2.	तिवारी आयरन स्टोर	18/03/22	17248.00
3.	तिवारी आयरन स्टोर	18/03/22	16246.00
	योग-		50648.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 50648.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आशा से रु. 25324.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय साहू से रु. 25324.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23 ग्राम पंचायत- हरीपुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-02

उक्त ग्राम पंचायत में ब्लूम पाईप मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि

1.	इंडियन सीमेंट पाइप	30/10/21	53270.00
2.	इंडियन सीमेंट पाइप	04/11/21	90656.00
	योग-		143926.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है। ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।
जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरूपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं।
ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे -प्रधान तथा ग्राम-सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की -प्रधान तथा ग्राम-जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा कोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी /डिलीवरी चालान / भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।
अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु 143926.00 .में से ग्राम प्रधान श्रीमती आशा से रु . 71963.00और ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय साहू से रु 71963.00 .की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-24 ग्राम पंचायत- हरीपुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-03(क)

उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलाकिंग (धुन्नू के पीछे से कमला के घर तक) निर्माण मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	माँ शारदा एंटरप्राइजेज-सामग्री	04/11/21	30171.00
2.	माँ शारदा एंटरप्राइजेज	04/11/21	14650.00
3.	माँ शारदा एंटरप्राइजेज	14/11/21	12816.00
4.	माँ शारदा एंटरप्राइजेज	14/11/21	20697.00
5.	माँ शारदा एंटरप्राइजेज	14/11/21	110079.00
	योग-		188413.00

सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
एक अन्य विचारणीय बिन्दु यह भी है की उक्त समस्त सामग्री की खरीद के पश्चात किसी प्रकार की मजदूरी का भुगतान होना दर्शित नहीं है। मजदूरी भुगतान न करना स्वयं में उक्त खरीद को संदेह के घेरे में लाता है।
ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे

सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 188413.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आशा से रु. 94206.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय साहू से रु. 94206.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत- हरीपुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-03(ख)

उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलाकिंग (पुतिन के घर से कमला के घर तक) निर्माण मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	माँ शारदा एंटरप्राइजेज	17/11/21	10873.00
2.	माँ शारदा एंटरप्राइजेज	17/11/21	94928.00
3.	माँ शारदा एंटरप्राइजेज	17/11/21	13389.00
	योग-		119190.00

सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

एक अन्य विचारणीय बिन्दु यह भी है की उक्त समस्त सामग्री की खरीद के पश्चात किसी प्रकार की मजदूरी का भुगतान होना दर्शित नहीं है। मजदूरी भुगतान न करना स्वयं में उक्त खरीद को संदेह के घेरे में लाता है।
इसके अतिरिक्त उपरोक्त क्रय में एम बी से अधिक भुगतान किया जाना दर्शित है जो उपरोक्त व्यय के फर्जी एवं मनमाना होने की ओर इंगित करता है

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 119190.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आशा से रु. 59595.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय साहू से रु. 59595.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-26 ग्राम पंचायत- हरीपुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-04

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	अज्ञात	02/04/21	2925.00
2.	अज्ञात	02/04/21	39000.00
3.	श्रेया कन्स्ट्रक्शन	17/03/22	172250.00
4.	श्रेया कन्स्ट्रक्शन	17/03/22	23187.00
5.	श्रेया कन्स्ट्रक्शन	04/11/21	49324.00
	योग-		286686.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 286686.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती आशा से रु.143343.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय साहू से रु. 143343.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-27 ग्राम पंचायत- हरीपुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-05

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक **269/**सम्प्रेक्षाआ/0रि**0/09-09** दिनांक **15** जनवरी **2009** की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु **2286000.00** लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी

हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु **2286000.00** उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री संजय साहू तथा प्रधान श्रीमती आशा उत्तरदायी हैं। सचिव श्री संजय साहू से रु. 1143000.00 तथा ग्राम प्रधान श्री मती आशा से 1143000.00 रु0 की वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-28 ग्राम पंचायत- कहिंजर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-01

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शायागया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	कमलेश कुमार ट्रेडर्स	6/10/21	76060.00
2.	कमलेश कुमार ट्रेडर्स	29/11/21	48550.00
3.	कमलेश कुमार ट्रेडर्स	17/03/22	66730.00
	योग-		191340.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे -प्रधान तथा ग्राम-सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की -प्रधान तथा ग्राम-जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी भुगतान /डिलीवरी चालान/ मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु 191340.00 .में से ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती से रु 95670.00 .और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से रु 95670.00 .की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-29 ग्राम पंचायत- कहिंजर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-02

उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	गंगा ईंट उद्योग	17/12/21	125440.00
2.	मजदूरी भुगतान- प्रधान	17/12/21	24276.00
	योग-		149716.00

उक्त ग्राम पंचायत में खड़ंजा निर्माण(कहिन्जर-देवपुर संपर्क मार्ग से रामप्यारे पासी के घर तक)मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	गंगा ईंट उद्योग	04/01/22	74626.00
2.	मिट्टी भुगतान रामप्रसाद ट्रेडर्स	04/01/22	3824.00
3.	मजदूरी भुगतान-प्रधान	21/01/22	16723.00
	योग-		95173.00

खड़ंजा निर्माण हेतु कथित व्यय जैसा कि ऊपर दर्शित है,उसमे रु 0 एक लाख से अधिक धनराशि पर टेन्डर आदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तथा धरोहर धनराशि एवं जमानत धनराशि से संबंधित विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

एक अन्य विचारणीय बिन्दु यह भी है कि उक्त समस्त सामग्री की खरीद के पश्चात मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके प्रधान के खाते में किया गया हैं। जोकि कूटरचित तरीके से धन का अपहरण करने के लिए किया गया है। मजदूरों के मस्टर रोल से संबंधित विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 244889.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती से रु. 122444.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से रु. 122444.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-30 ग्राम पंचायत- कहिंजर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-03

उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	इंडियन सीमेंट पाइप	07/10/21	79002.00
2.	कमला सीमेंट पाइप	20/10/21	83190.00
	योग-		162192.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है। ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया। जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम

पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरूपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत सचिव का य-प्रधान तथा ग्राम-ह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की -प्रधान तथा ग्राम-जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा कोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी /डिलीवरी चालान / भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 162192.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती से रु. 81096.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से रु. 81096.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-31 ग्राम पंचायत- कहिंजर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-04

उक्त ग्राम पंचायत में स्थित पंचायत भवन कायाकल्प मद में कराए गये निर्माण कार्यों पर,कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	रामप्रसाद ट्रेडर्स	17/03/22	70942.00
2.	कमलेश कुमार ट्रेडर्स	17/03/22	51485.00
3.	मजदूरी-प्रधान	17/03/22	17863.00
	योग-		140290.00

पंचायत भवन कायाकल्प में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है।

एक अन्य विचारणीय बिन्दु यह भी है कि उक्त समस्त सामग्री की खरीद के पश्चात मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके प्रधान के खाते में किया गया हैं। जोकि कूटरचित तरीके से धन का अपहरण करने के लिए किया गया है। मजदूरों के मस्टर रोल से संबंधित विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली

ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 140290.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती से रु. 70145.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से रु. 70145.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायत- कहिंजर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-05

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	**लक्ष्मीकान्त शर्मा**	06/10/21	44000.00
2.	**लक्ष्मीकान्त शर्मा**	06/10/21	48852.00
3.	**न्यू पंजाब स्पोर्ट्स वीयर**	29/10/21	9500.00
4.	**न्यू पंजाब स्पोर्ट्स वीयर**	29/10/21	15410.00
	योग-		117762.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे -प्रधान तथा ग्राम-सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की -प्रधान तथा ग्राम-जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी /डिलीवरी चालान / भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु 117762.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती से रु 58881.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से रु 58881.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत- कहिंजर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-06

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/**सम्प्रेक्षाआ/0रि**0/09-09 **दिनांक** 15 **जनवरी** 2009 **की अवहेलना है जिसमें मनरेगा**

कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 2033000.00 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 2033000.00 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री आशीष यादव तथा प्रधान श्रीमती श्रीमती उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली प्रधान श्रीमती से एवं सचिव श्री आशीष यादव से समानुपातिक रुप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-34 ग्राम पंचायत- उमरापुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-01

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में, कैशबुकके अनुसारनिम्नानुसार व्यय दर्शायागया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	कमलेश कुमार ट्रेडर्स	24/09/21	48450.00
2.	कमलेश कुमार ट्रेडर्स	8/11/21	8250.00
3.	कमलेश कुमार ट्रेडर्स	29/11/21	18200.00
	योग-		74900.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।
उक्त व्यय के संबंध में उल्लेखनीय है कि हैन्डपम्प मरम्मत जैसा कार्य बिना कुशल श्रमिक के नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त दर्शित धनराशि में मजदूरी का भुगतान कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं किया गया है।

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत -प्रधान तथा ग्राम-सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की जायेगी।-प्रधान तथा ग्राम-" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/डिलीवरी चालान/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु 74200.00 .में से ग्राम प्रधान श्री राजेश से रु 37450.50 .और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से रु 37450.50 .की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत- उमरापुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-02

उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज	24/09/21	98204.00
2.	कमला सीमेंट पाइप	18/11/21	53599.00
	योग-		151803.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है। ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

वित्त लेखा अनुभाग- 1 के शासनादेश सं -ए-1-864/दस -08- 15(1) / 86, दिनांक 23/09/2008 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, सामग्री क्रय नियमों के अंतर्गत कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय करने की सीमा में वृद्धि करते हुए रु 0 20,000/-(रुपये बीस हजार मात्र) तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किए क्रय की जा सकती है। और निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से संबंधित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु 0 1,00,000/-(रुपये एक लाख मात्र) से अधिक-मूल्य की सामग्री के लिए टेंडर आमंत्रित करने की व्यवस्था है। उपरोक्त व्यय में उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरूपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे -प्रधान तथा ग्राम-सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की -प्रधान तथा ग्राम-जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा कोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी /डिलीवरी चालान / भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 151803.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजेश से रु. 125003.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से रु. 125003.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायत- उमरापुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-03

उक्त ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	जय महाकाल एंटरप्राइजेज	17/12/21	128063.00
	योग-		128063.00

इंटरलॉकिंग निर्माण हेतु कथित व्यय जैसा कि ऊपर दर्शित है,उसमे रु 0 एक लाख से अधिक धनराशि पर टेन्डर आदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तथा धरोहर धनराशि एवं जमानत धनराशि से संबंधित विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

वित्त लेखा अनुभाग- 1 के शासनादेश सं -ए-1-864/दस -08- 15(1) / 86, दिनांक 23/09/2008 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, सामग्री क्रय नियमों के अंतर्गत कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय करने की सीमा में वृद्धि करते हुए रु 0 20,000/-(रुपये बीस हजार मात्र) तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किए क्रय की जा सकती है। और निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से संबंधित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु 0 1,00,000/-(रुपये एक लाख मात्र) से अधिक-मूल्य की सामग्री के लिए टेंडर आमंत्रित करने की व्यवस्था है। उपरोक्त व्यय में उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

एक अन्य विचारणीय बिन्दु यह भी है कि उक्त समस्त सामग्री की खरीद के पश्चात मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया हैं। जोकि कूटरचित तरीके से धन का अपहरण करने के लिए किया गया है। मजदूरों के मस्टर रोल से संबंधित विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 128063.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजेश से रु. 64031.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से रु. 64031.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत- उमरापुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-04

उक्त ग्राम पंचायत में स्थित स्ट्रीट लाइट क्रय मद में कैशबुक केअनुसार निम्नांकित व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	**प्रदीप कुमार शुक्ला स्ट्रीटलाइट**	14/10/21	62400.00
2.	**प्रदीप कुमार शुक्ला स्ट्रीटलाइट**	06/01/22	27180.00
	योग-		89580.00

उक्त ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाने के संबंध में निर्गत शासनादेश में उल्लिखित ब्रांड्स की लाइट के स्थान पर डुप्लीकेट/ मानक के विरुद्ध स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही है. जो शासनादेश में उल्लिखित नियमो के विरुद्ध है।

1. एक लाख से ऊपर की सोलर एल.ई.डी. लाइट बिना टेंडर के ही क्रय की जा रही है।

2. स्ट्रीट में बिजली विभाग से अनुमति नही ली जा रही है कि उनके खंभो पर लगवाना है। इससे पता चलेगा कि ग्राम विद्युत से संतृप्त है या नही।

3. स्ट्रीट में बिल के भुगतान कौन करेगा, बिजली विभाग से कॉन्ट्रैक्ट या अनुमति है अथवा नहीं।

4. ग्राम पंचायत में विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है। बिना विद्युत कनेक्शन के बिजली के पोल पर स्ट्रीट लाइट का लगाना विद्युत चोरी का विषय है और राजकीय धन को नुकसान पहुंचना है।

5. यह भी स्पष्ट नहीं है की ग्राम पंचायत ने सुबह-शाम किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है जो स्ट्रीट लाइट को ऑन/ऑफ करे।

शासनादेश 1066/33-3-2021-38 / 2021 दिनांक-02.07.2021के अनुसार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों में एल.ई.डी. लाईट लगाए जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। शासनादेश में एल.ई.डी. लाईट स्पेसीफिकेशन भी दिया गया है। जिसमें बजाज, सिस्का, क्राम्पटन, ओरियण्ट विप्रो. फिलिप्स एवं हैवेल्स को अनुमोदित किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पैनासोनिक, सूर्या, हैलोनिक्स एवं एवरेडी नेक लाइटों को भी इस हेतु अनुमन्य किया जाता है। इस संबंध में भी कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।"उपरोक्त विवरण के आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 89580.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजेश से 44790.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से 44790.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत- उमरापुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-05

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
6.	कृपाशंकर	27/09/21	5430.00
7.	जय माँ शारदा एंटरप्राइजेज	04/10/21	39000.00
8.	लक्ष्मीकान्त शर्मा कन्स्ट्रक्शन	04/10/21	47672.00
9.	जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज- राबिस	06/01/22	14500.00
10.	जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज-फर्नीचर क्रय	03/02/22	60000.00
	योग-		166602.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 166602.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजेश से 83301.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से 83301.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत- उमरापुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-06

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक **269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09** दिनांक **15** जनवरी **2009** की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु **256000.00** लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल

के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु **256000.00** उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री आशीष यादव तथा प्रधान श्री राजेश उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश से एवं सचिव श्री आशीष यादव से समानुपातिक रुप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायत- दरियापुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-01

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में, कैशबुकके अनुसारनिम्नानुसार व्यय दर्शायागया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
4.	दया एग्रो सेंटर	04/08/21	15945.00
5.	दया एग्रो सेंटर	04/08/21	16007.00
6.	दया एग्रो सेंटर	04/08/21	15858.00
7.	दया एग्रो सेंटर	04/08/21	18032.00
8.	दया एग्रो सेंटर	04/08/21	15801.00
9.	दया एग्रो सेंटर	14/10/21	68386.00
10.	दया एग्रो सेंटर	24/08/21	25501.00
11.	आराध्या एंटरप्राइजेज	24/08/21	5500.00
12.	आराध्या एंटरप्राइजेज	24/08/21	5500.00
13.	दया एग्रो सेंटर	24/08/21	25588.00
14.	दया एग्रो सेंटर	24/08/21	25806.00
15.	दया एग्रो सेंटर	24/08/21	26428.00
16.	आराध्या एंटरप्राइजेज	24/08/21	5500.00
17.	आराध्या एंटरप्राइजेज	24/08/21	5500.00
18.	आराध्या एंटरप्राइजेज	24/08/21	5500.00
19.	दया एग्रो सेंटर	24/08/21	26011.00
20.	दया एग्रो सेंटर	14/10/21	26331.00
21.	दया एग्रो सेंटर	14/10/21	26139.00
22.	दया एग्रो सेंटर	14/10/21	25994.00
23.	आराध्या एंटरप्राइजेज	14/10/21	16500.00
	योग-		401827.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।
उक्त व्यय के संबंध में उल्लेखनीय है कि हैन्डपम्प मरम्मत जैसा कार्य बिना कुशल श्रमिक के नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त दर्शित धनराशि में मजदूरी का भुगतान फर्म को कर दिया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे -प्रधान तथा ग्राम-सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की -प्रधान तथा ग्राम-जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी भुगतान /डिलीवरी चालान/ मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों

की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु 200913.50 .में से ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से रु 401827.00 .और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से रु 200913.50 .की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत- दरियापुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-02

उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज	04/08/21	98204.00
2.	कमला सीमेंट पाइप	12/10/21	96242.00
	योग-		194446.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है। ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

वित्त लेखा अनुभाग- 1 के शासनादेश सं -ए-1-864/दस -08- 15(1) / 86, दिनांक 23/09/2008 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, सामग्री क्रय नियमों के अंतर्गत कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय करने की सीमा में वृद्धि करते हुए रु 0 20,000/-(रुपये बीस हजार मात्र) तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किए क्रय की जा सकती है। और निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से संबंधित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु 0 1,00,000/-(रुपये एक लाख मात्र) से अधिक-मूल्य की सामग्री के लिए टेंडर आमंत्रित करने की व्यवस्था है। उपरोक्त व्यय में उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरूपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे -प्रधान तथा ग्राम- सम्प्रेक्षण हेतुसम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की -प्रधान तथा ग्राम- जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा कोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंडिलीवरी / चालानमजदूरी / भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 194446.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी

से रु. 97223.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से रु.97223.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत- दरियापुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-03

उक्त ग्राम पंचायत में स्थित पंचायत भवन कायाकल्प मद में कराए गये निर्माण कार्यों पर,कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	दया एग्रो सेंटर	15/11/21	28003.00
2.	दया एग्रो सेंटर	15/11/21	128388.00
3.	दया एग्रो सेंटर	31/12/21	27978.00
	योग-		184369.00

उक्त ग्राम पंचायत में स्थित पंचायत भवन रंगाई पुताई मद में कराए गये निर्माण कार्यों पर,कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	दया एग्रो सेंटर	15/11/21	45000.00
2.	दया एग्रो सेंटर	15/11/21	4080.00
3.	दया एग्रो सेंटर	15/11/21	105641.00
	योग-		154721.00

पंचायत भवन कायाकल्प में कराए गये निर्माण कार्यों एवं रंगाई पुताई पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। पंचायत भवन कायाकल्प एक ही कार्य है लेकिन इसे टुकड़ों में तोड़ कर दो फाइल बना कर कार्य किया जाना प्रदर्शित है जो नियम विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त एक भी पैसा मजदूरी के रूप में नहीं दिया गया है। जो स्वयं में ही उपरोक्त व्ययों के कूटरचित होने का प्रमाण है। कैशबुक में मस्टर रोल से संबंधित विवरण अंकित नहीं है।

वित्त लेखा अनुभाग- 1 के शासनादेश सं -ए-1-864/दस -08- 15(1) / 86, दिनांक 23/09/2008 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, सामग्री क्रय नियमों के अंतर्गत कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय करने की सीमा में वृद्धि करते हुए रु 0 20,000/-(रुपये बीस हजार मात्र) तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किए क्रय की जा सकती है। और निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से संबंधित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु 0 1,00,000/-(रुपये एक लाख मात्र) से अधिक-मूल्य की सामग्री के लिए टेंडर आमंत्रित करने की व्यवस्था है। उपरोक्त व्यय में उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की

तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 339090.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से रु. 169545.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से रु. 169545.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत- दरियापुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-04

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
11.	कृपाशंकर	14/10/21	14739.00
12.	दया एग्रो सेन्टर	14/10/21	56568.00
13.	दया एग्रो सेन्टर	14/10/21	39594.00
14.	जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज	05/03/22	36180.00
15.	जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज	05/03/22	73538.00
16.	जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज	05/03/22	31878.00
17.	जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज	18/03/22	53599.00
	योग-		306096.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 306096.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती विमला देवी से रु. 153048.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से रु. 153048.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-44 ग्राम पंचायत- दरियापुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-05

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक **269**/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/**09-09** दिनांक **15** जनवरी **2009** की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु **1145000.00** लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख प्रमाणक यथा कैश बुक /, डे बुक ,

भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय भुगतान संबंधी बिल वाउचर/,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बारलिखित रूप से मांगे /बार मौखिक-जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 1145000.00 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री आशीष यादव तथा प्रधान श्रीमती विमला देवी उत्तरदायी हैं |

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत- लछईखेड़ा विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-01

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शायागया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	गुप्ता मशीनरी स्टोर	17/11/21	25007.00
2.	गुप्ता मशीनरी स्टोर	17/11/21	24809.00
3.	गुप्ता मशीनरी स्टोर	17/11/21	25007.00
4.	गुप्ता मशीनरी स्टोर	17/11/21	25007.00
5.	तिवारी आयरन स्टोर	20/11/21	17100.00
6.	तिवारी आयरन स्टोर	20/11/21	17260.00
7	तिवारी आयरन स्टोर	20/11/21	16720.00
8.	तिवारी आयरन स्टोर	20/11/21	16910.00
9.	आराध्या एंटरप्राइजेज	20/11/21	6220.00
10.	आराध्या एंटरप्राइजेज	20/11/21	18660.00
	योग-		192700.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत -प्रधान तथा ग्राम-सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दलको व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्रामपंचायत सचिव से की जायेगी।-" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी भुगता/डिलीवरी चालान/न मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु 192700.00 .में से ग्राम प्रधान श्री 96350.00.श्रीमती सिया दुलारी से रु/और ग्राम पंचायत सचिव श्री 96350.00 .श्रीमती संजय साहू से रु/की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायत- लछईखेड़ा विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-02(क)

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, ई-ग्राम स्वराज के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
18.	गुप्ता मशीनरी स्टोर	30/03/22	156000.00
19.	गुप्ता मशीनरी स्टोर	30/03/22	37500.00
20.	गुप्ता मशीनरी स्टोर	30/03/22	59009.00
21.	गुप्ता मशीनरी स्टोर	30/03/22	84556.00
22.	गुप्ता मशीनरी स्टोर	31/03/22	41460.00
23.	श्रेया कन्स्ट्रक्शन	31/03/22	97500.00
	योग-		476025.00

उपरोक्त व्यय का विवरण कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है और न ही कार्य की मद का उल्लेख किया गया है। मजदूरी का भी भुगतान नहीं किया गया परिलक्षित है। बिना मजदूरी दिए खरीदी गए सामग्री कूटरचित तरीके से धन का अपहरण है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन एवं प्राप्त धरोहर धनराशि से संबंधित विवरण , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.476025.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सिया दुलारी से रु.238012.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय साहू से रु. 238012.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत- लछईखेड़ा विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-02(ख)

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	श्रेया कन्स्ट्रक्शन	24/01/22	49737.00
2.	प्रदीप कुमार शुक्ला	16/11/21	18100.00

3.	कृपाशंकर	24/01/22	13468.00
	योग-		81305.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 81305.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती सिया दुलारी से रु.40652.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय साहू से रु. 40652.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत- लछईखेड़ा विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-03

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक **269**/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/**09-09** दिनांक **15** जनवरी **2009** की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु **1167000.00** लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु **1167000.00** उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री संजय साहू तथा प्रधान श्रीमती सिया दुलारी उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सिया दुलारी से एवं पंचायत सचिव श्री संजय साहू से समानुपातिक रुप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायत- हमीरगाँव विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-01

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दिनांक15 जनवरी2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 1094000.00 से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक,डे बुक,भुगतान रजिस्टर,मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका,जॉब कार्ड पंजिका,रोजगार पंजिका,एफ टी ओ पंजिका,सामग्री क्रय भुगतान संबंधी बिल वाउचर/,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति,स्टॉक पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,निर्माण कार्य पंजिका-टेंडर से संबंधित पत्रावली आदि बार , लिखित रूप से मांगे जाने के बावजू /बार मौखिकद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में राजकीय धन का मनमानी पूर्ण ढंग से व्ययकिया गया है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (कमें निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में (हुए व्यय धनराशि रु 1094000.00 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सत्येन्द्र मिश्रा तथा प्रधान श्रीमती सुनीता देवी उत्तरदायी हैं| मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दिनांक15 जनवरी2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 1094000.00 से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक,डे बुक,भुगतान रजिस्टर,मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका,जॉब कार्ड पंजिका,रोजगार पंजिका,एफ टी ओ पंजिका,सामग्री क्रय भुगतान संबंधी बिल वाउचर/,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति,स्टॉक पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,निर्माण कार्य पंजिकाटेंडर से संबंधित , लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए /बार मौखिक-पत्रावली आदि बार गए। ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में राजकीयधन का मनमानी पूर्ण ढंग से व्यय किया गया है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 1094000.00 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सत्येन्द्र मिश्रा तथा प्रधान श्रीमती सुनीता देवी उत्तरदायी हैं| जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से एवं पंचायत सचिव श्री सत्येन्द्र मिश्रा से समानुपातिक रुप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायत- रासीगाँव विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-01

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम

पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दिनांक15 जनवरी2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 1547000.00 से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक,डे बुक,भुगतान रजिस्टर,मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका,जॉब कार्ड पंजिका,रोजगार पंजिका,एफ टी ओ पंजिका,सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति,स्टॉक पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,निर्माण कार्य पंजिका, टेंडर से संबंधित पत्रावली आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में राजकीय धन का मनमानी पूर्ण ढंग से व्ययकिया गया है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 1547000.00 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सत्येन्द्र मिश्रा तथा प्रधान श्रीमती शैल कुमारी उत्तरदायी हैं| जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शैल कुमारी से एवं पंचायत सचिव श्री सत्येन्द्र मिश्रा से समानुपातिक रुप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत- मल्के गाँव विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-01

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने के कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दिनांक15 जनवरी2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 1178000.00 से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक,डे बुक,भुगतान रजिस्टर,मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका,जॉब कार्ड पंजिका,रोजगार पंजिका,एफ टी ओ पंजिका,सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति,स्टॉक पंजिका,परिसंपत्ति पंजिका,निर्माण कार्य पंजिका, टेंडर से संबंधित पत्रावली आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में राजकीय धन का मनमानी पूर्ण ढंग से व्ययकिया गया है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के

अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 1178000.00 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री सत्येन्द्र मिश्रा तथा प्रधान श्रीराम नरेश उत्तरदायी हैं| जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री राम नरेश से एवं पंचायत सचिव श्री सत्येन्द्र मिश्रा से समानुपातिक रुप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायत- तेजगांव विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-01

उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	कमला सीमेंट पाइप	20/01/2022	94613.00
2.	कमला सीमेंट पाइप	20/01/2022	99501.00
	योग-		194114.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है। ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।
जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरूपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं।
ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की जायेगी।-प्रधान तथा ग्राम-" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा कोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/डिलीवरी चालान /, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु 94114.00 .में से ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश से रु 97057.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री सत्येन्द्र मिश्रा से रु 97057.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत- चकचोरहिया विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-01

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में, कैशबुकके अनुसारनिम्नानुसार व्यय दर्शायागया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	गुप्ता मशीनरी स्टोर- रिबोर	11/05/21	25086.00

2.	गुप्ता मशीनरी स्टोर- रिबोर	11/05/21	23672.00
3.	गुप्ता मशीनरी स्टोर- रिबोर	11/05/21	25427.00
4.	गुप्ता मशीनरी स्टोर- रिबोर	11/05/21	25627.00
5.	गुप्ता मशीनरी स्टोर- रिबोर	11/05/21	25452.00
6.	गुप्ता मशीनरी स्टोर- रिबोर	11/05/21	24599.00
7.	गुप्ता मशीनरी स्टोर- रिबोर	11/05/21	24600.00
8.	गुप्ता मशीनरी स्टोर- रिबोर	13/05/21	25627.00
9.	लक्ष्मीकान्त शर्मा कन्स्ट्रक्शन	27/07/21	17170.00
10.	गुप्ता मशीनरी स्टोर	16/12/21	16751.00
11.	गुप्ता मशीनरी स्टोर	16/12/21	17751.00
12.	गुप्ता मशीनरी स्टोर	16/12/21	15465.00
13.	गुप्ता मशीनरी स्टोर	16/12/21	15253.00
	योग-		282300.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 282300.00 में से ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार से रु. 141150.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती संजय साहू से रु. 141150.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-54 ग्राम पंचायत- चकचोरहिया विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-02

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, कैशबुकके अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	लक्ष्मीकान्त शर्मा कन्स्ट्रक्शन	22/07/21	80437.00
2.	लक्ष्मीकान्त शर्मा कन्स्ट्रक्शन	30/07/21	48852.00
3.	जयश्री एंटरप्राइजेज	18/10/21	79700.00
	योग-		208989.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे -प्रधान तथा ग्राम-सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की -प्रधान तथा ग्राम-जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी /डिलीवरी चालान / भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु 208989.00 .में से ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार से रु 104494.50 . और ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय साहू से रु 104494.50 .की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत- चकचोरहिया विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-03

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक **269**/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक **15** जनवरी **2009** की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 2873**000.00**लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका, टेंडर पत्रावली आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 2873**000.00** उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री संजय साहू तथा प्रधान श्री अरुण कुमार उत्तरदायी हैं | जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार से एवं पंचायत सचिव श्री संजय साहू से समानुपातिक रुप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-56 ग्राम पंचायत- गहरौली विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-01

उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	कमला सीमेंट पाइप	08/02/22	92760.00
	योग-		92760.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के

औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है। ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।
जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरूपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं।
ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत सचिव-प्रधान तथा ग्राम- का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की -प्रधान तथा ग्राम- जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा कोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी /डिलीवरी चालान / भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।
अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 92760.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती क्रेता सिंह से रु. 46380.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती संजय साहू से रु. 46380.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत- गहरौली विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-02

1. उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलाकिंग (जी बी सिंह के घर से प्राथमिक विद्यालय) निर्माण मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	लखनापुर ब्रिक फील्ड	26/11/21	17055.00
2.	रुद्राक्ष एंटरप्राइजेज	26/11/21	8025.00
3.	रुद्राक्ष एंटरप्राइजेज	26/11/21	149444.00
4.	रुद्राक्ष एंटरप्राइजेज	26/11/21	38590.00
	योग-		213114.00

2. **उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलाकिंग (खड़ंजा से प्राथमिक विद्यालय तक) निर्माण मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-**

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	रुद्राक्ष एंटरप्राइजेज	26/11/21	16356.00

2.	रुद्राक्ष एंटरप्राइजेज	26/11/21	120388.00
3.	लखनापुर ब्रिक फील्ड	26/11/21	41733.00
4.	लखनापुर ब्रिक फील्ड	26/11/21	19508.00
	योग-		197985.00

3. उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलाकिंग (भदौरिया के घर से बबली के घर तक) निर्माण मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	लक्ष्मी ब्रिक फील्ड	26/11/21	30740.00
2.	माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज	26/11/21	145451.00
3.	जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज	26/11/21	23772.00
	योग-		199963.00

4. उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलाकिंग (बहादुर के घर से डॉ0 गोपाल के घर तक) निर्माण मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	विनय एंटरप्राइजेज	29/11/21	29003.00
2.	लखनापुर ब्रिक फील्ड	29/11/21	30032.00
3.	जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज	02/12/21	22587.00
4.	जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज	02/12/21	135936.00
5.	कमल ट्रेडर्स	02/12/21	30032.00
	योग-		247590.00

इंटरलॉकिंग निर्माण हेतु कथित व्यय जैसा कि ऊपर दर्शित है,उसमे रु 0 एक लाख से अधिक धनराशि पर टेन्डर आदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तथा धरोहर धनराशि एवं जमानत धनराशि से संबंधित विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

एक अन्य विचारणीय बिन्दु यह भी है कि उक्त समस्त सामग्री की खरीद के पश्चात किसी प्रकार की मजदूरी का भुगतान होना दर्शित नहीं है। मजदूरी भुगतान न करना स्वयं में उक्त खरीद को संदेह के घेरे में लाता है।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो

उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 858652.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती क्रेता सिंह से रु. 429626.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय साहू से रु. 429626.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत- गहरौली विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-03

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	श्रेया कन्स्ट्रक्शन	08/02/22	172250.00
2.	श्रेया कन्स्ट्रक्शन	08/02/22	23364.00
	योग-		195614.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 195614.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती क्रेता सिंह से रु.97807.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय साहू से रु. 97807.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-59 ग्राम पंचायत- गहरौली विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-04

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 1029000.00 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे

जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु **1029000.00** उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री संजय साहू तथा प्रधान श्रीमती क्रेता सिंह उत्तरदायी हैं |

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत- भोजपुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-01

उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	कमला सीमेंट पाइप	18/08/21	87713.00
2.	कमला सीमेंट पाइप	15/10/21	96242.00
3.	कमला सीमेंट पाइप	15/10/21	98204.00
4.	जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज	29/12/21	98204.00
5.	कमला सीमेंट पाइप	30/12/21	98204.00
6.	जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज	22/03/22	98204.00
	योग-		576771.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है। ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत कोश बही के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 576771.00 का भुगतान ह्यूम पाइप खरीद हेतु दर्शित किया गया है। कार्य से संबंधित प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157 (ख) में निर्धारित अधिकारी/ विशेषज्ञ द्वारा माप किए जाने के उपरांत ही भुगतान की व्यवस्था की गई है। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका प्रस्तुत न होने के कारण यह स्पष्ट है कि बिना कार्य की माप किए काल्पनिक आधार पर कार्य किया गया है। जो पंचायत राज नियमावली के नियम 157(ख) का उल्लंघन है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाण पत्र का विवरण- इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोपरांत समाधान कर लिया जाए कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओं/प्राक्कलन/मानचित्र के अनुसार किया गया है। इस नियम का उल्लंघन करते हुए रूप पत्र सं 0 41 के मानक पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्य के प्रारंभ,मध्य स्तर और समापन की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

वित्त लेखा अनुभाग- 1 के शासनादेश सं -ए-1-864/दस -08- 15(1) / 86, दिनांक 23/09/2008 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, सामग्री क्रय नियमों के अंतर्गत कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय करने की सीमा में वृद्धि करते हुए रु 0 20,000/-(रुपये बीस हजार मात्र) तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किए क्रय की जा सकती है। और निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से संबंधित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु 0 1,00,000/-(रुपये एक लाख मात्र) से अधिक-मूल्य की सामग्री के लिए टेंडर आमंत्रित करने की व्यवस्था है। उपरोक्त व्यय में उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया

गया है।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरूपयोग किया जाना है।

एक अन्य विचारणीय बिन्दु यह भी है कि उक्त समस्त सामग्री की खरीद के पश्चात मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया हैं। जोकि कूटरचित तरीके से धन का अपहरण करने के लिए किया गया है। मजदूरों के मस्टर रोल से संबंधित विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे -प्रधान तथा ग्राम-सम्प्रेक्ष्ण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की -प्रधान तथा ग्राम-जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा कोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी /डिलीवरी चालान / भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 576771.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर से रु. 288385.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से रु. 288385.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-61 ग्राम पंचायत- भोजपुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-02

उक्त ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	जय महाकाल एंटरप्राइजेज	18/08/21	27732.00
2.	जय महाकाल एंटरप्राइजेज	18/08/21	38078.00
3.	जय महाकाल एंटरप्राइजेज	18/08/21	36436.00
4.	जय महाकाल एंटरप्राइजेज	18/08/21	147235.00
	योग-		249481.00

इंटरलॉकिंग निर्माण हेतु कथित व्यय जैसा कि ऊपर दर्शित है,उसमे रु 0 एक लाख से अधिक धनराशि पर टेन्डर आदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तथा धरोहर धनराशि एवं जमानत धनराशि से संबंधित विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

वित्त लेखा अनुभाग- 1 के शासनादेश सं -ए-1-864/दस -08- 15(1) / 86, दिनांक 23/09/2008 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, सामग्री क्रय नियमों के अंतर्गत कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय करने की सीमा में वृद्धि करते हुए रु 0 20,000/-(रुपये बीस हजार मात्र) तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किए क्रय की जा सकती है। और निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से संबंधित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु 0 1,00,000/-(रुपये एक लाख मात्र) से

अधिक-मूल्य की सामग्री के लिए टेंडर आमंत्रित करने की व्यवस्था है। उपरोक्त व्यय में उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

एक अन्य विचारणीय बिन्दु यह भी है कि उक्त समस्त सामग्री की खरीद के पश्चात मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया हैं। जोकि कूटरचित तरीके से धन का अपहरण करने के लिए किया गया है। मजदूरों के मस्टर रोल से संबंधित विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 249481.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर से रु.124740.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से रु. 124740.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत- भोजपुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-03

उक्त ग्राम पंचायत में स्थित स्ट्रीट लाइट क्रय मद में कैशबुक केअनुसार निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	प्रदीप कुमार शुक्ला स्ट्रीटलाइट	18/08/21	97500.00
2.	प्रदीप कुमार शुक्ला स्ट्रीटलाइट	18/08/21	42395.00
3.	प्रदीप कुमार शुक्ला स्ट्रीटलाइट	03/11/21	97500.00
4.	प्रदीप कुमार शुक्ला स्ट्रीटलाइट	29/12/21	48750.00
5.	प्रदीप कुमार शुक्ला स्ट्रीटलाइट	29/12/21	97500.00
6.	प्रदीप कुमार शुक्ला स्ट्रीटलाइट	03/01/22	48750.00
7.	प्रदीप कुमार शुक्ला स्ट्रीटलाइट	11/02/22	57950.00
8.	प्रदीप कुमार शुक्ला स्ट्रीटलाइट	11/02/22	46145.00
9.	प्रदीप कुमार शुक्ला स्ट्रीटलाइट	11/02/22	59106.00
10.	प्रदीप कुमार शुक्ला स्ट्रीटलाइट	14/02/22	58065.00
11.	प्रदीप कुमार शुक्ला स्ट्रीटलाइट	14/02/22	58065.00
12.	प्रदीप कुमार शुक्ला स्ट्रीटलाइट	14/02/22	5427.00

13.	**प्रदीप कुमार शुक्ला स्ट्रीटलाइट**	18/03/22	77420.00
14.	**प्रदीप कुमार शुक्ला स्ट्रीटलाइट**	22/03/22	77420.00
	योग-		871991.00

उक्त ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाने के संबंध में निर्गत शासनादेश में उल्लिखित ब्रांड्स की लाइट के स्थान पर डुप्लीकेट/ मानक के विरुद्ध स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही है. जो शासनादेश में उल्लिखित नियमो के विरुद्ध है।

1. एक लाख से ऊपर की सोलर एल.ई.डी. लाइट बिना टेंडर के ही क्रय की जा रही है।

2. स्ट्रीट में बिजली विभाग से अनुमति नही ली जा रही है कि उनके खंभो पर लगवाना है। इससे पता चलेगा कि ग्राम विद्युत से संतृप्त है या नही।

3. स्ट्रीट में बिल के भुगतान कौन करेगा, बिजली विभाग से कॉन्ट्रैक्ट या अनुमति है अथवा नहीं।

4. ग्राम पंचायत में विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है। बिना विद्युत कनेक्शन के बिजली के पोल पर स्ट्रीट लाइट का लगाना विद्युत चोरी का विषय है और राजकीय धन को नुकसान पहुंचना है।

5. यह भी स्पष्ट नहीं है की ग्राम पंचायत ने सुबह-शाम किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है जो स्ट्रीट लाइट को ऑन/ऑफ करे।

6. स्ट्रीट लाइट पर कुल व्यय रु 0 8,71,991.00 किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत रु 0 5,00,000.00 तक की प्रशासनिक एवं वित्ती स्वीकृति दे सकती है। इससे अधिक व्यय की अनुमति उच्च स्तर के सक्षम अधिकारी से ली जानी होती है। ग्राम पंचायत ने अधिकार सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर व्यय किया है।

शासनादेश 1066/33-3-2021-38 / 2021 दिनांक-02.07.2021के अनुसार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों में एल.ई.डी. लाईट लगाए जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। शासनादेश में एल.ई.डी. लाईट स्पेसीफिकेशन भी दिया गया है। जिसमें बजाज, सिस्का, क्राम्पटन, ओरियण्ट विप्रो. फिलिप्स एवं हैवेल्स को अनुमोदित किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पैनासोनिक, सूर्या, हैलोनिक्स एवं एवरेडी नेक लाइटों को भी इस हेतु अनुमन्य किया जाता है। इस संबंध में भी कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

एक अन्य विचारणीय बिन्दु यह भी है कि उक्त समस्त सामग्री की खरीद के पश्चात मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया हैं। जोकि कूटरचित तरीके से धन का अपहरण करने के लिए किया गया है। मजदूरों के मस्टर रोल से संबंधित विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है।

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।"उपरोक्त विवरण के आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 871991.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर से 435995.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से 435995.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत- भोजपुर विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-04

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
24.	लक्ष्मीकान्त शर्मा कन्स्ट्रक्शन	18/08/21	44000.00
25.	जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज-सैनिटाइजर छिड़काव मशीन	01/11/21	39300.00
26.	माँ संतोषी हार्डवेयर	26/08/21	77011.00
27.	जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज- ठेलिया क्रय	13/12/21	19500.00
28.	पंचायत में सैनिटाइजर छिड़काव	13/12/22	24500.00
29.	प्रदीप कुमार शुक्ला- दरी, कुर्सी आदि क्रय	11/02/22	60000.00
30.	प्रदीप कुमार शुक्ला- दरी, कुर्सी आदि क्रय	11/02/22	60000.00
31.	अनूप साहू	04/02/22	6000.00
32.	प्रदीप साहू	22/03/22	6000.00
33.	बृजलाल त्रिवेदी- नाली सफाई लेबर	01/11/21	36720.00
34.	बृजलाल त्रिवेदी- नाली सफाई लेबर	10/01/22	36720.00
	योग-		409751.00

दिनांक 01/11/21 एवं दिनांक 10/01/22 को बृजलाल त्रिवेदी को क्रमशः 36720.00, 36720.00 रुपये का भुगतान किया गया है। जबकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी तैनात हैं जिनका मुख्य कार्य ही सफाई करना है। जिसे प्रत्येक माह राजकोष से वेतन मिलता है। यह बात सामान्य समझ से परे है कि सफाई कर्मी होते हुए भी निजी मजदूर को सफाई के लिए काल्पनिक मजदूरी सृजित कर कूटरचित तरीके से भुगतान किया गया है। उक्त व्यय का कार्य योजना में भी उल्लेख नहीं किया गया है और न ही ग्राम पंचायत की खुली बैठक में उक्त कार्य की वित्तीय अथवा प्रशासनिक स्वीकृति ली गई है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 409751.00 में से ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर से 204875.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से 204875.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत- सरेनी विकास खण्ड- सरेनी आपत्ति सं0-01

उक्त ग्राम पंचायत में इन्टरलाकिंग (पूरे पाण्डेय रोड से भिखारी साहू के घर तक) निर्माण मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि

सं0			
1.	**लक्ष्मी ब्रिक फील्ड**	10/02/22	41185.00
2.	**महाबली ट्रेडर्स**	11/02/22	71086.00
3.	**कमला सीमेन्ट पाइप**	10/02/22	24119.00
4.	**जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज**	10/02/22	37237.00
5.	**जय माँ वैष्णो एंटरप्राइजेज**	10/02/22	245166.00
	योग-		418793.00

इंटरलॉकिंग निर्माण हेतु कथित व्यय जैसा कि ऊपर दर्शित है,उसमे रु 0 एक लाख से अधिक धनराशि पर टेन्डर आदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तथा धरोहर धनराशि एवं जमानत धनराशि से संबंधित विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

एक अन्य विचारणीय बिन्दु यह भी है कि उक्त समस्त सामग्री की खरीद के पश्चात किसी प्रकार की मजदूरी का भुगतान होना दर्शित नहीं है। मजदूरी भुगतान न करना स्वयं में उक्त खरीद को संदेह के घेरे में लाता है।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 418793.00 में से ग्राम प्रधान श्री जितेंद्र बहादुर सिंह सिंह से रु. 209396.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार से रु. 209396.50.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायत- टिकरियाटप्पे बाराडीह विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-01

ई- ग्रामस्वराज

क्रम सं 0	फर्म आहरणकर्ता व्यक्ति का नाम /	दिनांक	धनराशि
1.	**जय माँ संतोषी स्वयं सहायता समूह (रिफंड आवजेक्शन)**	21/07/06	54000.00
2.	**भारत सीमेंट पाइप ब्लूम पाइप क्रय-**	21/07/23	95161.00
3.	**भारत सीमेंट पाइप ब्लूम पाइप क्रय-**	21/07/23	10574.00
4.	**अलंकार फर्नीचर**	21/07/25	54100.00
5.	**साई नाथ एंटरप्राइजेज**	21/07/25	10080.00

6.	नारायण एंटरप्राइजेज हैन्डपम्प मरम्मत-	21/08/07	61819.00
7.	नारायण एंटरप्राइजेज हैन्डपम्प मरम्मत-	21/08/07	75512.00
8.	गुरु नानक साइकिल स्टोर	21/08/07	18000.00
9.	खालसा हार्डवेयर एंड आयरन स्टोर	21/08/07	24400.00
10.	नारायण एंटरप्राइजेज हैन्डपम्प मरम्मत-	21/08/17	76654.00
11.	सिंह स्पन पाइप उद्योग ब्लूम पाइप क्रय-	21/09/26	44638.00
12.	सिंह स्पन पाइप उद्योग ब्लूम पाइप क्रय-	21/09/30	40149.00
13.	ग्राम प्रधान मानदेय	21/10/03	14000.00
14.	मौर्या ट्रेडर्स सीमेंट -	21/10/27	67366.00
15.	प्रिया कंप्युटर इन्फोटेक	21/12/10	2000.00
16.	बालाजी पावर एंटरप्राइजेज	21/12/10	6000.00
17.	सिंह स्पन पाइप उद्योग ब्लूम पाइप क्रय-	21/12/24	67581.00
18.	प्रजापति ट्रेडर्स	21/12/24	40000.00
19.	प्रजापति ट्रेडर्स	21/12/24	26813.00
20.	प्रजापति ट्रेडर्स	21/12/24	10000.00
21.	प्रजापति ट्रेडर्स	21/12/24	6000.00
22.	पंचायत सहायक मानदेय	22/02/05	6000.00
23.	खालसा हार्डवेयर एंड आयरन स्टोर स्ट्रीट - लाइट क्रय	22/02/06	67700.00
24.	राघव मेडिको एजेंसी	22/02/13	30500.00
25.	सुभाष टाइल्स एंड हार्डवेयर	22/03/26	49500.00
26.	पंचायत सहायक मानदेय	22/03/26	6000.00
27.	ग्राम प्रधान मानदेय	22/03/26	14000.00
		योग -	924547.00

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के , 8- अध्यायके अनुच्छेद 7-में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह " सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं "|ग्राम पंचायत टिकरिया ता बाराडीह 0के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष22में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख -2021 ,यथा वित्तीयएवं तकनीकी स्वीकृतिकार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी, तीन चरणों की फोटो,. मस्टररोल , , स्टॉक पंजिकाचल अचल संपत्ति पंजिका ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार रजिस्टर ,टैंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश,मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 924547.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा |लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू **924547.00** लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार

योग्य है जिसके लिए ग्रामपंचयत अधिकारी श्री आलोक रंजन सिंहतथा ग्रामप्रधान श्रीमती अनीता उत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू. **924547.00** की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू. **462273.50** ग्रामपंचायत अधिकारी श्री आलोक रंजन सिंहसे तथा रू. **462273.50** ग्रामप्रधान श्रीमती अनीतासे अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर 66- ग्राम पंचायत -टिकरियाटप्पे बाराडीह विकास खण्ड सलोन - आपत्ति सं-0 02

ई- ग्रामस्वाराज से प्राप्त आकड़े

क्रम सं0	फर्म आहरणकर्ता व्यक्ति का नाम /	भुगतान दिनांक	रिफंडेड दिनांक	धनराशि
1.	जय माँ संतोषी स्वयं सहायता समूह	21/07/06	21/08/17	54000.00
2.	प्रजापति ट्रेडर्स	21/12/10	21/12/11	26237.00
3.	प्रजापति ट्रेडर्स	21/12/10	21/12/11	26813.00
4.	प्रजापति ट्रेडर्स	21/12/10	21/12/11	10000.00
5.	प्रजापति ट्रेडर्स	21/12/10	21/12/11	40000.00
6.	प्रजापति ट्रेडर्स	21/12/10	21/12/11	10000.00
7.	प्रजापति ट्रेडर्स	21/12/10	21/12/11	6000.00
8.	खालसा हार्डवेयर एंड आयरन स्टोर - स्ट्रीट लाइट क्रय	21/12/23	21/12/24	67700.00
9.	खालसा हार्डवेयर एंड आयरन स्टोर - स्ट्रीट लाइट क्रय	21/12/23	21/12/24	67700.00
10.	खालसा हार्डवेयर एंड आयरन स्टोर - स्ट्रीट लाइट क्रय	22/02/06	22/02/07	67700.00
11.	खालसा हार्डवेयर एंड आयरन स्टोर - स्ट्रीट लाइट क्रय	22/02/06	22/02/07	50700.00
12.	खालसा हार्डवेयर एंड आयरन स्टोर - स्ट्रीट लाइट क्रय	22/02/14	22/02/15	50700.00
13.	खालसा हार्डवेयर एंड आयरन स्टोर - स्ट्रीट लाइट क्रय	22/03/26	22/03/27	67600.00
		योग		545150.00

उपरोक्त दर्शित आँकड़े जो ई ग्राम स्वराज साइट से लिए गए हैंके अवलोकन से स्पष्ट है कि भुगतान , करते समय शासना देशों का पालन नहीं किया गया है। और भुगतान के अगले दिन रिफ़ंड होना ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान जो कि भुगतान के लिए सम्मिलित रूप से उत्तरदायी होते हैंकी , असावधानी का द्योतक है। इस पर कोई साक्ष्य अथवा स्पष्टी करण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

दिनांक का 54000.00 को जय माँ संतोषी स्वयं सहायता समूह को रु0 21/07/06 को यह भुगतान रिफ़ंड दर्शित 21/08/17 भुगतान किया गया। पुनः दिनांक है। पूरे वर्ष में पुनः उक्त समूह को भुगतान नहीं किया गया है। यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि सामुदायिक शौचालय का रख रखाव स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा है या नहीं। यहाँ उल्लेखनीय है कि उक्त धनराशि 11 माह 1 दिन बाद रिफंड किया गया है जिस पर ब्याज देय है किन्तु ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। ब्याज की वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से अपेक्षित है। इस गंभीर विनियमितता की

तरफ विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर67 - ग्राम पंचायत -टिकरियाटप्पे बाराडीह विकास खण्ड-सलोन आपत्ति सं0 -03

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 1412000.00 से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख /प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका एवं टेंडर पत्रावली आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 1412000.000 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री आलोक रंजन सिंह तथा प्रधान श्रीमती अनीता उत्तरदायी हैं

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायत- औनानीश विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-01

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत औनानीशके ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष2021-22में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीयएवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका ,चल अचल संपत्ति पंजिका ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार रजिस्टर ,टेंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश,मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 546292.00.00का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 546292.00.00लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद

– 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामपंचयत अधिकारी श्री अतुल शुक्ला तथा ग्रामप्रधान श्री दीपक वर्मा उत्तरदायी है | अत: उक्त धनराशि रू 546292.00की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 273146.00 ग्रामपंचायत अधिकारी श्री अतुल शुक्ला से तथा रू 273146.00 ग्रामप्रधान श्री दीपक वर्मा से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-69 ग्राम पंचायत- औनानीश विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-02

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 647000.00 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 647000.00 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अतुल शुक्ला तथा प्रधान श्री दीपक वर्मा उत्तरदायी हैं |

प्रस्तर-70 ग्राम पंचायत- राजापुरचक बीबी विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-01

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत राजापुर चक बीबी के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष2021-22में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीयएवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका ,चल अचल संपत्ति पंजिका ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार रजिस्टर ,टैंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश,मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु1548751.00का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के

अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 1548751.00लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामपंचयत अधिकारी श्री अतुल शुक्ला तथा ग्रामप्रधान श्री श्याम लाल उत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू 1548751.00.00की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 734375.50 ग्रामपंचायत अधिकारी श्री अतुल शुक्ला से तथा रू 734375.50 ग्रामप्रधान श्री श्याम लालसे अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत- राजापुरचक बीबी विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-02

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 619000.00 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 619000.00 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अतुल शुक्ला तथा प्रधान श्री श्याम लाल उत्तरदायी हैं | जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री श्याम लाल से एवं सचिव श्री अतुल शुक्ला से समानुपातिक रुप से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर 72 ग्राम पंचायत -मीरजहांपुर विकास खण्ड सलोन - आपत्ति सं-001

ई- ग्रामस्वाराज से प्राप्त आँकड़े

क्रम सं	फर्म आहरणकर्ता व्यक्ति का नाम /	दिनांक	धनराशि

0			
1.	सतीशचंद्र आयरन स्टोर हैन्डपम्प मरम्मत-	21/08/05	44693.00
2.	अलंकार फर्नीचर	21/08/05	72100.00
3.	भारत सीमेंट पाइप ब्लूम पाइप क्रय-	21/08/05	98620.00
4.	प्रिया कंप्युटर इन्फोटेक	21/08/05	5500.00
5.	नारायण ट्रेडर्स हैन्डपम्प मरम्मत-	21/08/05	62670.00
6.	प्रधान मानदेय	21/08/17	7000.00
7.	दिव्यांशी महिला स्वयं सहायता समूह	21/08/17	54000.00
8.	सतीशचंद्र आयरन स्टोर हैन्डपम्प मरम्मत-	21/08/21	14000.00
9.	प्रधान मानदेय	21/08/24	35000.00
10.	प्रधान मानदेय	21/08/24	42000.00
11.	शंभू हार्डवेयर हैन्डपम्प मरम्मत-	21/11/19	24370.00
12.	शंभू हार्डवेयर हैन्डपम्प मरम्मत-	21/11/19	23680.00
13.	शंभू हार्डवेयर हैन्डपम्प मरम्मत-	21/11/19	23890.00
14.	नारायण ट्रेडर्स हैन्डपम्प रिबोर-	21/12/09	24900.00
15.	नारायण ट्रेडर्स हैन्डपम्प रिबोर-	21/12/09	25170.00
16.	नारायण ट्रेडर्सहैन्डपम्प रिबोर-	21/12/09	25060.00
17.	मजदूरी	21/12/13	50952.00
18.	मजदूरी	21/12/18	5100.00
19.	बालाजी पावर एंटरप्राइजेज	21/12/19	3000.00
20.	बालाजी पावर एंटरप्राइजेज	22/01/07	3000.00
21.	मजदूरी	22/01/07	1560.00
22.	मजदूरी	22/01/07	1836.00
23.	मजदूरी	22/01/07	1632.00
24.	सम्राट ट्रेडर्स	22/01/07	2901.00
25.	भारत ब्रिक फील्ड	22/01/07	2313.00
26.	भारत सीमेंट पाइप	22/01/07	29758.00
27.	मजदूरी	22/01/07	1632.00
28.	मजदूरी	22/01/07	2730.00
29.	भारत ब्रिक फील्ड	22/01/07	4002.00
30.	सम्राट ट्रेडर्स	22/01/07	5231.00
31.	मजदूरी	22/01/07	1836.00
32.	भारत सीमेंट पाइप	22/01/07	44638.00
33.	मजदूरी	22/01/07	1836.00
34.	मजदूरी	22/01/07	2244.00
35.	भारत सीमेंट पाइप	22/01/07	43150.00
36.	सम्राट ट्रेडर्स	22/01/07	7555.00
37.	मजदूरी	22/01/07	2040.00
38.	मजदूरी	22/01/07	3120.00
39.	मजदूरी	22/01/07	2040.00

40.	भारत ब्रिक फील्ड	22/01/07	5834.00
41.	पंचायत सहायक मानदेय	22/01/21	6000.00
42.	बालाजी पावर एंटरप्राइजेज दरी क्रय -	22/01/25	3000.00
43.	आनलाइन जनसेवा केंद्र	22/01/25	4925.00
44.	भारत टाइल्स इंटरलॉकिंग ईंट-	22/01/25	244684.00
45.	सम्राट ट्रेडर्स	22/01/25	24991.00
46.	भारत ब्रिक फील्ड	22/01/25	38781.00
47.	भारत टाइल्स इंटरलॉकिंग ईंट-	22/01/25	135511.00
48.	मजदूरी	22/01/25	2244.00
49.	मजदूरी	22/01/25	4800.00
50.	मजदूरी	22/01/25	2244.00
51.	मजदूरी	22/01/25	2244.00
52.	मजदूरी	22/01/25	2244.00
53.	मजदूरी	22/01/25	2244.00
54.	मजदूरी	22/01/25	5200.00
55.	मजदूरी	22/01/25	2244.00
56.	मजदूरी	22/01/25	2244.00
57.	मजदूरी	22/01/25	2448.00
58.	मजदूरी	22/01/25	2652.00
59.	नारायण ट्रेडर्स	22/03/16	94230.00
60.	नारायण ट्रेडर्स पंचायत भवन कंप्युटर आदि-	22/03/23	79200.00
61.	नोडल अकाउंट	22/03/30	6409.00
62.	गुरुनानक साइकिल स्टोर	22/03/30	17000.00
63.	मजदूरी	22/03/30	2448.00
		योग-	1732843.00

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत मीरजहाँपुर के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष2021-22में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीयएवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका ,चल अचल संपत्ति पंजिका ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार रजिस्टर ,टैंडर / कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां ,क्रयादेश,मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया

गया था| इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 1732843.00 का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 1732843.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामपंचयत अधिकारी श्री अतुल शुक्ला तथा ग्रामप्रधान श्रीमती नाजनीन बीबीउत्तरदायी है | अत: उक्त धनराशि रू. 1732843.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू. 866421.50 ग्रामपंचायत अधिकारी श्री अतुल शुक्ला से तथा रू. 866421.50 ग्रामप्रधान श्रीमती नाजनीन बीबी से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर- 73 ग्राम पंचायत -मीरजहांपुर विकास खण्ड सलोन - आपत्ति सं-002

ई- ग्रामस्वाराज से रिफन्डेड आकड़े

क्रम सं0	फर्म आहरणकर्ता व्यक्ति का नाम /	भुगतान दिनांक	रिफंडेड दिनांक	धनराशि
14.	प्रिया इन्फोटेक	21/08/07	21/08/17	54000.00
15.	भारत सीमेंट पाइप ब्लूम पाइप क्रय-	21/08/05	21/08/06	99467.00
16.	प्रधान मानदेय	21/08/24	21/08/25	42000.00
17.	प्रधान मानदेय	21/08/24	21/08/25	42000.00
18.	प्रधान मानदेय	21/09/03	21/12/10	42000.00
19.	प्रधान मानदेय	21/09/03	21/12/10	42000.00
20.	स्टोन ग्रिट साई नाथ एंटरप्राइजेज	21/09/03	21/12/10	3600.00
21.	नारायण ट्रेडर्स	21/12/09	21/12/10	25260.00
22.	मजदूरी	22/01/25	22/01/26	2448.00
23.	नारायण ट्रेडर्स	22/03/16	22/03/19	94230.00
24.	नारायण ट्रेडर्स	22/03/16	22/03/19	79200.00
			योग-	526205.00

उपरोक्त दर्शित आँकड़े जो ई ग्राम स्वराज साइट से लिए गए हैंके अवलोकन से स्पष्ट है कि भुगतान , करते समय शासनदेशों का पालन नहीं किया गया है। और भुगतान के अगले दिन रिफ़ंड होना ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान जो कि भुगतान के लिए सम्मिलित रूप से उत्तरदायी होतेहैं की असावधानी का द्योतक है। इस पर कोई साक्ष्य अथवा स्पष्टी करण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

ब्याज की वसूली ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से अपेक्षित है। इस गंभीर विनियमितता की तरफ विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत- मीरजहांपुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-03

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक , डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 1269000.00 से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख /प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका एवं टेंडर पत्रावली आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 1269000.000 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अतुल शुक्ला तथा प्रधान श्रीमती नाजनीन बीबी उत्तरदायी हैं |

प्रस्तर 75- ग्राम पंचायत -बाराडीह विकास खण्ड-सलोन आपत्ति सं0 -01

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक , डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 7.06 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 7.06 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री विशाल यादव तथा प्रधान श्री आलोक सिंह उत्तरदायी हैं | जिनसे समान मात्रा में वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 76- ग्राम पंचायत -पीरानगर विकास खण्ड सलोन - आपत्ति सं-001

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत पीरानगर के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष2021-22में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीयएवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन

चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका ,चल अचल संपत्ति पंजिका ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार रजिस्टर ,टेंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश,मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु513513.00का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 513513.00लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामपंचयत अधिकारी श्री अतुल शुक्ला तथा ग्रामप्रधान श्री लाल बाबू उत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू 513513.00की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 256756.50 ग्रामपंचायत अधिकारी श्री अतुल शुक्ला से तथा रू 256756.50ग्रामप्रधान श्री लाल बाबू से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत- पीरानगर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-02

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक , डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 834000.00 से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 834000.00 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अतुल शुक्ला तथा प्रधान श्री लाल बाबू उत्तरदायी हैं || जिनसे समान मात्रा में वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर 78- ग्राम पंचायत -पाल्हीपुर विकास खण्ड सलोन - आपत्ति सं-001

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में, कैशबुकके अनुसारनिम्नानुसार व्यय दर्शायागया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
24.	नारायण ट्रेडर्स	07/01/22	27000.00
25.	के 0 जी 0 एन 0 मशीनरी स्टोर	26/08/21	49619.00
26.	के 0 जी 0 एन 0 मशीनरी स्टोर	09/09/21	9551.00
27.	नारायण ट्रेडर्स	18/11/21	35000.00
	योग-		161170.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

उक्त व्यय के संबंध में उल्लेखनीय है कि हैन्डपम्प मरम्मत जैसा कार्य बिना कुशल श्रमिक के नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त दर्शित धनराशि में मजदूरी का भुगतान कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं किया गया है।

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 161170.00 में से ग्राम प्रधान श्री दीपक कुमार से रु. 80585.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव से रु. 80585.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत- पाल्हीपुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-02

उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	सिंह स्पन पाइप उद्योग	30/08/21	81762.00
	योग-		81762.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम

पाईप व्यय कितना है। ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरूपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उक्त व्यय के संबंध में उल्लेखनीय है कि ह्यूम पाइप स्थापना श्रमिक के बिना नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त दर्शित धनराशि में मजदूरी का भुगतान कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157 (ख) में निर्धारित अधिकारी/ विशेषज्ञ द्वारा माप किए जाने के उपरांत ही भुगतान की व्यवस्था की गई है। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका प्रस्तुत न होने के कारण यह स्पष्ट है कि बिना कार्य की माप किए काल्पनिक आधार पर कार्य किया गया है। जो पंचायत राज नियमावली के नियम 157(ख) का उल्लंघन है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाण पत्र का विवरण- इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोपरांत समाधान कर लिया जाए कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओं/प्राक्कलन/मानचित्र के अनुसार किया गया है। इस नियम का उल्लंघन करते हुए रूप पत्र सं 0 41 के मानक पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्य के प्रारंभ,मध्य स्तर और समापन की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य के आरंभ करने के पूर्व योजना मानचित्र (डी पी आर), एवं अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे -प्रधान तथा ग्राम-सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की -प्रधान तथा ग्राम-जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा कोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी /डिलीवरी चालान / भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 81762.00 में से ग्राम प्रधान श्री दीपक कुमार से रु. 40881.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज कुमार से रु. 40881.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-80 ग्राम पंचायत- पाल्हीपुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-03

उक्त ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	भारत ब्रिक फील्ड	7/1/22	43483.00
2.	भारत एंटरप्राइजेज	7/1/22	168576.00
3.	मजदूरी	7/1/22	25344.00
	योग-		237403.00

इंटरलॉकिंग निर्माण हेतु कथित व्यय जैसा कि ऊपर दर्शित है,उसमे रु 0 एक लाख से अधिक धनराशि पर टेन्डर आदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तथा धरोहर धनराशि एवं जमानत धनराशि से संबंधित विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

वित्त लेखा अनुभाग- 1 के शासनादेश सं -ए-1-864/दस -08- 15(1) / 86, दिनांक 23/09/2008 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, सामग्री क्रय नियमों के अंतर्गत कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय करने की सीमा में वृद्धि करते हुए रु 0 20,000/-(रुपये बीस हजार मात्र) तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किए क्रय की जा सकती है। और निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से संबंधित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु 0 1,00,000/-(रुपये एक लाख मात्र) से अधिक-मूल्य की सामग्री के लिए टेंडर आमंत्रित करने की व्यवस्था है। उपरोक्त व्यय में उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 237403.00 में से ग्राम प्रधान श्रीदीपक कुमार से रु. 118701.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज कुमार से रु. 118701.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत- पाल्हीपुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-04

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
35.	खालसा हार्डवेयर	26/08/21	62650.00
36.	खालसा हार्डवेयर	25/11/21	12200.00
37.	साईनाथ एंटरप्राइजेज	25/11/21	10780.00
	योग-		85630.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं

खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 85630.00 में से ग्राम प्रधान श्री दीपक कुमार से 42815.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज कुमार से 42815.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-82 ग्राम पंचायत- पाल्हीपुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-05

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 1211000.00 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 1211000.00 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री पंकज कुमार तथा प्रधान श्री दीपक कुमार उत्तरदायी हैं । जिनसे समान मात्रा में वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत- भवानीपुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-01

ई-ग्रामस्वाराज से प्राप्त आँकड़े

क्रम सं0	फर्म आहरणकर्ता व्यक्ति का नाम /	दिनांक	धनराशि
28.	माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह	21/07/04	27000.00
29.	पन्ना लाल	21/07/26	6231.00
30.	पन्ना लाल	21/07/26	18564.00
31.	सिंह मशीनरी स्टोरहैन्डपम्प मरम्मत - सामग्री	21/08/09	53120.00
32.	मजदूरी	21/10/13	5600.00

33.	मजदूरी	21/10/13	2856.00
34.	मजदूरी	21/10/13	2856.00
35.	मजदूरी	21/10/13	2856.00
36.	चंद्रा ब्रिक फील्ड	21/10/13	53904.00
37.	आर एंटरप्राइजेज .सी .	21/10/13	80570.00
38.	राम ट्रेडर्स	21/10/13	5827.00
39.	चंद्रा ब्रिक फील्ड	21/10/13	30085.00
40.	सिंह स्पन पाइप उद्योग ह्यूम पाइप क्रय-	21/10/14	110872.00
41.	मजदूरी	21/10/14	5600.00
42.	मजदूरी	21/10/14	2856.00
43.	मजदूरी	21/10/14	1836.00
44.	मजदूरी	21/10/14	1836.00
45.	मजदूरी	21/10/14	2856.00
46.	मजदूरी	21/10/14	1020.00
47.	मजदूरी	21/10/14	612.00
48.	मजदूरी	21/10/14	612.00
49.	मजदूरी राजगीर और लेबर	21/10/14	27984.00
50.	मजदूरी	21/10/14	6936.00
51.	सिंह स्पन पाइप उद्योग ह्यूम पाइप क्रय-	21/10/14	65253.00
52.	सिंह मशीनरी स्टोरहैन्डपम्प मरम्मत - सामग्री	21/10/31	19069.00
53.	सिंह मशीनरी स्टोरहैन्डपम्प मरम्मत - सामग्री	21/10/31	19196.00
54.	गो पालक मजदूरी	21/11/09	6000.00
55.	गो पालक मजदूरी	21/11/09	12000.00
56.	गो पालक मजदूरी	21/11/09	12000.00
57.	श्याम रोप स्टोर	21/11/29	17936.00
58.	सिंह मशीनरी स्टोरहैन्डपम्प मरम्मत - सामग्री	21/11/29	19000.00
59.	अमृतलाल	21/11/29	3000.00
60.	सिंह मशीनरी स्टोरहैन्डपम्प मरम्मत - सामग्री	21/11/29	18617.00
61.	अमृतलाल	21/11/29	3000.00
62.	सिंह मशीनरी स्टोरहैन्डपम्प मरम्मत - सामग्री	21/11/29	18972.00
63.	अमृतलाल	21/11/29	3000.00
64.	चंद्रा ब्रिक फील्ड इंटरलॉकिंग-	21/12/02	52825.00
65.	नाली निर्माण राज ट्रेडर्स-	21/12/09	19588.00
66.	हिमांशु ह्यूम पाइप	21/12/09	83324.00
67.	नाली निर्माण मजदूरी	21/12/09	19722.00

68.	चंद्रा ब्रिक फील्ड	21/12/09	15232.00
69.	गौ पालक मानदेय	22/01/07	12000.00
70.	गौ पालक मानदेय	22/01/07	12000.00
71.	दरी क्रय बालाजी पावर एंटरप्राइजेज-	22/01/07	3000.00
72.	पंचायत सहायक मानदेय	22/1/21	6000.00
73.	स्वच्छता सामग्री साई नाथ एंटरप्राइजेज	22/01/25	16380.00
74.	स्टेशनरी क्रय	22/01/25	4780.00
75.	गो पालक मानदेय	22/03/07	6000.00
76.	गो पालक मानदेय	22/03/07	6000.00
77.	प्रधान मानदेय रीता गुप्ता-	22/03/07	34500.00
78.	वायर फेन्सिंग राज ट्रेडर्स-	22/03/07	61560.00
79.	वायर फेन्सिंग मजदूरी	22/03/07	31412.00
80.	सिंह मशीनरी स्टोरहैन्डपम्प मरम्मत - सामग्री	22/03/07	38604.00
81.	इनवर्टर -सी सी टी वी, कंप्युटर, बालाजी पावर एंटरप्राइजेज	22/03/12	117750.00
82.	बालाजी पावर एंटरप्राइजेज	22/03/12	52100.00
83.	पंचायत सहायक मानदेय	22/03/14	12000.00
84.	सिंह मशीनरी स्टोरहैन्डपम्प मरम्मत - सामग्री	22/03/14	77380.00
85.	गुरु नानक साइकिल स्टोर ठेलिया क्रय-	22/03/23	17000.00
86.	सिंह मशीनरी स्टोरहैन्डपम्प मरम्मत - सामग्री	22/03/26	24685.00
87.	नोडल अकाउंट	22/03/26	5916.00
88.	सिंह मशीनरी स्टोरहैन्डपम्प मरम्मत - सामग्री	22/03/30	24890.00
	योग-		1516273.00

जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, एवं संबंधित सचिवसे बार बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बाद भी लेखा परीक्षा के लिए सुसंगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। परिणामस्वरूप ई ग्राम स्वराज साइट पर दर्शित आंकड़ों की अनलाइन समीक्षा की गई है। पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत भवानीपुर के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष2021-22में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीयएवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका ,चल अचल संपत्ति पंजिका ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र

,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार रजिस्टर ,टेंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश,मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु. 1516273.00का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 1516273.00 लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामपंचयत अधिकारी श्री अतुल शुक्ला तथा ग्रामप्रधान श्रीमती रीताउत्तरदायी है | अत: उक्त धनराशि रू. 1516273.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू. 758136.50 ग्रामपंचायत अधिकारी श्री अतुल शुक्ला से तथा रू. 758136.50ग्रामप्रधान श्रीमती रीता से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत- भवानीपुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-02

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 627000.00 से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 627000.00 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अतुल शुक्ला तथा प्रधान श्रीमती रीता उत्तरदायी हैं |

प्रस्तर- 85 ग्राम पंचायत -केशवापुर विकास खण्ड-सलोन आपत्ति सं0 -01

उक्त ग्राम पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालय में कराए गये कायाकल्प निर्माण कार्यों पर, प्रिया साफ्ट केअनुसार निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि

1.	शिवम ट्रेडर्स- मोरंग, सीमेंट	08/12/21	51155.00
2.	नारायण ट्रेडर्स-टाइल्स	29/12/21	20315.00
3.	नारायण ट्रेडर्स-टाइल्स	10/01/22	12693.00
4.	शिवम ट्रेडर्स	10/01/22	66012.00
5.	यादव ब्रिक फील्ड	10/01/22	12620.00
6.	मजदूरी	08/12/21	42030.00
7.	मजदूरी	10/01/22	14220.00
	योग-		219045.00

विद्यालय में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि विद्यालय में कराए गये निर्माण/मरम्मत कार्य के कराए जाने की मांग एवं पुष्टि विद्यालय द्वारा की गयी थी अथवा नहीं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु.219045.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती शिवलाल से रु.109522.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती अतुल शुक्ला से रु. 109522.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-86 ग्राम पंचायत- केशवापुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-02

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शायागया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	सिंह मशीनरी स्टोर-रिबोर सामग्री	26/07/21	75485.00
2.	सिंह मशीनरी स्टोर-मरम्मत सामग्री	26/07/21	60000.00
	योग-		135485.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत -प्रधान तथा ग्राम-सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वेसम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में

अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की जायेगी।-प्रधान तथा ग्राम-" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/डिलीवरी चालान/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 135485.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती शिवलाल से रु. 67742.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती नागेश कुमार से रु. 67742.50 वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-87 ग्राम पंचायत- केशवापुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-03

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शायागया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	सिंह मशीनरी स्टोर	15/11/21	19493.00
2.	सिंह मशीनरी स्टोर	15/11/21	19050.00
3.	सिंह मशीनरी स्टोर	11/02/22	24384.00
4.	सिंह मशीनरी स्टोर-रिबोर	17/02/22	26445.00
5.	सिंह मशीनरी स्टोर	28/03/22	24870.00
6.	सिंह मशीनरी स्टोर -रिबोर	29/03/22	33590.00
	योग-		147832.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 147832.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती शिवलाल से रु. 73916.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती अतुल शुक्ला से रु. 73916.50 की वसूली

किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-88 ग्राम पंचायत- केशवापुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-04

उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	सिंह स्पन पाइप उद्योग	10/12/21	69908.00
	योग-		69908.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है। ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया। जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरूपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 69908.00 में से ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती शिवलाल से रु. 34954.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री/श्रीमती अतुल शुक्ला से रु. 34954.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-89 ग्राम पंचायत- केशवापुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-05

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, प्रिया साफ्ट पर निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि

38.	खालसा हार्डवेयर	20/07/21	12200.00
39.	खालसा हार्डवेयर	20/07/21	32867.00
40.	सिंह मशीनरी स्टोर	26/07/21	18500.00
41.	सिंह मशीनरी स्टोर	26/07/21	2750.00
42.	खालसा इलेक्ट्रिक एण्ड फर्नीचर	26/07/21	5500.00
	योग-		71817.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत-प्रधान तथा ग्राम- सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/डिलीवरी चालान /, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु 71817.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती शिवलाल से रु 35908.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अतुल शुक्ला से रु 35908.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है। जिनसे समान मात्रा में वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-90 ग्राम पंचायत- केशवापुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-06

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक , डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक **269**/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/**09-09** दिनांक **15** जनवरी **2009** की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु **1111000.00** लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय **8** के अनुच्छेद **7** व **8** (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु **1111000.00** उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अतुल शुक्ला तथा प्रधान श्री शिवलाल उत्तरदायी हैं जिनसे समान मात्रा में वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-91 ग्राम पंचायत- लालापुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-

01

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम पंचायत लालापुर के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष2021-22में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीयएवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका ,चल अचल संपत्ति पंजिका ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार रजिस्टर ,टेंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश,मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 808112.00का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त्त दर्शित धनराशि रू 808112.00लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामपंचयत अधिकारी श्री पंकज कुमार तथा ग्रामप्रधान श्री अजय कुमार उत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू 808112.00की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 404056.00 ग्रामपंचायत अधिकारी श्री पंकज कुमार से तथा रू 404056.00ग्रामप्रधान श्री अजय कुमारसे अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-92 ग्राम पंचायत- लालापुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-02

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक , डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 517000.00 से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका

, परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 517000.00 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री पंकज कुमार तथा प्रधान श्री अजय कुमार उत्तरदायी हैं | जिनसे समान मात्रा में वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-93 ग्राम पंचायत- ममुनी विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-01

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में, कैशबुकके अनुसारनिम्नानुसार व्यय दर्शायागया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	के0 जी0 एन0 मशीनरी स्टोर	30/09/21	47792.00
2.	के0 जी0 एन0 मशीनरी स्टोर	30/09/21	49551.00
3.	के0 जी0 एन0 मशीनरी स्टोर	30/09/21	48213.00
4.	के0 जी0 एन0 मशीनरी स्टोर	30/09/21	20214.00
5.	के0 जी0 एन0 मशीनरी स्टोर	30/09/21	41755.00
	योग-		207525.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे -प्रधान तथा ग्राम- सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल कोव्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामप्र-धान तथा ग्रामपंचायत सचिव से की -जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी भुगतान /डिलीवरी चालान/ मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु 207525.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से रु 103762.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज कुमार से रु 103762.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-94 ग्राम पंचायत- ममुनी विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-02

उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	सिंह स्पन पाइप	30/09/21	53533.00
2.	सिंह स्पन पाइप	30/09/21	52203.00
	योग-		105736.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है। ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157 (ख) में निर्धारित अधिकारी/ विशेषज्ञ द्वारा माप किए जाने के उपरांत ही भुगतान की व्यवस्था की गई है। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका प्रस्तुत न होने के कारण यह स्पष्ट है कि बिना कार्य की माप किए काल्पनिक आधार पर कार्य किया गया है। जो पंचायत राज नियमावली के नियम 157(ख) का उल्लंघन है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाण पत्र का विवरण- इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोपरांत समाधान कर लिया जाए कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओं/प्राक्कलन/मानचित्र के अनुसार किया गया है। इस नियम का उल्लंघन करते हुए रूप पत्र सं 0 41 के मानक पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्य के प्रारंभ,मध्य स्तर और समापन की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य के आरंभ करने के पूर्व योजना मानचित्र (डीपीआर), एवं अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।

वित्त लेखा अनुभाग- 1 के शासनादेश सं -ए-1-864/दस -08- 15(1) / 86, दिनांक 23/09/2008 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, सामग्री क्रय नियमों के अंतर्गत कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय करने की की सीमा में वृद्धि करते हुए रु 0 20,000/-(रुपये बीस हजार मात्र) तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किए क्रय की जा सकती है। और निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से संबंधित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु 0 1,00,000/-(रुपये एक लाख मात्र) से अधिक-मूल्य की सामग्री के लिए टेंडर आमंत्रित करने की व्यवस्था है। किन्तु ग्राम पंचायत ने इन महत्त्वपूर्ण विधिक बिंदुओं की अनदेखी कर मनमाने पूर्ण ढंग से कार्य किया है।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरूपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा-प्रधान तथा ग्राम- कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की -प्रधान तथा ग्राम- जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा कोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी /डिलीवरी चालान / भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।

अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 105736.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से रु.

52868.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज कुमार से रु. 52868.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-95 ग्राम पंचायत- ममुनी विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-03

उक्त ग्राम पंचायत में स्थित पंचायत भवन कायाकल्प मद में कराए गये निर्माण कार्यों पर,कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	के0 जी0 एन0 मशीनरी स्टोर	30/10/21	36977.00
2.	के0 जी0 एन0 मशीनरी स्टोर	30/10/21	38500.00
3.	सुमन ब्रिक फील्ड	30/10/21	10599.00
4.	के0 जी0 एन0 मशीनरी स्टोर	01/11/21	25771.00
5.	के0 जी0 एन0 मशीनरी स्टोर	01/11/21	55615.00
6.	के0 जी0 एन0 मशीनरी स्टोर	01/11/21	20000.00
7.	के0 जी0 एन0 मशीनरी स्टोर	01/11/21	34934.00
8.	के0 जी0 एन0 मशीनरी स्टोर	01/11/21	39346.00
9.	मजदूरी	01/11/21	40022.00
10	के0 जी0 एन0 मशीनरी स्टोर	04/11/21	44600.00
	योग-		346364.00

पंचायत भवन कायाकल्प में कराए गये निर्माण कार्यों पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 346364.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से रु. 173182.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज कुमार से रु. 173182.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-96 ग्राम पंचायत- ममुनी विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-04

उक्त ग्राम पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालय कायाकल्प मद में कराए गये निर्माण कार्यों पर,कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	राज ट्रेडर्स	01/11/21	89251.00
2.	त्रिवेदी ट्रेडर्स	01/11/21	95809.00
3.	मजदूरी	01/11/21	36484.00
4.	के0 जी0 एन0 मशीनरी स्टोर	04/11/21	15166.00
5.	त्रिवेदी ट्रेडर्स	10/11/21	84055.00
6.	मजदूरी	04/11/21	17384.00
7.	मजदूरी	10/11/21	63036.00
	योग-		401185.00

प्राथमिक विद्यालय कायाकल्प में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है।

एक अन्य विचारणीय बिन्दु यह भी है कि उक्त समस्त सामग्री की खरीद के पश्चात मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में न करके प्रधान के खाते में किया गया हैं। जोकि कूटरचित तरीके से धन का अपहरण करने के लिए किया गया है। मजदूरों के मस्टर रोल से संबंधित विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 401185.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से रु. 200592.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज कुमार से रु. 200592.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-97 ग्राम पंचायत- ममुनी विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-05

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
43.	खालसा हार्डवेयर-सफाई कर्मी किट	30/09/21	27700.00
	योग-		27700.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे -प्रधान तथा ग्राम-सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी

गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की -प्रधान तथा ग्राम-जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी /डिलीवरी चालान / भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु 27700.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता से रु 13850.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज कुमार से रु 13850.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-98 ग्राम पंचायत- ममुनी विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-06

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक , डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु0 1772000.00 से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु0 1772000.00 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री पंकज कुमार तथा प्रधान श्रीमती अनीता उत्तरदायी हैं |

प्रस्तर-99 ग्राम पंचायत- रायपुर महेवा विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-01

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में, कैशबुकके अनुसारनिम्नानुसार व्यय दर्शायागया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
28.	नारायण ट्रेडर्स	09/08/21	24865.00
29.	नारायण ट्रेडर्स	09/08/21	24889.00
30.	खालसा हार्डवेयर एंड आयरन स्टोर	29/10/21	55242.00

31.	नारायण ट्रेडर्स	01/11/21	60260.00
32.	सूरज एजेन्सीस	04/11/21	52120.00
	योग-		217376.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

उक्त व्यय के संबंध में उल्लेखनीय है कि हैन्डपम्प मरम्मत जैसा कार्य बिना कुशल श्रमिक के नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त दर्शित धनराशि में मजदूरी का भुगतान कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं किया गया है।

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत -प्रधान तथा ग्राम-सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से-प्रधान तथा ग्राम- की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/डिलीवरी चालान/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु 217376.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती मनसा देवी से रु 108688.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक रंजन सिंह से रु 108688.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-100 ग्राम पंचायत- रायपुर महेवा विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-02

उक्त ग्राम पंचायत में ह्यूम पाईप मद में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	सिंह स्पन पाइप उद्योग	30/07/21	79634.00
2.	सिंह स्पन पाइप उद्योग	28/09/21	53533.00
3.	सिंह स्पन पाइप उद्योग	28/09/21	52203.00
	योग-		185370.00

ह्यूम पाईप मद में एक मुश्त बड़ी धनराशि का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है। क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि- कितनी ह्यूम पाईप का कार्य कराया गया, एवं प्रति ह्यूम पाईप व्यय कितना है। ह्यूम पाईप स्थापना के स्थान की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जो कि नहीं किया गया।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्थापना हेतु क्रय दर्शित है, जो नियमों के विपरीत है क्योंकि ग्राम पंचायत में प्रस्तावित कार्ययोजना में दर्शित कार्यों के इतर किसी भी प्रकार से ह्यूम पाइप का क्रय किया जाना धनराशि का दुरूपयोग किया जाना है। उक्त क्रय ह्यूम पाइप की स्थापना पर मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। उक्त व्यय के संबंध में उल्लेखनीय है कि ह्यूम पाइप स्थापना श्रमिक के बिना नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त दर्शित धनराशि में मजदूरी का भुगतान कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं किया गया है। उपरोक्त क्रय प्रमाणक विहीन एवं विवरणविहीन हैं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 157 (ख) में निर्धारित अधिकारी/ विशेषज्ञ द्वारा माप किए जाने के

उपरांत ही भुगतान की व्यवस्था की गई है। किन्तु उक्त कार्य की माप पुस्तिका प्रस्तुत न होने के कारण यह स्पष्ट है कि बिना कार्य की माप किए काल्पनिक आधार पर कार्य किया गया है। जो पंचायत राज नियमावली के नियम 157(ख) का उल्लंघन है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 के अनुसार कार्यों के लिए अंतिम भुगतान किए जाने के पूर्व समापन प्रमाण पत्र का विवरण- इस हेतु से कि कार्य का परीक्षणोपरांत समाधान कर लिया जाए कि निष्पादन स्वीकृत किए गए योजनाओं/प्राक्कलन/मानचित्र के अनुसार किया गया है। इस नियम का उल्लंघन करते हुए रूप पत्र सं 0 41 के मानक पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्य के प्रारंभ,मध्य स्तर और समापन की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं हो सकी।
उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य के आरंभ करने के पूर्व योजना मानचित्र (डीपीआर), एवं अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे-प्रधान तथा ग्राम-सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की -प्रधान तथा ग्राम-जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा कोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी /डिलीवरी चालान / भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है।
अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 185370.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती मनसा देवी से रु. 92685.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक रंजन सिंह से रु. 92685.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-101 ग्राम पंचायत- रायपुर महेवा विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-03

उक्त ग्राम पंचायत में नाली निर्माण में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	जय माता दी ब्रिक फील्ड	03/02/22	31062.00
	योग-		31062.00

वित्त लेखा अनुभाग- 1 के शासनादेश सं -ए-1-864/दस -08- 15(1) / 86, दिनांक 23/09/2008 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, सामग्री क्रय नियमों के अंतर्गत कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय करने की सीमा में वृद्धि करते हुए रु 0 20,000/-(रुपये बीस हजार मात्र) तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किए क्रय की जा सकती है। और निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से संबंधित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु 0 1,00,000/-(रुपये एक लाख मात्र) से अधिक-मूल्य की सामग्री के लिए टेंडर आमंत्रित करने की व्यवस्था है। उपरोक्त व्यय में उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 31062.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती मनसा देवी से रु. 15531.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक रंजन सिंह से रु. 15531.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-102 ग्राम पंचायत- रायपुर महेवा विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-04

उक्त ग्राम पंचायत में स्थित पंचायत भवन में कराए गये निर्माण कार्यों पर,कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	नारायण ट्रेडर्स	29/10/21	19474.00
2.	सिंह मशीनरी स्टोर	29/10/21	52284.00
3.	आदर्श मिनरल स्टोर	30/10/21	30065.00
4.	आदर्श मिनरल स्टोर	04/11/21	5698.00
5.	मजदूरी भुगतान	25/01/22	3060.00
6.	नारायण ट्रेडर्स	07/02/22	29100.00
7.	नारायण ट्रेडर्स	07/02/22	19450.00
8.	जय माता दी ब्रिक फील्ड	07/02/22	27167.00
	योग-		186298.00

पंचायत भवन/ शौचालय निर्माण हेतु कथित व्यय जैसा कि ऊपर दर्शित है,उसमे रु 0 एक लाख से अधिक धनराशि पर टेन्डर आदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तथा धरोहर धनराशि एवं जमानत धनराशि से संबंधित विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

वित्त लेखा अनुभाग- 1 के शासनादेश सं -ए-1-864/दस -08- 15(1) / 86, दिनांक 23/09/2008 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, सामग्री क्रय नियमों के अंतर्गत कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय करने की सीमा में वृद्धि करते हुए रु 0 20,000/-(रुपये बीस हजार मात्र) तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किए क्रय की जा सकती है। और निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से संबंधित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु 0 1,00,000/-(रुपये एक लाख मात्र) से

अधिक-मूल्य की सामग्री के लिए टेंडर आमंत्रित करने की व्यवस्था है। उपरोक्त व्यय में उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 186298.00 में से प्रधान श्रीमती मनसा देवी से रु. 93149.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक रंजन सिंह से रु. 93149.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-103 ग्राम पंचायत- रायपुर महेवा विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-05

उक्त ग्राम पंचायत में स्थित स्ट्रीट लाइट क्रय मद में कैशबुक केअनुसार निम्नांकित व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	सूरज एजेन्सीस	14/02/22	33800.00
2.	सूरज एजेन्सीस	14/02/22	33800.00
3.	खालसा हार्डवेयर एण्ड आयरन स्टोर	17/03/22	42500.00
4.	सूरज एजेन्सीस	24/03/22	42500.00
5.	सूरज एजेन्सीस	26/03/22	50700.00
6.	सूरज एजेन्सीस	30/03/22	20280.00
7.	सूरज एजेन्सीस	30/03/22	49000.00
	योग-		272580.00

उक्त ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाने के संबंध में निर्गत शासनादेश में उल्लिखित ब्रांड्स की लाइट के स्थान पर डुप्लीकेट/ मानक के विरुद्ध स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही है. जो शासनादेश में उल्लिखित नियमो के विरुद्ध है।

1. एक लाख से ऊपर की सोलरएल.ई.डी.लाइट बिना टेंडर के ही क्रय की जा रही है।

2. स्ट्रीट में बिजली विभाग से अनुमति नही ली जा रही है कि उनके खंभो पर लगवाना है। इससे पता चलेगा कि ग्राम विद्युत से संतृप्त है या नही।

3. स्ट्रीट में बिल के भुगतान कौन करेगा, बिजली विभाग से कॉन्ट्रैक्ट या अनुमति है अथवा नहीं।

4. ग्राम पंचायत में विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया है। बिना विद्युत कनेक्शन के बिजली के पोल पर स्ट्रीट लाइट का लगाना विद्युत चोरी का विषय है और राजकीय धन को नुकसान पहुंचना है।

5. यह भी स्पष्ट नहीं है की ग्राम पंचायत ने सुबह-शाम किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है जो स्ट्रीट लाइट को ऑन/ऑफ करे।

शासनादेश 1066/33-3-2021-38 / 2021 दिनांक-02.07.2021के अनुसार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों में एल.ई.डी. लाईट लगाए जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। शासनादेश में एल.ई.डी. लाईट स्पेसीफिकेशन भी दिया गया है। जिसमें बजाज, सिस्का, क्राम्पटन, ओरियण्ट विप्रो. फिलिप्स एवं हैवेल्स को अनुमोदित किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पैनासोनिक, सूर्या, हैलोनिक्स एवं एवरेडी नेक लाइटों को भी इस हेतु अनुमन्य किया जाता है। इस संबंध में भी कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।"उपरोक्त विवरण के आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 272580.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती मनसा देवी से रु. 136290.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक रंजन सिंह से 136290.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-104 ग्राम पंचायत- रायपुर महेवा विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-06

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
44.	साईनाथ एंटरप्राइजेज- स्टोन बोर्ड	28/07/21	3600.00
45.	साईनाथ एंटरप्राइजेज-कोविड 19 सामग्री	28/07/21	10080.00
46.	खालसा हार्डवेयर एंड आयरन स्टोर-फर्नीचर	30/07/21	54100.00
47.	खालसा हार्डवेयर एंड आयरन स्टोर- सफाई किट	09/08/21	12200.00
48.	जय माँ वैष्णो सहायता समूह	09/08/21	54000.00
49.	ज्योति महिला सहायता समूह	29/10/21	54000.00
50.	पंचायत भवन कंप्युटर	28/03/22	59500.00
51.	गुरु नानक साइकिल स्टोर- रिक्शा क्रय	28/03/22	18000.00
	योग-		265480.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी

गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 265480.00 में से ग्राम प्रधान श्रीमती मनसा देवी से 132740.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक रंजन सिंह से 132740.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-105 ग्राम पंचायत- रायपुर महेवा विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-07

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक **269/**सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक **15** जनवरी **2009** की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु **1323000.00** लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु **1323000.00** उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री आलोक रंजन सिंह तथा प्रधान श्रीमती मनसा देवी उत्तरदायी हैं | जिनसे समान मात्रा में वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-106 ग्राम पंचायत- प्यारेपुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-01

उक्त ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में, कैशबुकके अनुसारनिम्नानुसार व्यय दर्शायागया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
33.	कुलदीप मशीनरी स्टोर	02/11/21	20877.00
34.	कुलदीप मशीनरी स्टोर	02/11/21	22361.00
35.	कुलदीप मशीनरी स्टोर	02/11/21	20569.00
36.	कुलदीप मशीनरी स्टोर	02/11/21	21217.00
	योग-		85024.00

ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है तथा नियमों की अनदेखी कर व्यय किया गया है।

उक्त व्यय के संबंध में उल्लेखनीय है कि हैन्डपम्प मरम्मत जैसा कार्य बिना कुशल श्रमिक के नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त दर्शित धनराशि में मजदूरी का भुगतान कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं किया गया है।

वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्रामपंचायत -प्रधान तथा ग्राम-सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत सचिव से की जायेगी।-प्रधान तथा ग्राम-" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदाकोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/डिलीवरी चालान/, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु 85024.00 में से ग्राम प्रधान श्री रमाकांत से रु 42512.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनीश कुमार सिंह से रु 42512.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-107 ग्राम पंचायत- प्यारेपुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-02

उक्त ग्राम पंचायत मेंखड़ंजा निर्माण में, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया हैः-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
5.	यश ब्रिक फील्ड	17/12/21	151158.00
6.	यश ब्रिक फील्ड	17/12/21	140910.00
7.	यश ब्रिक फील्ड	17/12/21	147315.00
8.	मजदूरी	23/12/21	13056.00
9.	मजदूरी	28/01/22	19788.00
10	मजदूरी	08/02/22	32028.00
	योग-		504255.00

खड़ंजा निर्माण हेतु कथित व्यय जैसा कि ऊपर दर्शित है,उसमे रु 0 एक लाख से अधिक धनराशि पर टेन्डर आदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तथा धरोहर धनराशि एवं जमानत धनराशि से संबंधित विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

वित्त लेखा अनुभाग- 1 के शासनादेश सं -ए-1-864/दस -08- 15(1) / 86, दिनांक 23/09/2008 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, सामग्री क्रय नियमों के अंतर्गत कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय करने की सीमा में वृद्धि करते हुए रु 0 20,000/-(रुपये बीस हजार मात्र) तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किए क्रय की जा सकती है। और निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से संबंधित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु 0 1,00,000/-(रुपये एक लाख मात्र) से अधिक-मूल्य की सामग्री के लिए टेंडर आमंत्रित करने की व्यवस्था है। उपरोक्त व्यय में उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन , सामग्री क्रय बिलों/डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 504255.00 में से ग्राम प्रधान श्री रमाकांत से रु.252127.50 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनीश कुमार सिंह से रु. 252127.50 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-108 ग्राम पंचायत- प्यारेपुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-03

उक्त ग्राम पंचायत में स्थित पंचायत भवन शौचालय कायाकल्प मद में <u>प्रशासक के कार्यकाल में</u>कराए गये निर्माण कार्यों पर,कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
1.	जगदीश एंटरप्राइजेज	25/05/21	119882.00
2.	उदय ब्रिक फील्ड	25/05/21	8255.00
3.	जगदीश एंटरप्राइजेज	25/05/21	60819.00
	योग-		188956.00

पंचायत भवन शौचालय निर्माण हेतु कथित व्यय जैसा कि ऊपर दर्शित है,उसमे रु 0 एक लाख से अधिक धनराशि पर टेन्डर आदि प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तथा धरोहर धनराशि एवं जमानत धनराशि से संबंधित विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए।

वित्त लेखा अनुभाग- 1 के शासनादेश सं -ए-1-864/दस -08- 15(1) / 86, दिनांक 23/09/2008 द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, सामग्री क्रय नियमों के अंतर्गत कोटेशन/निविदा आमंत्रित कर सामग्री क्रय करने की सीमा में वृद्धि करते हुए रु 0 20,000/-(रुपये बीस हजार मात्र) तक सामग्री बिना कोटेशन आमंत्रित किए क्रय की जा सकती है। और निर्माण कार्यों एवं मरम्मत से संबंधित सामग्री तथा अन्य सामग्री के क्रय हेतु रु 0 1,00,000/-(रुपये एक लाख मात्र) से अधिक-मूल्य की सामग्री के लिए टेंडर आमंत्रित करने की व्यवस्था है। उपरोक्त व्यय में उक्त शासनादेश का उल्लंघन किया गया है।

पंचायत भवन शौचालय कायाकल्प में कराए गये निर्माण कार्यों पर एक मुश्त बड़ी धनराशियों का भुगतान किया जाना कार्य के कराए जाने एवं भुगतान किये जाने के औचित्य में संदेह उत्पन्न करता है।
सामग्री क्रय एवं लेबर व्यय को अलग-अलग दर्शित कर कैश बुक में दर्शाया जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने से सामग्री एवं लेबर व्यय की तुलनात्मक जांच किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक एवं पत्रावलियां एवं माप पुस्तिका तथा निर्माण स्थल की सूचना का पूर्ण विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

एक अन्य विचारणीय बिन्दु यह भी है कि उक्त समस्त सामग्री की खरीद के पश्चात मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। जोकि कूटरचित तरीके से धन का अपहरण करने के लिए किया गया है। मजदूरों के मस्टर रोल से संबंधित विवरण कैशबुक में दर्शित नहीं है।

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामपंचायत-प्रधान तथा ग्राम- सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा कोटेशन/, सामग्री क्रय बिलोंमजदूरी भुगतान मस्टर रोलों/डिलीवरी चालान /, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्तिउपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है/, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधानप्रशासक एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग / में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु 188956.00 में से प्रशासक श्री जयशंकर तिवारी से रु 94478.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनीश कुमार सिंह से रु 94478.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-109 ग्राम पंचायत- प्यारेपुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-04

उक्त ग्राम पंचायत में अन्य विभिन्न कार्यों पर, कैशबुक के अनुसार निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र0 सं0	आहरणकर्ता व्यक्ति /फर्म का नाम	दिनांक	व्यय की धनराशि
52.	खालसा इलेक्ट्रॉनिक एण्ड फर्नीचर	08/02/22	37140.00
	योग-		37140.00

ग्राम पंचायत में दर्शित उपरोक्त व्यय, प्रमाणक विहीन एवं विवरणहीन है। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि-"ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये" एवं खण्ड 8 में प्राविधान है कि-"यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम-प्रधान तथा ग्राम-पंचायत सचिव से की जायेगी।" व्यय पत्रावलियां जिसमें व्यय प्रमाणक, ग्राम पंचायत की बैठक में अनुमोदित कार्य योजना, कार्य का स्टीमेट, कार्य की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, निविदा/कोटेशन, सामग्री क्रय बिलों/ डिलीवरी चालान/मजदूरी भुगतान मस्टर रोलों, माप पुस्तिका में की गयी कार्य की मापी, ग्राम पंचायत के बैंक स्टेटमेन्ट, लैन्डमार्क युक्त कार्य की तीन चरणों की फोटो, कार्य पूर्ति/उपभोग प्रमाण पत्र सम्मिलित है, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके कारण उपरोक्त व्यय की जांच नहीं की जा सकी। उपरोक्त आधार पर समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः कुल विवरणहीन एवं प्रमाणक विहीन तथा नियम विरूद्ध उपरोक्त व्यय की वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार आगणित अपहरण की कुल धनराशि रु. 37140.00 में से ग्राम प्रधान श्री रमाकांत से 18570.00 और ग्राम पंचायत सचिव श्री अनीश कुमार सिंह से 18570.00 की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-110 ग्राम पंचायत- प्यारेपुर विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-05

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 525000.00 लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 525000.00 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अनीश कुमार सिंह तथा प्रधान श्री रमाकांत उत्तरदायी हैं | जिनसे समान मात्रा में वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-111 ग्राम पंचायत- रेवली विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-01

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 12.99लाख से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 12.99 लाख उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री विशाल यादव तथा प्रधान श्री राजकुमार उत्तरदायी हैं | जिनसे समान मात्रा में वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-112 ग्राम पंचायत- सांडा सैदन विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-01

पंचायती राज विभाग ,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद -7 में स्पष्ट प्रावधान है कि " ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह सयुंक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं |" ग्राम

पंचायत साँड़ा सैदन के ग्राम निधि खाता प्रथम एवं केन्द्रीय वित्त में वर्ष2021-22में किये गए व्यय से सम्बंधित किसी भी प्रकार के सुसंगत अभिलेख यथा वित्तीयएवं तकनीकी स्वीकृति,कार्ययोजना ,इस्टीमेट ,एम .बी.,तीन चरणों की फोटो , मस्टररोल, स्टॉक पंजिका ,चल अचल संपत्ति पंजिका ,व्यय प्रमाणक ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,उपभोग प्रमाण पत्र,समेकित सार रजिस्टर ,टेंडर /कोटेशन सम्बन्धी पत्रावलियां, क्रयादेश,मानदेय भुगतान संबंधी पंजिका, विकास हेतु गठित समितियों संबंधी पत्रावली आदि महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए ,जबकि अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु विभिन्न तिथियों में पत्राचार किया गया था| इस प्रकार उक्त कार्यों से सम्बंधित पत्रावलियां एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गए व्यय रु 1970435.00का व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहा | लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शाई गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी | इस प्रकार उक्त दर्शित धनराशि रू 1970435.00लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के अनुच्छेद – 8(क) के अंतर्गत अपहरण है तथा अधिभार योग्य है जिसके लिए ग्रामपंचयत अधिकारी श्री अतुल शुक्ला तथा ग्रामप्रधान श्रीमती सोना देवीउत्तरदायी है | अतः उक्त धनराशि रू 1970435.00की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से रू 985217.50 ग्रामपंचायत अधिकारी श्री अतुल शुक्ला से तथा रू 985217.50ग्रामप्रधान श्रीमती सोना देवीसे अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-113 ग्राम पंचायत- सांडा सैदन विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-02

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय व्ययक विवरण यथा कैशबुक-, डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक **269**/सम्प्रेक्षाआ/0रि0/09-09 दिनांक **15** जनवरी **2009** की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु **1103000.00** से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख / प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु **1103000.00** उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री अतुल शुक्ला तथा प्रधान श्रीमती सोना देवी उत्तरदायी हैं | जिनसे समान मात्रा में वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर-114 ग्राम पंचायत- करेमुआ विकास खण्ड- सलोन आपत्ति सं0-02

मनरेगा योजना से सम्बन्धित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक , डेबुक, प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण योजना पर किये गये व्यय की जांच नहीं की जा सकी। ग्राम सचिव द्वारा बताया गया कि डोंगल भुगतान होने का कारण इस प्रकार का कोई विवरण नहीं बनाया गया हैं। यह स्थिति आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 शासन के आदेश पत्रांक 269/सम्प्रेक्षा/आ0रि0/09-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 की अवहेलना है जिसमें मनरेगा कैशबुक बनाकर आडिट में प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये हैं। ग्राम पंचायत में संचालित मनरेगा योजना की वेबसाइट पर दर्शित व्यय रु 2032000.00 से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेख /प्रमाणक यथा कैश बुक , डे बुक , भुगतान रजिस्टर, मनरेगा कार्य आवेदन पंजीकरण पंजिका ,जॉब कार्ड पंजिका, रोजगार पंजिका , एफ टी ओ पंजिका, सामग्री क्रय /भुगतान संबंधी बिल वाउचर ,श्रमांश भुगतान संबंधी मस्टर रोल ,प्राक्कलन व माप पुस्तिका वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति ,स्टॉक पंजिका , परिसंपत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पंजिका एवं टेंडर पत्रावली आदि बार-बार मौखिक/ लिखित रूप से मांगे जाने के बावजूद भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए ऐसा प्रतीत होता है कि मनरेगा योजना में धन की भारी हेराफेरी की गई है ऐसी स्थिति में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 7 व 8 (क) में निहित व्यवस्थानुसार उक्त योजना में हुए व्यय धनराशि रु 2032000.000 उपरोक्त वर्णित वाउचर्स के अभाव में अपुष्ट रहे जिस हेतु सचिव श्री विशाल यादव तथा प्रधान श्री गिरिजेश सिंह उत्तरदायी हैं |

प्रस्तर-115 ग्राम पंचायत- खजुरगाँव विकास खण्ड- लालगंज आपत्ति सं0-01

मूल आपत्ति संख्या 07 का विवरण-

क्र.सं.	वर्क नेम(वर्क कोड)	विल सं.	बिल दिनांक	भुगतान दिनांक	बिल धनराशि (रुपये में)
1	नौबस्ता में विनोद सिंह के खेत से पप्पू सिंह के खेत तक खड्जा मरम्मत (3133013024/एलडी/958486255823662894)	42	09/12/2021	20/01/2022	5000.00
		85	05/12/2021	20/01/2022	186227.20
2	एहत माली में राम नरेश के खेत से सागर गोडिया के खेत तक खड्जा मरम्मत (3133013024/एलडी/958486255823662899)	43	17/12/2021	20/01/2022	5000.00
		84	05/12/2021	20/01/2022	192000.00

		90	17/12/2021	20/01/2022	79200.00
3	एहत माली में श्याम लाल के खेत से काली लोध के खेत तक सम्पर्क मार्ग (3133013024/एलडी/958486255823670455)	03	14/10/2021	02/11/2021	5000.00
4	आदर्श तालाब जोपोर्डार (3133013024/डब्लूसी/9584862558231342700)	02	18/06/2021	02/11/2021	5000.00
				कुल (लाख में)	**477427.20**

आयुक्त/रोजगार गारंटी आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 502 दिनांक 12.06.2013 के बिन्दु-1 के अनुसार ग्राम पंचायत के लिए फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफ टी ओ) विकास खंड स्तर से जारी होंगे जिसके प्रथम हस्ताक्षरकर्ता लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता खंड विकास अधिकारी होंगे । जिसके क्रम में उपरोक्त विवरणानुसार एफ टी ओ विकास खंड स्तर से जारी हुए लेकिन मास्टर सर्कुलर 2021-21 के अध्याय 7.1.7 के अनुसार सभी खरीद आदेशों को राज्य सरकार के उस सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए जिसके पास इस तरह की शक्तियां है किसी भी सूरत में इस तरह का कार्मिक खंड विकास अधिकारी के रैंक से नीचे का नहीं होगा । इस तरह की शक्तियों को आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा । परंतु उपरोक्त सामग्री खरीद के समस्त **क्रय आदेशों** को सक्षम अधिकारी/खंड विकास अधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दी गई फिर भी कार्यक्रम अधिकारी /खंड विकास अधिकारी द्वारा सामग्रियों का भुगतान हेतु एफ टी ओ जारी कर दिया गया I

आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 201 दिनांक 28.12.2021 के अनुसार श्रमांश व सामग्री का भुगतान किए जाने से पूर्व भुगतान पत्रावलियों का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए तत्क्रम में परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु भुगतान की प्रक्रिया में सहायक लेखाकार व कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है इस व्यवस्था का भी पालन नहीं किया गया ।

उ0प्र0 पँचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होनी चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु **477427.20 लाख (चार लाख सतत्तर हजार चार सौ सत्तसी रुपये बीस पैसे)** में से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता **लेखाकार** एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता **खंड विकास अधिकारी** से **समस्त धनराशि की बराबर भागो** में वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-116 ग्राम पंचायत- बेहटाकला विकास खण्ड- लालगंज आपत्ति सं0-01

क्र.सं.	**वर्क नेम(वर्क कोड)**	**विल सं.**	**बिल दिनांक**	**भुगतान दिनांक**	**बिल धनराशि (रुपये में)**

1	सुन्दर के घर के पास से मन्दिर तक इन्टरलाकिंग कार्य (3133013008/आरसी/958486255823164231)	07	30/10/2021	01/11/2021	28413.00
		23	03/09/2021	01/11/2021	184080.00
		27	30/10/2021	01/11/2021	12007.68
		52	30/10/2021	01/11/2021	73986.70
				कुल (लाख में)	**298487.38**

आयुक्त/रोजगार गारंटी आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 502 दिनांक 12.06.2013 के बिन्दु-1 के अनुसार ग्राम पंचायत के लिए फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफ टी ओ) विकास खंड स्तर से जारी होंगे जिसके प्रथम हस्ताक्षरकर्ता लेखाकार एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता खंड विकास अधिकारी होंगे । जिसके क्रम में उपरोक्त विवरणानुसार एफ टी ओ विकास खंड स्तर से जारी हुए लेकिन मास्टर सर्कुलर 2021-21 के अध्याय 7.1.7 के अनुसार सभी खरीद आदेशों को राज्य सरकार के उस सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूरी दी जानी चाहिए जिसके पास इस तरह की शक्तियां है किसी भी सूरत में इस तरह का कार्मिक खंड विकास अधिकारी के रैंक से नीचे का नहीं होगा । इस तरह की शक्तियों को आगे प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा । परंतु उपरोक्त सामग्री खरीद के समस्त **क्रय आदेशों** को सक्षम अधिकारी/खंड विकास अधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दी गई फिर भी कार्यक्रम अधिकारी /खंड विकास अधिकारी द्वारा सामग्रियों का भुगतान हेतु एफ टी ओ जारी कर दिया गया I

आयुक्त ग्राम विकास उ0प्र0 के पत्रांक 201 दिनांक 28.12.2021 के अनुसार श्रमांश व सामग्री का भुगतान किए जाने से पूर्व भुगतान पत्रावलियों का परीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए तत्क्रम में परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु भुगतान की प्रक्रिया में सहायक लेखाकार व कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है इस व्यवस्था का भी पालन नहीं किया गया ।

उ0प्र0 पँचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) प्रावधान के अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरुपयोग होने पर उत्तरदायी व्यक्ति से वसूली होनी चाहिए। अतः लेखा परीक्षा के अनुसार दुरुपयोग की गयी कुल धनराशि रु **298487.38 लाख (दो लाख अट्ठानबे हजार चार सौ सत्तसी रुपये अड्तीस पैसे)** में से प्रथम हस्ताक्षरकर्ता **लेखाकार** एवं द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता **खंड विकास अधिकारी** से **समस्त धनराशि की बराबर भागो** में वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-117 ग्राम पंचायत- ओया विकास खण्ड- अमावां आपत्ति सं0-01

01--ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22की लेखापरीक्षामें ग्रामपंचायत द्वारा निम्नाकित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे

क्र. सं.	दिनांक	व्यय धनराशि	कार्य हेतु	व्यय पत्रावली / प्रमाणक प्राप्त/अप्राप्त

1	24-05-21	7199.00	स्वच्छता सामग्री	अप्राप्त
2	25-5-21	9000.00	शौचालय रखरखाव हेतु	अप्राप्त
	योग	16199.00		

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रु 16199.00 काव्यय प्रमाणक व सम्बंधित अभिलेख लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत रहे,पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-''ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।'' परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित बाउचर/व्ययप्रमाणकप्रस्तुत नहीं रहे।इस प्रकार उक्त व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखापरीक्षा मेंअप्रमाणित रहे।लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8(क) के अनुसार''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्रामप्रधान/ प्रशासक तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।'' अतः व्ययप्रमाणक प्रस्तुतकर दर्शित व्यय की पुष्टिकराया जाना अपेक्षित है।व्ययप्रमाणक प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रू 16199.00 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रूप से, रू 8099.50 तत्कालीन ग्रामविकास/पंचायत अधिकारी श्री अतुल कुमार सिंह से तथा रू 8099.50 प्रशासक श्री मो० सईद से अद्यावधि ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

प्रस्तर-118 ग्राम पंचायत- मैदापुर विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-01

आलोच्य वर्ष 2021-22 में हैण्डपम्प रिबोर हेतु बिना अलग-अलग आई0डी0 जनरेट किए रू0 159577-00 **व्यय करके पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 51**/201/1211/33-4-3-2017-46/2015 दिनांक19-06-2017 का उल्लंघन किया गया है व हैण्डपम्प रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।तकनीकी अनुश्रवण का कार्यजे0ई0एम0आई0/आर0ई0डी0/मण्डी परिषद/जिला पंचायत एवं जिलाधिकारी के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किये जाने एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न कर गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया है एवंसम्बन्धित क्रय सामग्री का बिल-वाउचर, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र. स्क्रैप की प्रविष्टिपूर्वक स्टाक पंजिका आदि अभिलेख लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नही किये जा सके।जिससे इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो।अतएव कैशबुक मे हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान के औचित्य की पुष्टि न की जा सकीं। स्पष्ट है कि रू0 159577-00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के योग्य है।अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री ब्रज पाल व ग्रा.पं.अधि. श्री मनोज कृष्ण तिवारी से रू0 102477-00 एवं ग्राम प्रधान श्री ब्रज

पाल व ग्रा.पं.अधि. श्री नागेश कुमार से रू0 57100-00 के अपह्नत धनराशि की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-119 ग्राम पंचायत- मैदापुर विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-02

ग्राम पंचायत मे हैंडपंप मरम्मत मद में भुगतान किए गए रू0 109058-00 के भुगतान के संबंध मे अधोलिखित आपत्तियाँ है-

पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिंदु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा.सं.-4430/33-1-99/एस पी. आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बंधित योजनाओ एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन/ संस्तुति करना है।लेकिन अनुमति संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जा सका।शासनादेश संख्या आरजीएसए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो में स्पष्ट निर्देश है 20000/-या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आईडी बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है ऐसा किया गया है। लेकिन हैंडपंप मरम्मत के सन्दर्भ में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के ख़राब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव मे यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प ख़राब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद और मजदूरी के लिए किया गया।मरम्मत के उपरांत स्क्रैप के अंकन युक्त डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया जा सका।कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारंभ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके।उक्त के अतिरिक्त कार्ययोजना. लाभार्थी द्वारा हैण्डपम्प के चालू होने के प्रमाण सहित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और खरीद का वाउचर भी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

अतएव स्पष्ट है कि मरम्मत कार्य न कराकर व खरीद का वाउचर न प्रस्तुत कर फर्म के माध्यम से धन का अपहरण किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। अतःउत्तरदायी व्यक्तियों ग्रा0प्र0 श्री ब्रज पाल व ग्रा.पं.अधि. श्री मनोज कृष्ण तिवारी से रू0 39557-00, ग्रा0प्र0 श्री ब्रज पाल व ग्रा.पं.अधि. श्री नागेश कुमार से रू0 30132-00, व ग्रा0प्र0 श्री ब्रज पाल व ग्रा.वि.अधि. श्री मंजुल मयंक से रू0 39369-00 के धनराशि की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-120 ग्राम पंचायत- मैदापुर विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-03

लेखा परीक्षा मे मनरेगा योजना के अभिलेख प्रस्तुत न कर पंचायती राज अधिनियम 1947 व ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार <u>लेखा परीक्षा दल को **अभिलेख उपलब्ध कराना ग्राम प्रधान एव सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व होगा,** का उल्लंघन किया गया है। आलोच्य वर्ष मे मनरेगा बेबसाइट पर रू0 1309422-00 का व्यय दर्शित है।**

उपर्युक्त उपभोग किये गये धनराशि की पुष्टि में मूल अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर,कार्ययोजना, प्राक्कलन. तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कैशबुक बैंक स्टेटमेंट आय व्यय से सम्बंधित पत्रावली, मस्टररोल,एम0बी,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, क्रय सामग्री का बिल-वाउचर, स्टाक पंजिका.त्रिस्तरीय फोटोग्राफ.अचल संपत्ति पंजिका आदि **अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जा सके जिससे उक्त उपभोग की पुष्टि नहीं हो सकी जो पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत** मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क)

व 8(ख) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्रा0प्र0 श्री ब्रज पाल व ग्रा.पं.अधि. श्री मनोज कृष्ण तिवारी एवं श्री नागेश कुमार से रू0 **1309422-00** के संयुक्त रूप से वसूली **की जानी अपेक्षित** है।

प्रस्तर-121 ग्राम पंचायत- मैदापुर विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-04

आलोच्य वर्ष 2021-22 में रू0 43694-00 का 40 नग स्ट्रीट लाइट क्रय किन्तु **पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 51/**2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13-06-2018 का उल्लंघन कर अनियमितता के साथ ही प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के योग्य है। अतःउत्तरदायी व्यक्तियों ग्रा0प्र0 श्री ब्रज पाल व ग्रा.पं.अधि. श्री नागेश कुमार से रू0 43694-00 के अपहृत धनराशि की संयुक्त रूप से वसूली का प्रकरण सक्षम विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-122 ग्राम पंचायत- मैदापुर विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-05

आलोच्य वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त योजना से दिनांक 03-02-2022 को आई0डी0 सं0 55001080 पर रू0 69492-00 का भुगतान कमला सीमेण्ट पाइप को करके ह्यूम पाइप क्रय किया गया कोषांकित है किन्तु क्रय से सम्बन्धित वाउचर लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत नहीं किया जा सका ओर न ही कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, इस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटो स्टाक पंजिका. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि **अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जा सके।** ह्यूमपाइप की स्थापना की पुष्टि में मजदूरी पर कुछ भी व्यय नही किया गया है न ही कार्य स्थान का विवरण अंकित किया गया है जो "शासनादेश संख्या आरजीएसए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी के अंतर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु तीन में कार्य स्थल विहीन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध माना गया है" के आलोक में उपभोग की पुष्टि नहीं हो सकी।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि रू0 69492-00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के योग्य है।अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्रा0प्र0श्री ब्रज पाल व ग्रा.वि.अधि. श्री मंजुल मयंक से रू0 69492-00 के अपहृत धनराशि की संयुक्त रूप से वसूली **की जानी अपेक्षित है।**

प्रस्तर-123 ग्राम पंचायत- मैदापुर विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-06

- आलोच्य वर्ष की कैश बुक में दिनांक 03-02-2022 को रू0 90000-00 व 16-03-2022 को रू0 30000-00 का सीमेन्टेड बेन्च क्रय किया जाना दर्शित है।उक्त पर आपत्ति निम्नवत है-

सीमेन्टेड बेन्च क्रय प्रशासनिक आई0डी0 सं0 54984848 से की गयी है जबकि सीमेन्टेड बेन्च प्रशासनिक मद की सामग्री नहीं है।कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, इस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति, टेंडर कोटेशन पत्रावली एम0बी0, स्टाक पंजिका. आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जा सके।सीमेन्टेड बेन्च के किसी सार्वजनिक महत्त्व के स्थान पर रखे होने या उसके सदुपयोग किये जाने की पुष्टि नहीं हो सकी जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।

उपर्युक्तानुसार सीमेन्टेड बेन्च क्रय के सापेक्ष वाउचर भी नहीं उपलब्ध कराया जा सका जो कि उत्तर प्रदेश

पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए ग्राम प्रधान और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्रा0प्र0 श्री ब्रज पाल व ग्रा0पंचा0अधि0 श्री नागेश कुमार से संयुक्त रूप से रू0 120000-00 के वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-124 ग्राम पंचायत- कांटा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-01

आलोच्य वर्ष 2021-22 में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु रू0 158176-00 व्यय किया गया है जिससे सम्बन्धित आपत्तियाँ निम्नवत हैं-

1- पंचायत लेखा मैन्नुअल के अध्याय 5 के बिंदु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा.सं.-4430/33-1-99/एस पी. आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बंधित योजनाओ एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन/संस्तुति करना है।लेकिन अनुमति संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।

2-शासनादेशसंख्या आरजीएसए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो के निर्देश के क्रम में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के ख़राब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव मे यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प ख़राब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया।

3-मरम्मत के उपरांत स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त आय अथवा डेड स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि की पुष्टि नहीं करायी गयी।

4-कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारंभ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके।

5-क्रय से सम्बन्धित वाउचर लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत नहीं किया जा सका ओर न ही कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, इस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जा सके।

स्पष्ट है कि रू0 158176-00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री आलम नवाज व ग्रा.वि.अधि. श्री राजेश यादव से रू0 158176-00 की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-125 ग्राम पंचायत- कांटा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-02

--लेखा परीक्षा मे मनरेगा योजना के अभिलेख प्रस्तुत न कर पंचायती राज अधिनियम 1947 व ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को अभिलेख उपलब्ध कराना ग्राम प्रधान एव सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व होगा, का उल्लंघन किया गया है। आलोच्य वर्ष मे मनरेगा बेबसाइट पर रू0 2326464-00 के उपभोग किये गये धनराशि की पुष्टि में मूल

अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर, कार्ययोजना, प्राक्कलन. तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कैशबुक बैंक स्टेटमेंट आय व्यय से सम्बंधित पत्रावली, मस्टररोल,एम0बी,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, क्रय सामग्री का बिल-वाउचर, स्टाक पंजिका.त्रिस्तरीय फोटोग्राफ. अचल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जा सके जिससे उक्त उपभोग की पुष्टि नहीं हो सकी जो पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) के अन्तर्गतअधिभार योग्य है।

अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्रामप्रधान श्री आलम नवाज व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राजेश यादव से संयुक्त रूप से रू0 2326464 के वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-126 ग्राम पंचायत- कांटा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-03

आलोच्य वर्ष में क्रमशः दिनांक 10-11-2021 को रू0 96775-00 व 20-11-2021 को रू0 38710-00 कुल रू0 135485-00 काभुगतान आर0के0इण्टरप्राइजेज को करके स्ट्रीट लाइट क्रय किया गया है किन्तु उक्त से सम्बन्धित वाउचर लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया जा सका और न ही विद्युत सम्बद्धता व विद्युत बिल भुगतान सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की जा सकी। ध्यातव्य है कि स्थापना प्रमाण पत्र व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एल0ई0डी0 लाइटों के वाट व दर निर्धारण हेतु गठित समिति की पत्रावली भी नहीं प्रस्तुत की जा सकी जो पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40
/2018 दिनांक13-06-2018 का उल्लंघन रहा।उक्त से स्पष्ट है कि रू0 135485-00प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री आलम नवाज व ग्रा.वि.अधि. श्री राजेश यादव से रू0 135485-00 की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-127 ग्राम पंचायत- कांटा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-04

आलोच्य वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त योजना से रू0 98337-00 का भुगतान नूर टेडर्स को करके ह्यूम पाइप क्रय किया गया है किन्तु क्रय से सम्बन्धित वाउचर लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत नहीं किया जा सका ओर न ही कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, इस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटो स्टाक पंजिका. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जा सके। ह्यूमपाइप की स्थापना की पुष्टि में मजदूरी पर कुछ भी व्यय नही किया गया है न ही कार्य स्थान का विवरण अंकित किया गया है जो "शासनादेश संख्या आरजीएसए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी के अंतर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु तीन में कार्य स्थल विहीन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध माना गया है" के आलोक में उपभोग की पुष्टि नहीं हो सकी।जिससे स्पष्ट है कि रू098337-00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के योग्य है।अतः

उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री आलम नवाज व ग्रा.वि.अधि. श्री राजेश यादव से रू0 98337-00 के अपहृत धनराशि की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-128 ग्राम पंचायत- कांटा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-05

आलोच्य वर्ष 2021-22 में हैण्डपम्प रिबोर हेतु दिनांक 10-11-2021 को क्रमशः लकी मशीनरी स्टोर को रू0 27435-00 व दिनांक 10-11-2021 को ही प्रिन्स इण्टरप्राइजेज को 27435-00 कुल र0 54870-00 की बिना अलग-अलग आई0डी0 जनरेट किए रू0 54870-00 व्यय करके पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 51/201/1211/33-4-3-2017-46/2015 दिनांक19-06-2017 का उल्लंघन किया गया है व हैण्डपम्प रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0/आर0ई0डी0/मण्डी परिषद/जिला पंचायत एवं जिलाधिकारी के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किये जाने एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न कर गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया है।उपर्युक्त से सम्बन्धित क्रय सामग्री का बिल-वाउचर, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र. स्क्रैप की प्रविष्टिपूर्वक स्टाक पंजिका आदि अभिलेख लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नही किये जा सके।जिससे इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो।अतएव कैशबुक मे हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान के औचित्य की पुष्टि न की जा सकीं। स्पष्ट है कि रू0 54870-00प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण के योग्य है।अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री आलम नवाज व ग्रा.पं.अधि. श्री राजेश यादव से रू0 54870-00 की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-129 ग्राम पंचायत- जमालपुर हुरैया विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-01

आलोच्य वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त योजना से रू0 95028-00 का भुगतान करके ह्यूम पाइप क्रय किन्तु क्रय से सम्बन्धित वाउचर लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत नहीं किया जा सका ओर न ही कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, इस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटो स्टाक पंजिका. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जा सके। ह्यूमपाइप की स्थापना की पुष्टि में मजदूरी पर कुछ भी व्यय नही किया गया है न ही कार्य स्थान का विवरण अंकित किया गया है जो "शासनादेश संख्या आरजीएसए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी के अंतर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु तीन में कार्य स्थल विहीन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध माना गया है" के आलोक में उपभोग की पुष्टि नहीं हो सकी।स्पष्ट है कि रू0 95028-50 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा

27 के अन्तर्गत अपहरण के योग्य है।अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री सुभाष चन्द्र व ग्रा.पं0वि.अधि. श्री ओम प्रकाश से रू0 95028-50 धनराशि की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-130 ग्राम पंचायत- कुढ़ा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-01

आलोच्य वर्ष 2021-22 में हैण्डपम्प रिबोर हेतु रू0111720-00 बिना अलग-अलग आई0डी0 जनरेट किए व्यय करके पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश संख्या-51/201/1211/33-4-3-2017-46/2015 दिनांक19-06-2017 का उल्लंघन किया गया है व हैण्डपम्प रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0/आर0ई0डी0/मण्डी परिषद/जिला पंचायत एवं जिलाधिकारी के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किये जाने एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तरीयक्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न कर गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया है।उपर्युक्त से सम्बन्धित क्रय सामग्री का बिल-वाउचर, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र. स्क्रैप की प्रविष्टिपूर्वक स्टाक पंजिका आदि अभिलेख लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नही किये जा सके।जिससे इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो।अतएव कैशबुक मे हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान के औचित्य की पुष्टि न की जा सकीं। स्पष्ट है कि रू0 111720-00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश व ग्रा.वि.अधि. श्री सचिन कुमार से रू0 111720-00 की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-131 ग्राम पंचायत- कुढ़ा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-02

आलोच्य वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त आयोग से दिनांक 21-02-2022 को आई.डी.संख्या 54192124 से रू0 6000-00 एवं 15-03-2022 को आई.डी.संख्या 54192124 से रू0 6000-00 व 27-03-2022 को आई.डी.संख्या 54192124 से ही रू0 6000-00 सहित कुल रु0 18000-00 पंचायत सहायक को मानदेय दिया जाना दर्शाया गया है जो भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के उपभोग से सम्बन्धित गाइड लाइन हेतु जारी पत्र सं0 एफ.एन.ओ.जी-39011/2/2017-एफ.डी. दिनांक 02.07.2020 में दी गयी व्यवस्था कि मानदेय व टी0ए0/डी0ए0 पर व्यय नहीं होना है का उल्लंघन है। गाइड लाइन के विपरीत व्यय करके रू0 18000-00 का दुरुपयोग किया गया है।अतःउत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री राम प्रकाश व ग्रा.वि.अधि.श्री सचिन कुमार से दुरुपयोगित धनराशि रू0 18000-00 की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-132 ग्राम पंचायत- कुढ़ा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-03

आलोच्य वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त योजना से दिनांक 07-09-2021 को आई0डी0सं0 54191759 पर रू0 52202-00 व दिनांक 07-09-2021 को ही आई0डी0 सं0 54191759 पर रू0 53532-00 का भुगतान आर0के0टेडर्स को करके ह्यूम पाइप क्रय किया गया कोषांकित है किन्तु क्रय से सम्बन्धित वाउचर लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत नहीं किया जा सका ओर न ही कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, इस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति एम0बी0,त्रिस्तरीय फोटो स्टाक पंजिका0 कार्यपूर्तिप्रमाण पत्र आदि अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जा सके। ह्यूमपाइप की स्थापना की पुष्टि में मजदूरी पर कुछ भी व्यय नही किया गया है न ही कार्य स्थान का विवरण अंकित किया गया है जो "शासनादेश संख्या आर जी एस ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी0 के अंतर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर/अपलोड की समीक्षा के बिंदु तीन में कार्य स्थल विहीन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध माना गया है" के आलोक में उपभोग की पुष्टि नहीं हो सकी।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि रू0 105734-00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।अतःउत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्री रामप्रकाश व ग्रा.वि.अधि.श्री सचिन कुमार से रू0 105734-00 के संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-133 ग्राम पंचायत- बारा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-01

आलोच्य वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय वित्त योजना से दिनांक 05-08-2021 को आई0डी0 सं0 53185797 पर रू0 52202-00 एवं दिनांक 05-08-2021 को ही आई0डी0 सं0 53185797 पर रू0 53532-00 का भुगतान भारत सीमेण्ट पाइप को तथा दिनांक 05-08-2021 को आई0डी0 सं0 53185797 पर रू0 56857-00 सहित कुल रू0 162591-00 का भुगतान आर0के0इण्टरप्राइजेज को करके ह्यूम पाइप क्रय किया जाना कोषांकित है किन्तु क्रय से सम्बन्धित वाउचर लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत नहीं किया जा सका ओर न ही **कार्यवाही** पुस्तिका, कार्ययोजना, इस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटो स्टाक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि **अभिलेख प्रस्तुत किये जा सके।** ह्यूमपाइप की स्थापना की पुष्टि में मजदूरी पर कुछ भी व्यय नही किया गया है न ही कार्य स्थान का विवरण अंकित किया गया है जो "शासनादेश संख्या आर जी एस ए /197/2019-4/379/2015लखनऊदिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी के अंतर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु तीन में कार्य स्थल विहीन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध माना गया है" के आलोक में उपभोग की पुष्टि नहीं हो सकी।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि रू0 **162591-00** प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है।अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रेशु सिंह व ग्रा.वि.अधि. श्री विजय सिंह से रू0 **162591-00** के अपह्नत धनराशि की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-134 ग्राम पंचायत- बारा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-02

आलोच्य वर्ष 2021-22 में हैण्डपम्प रिबोर हेतु निम्नानुसार सामग्री क्रय किया जाना दर्शाया गया हैः-

दिनांक	धनराशि	फर्म	आई.डी.संख्या	योजना का नाम
06.10.2021	27098.00	मिश्रा टेडर्स	47332349	15वां वित्त
06.10.2021	27138.00	मिश्रा टेडर्स	47332349	15वां वित्त
06.10.2021	27168.00	मिश्रा टेडर्स	47332349	15वां वित्त
06.10.2021	27098.00	मिश्रा टेडर्स	54771735	15वां वित्त
06.10.2021	27168.00	**आर0के0इण्टरप्राइजेज**	54771735	15वां वित्त
14.10.2021	27138.00	**वेद इण्टरप्राइजेज**	54771896	15वां वित्त
14.10.2021	27098.00	**वेद इण्टरप्राइजेज**	54771896	15वां वित्त
14.10.2021	27168.00	**वेद इण्टरप्राइजेज**	54771896	15वां वित्त
14.10.2021	27168.00	**वेद इण्टरप्राइजेज**	54771735	15वां वित्त
14.10.2021	27168.00	**वेद इण्टरप्राइजेज**	54771952	15वां वित्त
14.10.2021	27098.00	**वेद इण्टरप्राइजेज**	54771952	15वां वित्त
14.10.2021	27138.00	**वेद इण्टरप्राइजेज**	54771952	15वां वित्त
19.11.2021	27435.00	**आर0के0इण्टरप्राइजेज**	54771828	15वां वित्त
19.11.2021	28064.00	**आर0के0इण्टरप्राइजेज**	54771828	15वां वित्त
योग-	381145.00			

उपर्युक्तानुसार बिना अलग-अलग आई0डी0 जनरेट किए रू0 381145.00 **व्यय करके पंचायती राज अनुभाग के शासनादेश संख्या51**/201/1211/33-4-3-2017-46/2015 दिनांक19-06-2017 का उल्लंघन किया गया है व हैण्डपम्प रिबोर की गाइड लाइन के अनुसार जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0 एम0आई0/आर0ई0डी0/मण्डी परिषद/जिला पंचायत एवं जिलाधिकारी के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किये जाने एवं कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न कर गाइड लाइन का उल्लंघन किया गया है।

उपर्युक्त से सम्बन्धित क्रय सामग्री का बिल-वाउचर, प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र. स्क्रैप की प्रविष्टिपूर्वक स्टाक पंजिका आदि अभिलेख लेखापरीक्षा मे प्रस्तुत नही किये जा सके।जिससे इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो।अतएव कैशबुक मे हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय हेतु दर्शित व्यय-भुगतान के औचित्य की पुष्टि न की जा सकीं। स्पष्ट है कि रू0 381145.00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार के

योग्य है।अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रेशु सिंह व ग्रा.वि.अधि. श्री विजय सिंह से रू0 **381145.00** के अपह्नत धनराशि की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-135 ग्राम पंचायत- बारा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-03

आलोच्य वर्ष 2021-22 में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु निम्नानुसार सामग्री क्रय किया जाना दर्शाया गया हैः-

दिनांक	धनराशि	फर्म	आई.डी.संख्या	योजना का नाम
05.08.2021	19109.00	**आर0के0इण्टरप्राइजेज**	53160796	5वां राज्य वित्त
05.08.2021	18829.00	**आर0के0इण्टरप्राइजेज**	53160772	5वां राज्य वित्त
10.08.2021	19074.00	**आर0के0इण्टरप्राइजेज**	53160814	5वां राज्य वित्त
10.08.2021	18671.00	**आर0के0इण्टरप्राइजेज**	53160836	5वां राज्य वित्त

योग- 75683.00

उपर्युक्त से सम्बन्धित आपत्तियाँ निम्नवत हैं-

1-पंचायत लेखा मैन्नुअल के अध्याय 5 के बिंदु 2 और विकेंद्रीकृत शासन के लिए शा.सं.-4430/33-1-99/एस पी. आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बंधित योजनाओ एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन/संस्तुति करना है।लेकिन अनुमति संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे।

2-शासनादेश संख्या आर जी एस ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी की तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु दो के निर्देश के क्रम में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के ख़राब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव मे यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प ख़राब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया।

3-मरम्मत के उपरांत स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त आय अथवा डेड स्टाक रजिस्टर में प्रविष्टि की पुष्टि नहीं करायी जा सकी।

4-कृतकार्य के त्रिस्तरीय फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं रहे। इस व्यवस्था के अनुसार कार्य के पूर्व और कार्य प्रारंभ किये जाने के बाद और कार्य के पूर्ण किये जाने के बाद लिया जाना है ताकि वास्तविक रूप से कृत कार्य की पुष्टि की जा सके।

5-क्रय से सम्बन्धित वाउचर लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत नहीं किया जा सका ओर न ही कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, इस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि **अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जा सके।**

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि रू0 75683.00प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रेशु सिंह व ग्रा.वि.अधि. श्री विजय सिंह से रू0 **75683.00** के अपह्नत धनराशि की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-136 ग्राम पंचायत- बारा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-04

आलोच्य वर्ष में क्रमशः दिनांक 31.08.2021 को रू0 84000.00 व 31.08.2021 को ही रू0 84000.00 सहित कुल रू0 168000.00 का भुगतान आर0के0 लाइट हाउस को करके स्ट्रीट लाइट क्रय किया जाना दर्शाया गया है किन्तु उक्त से सम्बन्धित वाउचर लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया जा सका और न ही विद्युत सम्बद्धता व विद्युत बिल भुगतान सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की जा सकी। ध्यातव्य है कि स्थापना प्रमाण पत्र व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एल0ई0डी0 लाइटों के वाट व दर निर्धारण हेतु गठित समिति की पत्रावली भी नहीं प्रस्तुत की जा सकी जो **पंचायत राज अनुभाग के शासनादेश संख्या 51**/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक13-06-2018 का उल्लंघन रहा।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि रू0 168000.00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रेशु सिंह व ग्रा.वि.अधि.श्री विजय सिंह से रू0 **168000-00** के अपह्नत धनराशि की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-137 ग्राम पंचायत- बारा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-05

आलोच्य वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त खाते से इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य दीपक मौर्य के घर से सिलिप के घर तक में निम्नानुसार भुगतान कोषांकित हैः-

दिनांक	धनराशि	फर्म	आई.डी.संख्या
26.07.2021	29521.00	जिल्ला ईंट उद्योग	53178006
26.072021	184929.00	वेद इण्टरप्राइजेज	53178006
26.072021	94877.00	वेद इण्टरप्राइजेज	53178006
	योग- 309327.00		

उपर्युक्त **इण्टरलाकिंग के लगाये जाने हेतु वर्ष पर्यन्त कोई मस्टर रोल नही प्रयुक्त हुआ है जिससे इण्टरलाकिंग के लगाये जाने की पुष्टि नही होती। उक्त क्रय से सम्बन्धित वाउचर लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत नहीं किया जा सका ओर न ही** कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, इस्टीमेट, टेण्डर पत्रावली प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटो, स्टाक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि **अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जा सके** जिससे इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो।

अतएव स्पष्ट है कि रू0 309327.00 प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रेशु सिंह व ग्रा.वि.अधि.श्री विजय सिंह से रू0 **309327.00** के अपह्नत धनराशि की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-138 ग्राम पंचायत- बारा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-06

आलोच्य वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त खाते से इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य शिव शंकर के घर से मन्दिर तक में निम्नानुसार भुगतान कोषांकित हैः-

दिनांक	धनराशि	फर्म	आई.डी.संख्या

26.07.2021	10117.00	जिल्ला ईंट उद्योग	53177976
26.072021	88586.00	वेद इण्टरप्राइजेज	53177976

योग- 98703.00

उपर्युक्त इण्टरलाकिंग के लगाये जाने हेतु वर्ष पर्यन्त कोई मस्टर रोल नही प्रयुक्त हुआ है जिससे इण्टरलाकिंग के लगाये जाने की पुष्टि नही होती। उक्त क्रय से सम्बन्धित वाउचर लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत नहीं किया जा सका **और न ही** कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, इस्टीमेट, टेण्डर पत्रावली प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटो, स्टाक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि **अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जा सके** जिससे इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो।

अतएव स्पष्ट है कि रू0 **98703.00** प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रेशु सिंह व ग्रा.वि.अधि.श्री विजय सिंह से रू0 **98703.00** के अपह्नत धनराशि की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-139 ग्राम पंचायत- बारा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-07

आलोच्य वर्ष की कैश बुक में दिनांक 12.08.2021 को रू0 64500.00 का कूडादान श्री कैलाश इण्टरप्राइजेज से क्रय किया जाना **कोषांकित** है।उक्त पर आपत्ति निम्नवत है-

1-कूडादान क्रय प्रशासनिक आई0डी0 सं0 53188338 से की गयी है जबकि कूडादान प्रशासनिक मद की सामग्री नहीं है।

2-कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, इस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन पत्रावली एम0बी0, स्टाक पंजिका. आदि **अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जा सके।**

3-कूडादान के किसी सार्वजनिक महत्व के स्थान पर रखे होने की पुष्टि फोटोग्राफ्स के अभाव मे नहीं हो सकी जिससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।

उपर्युक्तानुसार कूडादान क्रय के सापेक्ष वाउचर भी नहीं उपलब्ध कराया जा सका जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा-27 तथा उत्तरप्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन है जिसके लिए ग्राम प्रधान और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी हैं।अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रेशु सिंह व ग्रा.वि.अधि.श्री विजय सिंह से रू0 64500.00 के अपह्नत धनराशि की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-140 ग्राम पंचायत- बारा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-08

आलोच्य वर्ष 2021-22 में राज्य वित्त खाते से खडन्जा निर्माण कार्य यशोदा कोरी के घर से विजय सिंह के मुर्गी फार्म तक में निम्नानुसार भुगतान कोषांकित हैः-

दिनांक	धनराशि	फर्म	आई.डी.संख्या
31.03.2022	52264.00	जिल्ला ईंट उद्योग	60044134
31.03.2022	11990.00	कृष्ण कुमार	60044134
31.03.2022	4896.00	राम आसरे	60044134

योग- 69150

उपर्युक्त खडन्जा के लगाये जाने हेतु वर्ष पर्यन्त मात्र रू0 4896-00 मस्टर रोल पर व्यय हुआ है जिससे खडन्जा के लगाये जाने की पुष्टि नही होती।उक्त क्रय से सम्बन्धित वाउचर,मिट्टी ढुलाई की रसीद, एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा में नहीं प्रस्तुत किया जा सका ओर न ही कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, इस्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति एम0बी0, त्रिस्तरीय फोटो, स्टाक पंजिका, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि **अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जा सके** जिससे इसकी सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि यह कार्य हुआ ही न हो।

अतएव स्पष्ट है कि रू0 **69150.00** प्रमाणक विहीन व्यय किया गया है जो ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) एवं उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 की धारा 27 के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रेशु सिंह व ग्रा.वि.अधि.श्री विजय सिंह से रू0 **69150.00** के अपहृत धनराशि की संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-141 ग्राम पंचायत- बारा विकास खण्ड- छतोह आपत्ति सं0-09

लेखा परीक्षा मे मनरेगा योजना के अभिलेख प्रस्तुत न कर पंचायती राज अधिनियम 1947 व ग्राम पंचायत मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 के अनुसार <u>लेखा परीक्षा दल को **अभिलेख उपलब्ध कराना ग्राम प्रधान एव सचिव का संयुक्त उत्तरदायित्व होगा,** का उल्लंघन किया गया है। आलोच्य वर्ष मे मनरेगा बेबसाइट पर रू0</u> 1764295-00 **का व्यय दर्शित है।**

उपर्युक्त उपभोग किये गये धनराशि की पुष्टि में मूल अभिलेख यथा कार्यवाही रजिस्टर,कार्ययोजना, प्राक्कलन. तकनीकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कैशबुक बैंक स्टेटमेंट आय व्यय से सम्बंधित पत्रावली, मस्टररोल,एम0बी,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, क्रय सामग्री का बिल-वाउचर, स्टाक पंजिका. त्रिस्तरीय फोटोग्राफ. अचल संपति पंजिका आदि **अभिलेख नहीं प्रस्तुत किये जा सके जिससे उक्त उपभोग की पुष्टि नहीं हो सकी जो पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत** मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-7 एवं खण्ड 8(क) व 8(ख) के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः उत्तरदायी व्यक्तियों ग्राम प्रधान श्रीमती रेशु सिंह व ग्रा.वि.अधि.श्री विजय सिंह से रू0 1764295-00 के व्यय का जांच पूर्वक संयुक्त रूप से वसूली की जानी अपेक्षित है।

जनपद-सीतापुर

<u>वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2021-22</u>

<u>जनपद - सीतापुर</u>

ग्राम पंचायत आपत्तियाँ वर्ष 2021-22

ग्राम पंचायत – पैसिया विकास खण्ड – कसमण्डा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-1- ग्राम पंचायत पैसिया वर्ष 2021-22 के अभिलेखा लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रेषित नहीं किये गये। जिससे उक्त अवधि के अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्पन्न न हो सकी। जिससे ऑन लाइन लेखा परीक्षा के कारण ई-ग्राम

स्वराज में दर्शित व्यय पर अधिभार/गम्भीर अनियमितता की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2021-22 तक की ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़ें निम्नवत् है:-

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1.	2021-22	2896825.00	1808881.00
	योगः-	2896825.00	1808881.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा मैनुअल के पृष्ठ संख्या-8(क) के अनुसार आलोल्य वर्ष की कोषबही बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिका, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण अपहरण की सम्भावना प्रतीत होती है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन व्यय की कुल धनराशि रू० 1808881.00 प्रधान श्री रामनाथ एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव अज्ञात वर्तमान में अभय प्रताप दीपक के लिए जिम्मेदार हैं। जिसमें निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – हरिहरपुर विकास खण्ड – कसमण्डा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-2- ग्राम पंचायत हरिहरपुर, विकास खण्ड कसमण्डा वर्ष 2021-22 में कैशबुक के अनसुार निम्नलिखित बाउचरों का भुगतान किया गया। भुगतान किये गये बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जिस कारण भुगतान की गई धनराशि की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी निम्नलिखित बाउचरों की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर की जाय।

क्र० सं०	वर्ष	बाउचर संख्या एवं दिनाँक	धनराशि	विवरण व्यय प्रमाणक अपर्याप्त/काल्पनिक / अधूरे रहे
पंचम राज्य वित्त खाता संख्या 5900131852				
1-	2021-22	86/03-10-2021	42000.00	कमलापुर मशीनरी स्टोर्स हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय का भुगतान किया गया। कितने हैण्डपम्प मरम्मत हुए अज्ञात रहा।
2-	2021-22	180/11-02-2022	10310.00	आस्था ट्रेडर्स कमलापुर को हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी का भुगतान किया गया। बिल/बाउचर अप्राप्त रहा। भुगतान की पुष्टि न हो सकी।
3-	2021-22	कैशबुक बा०सं० 5/दि० 26-01-2022	19750.00	गुप्ता इलेक्ट्रानिक्स प्लास्टिक गुड्स को भुगतान किया गया। बाउचार अप्राप्त रहा भुगतान की पुष्टि न हो सकी।
4-	2021-22	कैशबुक बा०सं० 5/दि० 17-03-2022	4190.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री ऋण बाउचर अपर्याप्त रहा। भुगतान की पुष्टि न हो सकी।
5-	2021-22	बिल नं० 7/23-12-2022	78600.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री ऋण भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं

				हुई।
6-	2021-22	बिल नं० 203/27-06-2021	79275.00	स्पन पाइप ऋण उक्त पाइप कहाँ लगाये गये पुष्टि न हो सकी।
7-	2021-22	बिल नं० 205/28-06-2021	47565.00	स्पन पाइप ऋण उक्त पाइप कहाँ लगाये गये पुष्टि न हो सकी।
पन्द्रहवाँ वित्त खाता संख्या 50521847599				
1-	2021-22	कैशबुक बा०सं०-1/	29616.00	सामुदायिक शौचालय निर्माण मा० रोल पर श्रमिकों के हस्क्षारित धनराशि की पुष्टि न हो सकी।
2-	2021-22	कैशबुक बा०सं०-2/	7554.00	सामुदायिक शौचालय में नाले पर पत्थर डलवाई मा० रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये धनराशि की पुष्टि न हो सकी।
3.	2021-22	कैशबुक बा०सं०-3/10-12-2021	33740.00	डस्टबिन क्रय की गई बाउचर अपर्याप्त रहा भुगतान की पुष्टि न हो सकी।
4.	2021-22	कैशबुक बा०सं०-6/13-12-2021	8149.00	हैण्डपम्प सामग्री का भुगतान किया ता० अप्राप्त रहा।
5-	2021-22	कैशबुक बा०सं०-10/13-12-2021	18000.00	पंचायत भवन की बाउण्ड्री बनवाई गई मा० रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।
6-	2021-22	कैशबुक बा०सं०-11/10-12-2021	7650.00	पंचायत भवन की बाउण्ड्री बनवाई गई मा० रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।
7-	2021-22	कैशबुक बा०सं०-11/10-12-2021	27132.00	पंचायत भवन की बाउण्ड्री बनवाई गई मा० रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये।
		योगः-	41353.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, कार्यपूर्ति प्रमाण- पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की कुल धनराशि रू० 413531.00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आर० बी० सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सहित सचिव हरि ओम श्रीवास्तव से ब्याज सहित बराबर भाग

में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सदना विकास खण्ड – कसमण्डा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-3- ग्राम पंचायत सदना विकास खण्ड कसमण्डा वर्ष 2021-22 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनसुार निम्नलिखित बाउचरों का भुगतान किया गया। भुगतान किये गये बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे जिस कारण भुगतान की गई धनराशि की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं हो सकी निम्नलिखित बाउचरों की धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से बराबर-बराबर वसूली की जाय।

क्र०सं०	वर्ष	बाउचर संख्या एवं दिनाँक	धनराशि	विवरण व्यय प्रमाणक अपर्याप्त/ काल्पनिक / अधूरे रहे
पंचम राज्य वित्त खाता संख्या 50521588860				
1-	2021-22	12-07-2021	33000.00	अंकित समस्त व्यय बाउचर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। व्यय बाउचर के भुगतान की पुष्टि न हो सकी।
2.	2021-22	26-07-2021	7800.00	‘‘’’ ‘‘’’ ‘‘’’
पन्द्रहवाँ वित्त खाता संख्या 50314344954				
1-	2021-22	05-07-2021	22400.00	‘‘’’ ‘‘’’ ‘‘’’
2.	2021-22	05.07.2021	15794.00	‘‘’’ ‘‘’’ ‘‘’’
3.	2021-22	05.07.2021	13308.00	‘‘’’ ‘‘’’ ‘‘’’
4.	2021-22	05.07.2021	1999.00	‘‘’’ ‘‘’’ ‘‘’’
5.	2021-22	06.07.2021	24896.00	‘‘’’ ‘‘’’ ‘‘’’
6.	2021-22	22.07.2021	30750.00	‘‘’’ ‘‘’’ ‘‘’’
7.	2021-22	26.07.2021	26200.00	‘‘’’ ‘‘’’ ‘‘’’
8.	2021-22	26.07.2021	26200.00	‘‘’’ ‘‘’’ ‘‘’’
9.	2021-22	26.07.2021	26200.00	‘‘’’ ‘‘’’ ‘‘’’
		योगः-	228547.00	

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें" एवं खण्ड (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र तथा लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आंकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किये गये व्यय की कुल धनराशि रू० 228547.00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री धनपाल सिंह एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आशुतोश पाण्डेय से ब्याज सहित बराबर-बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – इटौरी विकास खण्ड – रेउसा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-4- ग्राम पंचायत इटौरी विकास खण्ड रेउसा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त

होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़ें निम्नवत् है –

क्र०सं	वर्ष	आय	व्यय
1-	2021-22	5368065.00	911658.00
	योग:-	5368065.00	911658.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में, अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की बही में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती लाजमा तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदेव प्रसाद पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसमें निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बसन्तापुर विकास खण्ड – रेउसा जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-5- ग्राम पंचायत बसन्तापुर विकास खण्ड रेउसा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई- ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़ें निम्नवत् है -

क्र०सं	वर्ष	आय	व्यय
1-	2021-22	4794558.00	1096829.00
	योग:-	4794558.00	1096829.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि अपहरण की श्रेणी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की बही में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती राधा तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसमें निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बजहा विकास खण्ड – रेउसा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-6- ग्राम पंचायत बजहा विकास खण्ड रेउसा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-

22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़ें निम्नवत् है -

क्र०सं	वर्ष	आय	व्यय
1-	2021-22	3331182.00	1565596.00
	योग:-	3331182.00	1565596.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की बही में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती दीप्ति तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसमें निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – भरथा विकास खण्ड – रेउसा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-7- ग्राम पंचायत भरथा विकास खण्ड रेउसा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़ें निम्नवत् है -

क्र०सं	वर्ष	आय	व्यय
1-	2021-22	3283664.00	94564.00
	योग:-	3283664.00	94564.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख, उपलब्ध करायें।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री संग्राम सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज मौर्य, श्री राहुल आनन्द, श्री कुलदीप तथा श्री पंकज सागर पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसमें निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - म्योड़ी छोलहा विकास खण्ड – रेउसा जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-8- ग्राम पंचायत म्योड़ी छोलहा विकास खण्ड रेउसा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़ें निम्नवत् है –

क्र०सं	वर्ष	आय	व्यय
1-	2021-22	3612332.00	1395307.00
	योग:-	3612332.00	1395307.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क)के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि अपहरण की श्रेणी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री मुनेजर तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदेव प्रसाद पूर्ण रूप से जिसमें निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गुरगुचपुर विकास खण्ड – रेउसा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-9- ग्राम पंचायत गुरगुचपुर विकास खण्ड रेउसा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई- ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़ें निम्नवत् है –

क्र०सं	वर्ष	आय	व्यय
1-	2021-22	8083570.00	2169801.00
	योग:-	8083570.00	2169801.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र प्रताप तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश त्रिवेदी, श्री प्रताप तथा ग्राम-नारितचाय के कमयर हरिओम श्रीवास्तव तथा श्री महेन्द्र रावत पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसमें निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चन्द्रसेनी विकास खण्ड रेउसा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-10- ग्राम पंचायत चन्द्रसेनी विकास खण्ड रेउसा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई- ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़ें निम्नवत् है.

क्र०सं	वर्ष	आय	व्यय
1-	2021-22	4724428.00	1375869.00
	योग:-	4724428.00	1375869.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, तथा रकमेत के प्राय-का मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती आराधना सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री रामसहारे, श्री श्री रामसहरू श्री मनोज कुमार तथा श्री राजेश सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसमें निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बेलहा दरियाना विकास खण्ड – रेउसा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-11- ग्राम पंचायत बेलहा दरियाना विकास खण्ड रेउसा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़ें निम्नवत् है -

क्र०सं	वर्ष	आय	व्यय
1-	2021-22	2797094.00	1136466.00
	योग:-	2797094.00	1136466.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रजनी देवी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश त्रिवेदी पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसमें निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – भिठनापुर विकास खण्ड – रेउसा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-12- ग्राम पंचायत भिठनापुर विकास खण्ड रेउसा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई- ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़ें निम्नवत् है –

क्र०सं	वर्ष	आय	व्यय
1-	2021-22	4679757.00	4169398.00
	योग:-	4679757.00	4169398.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबहीं, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती जाकिरा तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री मुकेश त्रिवेदी, कीर्ति वर्मा तथा साजिद अली पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसमें निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – ताहपुर विकास खण्ड – रेउसा जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-13- ग्राम पंचायत ताहपुर विकास खण्ड रेउसा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई- ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़ें निम्नवत्

क्र०सं	वर्ष	आय	व्यय
1-	2021-22	2872003.00	1070472.00
	योग:-	2872003.00	1070472.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि अयदायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री जगदेव पूर्ण रूप से धनराशि उत्तरदायी हैं, जिसमें निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – अर्मी विकास खण्ड – हरगाँव जनपद सीतापुर

प्र०सं०-14- लेखा परीक्षा में पंचम राज्य वित्त की प्रस्तुत कैश बुक की जाँच में प्रकाश में आया कि कैश बुक में निम्नलिखित दिवसों में दर्शित हैण्डपम्प रिबोर, हैण्डपम्प मरम्मत तथा नये हेण्डपम्प से सम्बन्धित निम्नलिखित व्ययें की पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	बाउचर संख्या	दिनाँक	कैश बुक में दर्शित प्रमाणकविहीन व्यय का मद	अपहृत धनराशि	योजना का नाम

1.	3	26.09.2021	हैण्डपम्प रिबोर भुगतान मिस्त्री सहित	28500.00	पंचम राज्य वित्त
2.	4	09.10.2021	3 हैण्डपम्प रिबोर	85500.00	पंचम राज्य वित्त
3.	6	12.10.2021	हैण्डपम्प रिबोर	28500.00	पंचम राज्य वित्त
4.	20	17.03.2022	2 हैण्डपम्प रिबोर हेतु सामग्री भुगतान	57000.00	पंचम राज्य वित्त
5.	21	17.03.2022	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री भुगतान	17200.00	पंचम राज्य वित्त
6.	22	17.03.2022	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री भुगतान	17200.00	पंचम राज्य वित्त
7.	23	17.03.2022	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री भुगतान	19300.00	पंचम राज्य वित्त
8.	24	18.03.2022	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री भुगतान	17200.00	पंचम राज्य वित्त
9.	25	19.03.2022	गौशाला में नये हैण्डपम्प निर्माण हेतु सामग्री भुगतान	35200.00	पंचम राज्य वित्त
			योगः-	305600.00	

कैशबुक में दर्शित उपरोक्त व्ययों में निम्नलिखित त्रुटियाँ प्रकाश में आयी -

1. उक्त समस्त व्यय प्रमाणकविहीन है।
2- लाभार्थियों से हैण्डपम्प मरम्मत, हैण्डपम्प रिबोर तथा नये हैण्डपम्प लगाये जाने हेतु प्राप्त आवेदन/माँग पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
3. हैण्डपम्प रिबोर, मरम्मत तथा नये हैण्डपम्प किस स्थान पर लगाये गये हैं कैशबुक में इसका उल्लेख नहीं किया गया है।
4- हैण्डपम्प मरम्मत में जो निष्प्रयोज्य सामग्री प्राप्त हुई उसकी नीलामी कर कैशबुक में आय दर्ज कर पंचम राज्य वित्त के खाते में जमा नहीं किया गया अथवा स्टॉक बुक में दर्ज की पुष्टि स्टॉक बुक के अभाव में न की जा सकी जिससे उक्त कार्य सन्देहास्पद है।
5- हैण्डपम्प मरम्मत, हैण्डपम्प रिबोर तथा नये हैण्डपम्प का पंचायत स्तर पर गठित जल प्रबन्धन समिति में प्राप्त अनुमोदन लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
6- उक्त कार्यों की पुष्टि में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे उक्त हैण्डपम्प के कार्यों की पुष्टि न की जा सकी।
7- जल निगम/सक्षम टेक्निकल अधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उक्त (i) रिबोर की गयी हैण्डपम्प को मरम्मत द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता था तथा रिबोरिंग मानकों के अनुरूप की गयी है। (ii) लगाये गये नये हैण्डपम्प मानक के अनुरूप लगाये गये हैं, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

उक्त प्रमाणकविहीन व्यय, वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) तथा 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के अधीन तथा नियम संख्या 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 947 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण, गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणकविहीन व्यय की धनराशि रू० 305600.00 को उत्तरदायी व्यक्ति श्री विनय कुमार द्विवेदी (ग्राम पंचायत अधिकारी) तथा श्री पुष्प राज सिंह (प्रधान) से समान रूप से प्रशासनिक अधिकारी (डीपीआरओ) द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

प्र०सं०-15- लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 के पंचम राज्य वित्त की प्रस्तुत कैशबुक की जाँच में प्रकाश में आया कि ह्यूम पाइप क्रय पर निम्नलिखित व्यय की पुष्टि में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया यथा विक्रेता फर्म द्वारा जारी टैक्स इनवाइस/बिल ऑफ सप्लाई, आपूर्ति चालान आदि। उल्लेखनीय है कि ह्यूम पाइप क्रय के सापेक्ष वर्ष दौरान कोई भी व्यय मजदूरी पर दर्शित नहीं है। बिना मजदूरी के ह्यूम पाइप लगाना सम्भव नहीं है जिससे उक्त व्यय कूट रचित एवं काल्पनिक है। लेखा परीक्षा में स्टॉक बुक प्रस्तुत न होने से क्रय ह्यूम पाइप स्टॉक बुक में दर्ज है अथवा नहीं, की पुष्टि न की जा सकी।

क्र० सं०	बाउचर संख्या	दिनाँक	कैशबुक में दर्शित व्यय का मद	अपहृत धनराशि	योजना का नाम
1.	5	09.10.2021	ह्यूम पाइप क्रय हेतु भुगतान	60000.00	पंचम राज्य वित्त

उक्त प्रमाणकविहीन व्यय, वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) तथा 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के अधीन तथा नियम संख्या 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण, गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणकविहीन व्यय की धनराशि रू० 60000.00 को उत्तरदायी व्यक्ति श्री विनय कुमार द्विवेदी (ग्राम पंचायत अधिकारी) तथा श्री पुष्प राज सिंह (प्रधान) से समान रूप से प्रशासनिक अधिकारी (डीपीआरओ) द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है!

प्र०सं०-16- लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 के पंचम राज्य वित्त की प्रस्तुत कैशबुक की जाँच में प्रकाश में आया कि निम्नलिखित दिवसों में इण्टर लॉकिंग कार्य पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित है।

क्र० सं०	बाउचर संख्या	दिनाँक	कैशबुक में दर्शित व्यय का मद	अपहृत धनराशि	योजना का नाम
1.	7	19.12.2021	छोटे के घर से टोरी के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	46728.00	पंचम राज्य वित्त
2.	8	19.12.2021	छोटे के घर से टोरी के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	42003.00	पंचम राज्य वित्त
3.	2	18.12.2021	छोटे के घर से टोरी के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	48695.00	पंचम राज्य वित्त
4.	13	18.12.2021	छोटे के घर से टोरी के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	49219.00	पंचम राज्य वित्त
5.	17	18.12.2021	छोटे के घर से टोरी के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	46728.00	पंचम राज्य वित्त

			योगः-	2333730.00	

उपरोक्त व्यय में निम्नलिखित त्रुटियाँ प्रकाश में आयीं

1- उक्त सभी व्यय इण्टर लॉकिंग टाइल्स तथा सामग्री पर दर्शित है जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान कौशबुक में किसी भी दिवस में मजदूरी पर भुगतान दर्शित नहीं है। बिना मजदूरी के इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य सम्भव नहीं है जिससे उक्त कार्य कूटरचित व काल्पनिक है।

2. उक्त कार्य की पुष्टि में पंचायत स्तर पर गठित निर्माण कार्य समिति से प्राप्त अनुमोदन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. उक्त क्रय इण्टर लॉकिंग टाईल्स तथा अन्य सामग्री क्रय को स्टॉक बुक में दर्ज किया गया अथवा नहीं, इसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में स्टॉक बुक अप्रस्तुत रहने के कारण न की जा सकी।

4- उक्त इण्टर लॉकिंग टाईल्स पर भुगतान रू० 233373.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया यथा विक्रेता फर्म द्वारा जारी टैक्स इनवाईस/बिल ऑफ सप्लाई, आपूर्ति चालान आदि।

5- उपरोक्त इण्टर लॉकिंग निर्माण की पुष्टि में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त इण्टर लॉकिंग कार्य की पुष्टि न की जा सकी।

उक्त समीक्षानुसार, उपरोक्त प्रमाणकविहीन व्यय, वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) तथा 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के अधीन तथा नियम संख्या 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण, गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणकविहीन व्यय की धनराशि रू० 233373.00 को उत्तरदायी व्यक्ति श्री विनय कुमार द्विवेदी (ग्राम पंचायत अधिकारी) तथा श्री पुष्प राज सिंह (प्रधान) से समान रूप से प्रशासनिक अधिकारी (डीपीआरओ) द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

प्र०सं०-17- लेखा परीक्षा में वर्ष 2021-22 के 15वाँ वित्त आयोग की प्रस्तुत कैशबुक की जाँच में प्रकाश में आया कि निम्नलिखित दिवसों में इण्टर लॉकिंग कार्य पर निम्न विवरणानुसार व्यय दर्षित है।

क्र० सं०	बाउचर संख्या	दिनाँक	कैशबुक में दर्शित व्यय का मद	अपहृत धनराशि	योजना का नाम
1.	4	30.07.2021	अनुपम के घर से सर्वजीत के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	16007.00	15वाँ वित्त आयोग
2.	5	30.07.2021	अनुपम के घर से सर्वजीत के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	74315.00	15वाँ वित्त आयोग
3.	13	31.08.2021	अनुपम के घर से सर्वजीत के घर तक इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य पर सामग्री भुगतान	18188.00	15वाँ वित्त आयोग
			योगः-	108510.00	

उपरोक्त व्यय में निम्नलिखित त्रुटियाँ प्रकाश में आयी -

1- उक्त इण्टर लॉकिंग निर्माण कार्य की पुष्टि में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे कराये गये उक्त इण्टर लॉकिंग कार्य की पुष्टि न की जा सकी।

2. उक्त कार्य की पुष्टि में पंचायत स्तर पर गठित निर्माण कार्य समिति से प्राप्त अनुमोदन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. स्टॉक बुक अप्रस्तुत रहने के कारण, उक्त क्रय इण्टर लॉकिंग टाइल्स स्टॉक बुक में दर्ज है या नहीं का संज्ञान न हो सका।

4. उक्त इण्टर लॉकिंग टाईल्स पर भुगतान रू० 108510.00 की पुष्टि में कोई भी प्रमाणक यथा फर्म द्वारा जारी टैक्स इनवाइस/बिल, सप्लाई, फर्म द्वारा जारी आपूर्ति चालान आदि प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त प्रमाणकंविहीन व्यय, वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) तथा 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के अधीन तथा नियम संख्या 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण, गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल प्रमाणकविहीन व्यय की धनराशि रू० 108510.00 को उत्तरदायी व्यक्ति श्री विनय कुमार द्विवेदी (ग्राम पंचायत अधिकारी) तथा श्री पुष्प राज सिंह (प्रधान) से समान रूप से प्रशासनिक अधिकारी (डीपीआरओ) द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – राजेपुर विकास खण्ड – हरगाँव जनपद सीतापुर

प्र०सं०-18- उक्त ग्राम पंचायत में वर्ष 2021-22 हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर मद में, कैशबुक में निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	दिनाँक	व्यय की धनराशि
1.	श्यामलाल के मकान के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य भुगतान	29.09.2021	28200.00
2.	रामू के मकान के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य भुगतान	29.09.2021	28300.00
	योगः-	56500.00	

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित प्रपत्र/माँग पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। अतः उपरोक्त विवरणानुसार अपहृत, प्रमाणकविहीन व्यय, वित्त एवं लेखा मैनअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) तथा 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के अधीन तथा नियम संख्या 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण, गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल अपहृत धनराशि रू0 56500.00 को जाँचोपरान्त पाए गए दोषी प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से प्रशासनिक अधिकारी (डीपीआरओ) द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

प्र०सं०-19- लेखा परीक्षा वर्ष 2021-22, ग्राम पंचायत में खडन्जा निर्माण मद में, कैशबुक में निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है:-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	दिनाँक	व्यय की धनराशि
1.	रामेन्द्र शुक्ल के मकान से आर सी सी रोड़ तक खडन्जा मार्ग मरम्मत कार्य पर सामग्री भुगतान	11.10.2021	84420.00
2.	रामनेरश के मकान से सुरेश यादव के मकान तक खडन्जा मरम्मत कार्य पर सामग्री भुगतान	11.10.2021	84420.00
3.	पुलिया से नाला तक खडन्जा निर्माण पर सामग्री भुगतान	21.10.2021	107633.00
	योगः-		276473.00

कैशबुक पर दर्शित व्यय में एक ही तिथि में दो भुगतान का किया जाना दर्शित है। इतनी बड़ी धनराशियों से कराए गये निर्माण कार्यों तथा खडन्जा मरम्मत कार्य जिसमें खडन्जे को उखाड़ना एवं समतलीकरण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी सम्मिलित है, उनको एक ही तिथि में प्रारम्भ करके उसी में पूर्ण कर देना, किये गये कार्य एवं उसके व्यय पर सन्देह उत्पन्न करता है वैसे भी खडन्जा निर्माण एवं मरम्मत कार्य जिस पर इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया हो एक दिन में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं है। व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त विवरणानुसार अपहृत, प्रमाणकविहीन व्यय, वित्त एवं लेखा मैनअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) तथा 8(ख) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 204 एवं 205 के अधीन तथा नियम संख्या 256 एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण, गबन एवं अधिभार के योग्य है। अतः आपत्ति में अंकित कुल अपहृत धनराशि रू० 276473.00 को जाँचोपरान्त पाए गए दोषी प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से प्रशासनिक अधिकारी (डीपीआरओ) द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रधान श्री मनोज कुमार एवं श्री सुरेश वर्मा व कौशलेन्द्र वर्मा ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – गौरियाझाल विकास खण्ड – परसेण्डी जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-20- ग्राम पंचायत गौरियाझाल के वित्तीय वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के बावजूद ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रदान नहीं किया गया, अतः इस अवधि की लेखा परीक्षा अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा ऑनलाइन होने के कारण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय को अनियमित मानकर अधिभार/गम्भीर अनियमितता की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित आय-व्यय के आंकड़े निम्नलिखित है -

वर्ष	आय	व्यय
2021-22	1414142.00	544956.00

उपरोक्त दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी करके किया गया प्रतीत होता है। ऐसा व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के प्राविधानों के विपरीत है, जिसमें उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल का व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

उपरोक्त प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार आलोच्य वर्ष की कोषबही, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपहरण की सम्भावना प्रतीत होती है जो अधिभार के योग्य है।

अतः विवरणहीन व्यय की कुल धनराशि रू0 544956.00 की वित्तीय अनियमितता के लिये प्रधान श्रीमती मंजीत कौर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष यादव जिम्मेदार हैं। जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – भवाना विकास खण्ड – परसेण्डी जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-21- ग्राम पंचायत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के कायाकल्प पर निम्नवत् मजदूरी का भुगतान किया गया है।

दिनाँक	कार्य का नाम	धनराशि (रू०)	व्यक्ति	योजना का नाम
10.03.2022	टाइल्स कार्य पर मजदूरी	43092.00	मदन लाल	पंचम वित्त
10.03.2022	टाइल्स कार्य पर मजदूरी	112320.00	शकील ट्रेडर्स	पंचम वित्त
11.03.2022	बाउण्ड्री वॉल मरम्मत मजदूरी	80660.00	मदन लाल	केन्द्रीय वित्त

23.03.2022	टाइल्स कार्य पर मजदूरी	47000.00	वीरेन्द्र कुमार	पंचम वित्त
	योगः-	283072.00		

उपर्युक्त मजदूरी का भुगतान कार्य पर लगे मजदूरों को न करते हुए निजी/व्यक्ति/फर्म के खातों से हस्तान्तरित किया गया है। यह भुगतान पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 1017/33-3-2020-11/2020 दिनाँक 16-06-2020 जिसमें मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किये जाने का प्राविधान किया गया है, के विपरीत प्रधान द्वारा निजी/व्यक्ति/फर्म के खातों में हस्तान्तरित कर वित्तीय अनियमितता बरती गयी है।

अतः उपर्युक्त कुल भुगतानित धनराशि रू० 283072.00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार गौतम और ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र कुमार से बराबर भाग में अद्यावधिक ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कंधेलिया विकास खण्ड – परसेण्डी जनपद सीतापुर

प्र०सं०-22- ग्राम पंचायत कंधेलिया के वित्तीय वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के बावजूद ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रदान नहीं किया गया, अतः इस अवधि की लेखा परीक्षा अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा ऑनलाइन होने के कारण ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्शित व्यय को अनियमित मानकर अधिभार/गम्भीर अनियमितता की कार्यवाही की जा रही है।

वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अंकित आय-व्यय के आंकड़े निम्नलिखित है -

वर्ष	आय	व्यय
2021-22	694278.00	516242.00

उपरोक्त दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी करके किया गया प्रतीत होता है। ऐसा व्यय ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के प्राविधानों के विपरीत है, जिसमें उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल का व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।

उपरोक्त प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार आलोच्य वर्ष की कोषबही, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अपहरण की सम्भावना प्रतीत होती है जो अधिभार के योग्य है।

अतः विवरणहीन व्यय की कुल धनराशि रू0 516242.00 की वित्तीय अनियमितता के लिये प्रधान श्रीमती रामरानी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक यादव जिम्मेदार हैं। जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पगरोई विकास खण्ड – परसेण्डी जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-23- ग्राम पंचायत पगरोई विकास खण्ड परसेण्डी के वित्तीय वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रदान नहीं किया गये, जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार

पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑनलाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

वर्ष	आय	व्यय
2021-22	3626988.20	1012750.00
योगः-	3626988.20	1012750.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी करके किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के

अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 1012750.00 को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र पाल, श्री अशोक कुमार यादव तथा ग्राम प्रधान जनसे निर्धारित धनराशि श्री संदीप कुमार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हैं। जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सैदापुर विकास खण्ड - परसेण्डा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-24- ग्राम पंचायत सैदापुर विकास खण्ड परसेण्डी के वित्तीय वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रदान नहीं किया गये, जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑनलाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

वर्ष	आय	व्यय
2021-22	1649949.00	115396.00
योग:-	1649949.00	115396.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी करके किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल अभिलेख उपलब्ध करायें।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबहीं, 866) मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 1153906.00 को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव सुश्री मानसी प्रजापति तथा ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – डिप्टीपुर विकास खण्ड – पहला जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-25- आलोच्य वर्ष 2021-22 में ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत हेतु 15वाँ वित्त आयोग से रू० 77126.00 एवं राज्य वित्त आयोग से रू० 147464.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

15 वाँ वित्त				राज्य वित्त			
दिनाँक	प्रस्ताव संख्या	धनराशि	व्यय विवरण	दिनाँक	प्रस्ताव संख्या	धनराशि	व्यय विवरण
15.05.2021	5	14874.00	सामग्री क्रय	24.06.2021	5	24000.00	सामग्री क्रय
15.05.2021	12	10086.00	सामग्री क्रय	10.09.2021	10	6938.00	सामग्री क्रय
30.09.2021	13	10086.00	सामग्री	19.03.2021	21	19400.00	सामग्री

			क्रय				क्रय
	योग	35046.00			योग	50338.00	
10.05.2021	1	16080.00	मजदूरी व्यय	26.04.2021	1	5000.00	मजदूरी व्यय
10.05.2021	2	13000.00	मजदूरी व्यय	17.03.2021	18	9500.00	मजदूरी व्यय
10.05.2021	3	13000.00	मजदूरी व्यय	17.03.2021	19	5500.00	मजदूरी व्यय
	योग	42080.00			योग	20000.00	

उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा कुल रू० 85384.00 सामग्री क्रय एवं रू० 62080.00 मरम्मत मजदूरी हेतु व्यय किया गया।

उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित ग्राम पंचायत की जल प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित प्रपत्र, मरम्मत हेतु लाभार्थी द्वारा दिया गया मांग पत्र एवं तकनीकी रिपोर्ट (हैण्डपम्प खराब होने की) लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। साथ ही मरम्मत पश्चात निकाली गयी निष्प्रयोज्य सामग्री का स्टॉक बुक में लेखा तैयार नहीं किया गया, जबकि विभागीय निर्देशानुसार निष्प्रयोज्य सामग्री की ब्रिकी कर, बिक्री से प्राप्त धनराशि को ग्राम पंचायत के खाते में जमा करायी जानी थी जो नहीं की गयी है।

हैण्डपम्प की मरम्मत पर किये गये व्यय का परीक्षण करने पर स्पष्ट होता है कि क्रय की गयी सामग्री के सापेक्ष मजदूरी पर तुलनात्मक रूप से अधिक व्यय किया गया है जो कि संदिग्ध एवं काल्पनिक प्रतीत होता है।

उक्त आधार पर हैण्डपम्प मरम्मत पर किया गया कुल व्यय रू० 147464.00 पूर्ण रूप से काल्पनिक होने के कारण अपहरित धनराशि तत्कालीन सचिव श्री संदीप कुमार एवं प्रधान श्रीमती सुनीता देवी से वसूली योग्य है। जिसकी वसूली दोनों से ब्याज सहित बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पौडावर विकास खण्ड – मछरेहटा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-26- ग्राम पंचायत पौडावर विकास खण्ड मछरेहटा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत् है।

क्र० सं०	व्यय प्रमाणक संख्या	दिनाँक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	3	25.08.2021	81150.00	विजय ट्रेडर्स को हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय हेतु (राज्य वित्त)
2.	3	01.11.2021	62265.00	मंगलम ईंट उद्योग को पंचायत भवन बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य सामग्री क्रय हेतु (15वाँ वित्त)
3.	5	05.11.2021	53236.00	विजय ट्रेडर्स को पंचायत भवन बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य सामग्री क्रय हेतु (15वाँ वित्त)
		योग-	196651.00	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।" एवं खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय

के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएंगी।" आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० 196651.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री विश्वान श्रीवास्तव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संतोष कुमारी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार रू० 196651.00 की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से ब्याज सहित समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सहसापुर विकास खण्ड – मछरेहटा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-27- ग्राम पंचायत सहसापुर विकास खण्ड मछरेहटा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत् है।

क्र० सं०	व्यय प्रमाणक संख्या	दिनाँक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	17	02.11.2021	77970.00	हैण्डपम्प रिबोर मरम्मत सामग्री क्रय हेतु (राज्य वित्त)
2.	22	05.11.2021	38620.00	हैण्डपम्प रिबोर मरम्मत सामग्री क्रय हेतु (राज्य वित्त)
3.	26	27.12.2021	186250.00	पंचायत भवन निर्माण कार्य सामग्री क्रय हेतु (राज्य वित्त)
		योग-	302840.00	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।" एवं खण्ड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएंगी।" आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० 302840.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री रविन्द्र सिंह एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकिशोर उत्तरदायी हैं। नियमानुसार रू० 302840.00 की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से ब्याज सहित समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – शाहपुर विकास खण्ड – मछरेहटा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-28- ग्राम पंचायत शाहपुर विकास खण्ड मछरेहटा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत् है।

क्र०	व्यय	दिनाँक	धनराशि	भुगतान का मद

सं०	प्रमाणक संख्या			
1.	4	10.09.2021	23250.00	डी के इण्टरनेशनल कांट्रैक्टर को अलमारी क्रय हेतु (15वाँ वित्त)
2.	8	28.09.2021	18862.00	कुबेर ईंट उद्योग पंचायत भवन मरम्मत सामग्री क्रय हेतु (राज्य वित्त)
		योग-	42112.00	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।" एवं खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएंगी।" आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० 42112.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री विश्वान श्रीवास्तव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संजय सिंह उत्तरदायी हैं। नियमानुसार रू० 42112.00 की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से ब्याज सहित समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बहोरनपुर विकास खण्ड – मछरेहटा जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-29- ग्राम पंचायत बहोरनपुर विकास खण्ड मछरेहटा की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत् है।

क्र० सं०	व्यय प्रमाणक संख्या	दिनाँक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	7	16.07.2021	26530.00	यादव ट्रेडर्स को हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय हेतु (राज्य वित्त)
2.	12	27.07.2021	26550.00	यादव ट्रेडर्स को हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय हेतु (राज्य वित्त)
3.	5	26.07.2021	274142.00	मेसर्स रामदास गुप्ता को पंचायत भवन निर्माण कार्य सामग्री क्रय हेतु (15वाँ वित्त)
		योग-	327222.00	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए।" एवं खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए इस

धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएंगी।" आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० 327222.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन सचिव (पूर्व में), श्री ओमप्रकाश (वर्तमान में) एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कलीम अली उत्तरदायी हैं। नियमानुसार रू० 327222.00 की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से ब्याज सहित समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – जयरामपुर विकास खण्ड – महमूदाबाद जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-30- विकास खण्ड महमूदाबाद, ग्राम पंचायत जयरामपुर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि कैशबुक (15वाँ वित्त एवं राज्य वित्त) में उल्लिखित व्यय के सापेक्ष व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति रिपोर्ट, माप पुस्तिकाएं, ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्यवाही आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि ना की जा सकी। जो कि "पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है जिसमें यह उल्लेख किया गया है, ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" उक्त व्यय का विवरण निम्नवत् हैः-

15वाँ वित्त/क्र.	प्रमाणक संख्या	दिनाँक	भुगतान प्राप्तकर्ता/मद	धनराशि	कार्य का विवरण
1	1	01.08.2021	सा०शौ० केयर टेकर पार्वती महिला एस.एच.जी.	9000.00	मानदेय
2.	10	29.12.2021	लक्ष्मी महिला एस.एच.जी.	12000.00	
3.	2	06.10.2021	नीरज कम्प्यूटर	3250.00	प्रशा०व्यय (फोटाकॉपी)
4.	12	28.032022	पंचायत सहायक	12000.00	मानदेय
5.	3	15.11.2021	दयाल ट्रेडर्स	42693.00	सामग्री क्रय (पं०सचि० के सामने बाउण्ड्री वॉल)
6	5	04.12.2021		19629.00	
7	11	12.01.2022		16062.00	
8.	9	20.12.2021	शिव शक्ति ब्रिक फील्ड	14372.00	ईंट क्रय
9.	4	15.11.2021	शिव नारायण ब्रिक फील्ड	14910.00	
10.	6	04.12.2021		5712.00	मजदूरी

	7	04.12.2021		14780.00	भुगतान
11.	8	20.12.2021		16266.00	
रा०वि०	1	30.07.2021	जनता साईकिल स्टोर	11800.00	ठेलिया क्रय
12.	5	05.08.2021	वर्मा मशीनरी एवं नल स्टोर	19460.00	हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर
	6	24.08.2021		30300.00	
	24	11.02.2022		30300.00	
13.	26	10.03.2022		250.00	प्रशासनिक व्यय (फोटो कॉपी), वॉल पेन्टिंग, स्टेशनरी क्रय, विज्ञापन
	33	29.03.2022		1250.00	
	31	26.03.2022		2500.00	
14	8	12.09.2021		4980.00	
	12	31.10.2021		2100.00	
			योग-	283614.00	

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त ब्याज सहित धनराशि रू० 283614.00 की वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनुज कुमार उमराव एवं पूर्व ग्राम पंचायत सचिव श्री हरदासी राना व ग्राम प्रधान श्रीमती शाहीन से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – भिठौरा विकास खण्ड – महमूदाबाद जनपद सीतापुर

प्र०सं०-31- विकास खण्ड महमूदाबाद, ग्राम पंचायत भिठौरा वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि कैशबुक (15वाँ वित्त एवं राज्य वित्त) में उल्लिखित व्यय के सापेक्ष व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति रिपोर्ट, माप पुस्तिकाएं, मस्टररोल, ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्यवाही रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि ना की जा सकी। जो कि "पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है जिसमें यह उल्लेख किया गया है, ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" उक्त व्यय का विवरण निम्नवत् हैः-

क्र० सं०	प्रमाणक संख्या	दिनाँक	भुगतान प्राप्तकर्ता/मद	धनराशि	कार्य का विवरण
15वाँ वित्त					
1	1	06.08.2021	सामु०शौचालय केयर टेकर	27000.00	मानदेय
2.	3	10.09.2021	इरफान	14576.00	मजदूरी भुगतान
3.	4	10.09.2021	सामुदायिक शौचालय	32500.00	सामग्री क्रय, गेट, लोहा इत्यादि
4.	7	05.10.2021	इरफान	8650.00	मजदूरी भुगतान
5.	2	24.08.2021	मालिक इंटीरियर एण्ड कांसट्रक्शन	249191.00	पंचायत भवन निर्माण सामग्री क्रय
6.	9	20.11.2021	मालिक इंटीरियर एण्ड	249191.00	सामग्री क्रय

			कांसट्रक्शन		
7.	5	10.09.2021	प्रशासनिक व्यय (नीरज कम्प्यूटर)	2650.00	फोटोकॉपी व प्लान प्लस
8.	10	17.03.2022	शशि विश्वकर्मा	12000.00	पंचायत सहायक मानदेय
राज्य वित्त					
1.	1	06.08.2021	वर्मा मशीनरी स्टोर	19650.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय
2.	65	18.03.2022	वर्मा मशीनरी स्टोर	13680.00	हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय
3.	26	20.10.2021	इंदु कला इण्टर प्राइजेज	46630.00	स्ट्रीट लाईट क्रय
4.	27	20.10.2021	इंदु कला इण्टर प्राइजेज	51293.00	स्ट्रीट लाईट क्रय
5.	23	10.10.2021	सिंह कान्सट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स	22976.00	पंचायत भवन निर्माण
6.	7	14.08.2021	उत्तम साईकिल स्टोर	11800.00	ठेलिया क्रय
7.	8	24.08.2021	ज्योत्सना इण्टर प्राइजेज	30300.00	हैण्डपम्प रिबोर
8.	10	24.08.2021	ज्योत्सना इण्टर प्राइजेज	30120.00	हैण्डपम्प रिबोर
9.	6	07.08.2021	रामकुमार	13416.00	प्रधान मानदेय
			योग -	835623.00	

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार ब्याज सहित उक्त धनराशि रू० 835623.00 की वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनुज कुमार उमराव एवं पूर्व ग्राम पंचायत सचिव श्री हरदासी राना व ग्राम प्रधान श्री चेतराम से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मालसराय विकास खण्ड – महमूदाबाद जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-32- विकास खण्ड महमूदाबाद, ग्राम पंचायत मालसराय वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि कैशबुक (15वाँ वित्त एवं राज्य वित्त) में उल्लिखित व्यय के सापेक्ष व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति रिपोर्ट, माप पुस्तिकाएं, ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्यवाही रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि ना की जा सकी। जो कि "पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है जिसमें यह उल्लेख किया गया है, ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" उक्त व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	प्रमाणक संख्या	दिनाँक	भुगतान प्राप्तकर्ता/मद	धनराशि	कार्य का विवरण
15वाँ वित्त					
1	6	01.11.2021	सुन्दर लाल कांस्ट्रक्शन	44781.00	हयूम पाइप क्रय
	7	05.11.2021	सुन्दर लाल कांस्ट्रक्शन	4080.00	
2.	11	16.07.2021	लक्ष्मी एस.एच.जी.	9000.00	मानदेय (केयर टेकर)

	2	24.08.2021	लक्ष्मी एस.एच.जी.	9000.00	
3.	9	14.03.2022	साधना राज	6000.00	मानदेय
	10	14.03.2022	साधना राज	6000.00	(पंचा०सहायक)
4.	3	10.09.2021	अवध ट्रेडर्स	189147.00	पंचायत भवन निर्माण
	8	10.12.2021	अवध ट्रेडर्स	112500.00	सामग्री क्रय
	4	05.10.2021	अवध ट्रेडर्स	97396.00	
	5	24.10.2021	अवध ट्रेडर्स	232384.00	
	11	25.03.2022	अवध ट्रेडर्स	96300	
राज्य वित्त					
5	2	16.07.2021	वर्मा मशीनरी स्टोर	17350.00	हैण्डपम्प मरम्मत
6	21	01.11.2021	वर्मा मशीनरी स्टोर	13480.00	सामग्री क्रय
7.	10	24.08.2021	ज्योत्सना इण्टर प्राइजेज	30115.00	हैण्डपम्प रिबोर
	11	24.08.2021	ज्योत्सना इण्टर प्राइजेज	30250.00	
8	40	28.03.2022	ज्योत्सना इण्टर प्राइजेज	30250.00	
9	1	15.07.2021		3500.00	मजदूरी
	22	01.11.2021		1600.00	
	24	13.12.2021		4200.00	
10	8	24.08.2021		4980.00	फोटोकॉपी, विज्ञा०प्र०,
	13	10.09.2021		2000.00	फोटो कॉपी व स्टेशन
	12	10.09.2021		15300.00	क्रय
11	9	24.08.2021		4450.00	वॉल पेन्टिंग, ठेलिया
	7	04.08.2021		10800.00	क्रय, कोविड बचाव
	5	04.08.2021		5150.00	किट
12	23	14.11.2021		2000.00	विज्ञापन प्रकाशन,
	15	10.09.2021		2500.00	प्रशासनिक व्यय,
	14	10.09.2021		2150.00	प्लान प्लस फीडिंग
			योग-	986693.00	

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार ब्याज सहित उक्त धनराशि रू० 986693.00 की वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनुज कुमार उमराव एवं पूर्व ग्राम पंचायत सचिव श्री हरदासी राना व ग्राम प्रधान श्रीमती राजरानी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – केदारपुर विकास खण्ड – महमूदाबाद जनपद सीतापुर

प्र०सं०-33- विकास खण्ड महमूदाबाद, ग्राम पंचायत केदारपुर वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि कैशबुक (15वाँ वित्त एवं राज्य वित्त) में उल्लिखित व्यय के सापेक्ष व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति रिपोर्ट, माप पुस्तिकाएं, ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्यवाही रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि ना की जा सकी। जो कि "पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है जिसमें यह उल्लेख किया गया है, ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के

समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" उक्त व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	प्रमाणक संख्या	दिनाँक	भुगतान प्राप्तकर्ता/मद	धनराशि	कार्य का विवरण
15वाँ वित्त					
1	6	18.08.2021	इरम ट्रेडर्स	28470.00	हैण्डपम्प रिबोर
	7	18.08.2021		30300.00	
	8	18.08.2021		29830.00	
2	2	30.07.2021	नाग मशीनरी स्टोर	13050.00	हैण्डपम्प सामग्री क्रय
3.	15	10.09.2021	शिव शक्ति ट्रेडर्स	40003.00	पंचायत भवन की बाउण्ड्री वॉल का निर्माण
	17	10.09.2021		26092.00	
	23	10.09.2021		10500.00	
4.	24	10.09.2021	सोनम ट्रेडर्स	147242.00	टायलीकरण
	25	10.09.2021		12248.00	
	26	10.09.2021		19322.00	
5.	53		अरिहंत प्लाई एण्ड पेन्टस	46179.00	पंचायत भवन मरम्मत
6.	57		माँ वैष्णो ब्रिक फील्ड	36561.00	ईंट क्रय (मधुरानी के घर से उत्तर पूर्व गणेश के घर तक नाली निर्माण)
8.	63		शिव शक्ति ट्रेडर्स	37862.00	पंचायत भवन टायलीकरण
			योग -	477659.00	

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार ब्याज सहित उक्त धनराशि रू० 477659.00 की वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश बख्श सिंह एवं पूर्व ग्राम पंचायत सचिव श्री हरदासी राना व ग्राम प्रधान श्रीमती आलम आरा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मुबारकपुर कला विकास खण्ड – महमूदाबाद जनपद सीतापुर

प्र०सं०-34- विकास खण्ड महमूदाबाद, ग्राम पंचायत मुबारकपुर कला वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि कैशबुक (15वाँ वित्त एवं राज्य वित्त) में उल्लिखित व्यय के सापेक्ष व्यय से सम्बन्धित प्रमाणक, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति रिपोर्ट, माप पुस्तिकाएं, ग्राम सभा का प्रस्ताव, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्यवाही रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे कतिपय कार्यों पर किये गए व्यय की पुष्टि ना की जा सकी। जो कि "पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है जिसमें यह उल्लेख किया गया है, ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें।" उक्त व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

क्र० सं०	प्रमाणक संख्या	दिनाँक	भुगतान प्राप्तकर्ता/मद	धनराशि	कार्य का विवरण
15वाँ वित्त					

1	2	01.08.2021	एम० के० इण्टर प्राइजेज	24780.00	सामुदायिक शौचालय हेतु सामग्री क्रय
2	3	01.08.2021	शिव शक्ति ट्रेडर्स	46250.00	टायल्स क्रय
3.	4	17.08.2021	शिव शक्ति ट्रेडर्स	32393.00	सेनेटरी क्रय भुगतान
4.	5.	17.08.2021	वर्मा मशीनरी स्टोर	53765.00	हैण्डपम्प एवं समर्सिबल लगवाई
5	7	10.09.2021	भदौरिया इण्टर प्राइजेज	189147.00	पंचायत भवन निर्माण हेतु सामग्री क्रय
6	8	05.10.2021	भदौरिया इण्टर प्राइजेज	105866.00	
	16	05.10.2021	भदौरिया इण्टर प्राइजेज	91500.00	
राज्य वित्त					
7	2	23.07.2021	वर्मा मशीनरी स्टोर	19470.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय
8	10	15.08.2021		26150.00	स्ट्रीट लाईट क्रय मरम्मत
	13	24.08.2021		14280.00	स्ट्रीट लाईट क्रय मरम्मत
9	16	10.09.2021	भदौरिया इण्टर प्राइजेज	157016.00	पंचायत भवन निर्माण
10.	23	14.12.2021	भदौरिया इण्टर प्राइजेज	60400.00	सामग्री क्रय
			योग -	821017.00	

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सचिव ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार ब्याज सहित उक्त धनराशि रू० 821017.00 की वसूली बराबर-बराबर तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुरेश बख्श सिंह एवं पूर्व ग्राम पंचायत सचिव श्री हरदासी राना व ग्राम ब्याज सहित प्रधान श्रीमती शशि वर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कारखिला विकास खण्ड – गोंदलामऊ जनपद सीतापुर

प्र०सं०-35- ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि 5वाँ वित्त के खाता संख्या 59001283966 से दिनाँक 17-05-2021 को प्रमाणक संख्या 01 से 08 तक रू० 296907.00 व्यय किया जाना दर्शित है परन्तु कैशबुक में इससे सम्बन्धित विवरण दर्ज नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्नवत् -

क्र०सं०	दिनाँक	प्रमाणक	धनराशि	विवरण
1.	17.05.2021	01	19932.00	विवरण अप्राप्त
2.	17.05.2021	02	40800.00	विवरण अप्राप्त
3.	17.05.2021	03	39625.00	विवरण अप्राप्त
4.	17.05.2021	04	10000.00	विवरण अप्राप्त
5.	17.05.2021	05	30200.00	विवरण अप्राप्त
6.	17.05.2021	06	60430.00	विवरण अप्राप्त
7.	17.05.2021	08	56295.00	विवरण अप्राप्त
8.	17.05.2021	09	39625.00	विवरण अप्राप्त
		योगः-	296907.00	

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान

तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त उत्तरदायित्व होगा "कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक या नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड (क) में प्राविधान है "कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी, अतः व्यय धनराशि रू० 296907.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान सर्वेश कुमार व सचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-36- ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक व स्टेटमेन्ट से ज्ञात हुआ कि 5वाँ वित्त खाता संख्या 50522005811 से दिनाँक 13-10-2021 से दिनाँक 16-10-2021 तक प्रमाणक संख्या 06 से 10 तक रू० 403966.00 का ओम ट्रेडिंग व रियल ट्रेडिंग को भुगतान किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	दिनाँक	प्रमाणक	धनराशि	विवरण
1.	13.10.2021	06	85216.00	ओम ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान
2.	16.10.2021	07	35600.00	रियल ट्रेडिंग को भुगतान
3.	16.10.2021	08	98540.00	रियल ट्रेडिंग को भुगतान
4.	16.10.2021	09	35310.00	रियल ट्रेडिंग को भुगतान
5.	16.10.2021	10	149300.00	ओम ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान
		योगः-	403966.00	

लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा "कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक या नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी, अतः व्यय धनराशि रू0 403966,00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान सर्वेश कुमार व सचिव अभय प्रताप ब्याज सहित दीपक से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – तरसवाँ विकास खण्ड – गोंदलामऊ जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-37- ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 में कैशबुक व स्टेटमेन्ट से ज्ञात हुआ कि 5वाँ वित्त से दिनाँक 07-05-2021 से 15-05-2021 तक रू० 187618.00 का व्यय किया जाना दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्नवत् -

क्र०सं०	दिनाँक	प्रमाणक	धनराशि	विवरण
1.	07.05.2021	01	39620	पाण्डेय कान्ट्रैक्टर को भुगतान
2.	07.05.2021	02	34950.00	पाण्डेय कान्ट्रैक्टर को भुगतान
3.	10.05.2021	03	15000.00	मान सिंह मौर्या को भुगतान
4.	11.05.2021	04	77598.00	पाण्डेय कान्ट्रैक्टर को भुगतान
5.	15.05.2021	05	5500.00	पाण्डेय कान्ट्रैक्टर को भुगतान
6.	15.05.2021	06	14950.00	पाण्डेय कान्ट्रैक्टर को भुगतान
		योगः-	187618.00	

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा "कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक या नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड (क) में प्राविधान है "कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए

इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी, अतः व्यय धनराशि रू० 187618.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री दीपक मौर्या व सचिव अभय प्रताप दीपक से समान रूप से व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-38- ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक व स्टेटमेन्ट से ज्ञात हुआ कि 5वाँ वित्त से दिनाँक 01-08-2021 से दिनाँक 23-08-2021 तक प्रमाणक संख्या 02 से 07 तक रू० 491086.00 को कई कार्यों पर व्यय किया गया है। विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	दिनाँक	प्रमाणक	धनराशि	विवरण
1.	01.08.2021	02	45600.00	सिंह ट्रेडर्स को भुगतान
2.	04.08.2021	03	135600.00	भारत ट्रेडर्स को भुगतान
3.	07.08.2021	04	125600.00	भारत ट्रेडर्स को भुगतान
4.	18.08.2021	05	61400.00	भारत ट्रेडर्स को भुगतान
5.	18.08.2021	06	61600.00	भारत ट्रेडर्स को भुगतान
6.	23.08.2021	07	61286.00	भारत ट्रेडर्स को भुगतान
		योगः-	491086.00	

लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा "कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक या नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है "कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव से की जायेगी, अतः व्यय धनराशि रू० 491086.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री दीपक मौर्या व सचिव अभय प्रताप दीपक से समान रूप से व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – औरंगाबाद विकास खण्ड – गोंदलामऊ जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-39- ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि 5वाँ वित्त के खाता संख्या 59001283503 से व्यय किया जाना दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्नवत् -

क्र०सं०	दिनाँक	प्रमाणक	धनराशि	विवरण
1.	18.12.2021	27	293000.00	अशोक मिश्रा ट्रेडर्स को भुगतान
2.	17.01.2022	32	49500.00	ओम सांई ट्रेडर्स का भुगतान
3.	18.01.2022	34	92100.00	ओम सांई ट्रेडर्स का भुगतान
		योगः-	434600.00	

उपरोक्त व्यय सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा "कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक या नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है "कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी, अतः व्यय धनराशि रू० 434600.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री नफीस अहमद व सचिव अभय प्रताप, दीपक से समान रूप से व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-40- ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक व स्टेटमेन्ट से ज्ञात हुआ कि 5वाँ वित्त खाता संख्या 050521884881 से कई कार्यों पर व्यय किया गया है। विवरण निम्नवत् है-

क्र०सं०	दिनाँक	प्रमाणक	धनराशि	विवरण

1.	13.01.2022	24	40932.00	लेबर को भुगतान
2.	20.01.2022	25	92200.00	प्रेम इण्टर प्राइजेज का भुगतान
3.	21.02.2022	32	36384.00	लेबर को भुगतान
		योगः-	169516.00	

उपरोक्त व्यय धनराशि रू0 169516.00 से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा "कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक या नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है "कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी, अतः व्यय धनराशि रू० 169516.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री नफीस अहमद व सचिव अभय प्रताप दीपक से समान रूप से व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - उदईपुर पश्चिमी विकास खण्ड – गोंदलामऊ जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-41- ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में स्टेटमेन्ट से ज्ञात हुआ कि 5वाँ वित्त के खाता संख्या 59001283819 से दिनाँक 10-05-2021 को व्यय किया जाना दर्शित है विवरण निम्नवत् –

क्र०सं०	दिनाँक	धनराशि	व्यय विवरण	विवरण
1.	10.05.2021	11500.00	अप्राप्त	कैशबुक नहीं बनायी गयी।
2.	10.05.2021	19932.00	अप्राप्त	
3.	10.05.2021	27500.00	अप्राप्त	
4.	10.05.2021	48200.00	अप्राप्त	
5.	10.05.2021	48200.00	अप्राप्त	
6.	10.05.2021	38040.00	अप्राप्त	
	योगः-	145172.00		

जिससे सापेक्ष कैशबुक व प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके कुल व्यय धनराशि रू0 145172.00 के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा "कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक या नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है "कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी, अतः व्यय धनराशि रू० 145172.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार व सचिव श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-42- ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में स्टेटमेन्ट से ज्ञात हुआ कि 5वाँ वित्त दिनाँक 03-02-2022 को प्रमाणक संख्या 03 से रू० 51000.00 का भुगतान भारत ट्रेडर्स को प्रशासनिक व्यय हेतु किया गया। परन्तु लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक व कोटेशन प्रस्तुत नहीं किया गया ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा "कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक या नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खण्ड (क) में प्राविधान है "कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी, अतः व्यय धनराशि रू० व्याजसहित 51000.00 को

गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार व सचिव अभय प्रताप से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नटवल ग्रंट विकास खण्ड – गोंदलामऊ जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-43- ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि 5वाँ वित्त के खाता संख्या 50314494162 से निम्न विवरण के अनुसार धनराशि व्यय की गयी। विवरण निम्नवत् -

क्र०सं०	प्रमाणक	दिनाँक	धनराशि	विवरण
1.	10	08.12.2021	59360.00	हैण्डपम्प रिबोर
2.	14	30.03.2022	29690.00	हैण्डपम्प रिबोर
		योगः-	89040.00	

उपरोक्त व्यय रू० 89040.00 से सम्बन्धित लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर आपत्तियाँ पायी गयी-

1. लेखा परीक्षा में कोटेशन प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि व्यय धनरराशि रू० 20000.00 से अधिक है।
2. अप्रयुक्त सामग्री का विक्रय कर धनराशि का विवरण कैशबुक में अंकित नहीं किया गया। जिससे धनराशि अप्राप्त रही।
3. रिबोर से सम्बन्धित धनराशि रू० 89040.00 में गम्भीर वित्तीय अनियमितता का प्रकरण है जिसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री बालक राम व सचिव श्री रामस्वरूप हैं जाँचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गोपालपुर पूर्वी विकास खण्ड – गोंदलामऊ जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-44- ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक व स्टेटमेन्ट से ज्ञात हुआ कि 5वाँ वित्त के खाता संख्या 50522003711 से दिनाँक 07-02-2022 को प्रमाणक संख्या 20 से रू० 41440.00 का भुगतान मिश्रा मशीनरी स्टोर्स को हैण्डपम्प रिबोर हेतु किय गया। परन्तु लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक व कोटेशन प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक या नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी अतः व्यय धनराशि रू० 41440.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संजू देवी व सचिव श्री अभय प्रताप दीपक से समान रूप से व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - हिंडौरा विकास खण्ड – गोंदलामऊ जनपद सीतापुर

प्र०सं०-45- ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक व स्टेटमेन्ट से ज्ञात हुआ कि 5वाँ वित्त से प्रमाणक संख्या 08 से दिनाँक 29-11-2021 को मिश्रा ब्रिक फील्ड से रू० 69615.00 का ईंट क्रय किया गया तथा दिनाँक 08-01-2022 को रू० 100000.00 से सांई ट्रेडर्स से सी०सी० सामग्री क्रय की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक व कोटेशन प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक या नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी अतः व्यय धनराशि रू० 169615.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती श्यामा देवी व सचिव श्री राम प्रताप यादव से समान रूप से व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – इस्माइलगंज विकास खण्ड – गोंदलामऊ जनपद सीतापुर

प्र०सं०-46- ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक व स्टेटमेन्ट से ज्ञात हुआ कि

5वाँ वित्त के खाता संख्या 59001283592 से दिनाँक 25-11-2021 को प्रमाणक संख्या 09 से रू0 5000.00 प्रशासनिक व्यय व दिनाँक 10-03-2022 को प्रमाणक संख्या 19 से रू० 49500.00 का बालाजी ट्रेडर्स को भुगतान दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। क्रय 49500.00 से सम्बन्धित कोई प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक या नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी अतः व्यय धनराशि रू0 54500.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी व सचिव श्री राम प्रताप यादव से समान रूप से व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चौपरिया विकास खण्ड – गोंदलामऊ जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-47- ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक व स्टेटमेन्ट से ज्ञात हुआ कि दिनाँक 06-10- 2021 को प्रमाणक संख्या 05 से रू० 9800.00 भुगतान श्री वेदप्रकाश को तथा पुनः दिनाँक 06-01-2021 को प्रमाणक संख्या 05 से ही रू० 5628.00 का भुगतान श्री श्रवण को किया गया। परन्तु लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। यह धनराशि 15वाँ वित्त खाता संख्या 0050521888172 से व्यय किया गया है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक या नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं खण्ड 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी अतः व्यय धनराशि रू० 15428.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री जानकी प्रसाद व सचिव श्री जितेन्द्र कुमार से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – ढकहा विकास खण्ड – गोंदलामऊ जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-48- ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक व स्टेटमेन्ट से ज्ञात हुआ कि दिनाँक 28-10- 2021 को रू० 61400.00 का भुगतान श्री साकीर हुसैन मिल को किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में इससे सम्बन्धित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया तथा कैशबुक में प्रमाणक संख्या भी अंकित नहीं की गयी। यह धनराशि किसा कार्य हेतु व्यय की गयी विवरण अप्राप्त रहा। यह धनराशि 15वाँ वित्त खाता संख्या 5900128393 से व्यय की गयी है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक या नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं खण्ड 8 (क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी अतः व्यय धनराशि रू० 61400.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता व सचिव श्री विवेक अवस्थी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बालपुर विकास खण्ड – गोंदलामऊ जनपद सीतापुर

प्र०सं०-49- ग्राम पंचायत की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कैशबुक व स्टेटमेन्ट से ज्ञात हुआ कि 15वाँ वित्त के खाता संख्या 59001283626 से दिनाँक 20-10-2021 को प्रमाणक संख्या 01 से रू० 99450.00 का व्यय आवेश ट्रेडर्स से ह्यूम पाइप क्रय हेतु दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा में यह धनराशि किस कार्य हेतु व्यय की गयी विवरण अप्राप्त रहा तथा कोटेशन व प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह व्यय धनराशि संदिग्ध प्रतीत होती है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे

सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक या नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं खण्ड (क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी अतः व्यय धनराशि रू० 99450.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री दीपक पाल व सचिव श्री विवेक अवस्थी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – पिपरी विकास खण्ड – रामपुरमथुरा जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-50- ग्राम पंचायत पिपरी विकास खण्ड रामपुरमथुरा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1	2021-22	3865392.84	1383603.00
	योगः-	3865392.84	1383603.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 1383603.00 को गम्भीर वित्तीय अपहरण की अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन गौतम व मयुरेश राय तथा ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बसावनपुर विकास खण्ड – रामपुरमथुरा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-51- ग्राम पंचायत बसावनपुर विकास खण्ड रामपुरमथुरा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार- बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1	2021-22	1883674.00	1096042.00
	योगः-	1883674.00	1096042.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 1096042.00 को गम्भीर वित्तीय उपहर की पहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार व जगदेव तथा ग्राम प्रधान श्री रावुन्द्र यादव पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बाकरनगर विकास खण्ड - रामपुरमथुरा जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-52- ग्राम पंचायत बाकरनगर विकास खण्ड रामपुरमथुरा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार- बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1	2021-22	12690007.00	1174311.00
	योगः-	12690007.00	1174311.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबहीं, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि अपहरण की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 1174311.00 को पहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार व जगदेव तथा, तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री भगवानदीन पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मितौरा विकास खण्ड – रामपुरमथुरा जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-53- ग्राम पंचायत मितौरा विकास खण्ड रामपुरमथुरा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में -ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1	2021-22	3680106.00	200676.00
	योगः-	3680106.00	200676.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे

सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 200676.00 को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए श्री पवन गौतम व संजीव तथा ग्राम प्रधान श्री आलोक श्रीवास्तव पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – भागीपुर 'विकास खण्ड – रामपुरमथुरा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-54- ग्राम पंचायत भागीपुर विकास खण्ड रामपुरमथुरा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1	2021-22	3949638.00	1420586.00
	योगः-	3949638.00	1420586.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 1420586.00 को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री शिव कुमार कश्यप श्री विवेक अवस्थी तथा ग्राम प्रधान श्रीमती महेश्वरी देवी पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - मझिगवां विकास खण्ड – रामपुरमथुरा जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-55- ग्राम पंचायत मझिगवां विकास खण्ड रामपुरमथुरा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1	2021-22	3955624.00	1202509.00
	योगः-	3955624.00	1202509.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे

सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 1202509.00 को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव सुश्री जुही ग्राम पंचायत सचिव सुश्री जुही जायसवाल तथा ग्राम प्रधान श्री अम्बिका मौर्या पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चन्दनपुर विकास खण्ड – रामपुरमथुरा जनपद सीतापुर

प्र०स०-56- ग्राम पंचायत चन्दनपुर विकास खण्ड रामपुरमथुरा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1	2021-22	2441537.00	1252320.00
	योगः-	2441537.00	1252320.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 1252320.00 को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रक्षित कुमार व श्री संजीव गुप्ता तथा ग्राम प्रधान श्री अशोक यादव पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - इटिया विकास खण्ड – रामपुरमथुरा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-57- ग्राम पंचायत इटिया विकास खण्ड रामपुरमथुरा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1	2021-22	4251277.00	1206087.00
	योगः-	4251277.00	1206087.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8

के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख, उपलब्ध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबहीं, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 1206087.00 को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक यादव व रोहिणी शुक्ला तथा ग्राम प्रधान श्री अमरेन्द्र कुमार पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चांदपुर फरीदपुर विकास खण्ड – रामपुरमथुरा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-58- ग्राम पंचायत चांदपुर फरीदपुर विकास खण्ड रामपुरमथुरा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् है।

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1	2021-22	7047218.00	2321209.00
	योगः-	7047218.00	2321209.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 2321209.00 को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रक्षित कुमार व श्री आलोक यादव तथा ग्राम प्रधान श्रीमती रीता वर्मा पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ग्वाहडीह विकास खण्ड - रामपुरमथुरा जनपद सीतापुर

प्र०स०-59- ग्राम पंचायत ग्वाहडीह विकास खण्ड रामपुरमथुरा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1	2021-22	7047218.00	2321209.00
	योगः-	7047218.00	2321209.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया

प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।",

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबहीं, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 1364757.00 को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक यादव व तत्कालीन सचिव तथा ग्राम प्रधान श्री देव नारायण पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – जयरामपुर विकास खण्ड – रामपुरमथुरा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-60- ग्राम पंचायत जयरामपुर विकास खण्ड रामपुरमथुरा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार- बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1	2021-22	1740576.00	4989104.00
	योगः-	1740576.00	4989104.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 4989104.00 को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रक्षित कुमार व सुश्री जूही जायसवाल तथा ग्राम प्रधान श्रीमती उमा देवी पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - पारा रमनगरा विकास खण्ड – रामपुरमथुरा जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-61- ग्राम पंचायत पारा रमनगरा विकास खण्ड रामपुरमथुरा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार- बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय

1	2021-22	4071900.00	2341912.00
	योगः-	4071900.00	2341912.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 2341912.00 को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संतोष कुमार व श्री पुलाम आट भागर्व तथा ग्राम प्रधान श्री अजय सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – डफरा विकास खण्ड – रामपुरमथुरा जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-62- ग्राम पंचायत डफरा विकास खण्ड रामपुरमथुरा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं-

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1	2021-22	2724453.00	1311337.00
	योगः-	2724453.00	1311337.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 1311337.00 को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संतोष कुमार सुश्री सविता यादव तथा ग्राम प्रधान श्री हरिनाम सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - ढखवा विकास खण्ड – रामपुरमथुरा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-63- ग्राम पंचायत ढखवा विकास खण्ड रामपुरमथुरा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं-

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1	2021-22	4007824.00	362700.00
	योगः-	4007824.00	362700.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 362700.00 को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान श्रीमती शिल्पी सिंह पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – तुलापुर विकास खण्ड – रामपुरमथुरा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-64- ग्राम पंचायत तुलापुर विकास खण्ड रामपुरमथुरा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1	2021-22	2431040.00	1423618.00
	योगः-	2431040.00	1423618.00

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि अपहरण की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि रू० 1423618.00 को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन गौतम, श्री आलोक व सुश्री सविता यादव तथा ग्राम प्रधान श्रीमती नूरूल पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं, जिसे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – लोधौरा विकास खण्ड – बिसवां जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-65- ग्राम पंचायत लोधौरा विकास खण्ड बिसवां की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत् है -

क्र०सं०	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनाँक	धनराशि	भुगतान का मद
1	16	10.09.2021	35000.00	न्यू दुर्गा ट्रेडर्स को पंचायत भवन निर्माण हेतु सामग्री क्रय का भुगतान। (राज्य वित्त)
		योगः-	35000.00	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" एवं खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० 35000.00 के सापेक्ष बाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शिवनन्दन और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार उत्तरदायी हैं। नियमानुसार धनराशि रू0 35000.00 की वसूली ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव से समान रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – मनिकापुर विकास खण्ड – बिसवां जनपद सीतापुर

प्र०सं०-66- ग्राम पंचायत मनिकापुर विकास खण्ड बिसवां की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत् है -

क्र०सं०	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनाँक	धनराशि	भुगतान का मद
1	31	10.02.2022	17402.00	ईंट क्रय डालचन्द पुरवा में मन्दिर के प्रांगण में इण्टर लॉकिंग कार्य हेतु (राज्य वित्त)
2.	32	18.02.2022	70800.00	पंचायत भवन निर्माण हेतु टाइल्स क्रय (राज्य वित्त)
		योगः-	88202.00	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" एवं खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० 88202.00 के सापेक्ष बाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमावती और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप कुमार गुप्ता, उत्तरदायी हैं। नियमानुसार धनराशि

रू० 88202.00 की वसूली ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव से समान रूप से व्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – चहारपुर विकास खण्ड – बिसवां जनपद सीतापुर

प्र०सं०-67- ग्राम पंचायत चहारपुर विकास खण्ड बिसवां की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत् है -

क्र०सं०	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनाँक	धनराशि	भुगतान का मद
1	14	28.10.2021	21310.00	नल मरम्मत हेतु भुगतान (अमन नीर स्टोर) (राज्य वित्त से)
2.	16	30.12.2021	58104.00	मस्टररोल खडन्जा कार्य सी०सी० रोड से मुन्नीलाल के खेत तक। (राज्य वित्त से)
3.	20	11.03.2022	18750.00	प्रा०वि० चहारपुर में शौचालय मरम्मत हेतु सामग्री क्रय का भुगतान।(राज्य वित्त से)
4.	21	11.03.2022	6260.00	प्रा०वि० चहारपुर में विद्युत वाइरिंग हेत भुगतान। (राज्य वित्त से)
		योगः-	107424.00	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" एवं खण्ड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० 107424.00 के सापेक्ष बाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कौशल कुमार और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप कुमार गुप्ता उत्तरदायी हैं। नियमानुसार धनराशि रू० 107424.00 की वसूली ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव से समान रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – न्यामतपुर विकास खण्ड – बिसवां जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-68- ग्राम पंचायत न्यामतपुर विकास खण्ड बिसवां की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत् है –

क्र० सं०	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनाँक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	4	02.08.2021	7000.00	बालाजी ट्रेडर्स को पंचायत भवन की सामग्री क्रय का भुगतान। (राज्य वित्त से)
2.	5	02.08.2021	30000.00	बालाजी ट्रेडर्स को पंचायत भवन की सामग्री क्रय का भुगतान।(राज्य वित्त से)
3.	6	21.08.2021	56000.00	बालाजी ट्रेडर्स को पंचायत भवन की सामग्री क्रय का भुगतान।(राज्य वित्त से)
4.	7	31.12.2021	49690.00	बालाजी ट्रेडर्स को पंचायत भवन की सामग्री क्रय का भुगतान।(राज्य वित्त से)
5.	8	07.02.2022	25000.00	बालाजी ट्रेडर्स को ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी केन्द्र पर बूथ मरम्मत हेतु भुगतान। (राज्य वित्त से)
		योगः-	167690.00	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" एवं खण्ड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० 167690.00 के सापेक्ष बाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र कुमार और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार व श्री राधेश्याम यादव उत्तरदायी हैं। नियमानुसार धनराशि रू० 167690.00 की वसूली ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव से समान रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बिसेण्डा विकास खण्ड – बिसवां जनपद सीतापुर

प्र०सं०-69- ग्राम पंचायत बिसेण्डा विकास खण्ड बिसवां की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत् है –

क्र० सं०	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनाँक	धनराशि	भुगतान का मद

1.	30	28.02.2022	93350.00	पंचायत भवन हेतु फर्नीचर क्रय भुगतान। (राज्य वित्त से)
2.	35	14.03.2022	24780.00	हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान। (राज्य वित्त से)
		योगः-	118130.00	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" एवं खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० 118130.00 के सापेक्ष बाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती राजरानी वर्मा और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप कुमार गुप्ता उत्तरदायी हैं। नियमानुसार धनराशि रू० 118130.00 की वसूली ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव से समान रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – भीरा विकास खण्ड – बिसवां जनपद सीतापुर

प्र०सं०-70- ग्राम पंचायत भीरा विकास खण्ड बिसवां की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत् है –

क्र० सं०	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनाँक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	10	30.07.2021	58400.00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान। (राज्य वित्त से)
2.	11	30.07.2021	58400.00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु भुगतान। (राज्य वित्त से)
3.	38	31.12.2021	35500.00	रौनक इण्टर प्राइजेज को कुर्सी, मेज, अलमारी क्रय हेतु भुगतान। (राज्य वित्त से)
4.	48	04.03.2022	20009.00	प्रा०वि० में मिट्टी ढुलाई हेतु भुगतान। (राज्य वित्त से)
5.	49	04.03.2022	25092.00	म०रो० प्रा०वि० में मिट्टी पटाई कार्य। (राज्य वित्त से)
6.	11	28.10.2021	24072.00	ग्राम पंचायत में मिट्टी पटाई कार्य । (पन्द्रहवाँ वित्त)
7.	12	28.10.2021	24072.00	ग्राम पंचायत में मिट्टी पटाई कार्य । (पन्द्रहवाँ वित्त)
		योगः-	245545.00	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर

तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" एवं खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० 245545.00 के सापेक्ष बाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवधेश चन्द्र और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राधेश्याम उत्तरदायी हैं। नियमानुसार धनराशि रू० 245545.00 की वसूली ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव से समान रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - गोधनी सरैया विकास खण्ड – बिसवां जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-71- ग्राम पंचायत गोधनी सरैया विकास खण्ड बिसवां की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	कैशबुक व्यय क्रमांक	दिनाँक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	16	25.01.2022	103710.00	सुन्दरलाल कान्सट्रक्शन कम्पनी को भुगतान। (15वाँ वित्त से)
		योगः-	103710.00	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" एवं खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० 103710.00 के सापेक्ष बाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमाकान्त और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक कुमार गोस्वामी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार धनराशि रू0 103710.00 की वसूली ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव से समान रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कमुआ विकास खण्ड – बिसवां जनपद सीतापुर

प्र०सं०-72- ग्राम पंचायत कमुआ विकास खण्ड बिसवां की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार विभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दर्शित है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्रावलियाँ नियमानुसार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किए गए व्ययों का विवरण निम्नवत् है -

क्र०	कैशबुक	दिनाँक	धनराशि	भुगतान का मद

सं०	व्यय क्रमांक			
1.	3	10.05.2021	56500.00	हैण्डपम्प रिबोर हेतु अमन नील स्टोर को भुगतान। (राज्य वित्त से)
2.	17	31.10.2021	32822.00	ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर मिट्टी पटाई (राज्य वित्त से)
		योगः-	89322.00	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" एवं खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सचिव ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० 89322.00 के सापेक्ष बाउचर (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रही, जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती हीरा देवी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री योगेन्द्र वर्मा उत्तरदायी हैं। नियमानुसार धनराशि रू० 89322.00 की वसूली ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव से समान रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – कुचलैया विकास खण्ड – सकरन जनपद सीतापुर

प्र०सं०-73- ग्राम पंचायत कुचलैया विकास खण्ड सकरन की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई- ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं –

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1.	2021-22	1392359.00	1179104.00
	योगः-	**1392359.00**	**1179104.00**

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबहीं, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, क्रू प्रकर- 8(क) मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री ब्रजेश सिंह तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री पुतान भार्गव तथा श्री सुभाष दीक्षित पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित रही। जिससे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - नसीरपुर अन्द्वपुर विकास खण्ड- सकरन जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-74- ग्राम पंचायत नसीरपुर अन्द्वपुर विकास खण्ड सकरन की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा

परीक्षा हेतु बार- बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1.	2021-22	2669328.95	1607442.00
	योगः-	**2669328.95**	**1607442.00**

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख, उपलब्ध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा मैनुअल के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती पूनम सिंह, तथा ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सोनम श्रीवास्तव प्रधान पूर्ण रूप से उत्तरदायी है, जिससे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सेमराखुर्द विकास खण्ड – सकरन जनपद सीतापुर

प्र०सं०-75- ग्राम पंचायत सेमराखुर्द विकास खण्ड सकरन की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई- ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं

-सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं", परन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक व बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट के परीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत के केन्द्रीय वित्त खातों से कुल रू० 180045.00 विभिन्न तिथियों में आहरित/अंतरित किया गया जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान द्वारा अंतरित/आहरित धन का विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	मद	कार्य का नाम	फर्म का नाम	बाउचर संख्या	दिनाँक	धनराशि
1-	केन्द्रीय वित्त	रामप्रकाश के मकान से ब्रजकिशोर के मकान तक नाली निर्माण	अवस्थी ट्रेडर्स	17	01.11.2021	63073000
2.	केन्द्रीय वित्त	केन्द्रीय वित्त बबलू के मकान से गढहो के मकान तक नाली निर्माण	अवस्थी ट्रेडर्स	25	02.01.2022	31191.00
3.	केन्द्रीय वित्त	प्रा०वि० में शौचालय मरम्मत	अवस्थी ट्रेडर्स	30	29.01.2022	29345.00
4.	केन्द्रीय	केन्द्रीय वित्त हीरालाल के	मिश्रा ट्रेडर्स	अज्ञात	19.03.2022	56436.00

	वित्त	मकान से ओमकार के मकान तक इण्टर लॉकिंग				
					योगः-	180045.00

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रू० 180045.00 आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो कि लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू० 180045.00 की वसूली समान रूप से ग्राम प्रधान श्री उमेश अवस्थी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन जौहरी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - चमखर विकास खण्ड – महोली जनपद सीतापुर

प्र०सं०-76- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत चमखर के तत्कालीन सिचव व ग्राम प्रधान द्वारा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित ि नियमों की अवहेलना की गयी है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सिचव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं", लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक व बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट के परीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत के केन्द्रीय परन्तु वित्त खातों से कुल रू0

51731.00 विभिन्न तिथियों में आहरित/अंतरित किया गया जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान द्वारा अंतरित/आहरित धन का विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	मद	कार्य का नाम	फर्म का नाम	बाउचर संख्या	दिनाँक	धनराशि
1-	केन्द्रीय वित्त	पंचायत भवन मरम्मत	मिश्रा मशीनरी स्टोर	19	20.10.2021	17682.00
2.	केन्द्रीय वित्त	पंचायत भवन मरम्मत	उमेश ट्रेडर्स	27	03.01.2022	34049.00
					योगः-	51731.00

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रू० 51731.00 आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो कि लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू0 51731.00 की वसूली समान रूप से ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन जौहरी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संध्या देवी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्र०सं०-77- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत चमखर के तत्कालीन सिचव व ग्राम प्रधान द्वारा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना की गयी है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सिचव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा

नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं", परन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक व बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट के परीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत के राज्य वित्त खातों से कुल रू० 152282.00 विभिन्न तिथियों में आहरित/अंतरित किया गया जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक, बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान द्वारा अंतरित/आहरित धन का विवरण निम्नवत् है –

क्र० सं०	मद	कार्य का नाम	फर्म का नाम	बाउचर संख्या	दिनाँक	धनराशि
1.	राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	अज्ञात	02	26.07.2021	19858.00
2.	राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	लक्ष्मी ट्रेडर्स	04	26.07.2021	19300.00
3.	राज्य वित्त	ठेलिया क्रय	अज्ञात	12	04.09.2021	19824.00
4.	राज्य वित्त	नल रिबोर	मिश्रा मशीनरी	15	01.10.2021	26750.00
5.	राज्य वित्त	नल रिबोर	मिश्रा मशीनरी	16	01.10.2021	26750.00
6.	राज्य वित्त	नल रिबोर	मिश्रा मशीनरी	20	27.10.2021	19906.00
7.	राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	मिश्रा मशीनरी	30	25.01.2022	19894.00
				योगः-		152282.00

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रू० 152282.00 आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो कि लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू० 152282.00 की वसूली समान रूप से ग्राम पंचायत सचिव श्री पवन जौहरी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संध्या देवी से व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - कैमहरा रघुवरदयाल विकास खण्ड – महोली जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-78- ग्राम पंचायत कैमहरा रघुवरदयाल विकास खण्ड महोली वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार- बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सिचव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अविध की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। उक्त अविध में ग्राम पंचायत की कैशबुक अप्राप्त होने के कारण आय- व्यय की स्थित पूर्णतया अज्ञात रही। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई- ग्राम स्वराज पर दिर्शत व्यय पर अधिभार की कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं –

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1.	2021-22	1366887.00	628692.00

	योगः-	**1366887.00**	**628692.00**

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलबध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा अनुभाग के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया अपहरण को बैग प्रस्ताव जाता है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री भोले शंकर दीक्षित एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीष श्रीवास्तव पूर्णरूप से उत्तरदायी है, जिससे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – रहमतपुरग्रंट विकास खण्ड – महोली जनपद सीतापुर

प्र०सं०-79- ग्राम पंचायत रहमतपुरग्रंट विकास खण्ड महोली वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सिचव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अविध की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। उक्त अविध में ग्राम पंचायत की कैशबुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिित पूर्णतया अज्ञात रही। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दिर्शत व्यय पर अधिभार की कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं-

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1.	2021-22	2435515.00	856124.00
	योगः-	**2435515.00**	**856124.00**

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलबध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा अनुभाग के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीवास्तव पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं, जिससे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – आम्बी विकास खण्ड – पिसावां जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-80- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत आम्बी के तत्कालीन सिचव व ग्राम प्रधान द्वारा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित ि नयमों की अवहेलना की गयी है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सिचव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए", परन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेंट के परीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत के केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त खातों से कु ल रू० 229301.00 ि विभन्न ि तिथयों में आहरित/अंतरित किया गया जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक तथा अन्य

सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान द्वारा अंतरित/आहरित धन का विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	मद	कार्य का नाम	फर्म का नाम	बाउचर संख्या	दिनाँक	धनराशि
1.	राज्य वित्त	सफाई उपकरण खरीद	शीलू कान्सट्रक्शन	18	02.12.2021	19700.00
2.	राज्य वित्त	इण्टर लॉकिंग कार्य	आकाश गुप्ता	28	28.03.2022	169073.00
3.	केन्द्रीय वित्त	मस्टररोल मजदूरी भुगतान	-	30	11.02.2022	40528.00
				योगः-		229301.00

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित, व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रू० 229301.00 आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो कि लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) के अनुसार "यदि दशाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू० 229301.00 की वसूली मय ब्याज सहित समान रूप से ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार एवं प्रधान श्री रामू लाल से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – विचपरिया विकास खण्ड – पिसावां जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-81- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत विचपरिया के तत्कालीन सिचव व ग्राम प्रधान द्वारा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना की गयी है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सिचव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए", परन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेंट के परीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत के केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त खातों से कुल रू० 100300.00 विभिन्न तिथियों में आहरित/अंतरित किया गया जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान द्वारा अंतरित/आहरित धन का विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	मद	कार्य का नाम	फर्म का नाम	बाउचर संख्या	दिनाँक	धनराशि
1.	राज्य वित्त	पंचायत कार्यालय हेतु इन्फ्वेंचर	एस० आर०	5	28.01.2022	100300.00
				योगः-		100300.00

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित, व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रू० 100300.00 आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो कि लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दशाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान

ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी। इस प्रकार उक्त धनराशि रू० 100300.00 की वसूली मय ब्याज सहित समान रूप से ग्राम पंचायत सचिव श्री वीरेन्द्र गुप्ता एवं प्रधान श्री अखिलेश से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – ढखियाकलां विकास खण्ड – पिसावां जनपद सीतापुर

प्र०सं०-82- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत ढखियाकलां के तत्कालीन सिचव व ग्राम प्रधान द्वारा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना की गयी है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सिचव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए", परन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेंट के परीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत के केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त खातों से कुल रू० 179595.00 विभिन्न तिथियों में आहरित/अंतरित किया गया जिसके सापेक्ष व्यय. प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान द्वारा अंतरित/आहरित धन का विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	मद	कार्य का नाम	फर्म का नाम	बाउचर संख्या	दिनाँक	धनराशि
1.	राज्य वित्त	केन्द्रीय वित्त नाली पर पत्थर निर्माण सामग्री	क्रय मेसर्स फौजी ट्रेडर्स	39	21.02.2022	179595.00
				योगः-		179595.00

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित, व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रू० 179595.00 आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो कि लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) के अनुसार "यदि दशाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू० 179595.00 की वसूली मय ब्याज सहित समान रूप से ग्राम पंचायत सचिव श्री सुनील कुमार एवं प्रधान श्रीमती परवीन से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – फरीदपुर विकास खण्ड – पिसावां जनपद सीतापुर

प्र०सं०-83- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत फरीदपुर के तत्कालीन सिचव व ग्राम प्रधान द्वारा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना की गयी है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सिचव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए", परन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेंट के परीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत के केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त खातों से कुल रू० 138051.00 विभिन्न तिथियों में आहरित/अंतरित किया गया जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्राविलयाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत सिचव तथा ग्राम प्रधान द्वारा अंतरित/आहरित धन का विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	मद	कार्य का नाम	फर्म का नाम	बाउचर संख्या	दिनाँक	धनराशि
1.	राज्य वित्त	पंचायत भवन निर्माण सामग्री क्रय	एस०आर० इन्फ्रावेंचर	02	29.04.2021	54879.00
2	राज्य वित्त	पंचायत	एस०आर०	12	24.10.2021	31772.00

		भवन निर्माण सामग्री क्रय	इन्फ्रावेंचर			
3	राज्य वित्त	हैण्डपम्प रिबोर मिस्त्री	कामता प्रसाद पुत्र नेतराम	15	11.02.2022	51400.00
					योगः-	138051.00

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित, व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण पंचायत द्वारा किये गए व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रू० 138051.00 आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो कि लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड (क) के अनुसार "यदि दशाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू० 138051.00 की वसूली मय ब्याज सहित समान रूप से ग्राम पंचायत सचिव श्री शैलेन्द्र सिंह एवं प्रधान श्री मोहन लाल से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – बसंतापुर विकास खण्ड – बेहटा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-84- ग्राम पंचायत बसंतापुर विकास खण्ड बेहटा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सिचव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अविध की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई- ग्राम स्वराज पर दिर्शत व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं-

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1.	2021-22	2841816.00	1937597.00
	योगः-	**2841816.00**	**1937597.00**

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलबध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा अनुभाग के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि अपहरण की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती आईशा निशा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री नीतीश वर्मा पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं, जिससे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – अकबरपुर विकास खण्ड – बेहटा जनपद सीतापुर

प्र०सं०- 85- ग्राम पंचायत अकबरपुर विकास खण्ड बेहटा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सिचव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अविध की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई- ग्राम स्वराज पर दिर्शत व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय

1.	2021-22	3209034.00	1948364.00
	योगः-	**3209034.00**	**1948364.00**

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलबध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा अनुभाग के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती सरवर जहाँ एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री साजिद अली पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं, जिससे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – सेतुही विकास खण्ड – बेहटा जनपद सीतापुर

प्र०सं०-86ग्राम पंचायत सेतुही विकास खण्ड बेहटा की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सिचव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अविध की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दिर्शत व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं-

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1.	2021-22	10601542.00	1955534.00
	योगः-	**10601542.00**	**1955534.00**

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलबध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा अनुभाग के प्रस्तर-8(क)के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री साजिद अली पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं, जिससे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - अकबरपुर उनई विकास खण्ड – सिधौली जनपद सीतापुर

प्र०सं०-87- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि ग्राम पंचायत सिचव द्वारा रू० 59980.00 के कम्प्यूटर व उसके उपकरणों की खरीद पंचायत भवन हेतु दिनाँक 17-03-2023 को बाउचर संख्या 17 द्वारा गीता ट्रेडिंग कम्पनी से की गयी। उक्त खरीद में क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोटेशनों में पाया गया कि सम्बन्धित कोटेशनों की भाषा समान है तथा किसी भी कोटेशन फार्म पर क्रय की जाने वाली सामग्री की दर अंकित नहीं है और न ही कार्य से सम्बन्धित समिति के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं जो कि लेखा मैन्युअल के अध्याय 7(4) एवं शासनादेश संख्या ए-1-

864/दस-08-15(1)/86 दिनाँक 23 सितम्बर 2008 में दिए गये निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

उपरोक्तानुसार कम्प्यूटर व उसके उपकरणों की खरीद में अनियमितता की गयी, प्रधान श्री विनोद कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। नियमानुसार कार्यवाही किये जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – लहुरिवान विकास खण्ड – सिधौली जनपद सीतापुर

प्र०सं०-88- पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना करता है, जिसमें ये उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" परन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट के परीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत के केन्द्रीय वित्त एवं राज्य वित्त खातों से कुल रू० 394966.00 विभिन्न तिथियों में आहरित किया गया जिसके सापेक्ष कैशबुक (दिनाँक 01 अप्रैल 2021 से 31 अगस्त 2021 तक) व व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान द्वारा अंतरित धन का विवरण निम्नवत् है

क्र०सं०	मद	खाता संख्या	दिनाँक	धनराशि
1-	राज्य वित्त	59001293849	12.07.2021	34636.00
2.	राज्य वित्त	59001293849	12.07.2021	4500.00
3.	राज्य वित्त	59001293849	31.07.2021	8473.00
4.	केन्द्रीय वित्त	50521700677	08.07.2021	81000.00
5.	केन्द्रीय वित्त	50521700677	12.07.2021	135490.00
6.	केन्द्रीय वित्त	50521700677	12.07.2021	85842.00
7.	केन्द्रीय वित्त	50521700677	09.08.2021	23190.00
8.	केन्द्रीय वित्त	50521700677	09.08.2021	21835.00
			योगः-	394966.00

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रू० 394966.00 का आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो कि लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू0 394966.00 की मय ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक श्रीवास्तव एवं प्रधाना श्री ओमकार से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रनुआपारा विकास खण्ड – सिधौली जनपद सीतापुर

प्र०सं० -89- ग्राम पंचायत रनुआपारा विकास खण्ड सिधौली की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सिचव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अविध की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दिर्शत व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1.	2021-22	2206384.00	1789325.00

	योगः-	**2206384.00**	**1789325.00**

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलबध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा अनुभाग के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री सेवकराम एवं श्री ब्रजेश कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती विनोदनी पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं, जिससे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रामनगर विकास खण्ड – एलिया जनपद सीतापुर

प्र०सं०-90- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत रामनगर के तत्कालीन सिचव व ग्राम प्रधान द्वारा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना की गयी है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सिचव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" परन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट के परीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत के राज्य वित्त खाते से कुल रू० 98301.00 दिनाँक 26-07-2021 को ग्राम पंचायत में ह्यूम पाइप क्रय हेतु सिंह स्पन पाइप सप्लायर को आहरित/अंतरित किया गया जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्राविलयाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में ऐसा कोई भी कार्य नहीं कराया गया जिससे यह सिद्ध हो सके के उक्त पाइपों का प्रयोग हुआ हो, साथ ही उक्त व्यय पर आलोच्य वर्ष में मजदूरी शून्य रही जो कि खरीद को संदिग्ध बनाती है। जिसकी जाँच कराई जानी अपेक्षित रही।

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किया गया व्यय लेखा परीक्षा में अपुष्टित रहा। स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रू० 98301.00 आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो कि लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू० 98301.00 की वसूली मय ब्याज सहित समान रूप से ग्राम पंचायत सचिव श्री नन्हेलाल एवं प्रधान श्रीमती रेखा देवी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सहरोई कालिकाबक्श विकास खण्ड – एलिया जनपद सीतापुर

प्र०सं०-91- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत सहरोई कालिकाबक्श के तत्कालीन सिचव व ग्राम प्रधान द्वारा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना की गयी है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सिचव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा ि नयमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" परन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट के परीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत के राज्य वित्त खाते से कुल रू० 241657.00 विभिन्न तिथियों में आहरित/अंतरित किया गया जिसके सापेक्ष कैशबुक (दिनाँक 01 अप्रैल 2021 से 31 जुलाई 2021 तक) व व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्राविलयाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत सिचव तथा ग्राम प्रधान द्वारा अंतरित/आहरित धन का

विवरण निम्नवत् है.

क्र० सं०	मद	कार्य का नाम	फर्म का नाम	बाउचर संख्या	दिनाँक	धनराशि
1.	राज्य वित्त	हैण्डपम्प मरम्मत	मो० इम्तियाज इण्टर प्राइजेज	01	17.05.2021	16220.00
2	राज्य वित्त	ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव	शीतला इण्टर प्राइजेज	02	19.05.2021	4400.00
				03	19.05.2021	2500.00
				04	19.05.2021	6000.00
3.	राज्य वित्त	भगवानदीन के मकान से राकेश के मकान तक इण्टर लॉकिंग	मजदूरी भुगतान	05	04.06.2021	23676.00
4.	राज्य वित्त	रामचन्द्र के मकान से बच्चन लाल के मकान तक इण्टर लॉकिंग	मजदूरी भुगतान	06	04.06.2021	22120.00
5.	केन्द्रीय वित्त	सामुदायिक शौचालय	वर्मा एण्ड वर्मा सामग्री क्रय	01	17.05.2021	22554.00
				02	17.05.2021	3106.00
				03	17.05.2021	15886.00
				04	17.05.2021	4543.00
				05	17.05.2021	48080.00
6.	केन्द्रीय वित्त	अज्ञात	अनाया ट्रेडर्स	06	19.05.2021	15015.00
7.	केन्द्रीय वित्त	अज्ञात	शीतला इण्टर प्राइजेज	07	25.05.2021	30813.00
8.	केन्द्रीय वित्त	अज्ञात	मो० इम्तियाज इण्टर प्राइजेज	08	12.07.2021	30813.00
9.	केन्द्रीय वित्त	अज्ञात	दिव्य अम्बुज आर्ट	09	15.07.2021	4144.00
10	केन्द्रीय वित्त	अज्ञात	स्वयं सहायता समूह	10	27.07.2021	100.00

			योग:-			241657.00

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रू० 241657.00 आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो कि लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू० 241657.00 की वसूली मय ब्याज सहित समान रूप से ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप कुमार चतुर्वेदी एवं प्रधान श्रीमती सीमा वर्मा से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - रामपुर टिकवापारा विकास खण्ड – एलिया जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-92- आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत रामपुर टिकवापारा के तत्कालीन सिचव व ग्राम प्रधान द्वारा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित नियमों की अवहेलना की गयी है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है "ग्राम प्रधान तथा सिचव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा ि नयमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" परन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक खाता पासबुक/स्टेटमेन्ट के परीक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत के राज्य वित्त खाते से कुल रू0 184186.00 विभिन्न तिथियों में आहरित/अंतरित किया गया जिसके सापेक्ष कैशबुक (दिनाँक 01 अप्रैल 2021 से 31 अगस्त 2021 तक) व व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्राविलयाँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत सिचव तथा ग्राम प्रधान द्वारा अंतरित/आहरित धन का विवरण निम्नवत् है -

क्र० सं०	मद	खाता संख्या	दिनाँक	धनराशि
1.	राज्य वित्त	59001296964	-	117676.00
2.	केन्द्रीय वित्त	50521791190	-	66510.00
			योगः-	184186.00

इस प्रकार उक्त व्यय से सम्बन्धित कैशबुक, व्यय प्रमाणक तथा अन्य सम्बन्धित पत्रावलियाँ प्रस्तुत न होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय लेखा परीक्षा में अप्रमाणित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त दर्शित व्यय रू० 184186.00 आहरण ग्राम निधि से किया गया है जो कि लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" इस प्रकार उक्त धनराशि रू0 184186.00 की वसूली मय ब्याज सहित समान रूप से ग्राम पंचायत सचिव श्री कर्ण कुमार तिवारी एवं प्रधान श्री नरपति लोधी से की जानी अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - इमिलया सुल्तानपुर विकास खण्ड – एलिया जनपद सीतापुर

प्र०सं० -93- ग्राम पंचायत इमिलया सुल्तानपुर विकास खण्ड एलिया की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार- बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सिचव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अविध की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दिर्शत व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1.	2021-22	13614269.30	3404949.00

	योगः-	**13614269.30**	**3404949.00**

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलबध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा अनुभाग के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, तुला लेक मेहता के पुढला (3) मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय प्रजापति तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री नन्हेलाल व प्रधान श्रीमती रेशमा बानो पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं, जिससे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत - कोरैया उदयपुर विकास खण्ड – एलिया जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-94- ग्राम पंचायत कोरैया उदयपुर विकास खण्ड एलिया की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सिचव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अविध की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दिर्शत व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं –

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1.	2021-22	739461.50	1690517.00
	योगः-	**739461.50**	**1690517.00**

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलबध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा अनुभाग के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबहीं, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय प्रजापति तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री नन्हेलाल व प्रधान श्रीमती आशा देवी पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं, जिससे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - देवई' विकास खण्ड – एलिया जनपद सीतापुर

प्र०सं०-95- ग्राम पंचायत देवई विकास खण्ड एलिया की वर्ष 2021-22 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरान्त भी ग्राम पंचायत सिचव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अविध की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा सम्भव नहीं हो सकी। अतः ऑन लाइन लेखा परीक्षा होने के कारण, अभिलेख अप्राप्त होने की दशा में ई-ग्राम स्वराज पर दिर्शत व्यय पर अधिभार प्रतिवेदन की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2021-22 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आंकड़े निम्नवत् हैं -

क्र०सं०	वर्ष	आय	व्यय
1.	2021-22	3862656.00	1094861.00
	योगः-	**3862656.00**	**1094861.00**

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणकविहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लिखित है कि - "ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलबध कराएं।"

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों तथा लेखा अनुभाग के प्रस्तर-8(क) के अनुसार कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट, व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलियाँ, मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि प्रस्ताव लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को अपहरण की श्रेणी में आंकलित किया जाता है जिसके लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय प्रजापति तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री नन्हेलाल व प्रधान श्री गुड्डू अंसारी पूर्णरूप से उत्तरदायी हैं, जिससे निर्धारित धनराशि के क्रमशः आधे-आधे भाग की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत – भदेवना विकास खण्ड – खैराबाद जनपद सीतापुर

प्र०सं०-96- ग्राम पंचायत भदेवना विकास खण्ड खैराबाद की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोष बही में िनम्न विवरण के अनुसार ंविभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दिर्शत है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्राविलयाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत् है –

क्र० सं०	व्यय प्रमाणक संख्या	दिनाँक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	15	17.10.2021	29630.00	बालाजी कांट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स ह्यूम पाईप क्रय (राज्य वित्त)
2.	16	17.10.2021	29630.00	बालाजी कांट्रैक्टर एण्ड सप्लायर्स ह्यूम पाईप क्रय (राज्य वित्त)
3.	21	12.11.2021	28620.00	हर्षित आयरन स्टोर हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय (राज्य वित्त)
4.	22	12.11.2021	28790.00	हर्षित आयरन स्टोर हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय (राज्य वित्त)
5.	23	12.11.2021	28710.00	हर्षित आयरन स्टोर हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय (राज्य वित्त)
		योगः-	**145390.0**	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" एवं खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराय जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० 145380.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री सुशील यादव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती सावित्री उत्तरदायी हैं। नियमानुसार रू०

145380.00 की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से समान रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - सराययूसुफ विकास खण्ड – खैराबाद जनपद-सीतापुर

प्र०सं०-97- ग्राम पंचायत सराययूसुफ विकास खण्ड खैराबाद की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोष बही में ि नम्न विवरण के अनुसार ंविभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दिर्शत है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्राविलयाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत् है

क्र० सं०	व्यय प्रमाणक संख्या	दिनाँक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	02	19.07.2021	99900.00	हर्षित आयरन स्टोर हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय (राज्य वित्त)
2.	08	28.11.2021	24062.00	ह्यूम पाइप क्रय (15वाँ वित्त)
		योगः-	**123962.00**	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" एवं खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराय जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० 123962.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री सुशील यादव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती रामबेटी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार रू० 123962.00 की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से समान रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - बद्रीपुर मंशुरपुर विकास खण्ड – खैराबाद जनपद सीतापुर

प्र०सं०-98- ग्राम पंचायत बद्रीपुरमंशुरपुर विकास खण्ड खैराबाद की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार ंविभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दिर्शत है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्राविलयाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत् है –

क्र० सं०	व्यय प्रमाणक संख्या	दिनाँक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	13	25.11.2021	29066.00	शकील ट्रेडर्स को हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय हेतु (राज्य वित्त)
2.	14	25.11.2021	29066.00	शकील ट्रेडर्स को हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय हेतु (राज्य वित्त)
3.	15	**25.11.2021**	**29066.00**	शकील ट्रेडर्स को हैण्डपम्प रिबोर सामग्री क्रय हेतु (राज्य वित्त)

4.	17	**25.11.2021**	**69312.00**	जयभोले ट्रेडर्स को प्रा०वि० में इण्टर लॉकिंग कार्य सामग्री क्रय (15वाँ वित्त)
		योगः-	**156510.00**	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" एवं खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराय जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० 156510.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणंकविहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री सुशील यादव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती गुड़िया उत्तरदायी हैं। नियमानुसार रू० 156510.00 की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से समान रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत - जमैयतपुर विकास खण्ड – खैराबाद जनपद सीतापुर

प्र०सं०-99- ग्राम पंचायत जमैयतपुर विकास खण्ड खैराबाद की वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में कोष बही में िनम्न विवरण के अनुसार ंविभिन्न मदों पर व्यय किया जाना दिर्शत है, परन्तु उक्त व्ययों की पुष्टि में व्यय प्रमाणक एवं सम्बन्धित पत्राविलयाँ, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उक्त व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्नवत्

क्र० सं०	व्यय प्रमाणक संख्या	दिनाँक	धनराशि	भुगतान का मद
1.	10	02.10.2021	66992.00	हर्षित आयरन स्टोर को प्रा०वि० बाउण्ड्री वॉल निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय (राज्य वित्त)
		योगः-	**66992.00**	

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं।" एवं खण्ड 8(क) के अनुसार "यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराय जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जाएगी।" आलोच्य वर्ष 2021-22 की लेखा परीक्षा में उपरोक्त व्यय रू० 66992.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक (निर्माण मरम्मत कार्य पत्रावली) लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए। जो कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अधिभार के योग्य है। नियमानुसार ऐसा प्रमाणकविहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन सचिव श्री सुशील यादव एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती राजेश्वरी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार रू० 66992.00 की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से समान रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

जनपद- उन्नाव

विकास खण्ड-फतेहपुर चैरासी

प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत कठिघरा में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 186300.00, पंद्रहवे केन्द्रीय राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 27000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 213300.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 213300.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री कुलदीप कुमार, प्रधान व श्री रणकेन्द्र सिंह, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2 ग्राम पंचायत राजेपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 112360.00, पंद्रहवे केन्द्रीय राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 118518.00,पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 189540.00, पंद्रहवे केन्द्रीय राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 270462.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 690880.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 690880.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री संकर दयाल, प्रधान व श्री वेद कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-नवाबगंज

प्रस्तर संख्या-3 ग्राम पंचायत डहरौली में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 34500.00, पंद्रहवे केन्द्रीय राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 56000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 90500.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 90500.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री प्यारे, प्रधान व श्री अमरेश मिश्रा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4 ग्राम पंचायत सरोसा में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 138381.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद मेंव्यय रू0 45900.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मेव्यय रू0 45000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल 229281.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 229281.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सूरजा, प्रधान व श्री अमरेश मिश्रा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5 ग्राम पंचायत कोटवा में वर्ष- 2021-22 के दौरान अन्त्येष्ठी अनुदान मद में व्यय रू0 1006184.00,पांचवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 425110.00, चैदहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 53589.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 438792.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल 1923675.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1923675.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री रंजना, प्रधान व श्री मनोज कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-6 ग्राम पंचायत अजीजपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 537359.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद मेंव्यय रू0 24500.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 341274.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल 903133.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 903133.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री हिन्दपाल शर्मा, प्रधान व श्री मनोज वर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-मियागंज

प्रस्तर संख्या-7 ग्राम पंचायत अहमदपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0

311274.00,पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 498680.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 809954.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 809954.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती रीमा सैनी, प्रधान व श्री अनिल राना, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-8 ग्राम पंचायत अहरा डांडिया में वर्ष- 2021-22 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 19974.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 321668.00 ,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 198000.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मेव्यय रू0 710080.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1249722.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1249722.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती संगीता वर्मा, प्रधान व श्री राम प्रसाद अरून, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-9 ग्राम पंचायत गोबरी में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 417447.00 ,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 48220.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मेव्यय रू0 45919.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 511586.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 511586.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री महेन्द्र सिंह, प्रधान व श्री विपिन कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10 ग्राम पंचायत सराय चंदन में वर्ष- 2021-22 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 2200.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 285300.00 ,पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 566292.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 853792.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 853792.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती संगीता देवी, प्रधान व श्री राम प्रसाद अरून, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11 ग्राम पंचायत मदारपुर कौलाई में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 158129.00 ,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 283631.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मेव्यय रू0 470572.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 912332.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 912332.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री गौरी शंकर, प्रधान व श्री राजेश कुमार यादव, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12 ग्राम पंचायत अरेरकला में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 598891.00 ,पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 359554.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 958445.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 958445.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती कुसुम लता, प्रधान व श्री वेद प्रकाश शर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13 ग्राम पंचायत फखरूद्दीनमऊ में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 582289.00 ,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 12170.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मेव्यय रू0 550613.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1145072.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1145072.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती संगीता देवी, प्रधान व श्री मनीश कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14 ग्राम पंचायत अकबरपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान चतुर्थ राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 38800.00, पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 435956.00 , पंद्रहवे वित्त अनुदान मेव्यय रू0 649677.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1124433.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1124433.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री राजेश, प्रधान व श्री मंगल प्रसाद, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15 ग्राम पंचायत चकबरेसर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0 637016.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मेव्यय रू0 930368.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1567384.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1567384.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती गीता, प्रधान व श्री मंगल प्रसाद, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16 ग्राम पंचायत औरई में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्तअनुदान मद में व्यय रू0

634252.00, चैदहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 19882.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 635797.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1289931.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1289931.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री रामपाल, प्रधान व श्री मंगल प्रसाद, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17 ग्राम पंचायत दरिहट में वर्ष- 2021-22 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 14000.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 528431.00 ,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 30520.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 738019.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1310970.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1310970.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती रामकली, प्रधान व श्री पंकज त्रिवेदी, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18 ग्राम पंचायत सुन्दरी खुर्द में वर्ष- 2021-22 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 55410.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 633375.00 ,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 125845.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 297520.00, राष्टीय ग्राम मद में व्यय रू0 245904.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1358054.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1358054.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री प्रेम किशोर, प्रधान व श्री अनिल राना, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19 ग्राम पंचायत वीरमपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 104400.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 643348.00 ,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0

59300.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 1055647.00, राष्टीय ग्राम मद में व्यय रू0 869794.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 2732489.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2732489.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती अल्का त्रिवेदी, प्रधान व श्री अनिल कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20 ग्राम पंचायत नूरूल्लानगर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1249872.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 1841293.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 3091165.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3091165.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री अविनाश, प्रधान व श्री विपिन कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21 ग्राम पंचायत माखी में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 4742762.00,पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 4957721.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 9700483.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 9700483..00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री शिवपाल सिंह, प्रधान व श्री धीरेन्द्र कुमार यादव, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22 ग्राम पंचायत मल्हौली सरदार नगर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद

में व्यय रू0 323863.00 ,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 64292.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 488641.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 876796.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 876796.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री गोल्डी यादव, प्रधान व श्री वेद प्रकाश वर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23 ग्राम पंचायत गौरा कला में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 2067725.00 ,पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 1377292.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 3445017.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3445017.00.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती मनीषा, प्रधान व श्री मंगल प्रसाद, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-24 ग्राम पंचायत नौहाई बुजुर्ग में वर्ष- 2021-22 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 6227.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 865660.00 ,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 19837.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 782981.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1674705.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1674705.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री मैकुलाल, प्रधान व श्री अर्पित शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-25 ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय

रू0 697011.00 ,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 172735.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 1121667कृ00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1991413.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1991413.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री शिवभान सिंह, प्रधान व श्री अर्पित शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-26 ग्राम पंचायत पारा सैफपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 643213.00,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 45000.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 660729.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1399042.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1399042.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती रानी सिंह, प्रधान व श्री राजेश कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-27 ग्राम पंचायत बसोखा मुहम्मदपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 311030.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 481963.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 792993.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 792993.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री छोटे, प्रधान व श्री अनिल राना, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-28 ग्राम पंचायत सरौहा में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 512027.00,पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 242718.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 754745.00 का व्यय

किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 754745.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती पिंकी, प्रधान व श्री अर्पित शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-29 ग्राम पंचायत भड़ुवा में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1263723.00 ,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 115631.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 555600.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1934954.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1934954.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री राकेश, प्रधान व श्री अदित्य कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-हसनगंज

प्रस्तर संख्या-30 ग्राम पंचायत बाराबुजुर्ग में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 2448021. इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 2448021.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2448021.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री जसवंत सिंह, प्रधान व श्री शशांक यादव, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-31 ग्राम पंचायत मटरिया में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0

1990144.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1990144.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1990144.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री अभिषेक कुमार, प्रधान व श्रीमती ऐशा चैधरी, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-32 ग्राम पंचायत कोरौरा में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 801130.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 801130.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 801130.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री रमेश, प्रधान व श्री साजिद रिजवी, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-33 ग्राम पंचायत अहमदपुर वाडे में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 75360..00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 75360.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 75360.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती राजकुमारी, प्रधान व श्री संजीव कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-बांगरमऊ

प्रस्तर संख्या-34 ग्राम पंचायत अतरधनी में वर्ष- 2021-22 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय रू0

317066.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 317066.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 317066.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती रीमा, प्रधान व श्री जयोतसना, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-35 ग्राम पंचायत सुरसेनी में वर्ष- 2021-22 के दौरान केन्द्रीय वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 488499.40, राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 819629.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1308079.20 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है। अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1308079.20 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती सहरीन, प्रधान व श्री महिपाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-औरास

प्रस्तर संख्या-36 ग्राम पंचायत अहमदपुर कासिमपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 653236.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 1117107.00, चैदहवे वित्त मद में व्यय रू0 211349.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1981692.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन

है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1981692.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री मो0 इमरान, प्रधान व श्री शिवबरन, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-37 ग्राम पंचायत टिकरा वाव में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 2117424.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 2117424.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2117424.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री आशाराम, प्रधान व श्री शिवबरन, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-38 ग्राम पंचायत रामपुर खंजाती में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1173505.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1173505.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1173505.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती अकशाना, प्रधान व श्री रोहित राना, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-39 ग्राम पंचायत उड़रा डकौली में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 2472401.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 2472401.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर

अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2472401.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती राजकुमारी, प्रधान व श्री जय प्रकाश सोनकर, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-40 ग्राम पंचायत कटरा तरौना में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 963840.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 963840.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 963840.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती नन्दिनी यादव, प्रधान व श्री आशीष कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-41 ग्राम पंचायत बछौली में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 2127956.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 2127956.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2127956.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री शंकर लाल, प्रधान व श्री जय प्रकाश सोनकर, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-42 ग्राम पंचायत ताला सराय में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 982737.00, पन्द्रहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1041836.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 2024573.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की

मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2024573.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री राम लखन सिंह, प्रधान व श्री जय प्रकाश सोनकर, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-गंजमुरादाबाद

प्रस्तर संख्या-43 ग्राम पंचायत खैरहन में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 265036.00, पन्द्रहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 376757.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 641793.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 641793.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री आरिफ, प्रधान व श्री कौशल कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-44 ग्राम पंचायत सहदानी में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 714053.00, पन्द्रहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 875624.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1589677.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1589677.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती संगीता, प्रधान व श्री संजीव कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-45 ग्राम पंचायत दारापुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 539001.00, पन्द्रहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 740216.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1279217.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1279217.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री अयोध्या प्रसाद, प्रधान व श्री रमेश पाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-46 ग्राम पंचायत गोशा कुतुब में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 158332.00, पन्द्रहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1266.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 159598.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 159598.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती रामबेटी, प्रधान व श्री कौशल कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-सिकन्दरपुर सिरोसी

प्रस्तर संख्या-47 ग्राम पंचायत बहवा में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 297947.00, पन्द्रहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 589673.00, चैदहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 43050.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 930670.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त

धनराशि रू0 930670.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सुरेश, प्रधान व श्री राघवेन्द्र निगम, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-48 ग्राम पंचायत राजेपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 476568.00, चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 8835.00, चैदहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 19673.00 पन्द्रहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1457269.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1962345.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1962345.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री आलोक अवस्थी, प्रधान व श्री राघवेन्द्र निगम, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-49 ग्राम पंचायत गंगौली में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 552021.00, पन्द्रहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1232492.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1784513.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1784513.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री नरेश कुमार, प्रधान व श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-50 ग्राम पंचायत कनिकामऊ में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 748294.00, पन्द्रहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 722673.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1470967.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की

मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1470967.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती कैलाशा, प्रधान व श्री सुब्रत कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-51 ग्राम पंचायत बेहटा में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 660179.00, पन्द्रहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1104927.00,चैदहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 200510.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1965616.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1965616.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती गुडिया, प्रधान व श्री सुब्रत कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-पुरवा

प्रस्तर संख्या-52 ग्राम पंचायत असेहरू में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 860755.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 860755.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 860755.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती रोशनी, प्रधान व श्री पुत्तन लाल पाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से

अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-53 ग्राम पंचायत कसरौर में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 1795438.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1795438.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1795438.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती कान्ति, प्रधान व श्री पुत्तन लाल पाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-54 ग्राम पंचायत चमियानी में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 5536315.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 5536315.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 5536315.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती गोमती देवी, प्रधान व श्री पुत्तन लाल पाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-55 ग्राम पंचायत अडगांव पासाखेड़ा में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 1555063.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1555063.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1555063.00 को अधिभार

योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सुरेश, प्रधान व श्री पुत्तन लाल पाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-56 ग्राम पंचायत अडौली में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 1193687.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1193687.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1193687.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती सांध्या सिंह, प्रधान व श्री पुत्तन लाल पाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-57 ग्राम पंचायत पल्हरी में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 496457.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 496457.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 496457.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री अजीत सिंह, प्रधान व श्री पुत्तन लाल पाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-हिलौली

प्रस्तर संख्या-58 ग्राम पंचायत खेरवा में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 695855.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 695855.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में

अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 695855.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री रमेश चैधरी, प्रधान व श्री आशीष मिश्रा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-59 ग्राम पंचायत गोनामऊ में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 121340.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 121340.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 121340.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती शान्ति देवी, प्रधान व श्री धर्मेन्द्र सिंह, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-60 ग्राम पंचायत बलिया में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 1631267.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1631267.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1631267.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री हरिश्चन्द्र, प्रधान व श्री आशीष मिश्रा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-61 ग्राम पंचायत बरौला में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 1141835.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1141835.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1141835.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती रीना देवी, प्रधान व श्रीमती वंशी लता, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-62 ग्राम पंचायत बरदहा में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 3508144.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 3508144.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3508144.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री मनीराम, प्रधान व श्री धमेंद्र श्रीवास्तव, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-63 ग्राम पंचायत बेहटा में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 687922.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 687922.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 687922.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री संदीप कुमार, प्रधान व श्री विवेक सिंह, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-64 ग्राम पंचायत जेरा में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 1818255.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1818255.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1818255.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री रामलाल, प्रधान व श्री आशीष मिश्रा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-65 ग्राम पंचायत खानपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 52945.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 52945.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 52945.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री रवि शंकर, प्रधान व श्री वंशी लाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-66 ग्राम पंचायत गालिबपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 1597366.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1597366.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1597366.00 को अधिभार

योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती संतोष कुमारी, प्रधान व श्री वंशी लाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-67 ग्राम पंचायत रायपुर हिलौली में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 11702301.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 11702301.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 11702301.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती पुष्पा देवी, प्रधान व श्री सर्वेश बाजपेयी, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-68 ग्राम पंचायत मिर्जापुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 972356.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 972356.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 972356.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती रियावती, प्रधान व श्री वंशी लाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-69 ग्राम पंचायत चिलौली में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 2060371.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 2060371.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय

लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2060371.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती सीमा देवी, प्रधान व श्री अजय कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-70 ग्राम पंचायत गुंजौली में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 2368686.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 2368686.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2368686.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री मनोहर, प्रधान व श्री अर्पित शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-71 ग्राम पंचायत तिसन्धा में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 1238685.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1238685.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1238685.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सौरभ सिंह, प्रधान व श्री विवेक सिंह, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-72 ग्राम पंचायत दुन्दपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 411018.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 411018.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की

मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 411018.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री धीरेन्द्र कुमार, प्रधान व श्री शैलेन्द्र पटेल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-73 ग्राम पंचायत लोटना में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 2158795.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 2158795.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2158795.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री रामौतार, प्रधान व श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-74 ग्राम पंचायत सन्दाना में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 1541795.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1541795.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1541795.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती राजरानी, प्रधान व श्री धमेंद्र श्रीवास्तव, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-75 ग्राम पंचायत रजवाड़ा में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 815036.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 815036.00 का

व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 815036.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती आरती सिंह, प्रधान व श्री शैलेन्द्र पटेल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-76 ग्राम पंचायत सरायमुबारक में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 538349.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 538349.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 538349.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री अतुल वर्मा, प्रधान व श्री वंशीलाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-77 ग्राम पंचायत नरीचक में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 1681363.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1681363.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1681363.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती अंजू देवी, प्रधान व श्री धर्मेन्द्र श्रीवास्तव, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-78 ग्राम पंचायत मवई में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 17700.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की

अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 17700.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 17700.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री जिया लाल, प्रधान व श्री विनय राज पाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-79 ग्राम पंचायत महारानी खेड़ा में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 1291482.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1291482.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1291482.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री नरेन्द्र यादव, प्रधान व श्री विनय राजपाल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-80 ग्राम पंचायत पिंडुरी में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 680697.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 680697.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 680697.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री गौतम त्रिपाठी, प्रधान व श्री आशीष मिश्रा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-81 ग्राम पंचायत लौवासिंहन खेड़ा में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त

स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 7120712.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 7120712.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 7120712.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री हरि शंकर, प्रधान व श्री शैलेन्द्र पटेल, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-82 ग्राम पंचायत लच्छीखेंड़ा में वर्ष- 2021-22 के दौरान मूल अभिलेखों के आभाव में उक्त स्थिति के अधीन उक्त दर्शित व्यय/अनुदान का उपभोग अपुष्ट रहा रू0 1831552.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1831552.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1831552.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री कृष्ण कुमार, प्रधान व श्री अजय कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-असोहा

प्रस्तर संख्या-83 ग्राम पंचायत बीकामऊ में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 445471.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 445471ः.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 445471.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सादिक अली, प्रधान व श्री जगन्नाथ मिश्रा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-84 ग्राम पंचायत पहासा में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 765302.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 765302.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 765302.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री राजेन्द्र कुमार, प्रधान व श्री अदित्य शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-85 ग्राम पंचायत कंचनपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 788315.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 788315.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 788315.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती कमला देवी, प्रधान व श्री ओम प्रकाश, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-86 ग्राम पंचायत केओनी में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1362497.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1362497.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1362497.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री पुत्तन यादव, प्रधान व श्री ओम प्रकाश, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-हसनगंज

प्रस्तर संख्या-87 ग्राम पंचायत तेगापुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 592222.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 592222.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 592222.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री विपिन, प्रधान व श्री आशीष कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-88 ग्राम पंचायत निवाजखेरा में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 292352.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 292352.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 292352.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती गुडिया, प्रधान व श्री अमित कुमार, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-89 ग्राम पंचायत हंसेवा में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1076768.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1076768.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1076768.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती अनीता सिंह, प्रधान व श्री प्रशान्त शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-90 ग्राम पंचायत पमेदिया में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 917463.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 917463.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 917463.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री हरिशंकर, प्रधान व श्री उदय प्रताप, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-91 ग्राम पंचायत हरौनी शम्सुद्दीनपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1304679.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1304679.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1304679.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री हरिपाल सिंह, प्रधान व श्रीमती एशा चैधरी, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-92 ग्राम पंचायत भानपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 592713.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 592713.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 592713.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप, प्रधान व श्री प्रताप शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-असोह

प्रस्तर संख्या-93 ग्राम पंचायत बेहटा सुम्हारी में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1113499.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1113499.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख

आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1113499.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती राजकुमारी, प्रधान व श्री जगन्नाथ मिश्रा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-94 ग्राम पंचायत सुम्हारी खुर्द में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 805225.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 805225.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 805225.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती रचना सिंह, प्रधान व श्रीमती सुमिता मिश्रा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-सिकन्दरपुर कर्ण

प्रस्तर संख्या-95 ग्राम पंचायत वसैना में वर्ष- 2021-22 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 42805.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 939670.00, पन्द्रहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1111220.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 2093695.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2093695.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती राम देवी, प्रधान व श्रीमती नेहा विश्वकर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-बिछिया

प्रस्तर संख्या-96 ग्राम पंचायत अमरसस में वर्ष- 2021-22 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 40676.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1981292.00, चैदहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 190342.00,पन्द्रहवे राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 2800664.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 5012974.00

का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 5012974.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री जितेन्द्र कुमार, प्रधान व श्रीमती किरन शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-97 ग्राम पंचायत डीह में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 7934901.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 7934901.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 7934901.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती आरती, प्रधान व श्री संदीप मिश्रा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-98 ग्राम पंचायत रामपुर खालसा में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1215800.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1215800.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1215800.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती नीलम, प्रधान व श्री अमित दिक्षीत, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-99 ग्राम पंचायत सकरन में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1597966.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1597966.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन

है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1597966.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री धर्मेन्द्र, प्रधान व श्रीमती किरन शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-100 ग्राम पंचायत तारगांव में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 13125145.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 13125145.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 13125145.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री चन्द्रपाल, प्रधान व श्री अमरेश मिश्रा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-101 ग्राम पंचायत रायपुर बुजुर्ग में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 941751.00, पन्द्रहवें राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1574292.70 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 2516043.70 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2516043.70.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती राजवती, प्रधान व श्री दिलीप भारती, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-102 ग्राम पंचायत ईटौली में वर्ष- 2021-22 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 27000.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 18250.00 ,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 949165.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 881612.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1876027.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1876027.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती अनीता सिंह, प्रधान व श्री अमरेश मिश्रा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-103 ग्राम पंचायत सिंधुपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 52710.00, पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 63484.00 ,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 89070, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 75550.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 280814.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 280814.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री सुख्खी लाल, प्रधान व श्री दमन दिक्षीत, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-104 ग्राम पंचायत शिवपुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 2250.00 ,चैदहवे वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 245933.00, पंद्रहवे वित्त अनुदान मे व्यय रू0 123119.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 371302.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 371302.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती रोली, प्रधान व श्री अभिषेक वर्मा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-105 ग्राम पंचायत कोरारी खुर्द में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1237910.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1237910.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1237910.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती फूल कुमारी, प्रधान व श्रीमती किरन शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-हसनगंज

प्रस्तर संख्या-106 ग्राम पंचायत लखनापुर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय

रू0 857854.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 857854.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 857854.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री अजय कुमार, प्रधान व श्री प्रशान्त शुक्ला, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-107 ग्राम पंचायत झलोथर में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 2448319.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 2448319.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2448319.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती शमीमुन, प्रधान व श्री शशांक यादव, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-सुमेरपुर

प्रस्तर संख्या-108 ग्राम पंचायत बिहार में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 1273109.00,केन्द्रीय वित्त आयोग मद में व्यय रू0 1499570.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 2772679.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2772679.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती जगदेवी, प्रधान व श्री आलोक अवस्थी, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-109 ग्राम पंचायत भदेवरा में वर्ष- 2021-22 के दौरान पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 352669.00, केन्द्रीय वित्त आयोग मद में व्यय रू0 705328.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1057998.00 का व्यय

किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1057998.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रधान व श्री राजेन्द्र भारतीय, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-110 ग्राम पंचायत जगतपुरा में वर्ष- 2021-22 के दौरान चतुर्थ राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 38376.00,पंचम राज वित्त अनुदान मद में व्यय रू0 815907.00,केन्द्रीय वित्त आयोग मद में व्यय रू0 716392.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष- 2021-22 के दौरान कुल रू0 1570675.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय-8 के प्रस्तर-8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1570675.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी वसूली श्रीमती निशा, प्रधान व श्री शशी मोहन मिश्रा, सचिव से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से ब्याज सहित सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।